प्रतिवेदन

किरन्दुल, जिला बस्तर में दिनांक ५ अप्रैल, १९७८ को खनन कर्मकारों द्वारा किये गये प्रदर्शन, उनके तथा पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ तथा पुलिस द्वारा गोली चालन की न्यायिक जांच

द्वारा

श्री के. एस. वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सेवानिवृत्त)
एकल सदस्य

(शासन के संबंधित संकल्प सहित)

भोपाल
शासन केन्द्रीय मुद्रणालय
1986

मध्यप्रदेश शासन

गृह विभाग (सी—अनुभाग)

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 1986.

एफ. क्र. 8—1/85/सी—1.—राज्य शासन द्वारा पारित निम्नलिखित संकल्प सर्व साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. एस. शर्मा,
गृह सचिव.

संकल्प

एफ. क्र. 8-1/85/सी—1, भोपाल, दिनांक 29 मार्च 1986.

किरन्दुल, जिला बस्तर में दिनांक 5 अप्रैल, 1978 को हुई श्रमिक उपद्रवों में पुलिस को गोली चालन करना पड़ा था. इस घटना से सम्बद्ध निम्नलिखित बातों पर न्यायिक जांच के आदेश शासन द्वारा एफ क्रमांक 8-9/79/सी—एक, दिनांक 20 अप्रैल, 1978 द्वारा दिये गये थे :—

(क) वे कारण तथा घटना क्रम जिनके परिणामस्वरूप 5 अप्रैल, 1978 को किरन्दुल (जिला बस्तर) में खनन कर्मकारों द्वारा प्रदर्शन किए गए, उनके तथा पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई तथा पुलिस द्वारा गोली चलाई गई.

(ख) क्या गोली चालन के ठीक पूर्व की तथा ठीक पश्चात् की स्थिति से निपटने के लिए किये गये उपाय पर्याप्त थे ?

(ग) क्या किया गया बल प्रयोग अत्यधिक था ?

2. जांच आयोग के सदस्य के रूप में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री एस. जे. सुराना को नियुक्त किया गया था. आयोग द्वारा निर्धारित अवधि में प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सका. इसलिए सुराना जांच आयोग द्वारा छोड़ा गया कार्य पूर्ण करने हेतु शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-9-78/म-एक दिनांक 28 जुलाई, 1982 द्वारा श्री के. एल. वर्मा, अवकाश प्राप्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर को उक्त जांच आयोग के एकल सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया. जांच आयोग का प्रतिवेदन दिनांक 1-7-85 को प्राप्त हुआ.

3. आयोग के समक्ष विचारार्थ विषयों के संबंध में श्री के. एल. वर्मा के निष्कर्षों का सारांश नीचे दिया गया है :—

विषय क्रमांक (क)

ठेकेदार मेसर्स अशोक मायनिंग कम्पनी द्वारा दिनांक 22-12-1977 को दिये गये नोटिस के अनुसरण में खनन कर्मकारों की दिनांक 31-3-1978 से की जाने वाली छंटनी (retrenchment) में वर्ष 1978 में श्रमिक प्रदर्शनों का एकमात्र कारण था. श्रमिक संगठनों को यह ज्ञात था कि मेसर्स अशोक मायनिंग कम्पनी तथा क्षेत्र के अन्य ठेकेदारों को लोह अयस्क (iron-ore) के हस्त निकास (manual extraction) के ठेकों का नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है या अवधि नहीं बढ़ाई जा रही है एवं मेसर्स अशोक मायनिंग कम्पनी के ठेके की अवधि 31-3-1978 को समाप्त होने पर उनके द्वारा लगाये गये श्रमिकों की छटनी होगी.

संयुक्त खदान मजदूर संघ ने जनवरी, 1978 से आन्दोलन शुरू किया यद्यपि इसके पूर्व संयुक्त खदान मजदूर संघ तथा नेशनल मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन के द्वारा छटनी से उत्पन्न आसन्न स्थिति से निपटने के उद्देश्य से निष्फल चर्चाएं की गई थी और आन्दोलन के दौरान उप-श्रमायुक्त (केन्द्रीय) से की गई लिखा-पढ़ी भी असफल रही. इस बीच मेसर्स अशोक मायनिंग कम्पनी के मजदूरों ने अपनी जायज स्वत्वों का भुगतान स्वीकार कर किरन्दुल से 2-4-78 तक प्रस्थान कर गये. संयुक्त खदान मजदूर संघ के इशारे पर आन्दोलन को प्रभावी करने का निर्णय लिया जाकर, लोह अयस्क की ढुलाई के विरुद्ध धरना देना, कार्य पर उपस्थित होने वाले श्रमिकों को रोकना जनरल मैनेजर के निवास एवं कार्यालय पर प्रदर्शन करना, श्रमिक कालोनी की पाईप लाईन को नुकसान पहुंचाना तथा एन. एम. डी. सी. की संपत्ति को क्षति पहुंचाना आदि आन्दोलनात्मक कार्यवाहियां शुरू की गई. संयुक्त खदान मजदूर संघ बैलाडीला के अध्यक्ष श्री इन्द्रजीतसिंह भूमिगत

हो गये तथा वे एक सप्ताह के अन्तराल प्रातः दिनांक 5-4-1978 को प्रथम बार देखे गये. श्री इन्द्रजीतसिंह की पत्नी श्रीमती बसंत रानी, जिन्होंने जनरल मैनेजर के आवास पर महिलाओं का धरना एवं प्रदर्शन आरंभ किया. उन्हें दिनांक 5-4-1978 को सवेरे ही बंदी बना लिया गया. श्री इन्द्रजीतसिंह ने उसी दिन श्रमिक समुदाय को संबोधित भाषणों में पुलिस पर अधिक से अधिक हमला बोलने हेतु भड़काया ताकि खून बहे.

कलेक्टर ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से विचार-विमर्श कर इन्द्रजीतसिंह भी अन्य जिस किसी ने कानून एवं व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयत्न किया उसे गिरफ्तार करने का निश्चय किया. एस. डी. एम. श्री दिलीप मेहरा, उप पुलिस अधीक्षक तथा 60 कान्स्टेबल के साथ श्रमिक बस्ती की ओर श्री इन्द्रजीतसिंह को गिरफ्तार करने हेतु गये. उक्त बल में रायफल पार्टी नहीं थी. श्रमिकों ने उक्त बल के साथ अशिष्ट व्यवहार किया, उन पर लाठी तथा पत्थर से हमला कर काफी तादाद में पुलिस बल जिसमें एस. डी. एम. एवं एस. डी. ओ. (पी.) सम्मिलित थे, घायल किया. श्री दीक्षित (उप-पुलिस अधीक्षक) कुछ कठिनाई से रेस्ट हाउस पहुंचे. सर्किल इंस्पेक्टर श्री एन. डी. सिंह तथा थानेदार आर. पी. शर्मा अत्यधिक जख्मी हुए, हेड कान्स्टेबल कोमलसिंह को प्राणघातक चोटें आई तथा अन्य कई कान्स्टेबलों ने झोपड़ियों तथा नजदीक की बेशरम की झाड़ियों में शरण ली. कलेक्टर ने श्रमिक बस्ती में फंसे पुलिस कर्मियों की खोज, उद्धार तथा उन्हें बचाने के लिए अतिरिक्त बल की व्यवस्था की. इस बल के साथ भी रेल्वे स्टाक पाईल के पास एकत्रित लगभग 2—4 हजार श्रमिकों की भीड़ ने हिंसक रवैया किया. किया गया केन व लाठी चार्ज, अश्रु गैस के गोले छोड़ने तथा हवाई फायर भी पर बेअसरकारक होने पर एस. डी. एम. श्री मेहरा ने प्रभावकारी गोली चालन आदेशित किया. कुल 12 चक्र चलाई गई गोलियों में 19-20 लोग आहत हुए जिनमें से 10 लोगों की अस्पताल में मृत्यु हुई. कारगर गोली चालन में 2 या 3 मिनिट लगा तथा भीड़ ज्योंही तितर-बितर हुई त्योंही कुछ लोगों को गिरते देख गोली चालन बन्द किया गया.

विषय क्रमांक (ख)

स्थिति से निपटने हेतु गोली चालन के अमिट पूर्व एवं पश्चात की गई व्यवस्था समुचित तथा कारगर थी.

विषय क्रमांक (ग)

किया गया बल प्रयोग अत्यधिक नहीं था.

4. राज्य शासन तदनुसार संकल्प करता है कि आयोग के विचारार्थ विषयक (क), (ख) और (ग) पर किये गये निष्कर्षों को स्वीकार किया जाए.

5. शासन उन सभी व्यक्तियों और संबंधितों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करना चाहता है जिनकी किरन्दुल की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में मृत्यु हुई या जिन्हें चोटें पहुंची.

6. अंत में शासन अवकाश प्राप्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री के. एल. वर्मा को जांच का कार्य संपन्न करने के लिए धन्यवाद देना चाहता है.

7. आदेश दिया जाता है—

(क) कि, संकल्प की प्रतियां सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचना तथा आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजी जाएं और,

(ख) कि, वह संकल्प प्रकाशन विभाग द्वारा समाचार पत्रों को जारी किया जाए और साथ ही उसकी एक प्रति "मध्यप्रदेश राजपत्र" असाधारण में प्रकाशित की जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. एल. शर्मा,

गृह सचिव.

विषय-सूची

अध्याय		विषय	पृष्ठ
अध्याय	एक	आयोग की नियुक्ति	1—5
अध्याय	दो	जांच में भाग लेने वाले व्यक्तियों द्वारा दिया गया बयान	5—43
अध्याय	तीन	वर्तमान आयोग	44—45
अध्याय	चार	सामान्य पृष्ठभूमि	45—54
अध्याय	पांच	प्रारंभिक आक्षेप	54—55
अध्याय	छह	स्थल निरीक्षण	55—56
अध्याय	सात	वे कारण, जिनके परिणाम स्वरूप खनन कर्मकारों द्वारा प्रदर्शन किये गये.	56—66
अध्याय	आठ	वह घटनाक्रम, जिसके परिणामस्वरूप खनन कर्मकारों द्वारा प्रदर्शन किये गये तथा उनके और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई.	66—82
अध्याय	नौ	5 अप्रैल 1978 को किरन्दुल (बस्तर जिले) में पुलिस द्वारा गोली चालन.	82—95
अध्याय	दस	क्या गोली चालन के ठीक पूर्व तथा ठीक पश्चात् की स्थिति से निपटने के लिए किए गए उपाय पर्याप्त थे?	95—102
अध्याय	ग्यारह	क्या किया गया बल प्रयोग अत्यधिक था?	102—103
अध्याय	बारह	निष्कर्ष	103—105

परिशिष्ट

परिशिष्ट	विषय	पृष्ठ
परिशिष्ट अ	स्थल नक्शा (केवल मूल प्रतिवेदन सहित)	
परिशिष्ट आ	उन गवाहों की सूची, जिनका परीक्षण किया गया—	
	वे गवाह, जिनका स्थानीय प्रशासन की ओर से परीक्षण किया गया	107—108
	वे गवाह, जिनका संयुक्त खदान मजदूर संघ की ओर से परीक्षण किया गया.	109
	वे गवाह, जिनका रा. ख. वि. नि. की ओर से परीक्षण किया गया	109
	आयोग की ओर से परीक्षित गवाह	110
परिशिष्ट ई	दस्तावेजों की सूची	110—118

अध्याय एक

आयोग की नियुक्ति

सामान्य प्रशासन विभाग

(क्ष—अनुविभाग)

भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल 1978.

फा.क्र. 8-9-78-क्ष-एक.—चूंकि 5 अप्रैल, 1978 को किरन्दुल, जिला बस्तर की श्रमिक बस्ती में खनन कर्मकारों तथा पुलिस दल के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसके परिणामस्वरूप अनेक कर्मकारों तथा पुलिस जनों की मृत्यु हुई तथा उन्हें क्षति पहुंची.

और चूंकि राज्य सरकार की यह राय है कि सार्वजनिक महत्व के निम्नलिखित निश्चित मामलों की जांच करने के प्रयोजन के लिये एक जांच आयोग नियुक्त करना आवश्यक है, अर्थात:—

(क) वे कारण तथा घटनाक्रम, जिनके कि परिणामस्वरूप 5 अप्रैल, 1978 को किरन्दुल (जिला बस्तर) में व खनन कर्मकारियों द्वारा प्रदर्शन किये गये, उनके तथा पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई तथा पुलिस द्वारा गोली चलाई गई.

(ख) क्या गोली चालन के ठीक पूर्व की तथा ठीक पश्चात् की स्थिति से निपटने के लिये किये गये उपाय पर्याप्त थे ?

(ग) क्या किया गया बल प्रयोग अत्याधिक था ?

अतएव, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (क्रमांक 60 सन् 1952) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, सार्वजनिक महत्व के पूर्वोक्त मामलों की जांच की जाने के लिये एक जांच आयोग का एतद्द्वारा नियुक्ति करती है जिसमें एकमात्र सदस्य मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री एस. जे. सुराणा होंगे.

जांच आयोग ऐसे अन्य मामलों की भी जांच कर सकेगा जो कि जांच के अधीन आने वाले मामलों के आनुषांगिक तथा सहायक हों और ऐसे अन्य कृत्यों का भी पालन कर सकेगा जो कि उसके संबंध में आवश्यक या आनुषांगिक हों.

आयोग अपनी रिपोर्ट तीन मास की कालावधि के भीतर प्रस्तुत करेगा.

राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निर्देश देती है कि जांच आयोग अधिनियम, 1952 (क्रमांक 60 सन् 1952) के उपबंध इस आयोग की कार्यवाहियों को लागू होंगे.

आयोग अपनी बैठकें जगदलपुर में या किरन्दुल में या किसी अन्य स्थान पर जैसा कि सुविधाजनक या आवश्यक समझा जाय, कर सकेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. एल. पसरीचा, मुख्य सचिव.

एफ.क्र.8-9 (2) 78-क्ष-एक.—जांच आयोग अधिनियम, 1952 (क्रमांक 60 सन् 1952) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा यह निर्देश देती है कि उक्त धारा की उपधाराओं (2), (3), (4), (5), (6) तथा (7) के उपबंध इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्र.8-9-78-क्ष-एक, दिनांक 20 अप्रैल 1978 के अधीन नियुक्त आयोग को लागू होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. एल. पसरीचा, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 11 मई 1978

एफ.क्र.8-17-78-क्ष-एक.—राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक 8-9-78-दस-एक, दिनांक 20 अप्रैल 1978 के अधीन नियुक्त आयोग द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. एल. पसरीचा, मुख्य सचिव.

कार्यालय किरन्दूल जांच आयोग 1978

अधिसूचना

क्र. क्यू-78.—कैम्प भोपाल, दिनांक 10 मई 1978.—चूंकि मध्यप्रदेश सरकार ने सार्वजनिक महत्व के निश्चित मामलों, अर्थात्:—

(1) वे कारण तथा घटनाक्रम जिनके कि परिणामस्वरूप 5 अप्रैल, 1978 को किरन्दूल (जिला बस्तर) में खनन कर्मकारों द्वारा प्रदर्शन किये गये, उनके तथा पुलिस के बीच मठभेड़ हुई तथा पुलिस द्वारा गोली चलाई गई.

(2) क्या गोली चालान के ठीक पूर्व की तथा ठीक पश्चात् की स्थिति से निपटने के लिये किये गये उपाय पर्याप्त थे?

(3) क्या किया गया बल प्रयोग अत्यधिक था.

की जांच करने के प्रयोजन के लिये एक जांच आयोग की नियुक्ति की है, देखिये "मध्यप्रदेश राजपत्र" (असाधारण) 20 अप्रैल, 1978 में प्रकाशित मध्यप्रदेश राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. फा. क्र. 8-9-78-अ-एक, दिनांक 20 अप्रैल, 1978-चैत्र 30, 1900;

अतएव उक्त आयोग के आदेश से तथा उसके अधीन यह अधिसूचना इसमें इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट किये गये प्रयोजनों के लिये जारी की जाती है.

1. (क) ऐसे सभी व्यक्तियों या संगठनों को, जो आयोग द्वारा की जाने वाली जांच की विषय वस्तु से संबंधित किन्हीं तथ्यों तथा/या परिस्थितियों की जानकारी रखते हैं; इसके द्वारा इस बात के लिये आमंत्रित किया जाता है कि वह संदर्भाधीन मामलों में से किसी भी मामले के संबंध में तथा साथ ही उनसे प्रासंगिक तथा आनुषंगिक अन्य ममालों के संबंध में तथ्यों का कथन करें और उस साक्ष्य को भी उल्लिखित करें जिसके द्वारा ऐसे व्यक्ति तथ्यों के ऐसे कथन को सिद्ध करने का प्रस्ताव करते हैं.

(ख) यह कथन हिन्दी भाषा में हो तो अधिक अच्छा होगा.

(ग) सभी कथन प्रथम पुरुष में लिखे जायें और क्रम से संख्यांकित किये जाने वाले पैराग्राफों में विभाजित किये जाएं तथ्य का प्रत्येक तात्विक कथन अलग अलग पैराग्रामों की विषय वस्तु के रूप में दिया जाय और कथन करने वाला व्यक्ति अपना अभिवर्णन, अपनी उपजीविका, यदि कोई हो, तथा अपने निवास का सही स्थान उल्लिखित करेगा,

(घ) जहां ऐसा कोई कथन किसी संगठन द्वारा किया जाय, वहां कथन उस संगठन के सचिव द्वारा किया जाना चाहिये या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसे कि उस संगठन के शासी निकाय ने इस संबंध में प्राधिकृत किया हो, किया जाना चाहिये;

(ङ) जहां वे कथन व्यक्तिगत जानकारी पर आधारित है, वहां उस व्यक्ति को इस बात का उल्लेख अपने कथन में करना चाहिये और जहां ऐसा कोई कथन किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त किसी जानकारी पर आधारित, हैं, वहां उसे इस घोषणा के साथ कि क्या वह ऐसी जानकारी के सत्य होने का विश्वास करता है, जानकारी देने वाले व्यक्ति का नाम तथा पता देना चाहिये.

2. पैरा 1 के अधीन प्रस्तुत किये गये प्रत्येक कथन के साथ उन तथ्यों के समर्थन में, जो कि उस कथन में उपवर्णित हैं, एक शपथ पत्र जो कि कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा शपथित हो, संलग्न होगा.

3. पैरा 1 के अधीन कथन प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक व्यक्ति कथन के साथ उन दस्तावेजों, यदि कोई हो, की एक सूची भी आयोग को देगा जिन पर कि वह निर्भर करने का प्रस्ताव करता है, और उन दस्तावेजों की, जो उसके कब्जे या नियंत्रण में हों, मूल प्रति (ओरीजनल) या उनकी सत्य प्रतिलिपियां आयोग को भेजेगा और उस व्यक्ति का नाम तथा पता भी कथित करेगा जिससे कि शेष दस्तावेज प्राप्त की जा सकती हों.

4. (क) यह अनुरोध किया जाता है कि ऊपर विनिर्दिष्ट किये गये मामलों के बारे में कथन दस्तावेजों यदि कोई हों, के साथ उस तारीख से, जिसको कि यह सूचना प्रकाशित हो, एक मास की कालावधि के भीतर किसी भी कार्य दिवस को 10.30 बजे पूर्वान्हतथा 4.00 बजे अपराह्न के बीच निम्नलिखित पते पर फाइल किये जाने चाहिये:—

सचिव, किरन्दुल जांच आयोग, उच्च न्यायालय, भवन, ग्वालियर, म. प्र.

(ख) वे सचिव, किरन्दुल जांच आयोग, ग्वालियर को संबोधित किये गये एक बन्द लिफाफे में रखे जाकर—

(एक) कलेक्टर, जगदलपुर (जिला बस्तर), या

(दो) उपखण्ड अधिकारी, दन्तेवाड़ा, (जिला बस्तर) के समक्ष भी फाइल किये जा सकेंगे.

टिप्पणी:—चूंकि इस आयोग से यह अपेक्षा की गई है कि वह अपनी रिपोर्ट अपनी नियुक्ति की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर प्रस्तुत करे, अतः शपथ पत्रों द्वारा समर्पित कथन यथासंभव शीघ्र फाइल किये जाने चाहिये और उनका फाइल किया जाना अंतिम दिनांक तक अस्थगित नहीं रखा जाना चाहिये.

5. मध्यप्रदेश सरकार ने उक्त आयोग के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्रों को स्टाम्प शुल्क से पूर्णतः मुक्त कर दिया है, देखिये "मध्यप्रदेश राजपत्र" दिनांक 18 अक्टूबर 1977 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 767-1049-छ-आर, दिनांक 18 अक्टूबर, 1977.

6. ऐसे व्यक्ति जो अपने कथनों के समर्थन में अपना शपथ पत्र देते हैं, इस बात के दायित्वाधीन होंगे कि उनके शपथ-पत्रों में कथित किये गये तथ्यों की बाबत उनकी प्रतिपरीक्षा की जाय.

7. जांच आयोग अधिनियम, 1952 (क्रमांक 60 सन् 1952) की धारा 6, जो अभिसाक्षियों को आयोग के समक्ष सिविल या दांडिक कार्यवाहियों से संरक्षण प्रदान करती है, उन व्यक्तियों की जानकारी के लिये नीचे उद्धृत की जा रही है, जो आयोग को जानकारी देना चाहते हैं:—

"6 आयोग के समक्ष व्यक्तियों द्वारा किये गये कथन आयोग के समक्ष साक्ष्य देते हुए किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कथन, ऐसे कथन द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने के लिये अभियोजन के सिवाय, उसे किसी सिविल या दांडिक कार्यवाही के अध्यधीन नहीं करेगा या उसमें उसके विरुद्ध प्रयुक्त नहीं किया जायेगा:

परन्तु यह तब जब कि ऐसा कथन—

(क) ऐसे प्रश्न के उत्तर में दिया जाता है जिसका उत्तर देने के लिये उससे आयोग द्वारा अपेक्षा की जाय, या

(ख) जांच की विषयवस्तु से सुसंगत है."

आदेश से,
एस. एल. गुप्ता,
सचिव,
किरन्दुल जांच आयोग.

22-7-78 को हुई प्रारंभिक सुनवाई के समय पक्षकारों की उपस्थिति निम्नानुसार थी:—

(एक) श्री एस. एल. गर्ग, महाधिवक्ता, म. प्र.

(दो) श्री आर. एस. बाजपेई, संयुक्त खदान मजदूर संघ.

(तीन) श्री डी.एन. पांडे, भिलाई के अधिवक्ता, छत्तीसगढ़ माइन्स एसोसिएशन, दल्ली-राजहरा के अधिवक्ता.

(चार) श्री पी.एस. नायर तथा श्री एन. डी. झा., राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, बैलाडीला के अधिवक्ता.

(पांच) जिला प्रशासन, बस्तर, राजस्व जिला की ओर से श्री एल. एस. बघेल, उप महाधिवक्ता तथा श्री आर. बी. कानूनगो.

(छह) श्री अमरीक सिंह ठेकेदार, किरन्दुल की ओर से श्री डी.एन. पाठक, अधिवक्ता.

(सात) श्री शेख वाहिद कुरेशी तथा श्री विलियम रावले की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ. तथापि श्री बाजपई ने कहा है कि वे 24-7-78 को होने वाली आयोग की आगामी बैठक में आयोग के समक्ष उपस्थित होंगे.

निम्नलिखित पक्षकारों / व्यक्तियों ने आयोग के समक्ष लिखित बयान प्रस्तुत किये:—

(1) श्री अमरीक सिंह.

(2) जिला प्रशासन, बस्तर (स्थानीय प्रशासन).

(3) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमि. (एन.एम. डी.सी.)बेलाडीला किरन्दूल.

(4) श्री सी. आर. बक्षी, सहा. महामंत्री., संयुक्त खदान मजदूर संघ, भिलाई.

(5) श्री इन्द्रजीत सिंह, अध्यक्ष, संयुक्त खदान मजदूर संघ, बैलाडीला, किरन्दूल.

(6) श्री शंकर गुहा नियोगी, संगठन सचिव, छत्तीसगढ़ माइन्स श्रमिक संघ, दल्ली-राजहरा, जिला दुर्ग (म.प्र.)

(7) श्री शेख वहिद कुरेशी, भाईराम देव वार्ड, जगदलपुर.

(8) श्री विलियम रावले, छत्तीसगढ़ माइन्स श्रमिक संघ, किरन्दूल.

छत्तीसगढ़ माइन्स श्रमिक संघ, श्री अमरीक सिंह, वाहिद कुरेशी, विलियम रावले तथा शंकर गुहा नियोगी न तो आयोग के समक्ष उपस्थित हुए और न ही उन्होंने आयोग की कार्यवाहियों में सक्रिय भाग लिया. राज्य शासन या केन्द्र शासन (रा. ख. वि. नि. केन्द्र सरकार का उपक्रम है). न कोई बयान प्रस्तुत नहीं किया.

अध्याय : दो

जांच में भाग लेने वाले व्यक्तियों द्वारा दिया गया बयान

1. रा. ख. वि. नि. (एन.एम. डी. सी.) किरन्दूल के वैगन लेवलिंग ठेकेदार अमरीक सिंह आत्मज आत्मा सिंह आयु 23 वर्ष, निवासी किरन्दूल का बयान.

उन्होंने (एक) (क) में उल्लिखित विचारणीय विषय कारण तथा घटना क्रम जिनके फलस्वरूप खनन कर्मकारों द्वारा प्रदर्शन किए गए " के संबंध में निम्नलिखित निवेदन किया जिसे उन्होंने 'आक्षेप' कहा है.

(क) रा. ख. वि. नि. लिमिटेड ने मेसर्स अशोक माईनिंग कंपनी को फ्लोट अयस्क ठेका प्रदान किया था. ठेकेदार ने ठेका अवधि के भीतर ही ठेके में उल्लिखित मात्रा की सुपुर्दगी कर दी थी. ठेकेदार ने श्रमिकों का नियोजन समाप्त करने संबंधी तीन माह का नोटिस दे दिया था. परियोजना में कार्य कर रहे एक पंजीयित श्रमिक संघ द्वारा एक औद्योगिक विवाद उठाया गया था. सुलह की कार्यवाहियों की अवधि के दौरान खनन कर्मकार प्रदर्शन करते रहे, जुलूस निकालते रहे और नारेबाजी करते रहे. प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं रहे. रा. ख. वि. नि. के उत्पादन कार्य में भारी हानि हुई. भरे हुए वैगनों के लौह अयस्क समतलन कार्य को भी क्षति पहुची.स भी 120 श्रमिकों ने सात दिन तक समतलन कार्य बंद रखा. श्रमिकों की एक बहुत बड़ी भीड़ रेल्वे ट्रैक पर बैठ गई और उन्होंने वैगन को एक इंच भी बढने नहीं दिया.

श्रमिक हिंसा पर उतारू हो गए और अंततः पुलिस को 5-4-1978 को गोलीचालन का सहारा लेना पड़ा.

(ख) जांच का क्षेत्र:—" वे कारण तथा घटना जिसके फलस्वरूप खननकर्मकारों द्वारा प्रदर्शन किए गए" एक ऐसा विषय है, जो औद्योगिक विवाद की श्रेणी में आता है, जैसा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1957 की धारा 2(ट) में परिभाषित है. यह उद्योग लोह अयस्क खनिकर्म है" "लोह अयस्क खनिकर्म " से संबंधित औद्योगिक विवाद के संबंध में, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(क) के अधीन समुचित सरकार केन्द्रीय सरकार होगी.

(ग) संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि क्र. 94 के अधीन जांचआयोग नियुक्त करने के लिये सक्षम प्राधिकारी केन्द्रीय शासन ही है. संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 1 में प्रविष्टि क्र. 94 निम्नानुसार है:—

"इस सूची के विषयों में से किसी के प्रयोजनों के लिये जांच" सूची 1 की प्रविष्टि 54 निम्नानुसार है:—

"उस सीमा तक खानों का विनियमन और खनिजों का विकास, जिस तक संघ के नियंत्रण में वैसे विनियमन और विकास को संसद विधि द्वारा लोक हित के लिये इष्टकर घोषित करे."उस विधायी शक्ति का प्रयोग करत

हुए संसद ने खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 अधिनियमित किया है. लौह अयस्क एक प्रमुख खनिज है. रा. ख. वि. नि. लिमिटेड खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के उपबन्धों के अधीन राज्य शासन से लोह अयस्क का खनिकर्म पट्टा लेता रहा है. सप्तम अनुसूची की सूची 2 में ऐसी कोई प्रविष्टि नहीं है, जो राज्य शासन को सूची 2 या सूची तीन में विनिर्दिष्ट विषयों में जांच का आदेश देने की शक्तिप्रदान करती हो. सूची 2 की मद 23 संघ के नियंत्रणाधीन विनियमन तथा विकास के संबंध में सूची 1 के उपबंधों के अधीन रहते हुए खानों का विनियमन और खनिजों के विकास से संबंधित है. सूची 2 किसी औद्योगिक विवाद से कतई संबंधित नहीं है. समवर्ती सूची में सूची 3 प्रविष्टि 22, व्यापार संघ, औद्योगिक तथा श्रमिक विवाद से संबंधित है. मद 45 के अधीन केन्द्र और राज्य शासन सूची 2 या 3 में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय के प्रयोजनार्थ जांच करने के लिये प्राधिकृत है. सूची 2 की मद 22 तथा 23 में जिनमें औद्योगिक विवाद और नौकरी तथा बेकारी शामिल है, वे कारण तथा घटनाक्रम आ सकते हैं. जिनके फलस्वरूप खनन कर्माकारों द्वारा प्रदर्शन किए गए.

(घ) औद्योगिक विवाद अधिनियम 1957 की धारा (2) (क) के अधीन किसी खान से संबंधित औद्योगिक विवाद के संबंध में समुचित शासन केन्द्र शासन है. इसी प्रकार जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 2(क) के अधीन संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 1 अथवा सूची 2 अथवा सूची 3 की किसी भी प्रविष्टि में निर्दिष्ट किसी भी विषय में जांच करने के लिये नियुक्त आयोग के संबंध में भी वही उपयुक्त शासन होगा. संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 2 अथवा 3 में दी गई प्रविष्टियों के संबंध में राज्य शासन भी आयोग की नियुक्ति करने के लिये समुचित शासन हो सकता है.

(ङ) अतएव, इस आयोग के विचार के लि ये यह प्रश्न होगा कि क्या राज्य शासन को उन कारणों तथा घटनाक्रम के संबंध में जिनके फलस्वरूप खननकर्मकारों द्वारा प्रदर्शन किये गये. जांच करने के लिये जांच आयोग नियुक्त करने के लिये उस स्थिति में समुचित शासन कहा जा स ता है. जबकि खान पूरी तरह केन्द्र शासन के प्राधिकार में आती . . इस स्थिति में, राज्य शासन, उन कारणों तथा घटनाक्रम के संबंध में, जिनके फलस्वरूप खनन कर्मकारों द्वारा प्रदर्शन किए गए जांच आयोग नियुक्त करने के लिये समुचित शासन नहीं होगा. अतः आयोग उपयुक्त विषय में जांच करने तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये सक्षम नहीं होगा.

उन्होंने यह इच्छा व्यक्त की कि उपर्युक्त प्रारंभिक आक्षेप की सुनवाई की जाए तथा उस पर निर्णय लिया जाए. उन्होंने कहा कि यह आक्षेप नामंजूर हो जाने की स्थिति में वे उन कारणों तथा घटनाक्रम के संबंध में, जिनके फलस्वरूप खनन कर्मकारों द्वारा प्रदर्शन किए गए, उन्हें ज्ञात तथ्यों के ब्योरे प्रस्तुत करेंगे, किन्तु यद्यपि मेरे विद्वान् पूर्वाधिकारी ने 24-7-78 को आक्षेप नामंजूर कर दिया, तथापि उन्होंने ऐसा नहीं किया.

अधिकारियों के कथन

(1) श्री नन्हेसिंह, आई. ए. एस.
कलेक्टर, जि. मं. जगदलपुर.
जिला बस्तर.

(2) श्री दिलीप मेहरा, आई. ए.एस.
सहायक कलेक्टर, पूर्व अनुविभागीय अधिकारी तथा,
अनुविभागीय मजिस्ट्रेट, दंतेवाड़ा, जिला बस्तर तथा वर्तमान अनुविभागीय अधिकारी तथा अनु. मजिस्ट्रेट, बैकुन्ठपुर, जिला बस्तर.

(3) श्री ओंकार प्रसाद गर्ग, आई. पी. एस., पूर्व असि. पुलिस अधीक्षक, बस्तर तथा वर्तमान अपर पुलिस अधीक्षक, भिलाई, जिला दुर्ग.

तिथि क्रमानुसार वे बातें, जिनके फलस्वरूप और जिनके कारण 6 अप्रैल, 1978 को किरन्दूल में उपद्रव हुए.

(क) बैलाडीला का निर्माण.—उन्नीसवीं शताब्दी तथा वर्तमान शताब्दी के वैज्ञानिक तथा भू-वैज्ञानिक प्रतिवेदनों में बस्तर जिले में चौदह लौह अयस्क निक्षेपों का पता लगाया गया. उनमें औसत श्रेणी का फेरस 69 प्रतिशत से लेकर 67.36 प्रतिशत तक पाया गया. इन लौह निक्षेपों का सर्वप्रथम 1961 में भारतीय खनिज ब्यूरो (आई. बी. एम.) द्वारा पूर्वेक्षण किया गया. अतः 1964 में रा. ख. वि. नि. ने एक परियोजना तैयार की और भारत सरकार द्वारा उसे अनुमोदित किया गया.

(ख) अयस्क पिण्ड माध्य समुद्रतल से 1200 से लेकर 1260 मीटर ऊपर हैं तथा आसपास मा. स. त. से लगभग 600 मीटर पठारी भूमि है. यहां लगभग 20,000 की जनसंख्या वाली एक बस्ती है, जो किरन्दूल के नाम से जानी जाती है. इसका संपूर्ण प्रबन्ध भारत सरकार के हाथ में है; और रा. ख. वि. नि. इसका एक उपक्रम है.

(ग) इस संगठन का कुछ कार्य विभागीय तौर पर मशीनों के जरिए किया जाता है, जबकि कुछ कार्य ठेकेदारों के जरिए कामगारों द्वारा कराया जाता है. चूंकि निक्षेप क्र. 14 में कार्यरत रा. ख. वि. नि. के प्राधिकारी जापानी फर्मों को यंत्रीकृत खदानों के जरिए पर्याप्त लौह अयस्क की पूर्ति करने में असफल रहे इसलिए उन्होंने क्रमशः मेलीगर घाटी 11-बी, 11-ए तथा 11-सी के फ्लोट अयस्क निक्षेपों से कामगारों के जरिए लौह अयस्क निकालने के लिए 4 ठेकेदारों अर्थात् (1) अशोक माइनिंग कंपनी (2) मेसर्स उमेद राय बोराह (3) मेसर्स भानोट एण्ड संस (4) मेसर्स एम. पी. आयरन और माइनिंग कारपोरेशन को काम पर लगाया.

(घ) फ्लोट अयस्क खदानों में काम पर लगे ठेकेदार निम्नानुसार हैं :—

क्रमांक	ठेकेदार का नाम	उत्खनन वर्ष	नियोजित श्रमिक	ठेका समाप्ति की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	मेसर्स अशोक माइनिंग कं.	..	1375 से 1653	31-5-1978
2	मेसर्स आर. डी. भानोट एण्ड सन्स	..	1253	30-9-1978
3	मेसर्स यू. आर. बोराह	..	2231	30-9-1978
4	मेसर्स एम. पी. आयरन और माइनिंग कारपोरेशन.	..	1108	31-3-1979
5	मेसर्स श्री लक्ष्मीनारायण भगवान ट्रस्ट	..	880	31-3-1979

(ङ) फ्लोट अयस्क खनिकर्म ठेके:—जैसाकि ऊपर कहा गया है, रा. ख. वि. नि. के अधीन बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना का अयस्क कार्य विभागीय तौर पर तथा ठेकेदारों के माध्यम से किया जा रहा है. ठेकेदारों के माध्यम से किया जा रहा कार्य फ्लोट अयस्क खनिकर्म संकार्य कहलाता है. वे सतह से अयस्क एकत्र करते हैं, उसका आकारण करते हैं, रेलवे यार्ड तक उसका परिवहन करते हैं, वैगन में रखते हैं और उसे समतल करते हैं. उपर्युक्त ठेकेदारों के अतिरिक्त लदान ठेका मेसर्स श्री लक्ष्मीनारायण भगवान ट्रस्ट के नाम से है. वैगन समतलन (लेवलिंग) का कार्य मेसर्स अमरीक सिंह द्वारा किया जाता है. लदान-ठेका 30-9-78 को समाप्त होना है किन्तु उसके जून 1979 तक जारी रहने की संभावना है. मेसर्स अमरीकसिंह का ठेका 30-11-1978 को समाप्त हो जायगा. आगे मेसर्स यू. आर. बोराह एण्ड कम्पनी भी लदान के ठेकों में हितबद्ध है. उनके ठेके में यह निर्धारित किया गया था कि वे स्वयं श्रमिकों के जरिए लौह अयस्क का अकारण तथा परिवहन करेंगे. तदनुसार, वे यह कार्य कर रहे हैं.

(च) चूंकि मेसर्स अशोक माइनिंग कम्पनी, 31-3-1978 तक लौह अयस्क की संविदागत मात्रा की पूर्ति कर चुकी थी, अतः कम्पनी ने अपने कामगारों को छंटनी संबंधी नोटिस दिया कि 31-3-1978 के बाद उनकी सेवाओं की आगे कोई आवश्यकता नहीं होगी.

(छ) बैलाडीला परियोजना में संयुक्त खदान मजदूर संघ (सं. ख. म. सं.) (एटक से संबद्ध) तथा मेटल मिनरल वर्कर्स यूनियन (इंटक से संबद्ध) नामक दो मजदूर यूनियन कार्यरत हैं. निक्षेप क्र. 14 की यंत्रीकृत खदानों के मजदूरों पर एम. एम. डब्ल्यू. यू. का अच्छा प्रभाव है किन्तु संयुक्त खदान मजदूर संघ का उक्त निर्दिष्ट ठेकेदारों के फ्लोट अयस्क खदान मजदूरों पर अच्छा प्रभाव है.

(ज) मेसर्स अशोक माइनिंग कम्पनी का ठेका 31-5-78 को समाप्त होना था, किन्तु जैसा कि बताया गया है कि कम्पनी ने 31-3-78 तक अयस्क की अनुबद्ध मात्रा की पूर्ति कर दी थी, अतएव इस कम्पनी के कामगारों की नियत समय से दो माह पूर्व ही छटनी कर दी गई. इससे बोराह एण्ड कम्पनी के कामगारों को, जिनकी छंटनी सितम्बर 1978 में की जानी थी, यह संकेत मिल गया कि उनके साथ भी ऐसा ही होगा.

(झ) संयुक्त खदान मजदूर संघ के नेता (1) अध्यक्ष, श्री इंद्रजीत सिंह, (2) संगठन सचिव, श्री एम. पी. पांडे तथा (3) कोषाध्यक्ष, श्री वरसे दुलेराम हैं.

(ञ) जैसा कि ऊपर बताया गया है, मेसर्स अशोक माइनिंग कम्पनी का ठेका 31-6-1978 को समाप्त होने वाला था, फरवरी 1978 में उनकी वेतन नामावली में 1376 ऐसे श्रमिक थे, जिनकी छंटनी की जानी थी. कम्पनी ने श्रमिकों को छंटनी का नोटिस दिया और सं. ख. म. सं. ने 10-2-78 को एक औद्योगिक विवाद खड़ा कर दिया और कम्पनी से छंटनी के इन नोटिसों को वापस लेने की मांग की. सं. ख. म. सं. ने सुलह-कार्यवाही की जाने का भी निवेदन किया, और ऐसा किये जाने पर श्रमिकों ने 1-3-78 को या उसके बाद किसी दिन सीधी कार्यवाई करने की धमकी दी. 14-2-1978 को महाप्रबन्धक रा. ख. वि. नि., यूनियन के नेताओं तथा मेसर्स अशोक माइनिंग कम्पनी की एक बैठक हुई. वार्ताएं अनिर्णीत रहीं. इस प्रकार लगभग तीन माह तक रा. ख. वि. नि. के प्राधिकारियों ने इस कारण होने वाले किसी भी श्रमिक आन्दोलन को रोकने के लिये कोई कारगर उपाय नहीं किये. आन्दोलन, जनवरी 1978 से ही प्रारंभ हो चुका था और 10-3-1978 तक छुटपुट रूप से चलता रहा. 10-3-1978 से यह रोज का ढर्रा हो गया. रा. ख. वि. नि. के कर्मचारी तथा सं. ख. म. सं. के अध्यक्ष श्री इन्द्रजीत सिंह ने उस बैठक में यह स्पष्ट रूप से कह दिया था कि आन्दोलन चलाया जाएगा. परिणामस्वरूप, सं. ख. म. सं. ने 10-3-1978 से मेसर्स अशोक माइनिंग कम्पनी के श्रमिकों की छंटनी संबंधी मामले को उठाया. फ्लोट अयस्क श्रमिकों के इन आन्दोलनों में, अन्य ठेकेदारों के श्रमिकों ने और साथ ही रा. ख. वि. नि. के कुछ कर्मचारियों, सं. ख. म. संघ के नेताओं और अन्य श्रमिक संघों के कामगारों ने, जिनमें महिलायें और बच्चे भी शामिल थे, तथा पदाधिकारियों ने भाग लिया. ये आन्दोलन, क्रमिक भूख-हड़तालों, जुलूसों, "धरनों", और "घेरावों," के रूप में चलाए गए, जो कि प्रारंभ में शांतिपूर्ण थे किन्तु बाद में हिंसक हो गये.

(ट) म. प्र. लोक सुरक्षा अधिनियम, 1959 के अधीन बैलाडीला एक संरक्षित क्षेत्र है.

गृह विभाग, मध्यप्रदेश शासन ने निम्नलिखित को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया था :—

(1) बांध तथा जलाशय.

(2) जल शोधन संयंत्र.

(3) टेलीफोन एक्सचेंज (आन्तरिक).

(4) वायरलैस स्टेशन.

(5) परियोजना नगर क्षेत्र, रिहायशी आवासगृह, कार्यालय तथा अन्य सार्वजनिक भवन.

(6) भण्डार भवन तथा यार्ड.

(7) विद्युत वितरण तथा उपकेन्द्र.

(8) रेलवे यार्ड.

(9) लोडिंग संयंत्र.

निक्षेप क्रमांक 14 पर :

(1) 1000 किलोवाट के दो तथा 128 किलोवाट के दो जनरेटरों वाला (जो कि एक शेड में रखे गए हैं) विद्युत केन्द्र तथा विद्युत के वितरण के सभी उप केन्द्र.

(2) विस्फोटक मेगजीन.

(3) सेवा केन्द्र क्षेत्र के भीतर कर्मशाला शेड तथा भण्डार.

(4) कर्मचारी आवासगृह (अर्द्धस्थायी).

(5) कार्यालय भवन (अर्द्धस्थायी)

(6) संक्रियाओं से संबद्ध बस्ती के भवन.

(7) क्रशिंग संयंत्र, जिसमें क्रशिंग संयंत्र से संक्रियाओं से संबद्ध बस्ती तक कन्वेयर शामिल हैं.

(8) संक्रियाओं से संबद्ध नगर से किरन्दूल में स्थित स्क्रीनिंग संयंत्र तक सुरंग, जिससे होकर एक कन्वेयर बेल्ट लौह अयस्क को रेल रोड तक लाएगा.

(9) किरन्दूल से खनन पार्श्व निक्षेप क्रमांक 14 तक सड़क

(10) आदेश क्रमांक 3980-6424-एक-दस (डब्ल्यू)-66, तारीख 3 दिसम्बर 1966 द्वारा अधिसूचित एक सुरक्षित क्षेत्र. उपर्युक्त आदेश के अधीन, महाप्रबंधक, प्रशासनिक अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी की अनुमति के बिना, कोई भी व्यक्ति आदेश में उल्लिखित क्षेत्रों में या उनके आसपास प्रवेश नहीं कर सकता या ऐसे अन्य कार्य नहीं कर सकता जिसका आदेश में उल्लेख किया गया है, जिनमें जलूस निकलना, बैठकें, करना, प्रदर्शन करना, नारे लगाना आदि शामिल हैं जिन्हें उस आदेश में उल्लिखित क्षेत्रों में या उनके आसपास ध्वंसक समझा गया है.

दिन-प्रतिदिन चलने वाले आन्दोलन :

(10-3-78) (11)--एस. के. एम. एस. यूनियन के 21 व्यक्तियों ने भूख हड़ताल आरंभ की. भिलाई के श्री सी. आर. बक्षी ने 100 व्यक्तियों के जूलूस का नेतृत्व किया. जलूस प्रशासनिक भवन तक पहुंचा और लौट गया.

श्री बक्षी ने भाषण दिया और यह कहा कि वे अपने प्रयास जारी रखेंगें और वे भयानक परिणामों का सामना करने के लिये तैयार हैं. उन्होंने यह भी कहा कि वे इस्पात तथा खनिज मंत्री के पास एक प्रतिनिधि मण्डल ले जाएगें.

11-3-78-(12)--श्री सी. आर. बक्षी के नेतृत्व में 100 व्यक्तियों का एक जुलूस निकाला गया. श्री इद्रजीत-सिंह भी उपस्थित थे. क्रमिक (रिले) भूख हड़ताल में 21 व्यक्तियों के पूर्ववर्ती दल का स्थान नए दल ने ले लिया.

12-3-78 (13) 26 व्यक्तियों के अगले दल ने रिले भूख हड़ताल जारी रखी. एस. के. एम. एस. के एक पूर्ण-कालिक कामगार श्री सीताराम ने 75 व्यक्तियों के एक जलूस का नेतृत्व किया.

13-3-78 (14).--10. 00 बजे 26 भूख हड़तालियों का स्थान 29 व्यक्तियों के एक अन्य दल ने ले लिया. एस. के. एम. एस. के श्री सीताराम तथा श्री सुरजीत मुंशी ने 100 कामगारों के एक जलूस का नेतृत्व किया.

14-3-78 (15).--लगभग 9.15 बजे सुबह फ्लोट अयस्क ठेकेदारों के अधीन काम करने वाले श्रमिक एस. के. एम. एस, यूनियन कार्यालय के सामने आ जुटे और शापिंग सेंक्टर से दो कतारों में एक जुलूस प्रशासनिक भवन की ओर से ले जाया गया. भीड़ में 95 व्यक्ति थे. जलूस वाले लालट्रेड यूनियन कांग्रेस के (टी. यू. सी.) झण्डे लिए हुए थे. श्री रूड़जीत सिंह, वरिष्ठ उपर आपरेटर उसका नेतृत्व कर रहे थे. 28 श्रमिकों का एक दल रिले भूख हड़ताल पर बैठा.

15-3-78-(16)-2.--10. 00 बजे रिले भूख हड़ताल के कामगारों के स्थान पर अन्य 29 व्यक्ति आ बैठे श्री इन्द्रजीतसिंह के नेतृत्व में 85 व्यक्तियों का एक जुलूस निकाला गया. निक्षेप क्रमांक 14 के आपरेटर श्री नरसिंह राव तथा एस. के. एम. एस. यूनियन ब्रेवेजो के 4 कामगार भी जलूस वालों के साथ शामिल हो गए.

16-3-78-(17) भूख हड़तालियों के एक अन्य दल ने, जिसमें महिलाए तथा 2 पुरुष शामिल थे, रिले भूख हड़ताल जारी रखा और शापिंग सेंटर से लगभग 100 श्रमिकों का एक जुलूस प्रशासनिक भवन की ओर ले जाया गया जिसका नेतृत्व श्री इंद्रजीतसिंह कर रहे थे. श्री इन्द्रजीतसिंह ने एक भाषण दिया और श्रमिकों को आह्वान किया कि वे पूंजीपतियों तथा पूंजीवादी शासन को उखाड़ फेंके. एक गुप्त बैठक में यह निर्णय लिया गया कि श्री इंद्रजीतसिंह दिल्ली जाकर इस्पात तथा खान मंत्री से मिले और कोई हल ढूंढ निकालें.

17-3-78-(18)--30 भूख हडतालियों के स्थान पर दूसरे भूख हडताली आ बैठे. उनमें के भूख हडताल पर बैठने के पहले, एस. के. एम.एस. के पूर्णकालिक कामगार श्री सीताराम तथा उसी यूनियन के कोषाध्यक्ष, श्री एम.पी. पांडे के नेतृत्व में 100 व्यक्तियों का एक जुलूस निकाला गया.

18-3-78-(19)--9. 30 बजे सुबह 27 महिलाए तथा एन. एम. डी. सी. के 2 कर्मचारी तथा एक फ्लोट अयस्क श्रमिक रिले भूख हडताल में बैठे. उनके बैठने के पहले एक जुलस निकला गया जिसमें शासन विरोधी तथा एन. एम. डी. विरोधी नारे लगाये गए. एस. के. एम. एस. के एक पूर्णकालिक कामगार श्री सीताराम इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे.

19-3-78-(20)--30 श्रमिकों के अगले दल ने, जिसमें एन. एम. डी.सी. के 2 कामगार शामिल थे, रिले भूख हड़ताल को जारी रखा. एस. के. एम. एस. कामगार लगभग 55 श्रमिकों के एक जुलूस को शापिंग सेन्टर से प्रशासनिक भवन की ओर ले गये.

20-3-78-(21)—रिले भूख, हड़ताल पर बैठे हुए, 30 कामगारों के स्थान पर 9.30 बजे एस. के. एम.एस. के 30 सदस्यों का एक अन्य दल रिले भूख हड़ताल पर बैठ गया. एस. के. एम.एस. के 75 श्रमिकों का एक जुलूस निकाला गया. शापिंग सेन्टर से प्रशासनिक भवन तक जुलूस का नेतृत्व श्री सीताराम तथा श्री एम. पी. पांडे ने किया.

21-3-78 (22)—930 बजे 30 भूख हड़तालियों के स्थान पर 33 भूख, हड़ताली आ बैठे. भूख हड़ताल में 5 महिलाएं शामिल थीं. श्री सीताराम के नेतृत्व में 125 व्यक्तियों का एक जुसूल शापिंग सेन्टर से प्रशासनिक भवन की ओर चल पड़ा.

22-3-78-(23)—9.30 बजे 33 कामगारों के स्थान पर जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं एस. के. एम. स. के 46 सदस्यों का एक अन्य दल भूख हड़ताल पर बैठा. शापिंग सेन्टर से प्रशासनिक भवन की ओर 135 व्यक्तियों का एक जुलूस निकाला गया. श्री सीताराम ने जुलूस का नेतृत्व किया. निक्षेप क्रमांक 14 के 2 एन. एम. डी. सी. कर्मचारी तथा निक्षेप क्रमांक 5 के 9 कर्मचारी भूख हड़ताल में शामिल हुए.

23-3-78-(24)—9.30 बजे पिछले दिन के दल का स्थान 45 व्यक्तियों के एक अन्य दल ने ले लिया. रिले भूख हड़ताल में 15 महिलायों ने भी भाग लिया. प्रशासनिक भवन की ओर 136 श्रमिकों का एक जुलस ले जाया गया जिसका नेतृत्व श्री सीताराम कर रहे थे.

24-3-78-(25)—भूख हड़ताल पर बैठे हुए 45 व्यक्तियों के स्थान पर 9.30 बजे 48 व्यक्तियों का एक अन्य दल भूख हड़ताल पर बैठा. 20 महिलाओं तथा एन. एम. डी. सी. कर्मचारियों ने भी भाग लिया. शापिंग सेन्टर से प्रशासनिक भवन की ओर 140 व्यक्तियों का एक जुलस ले जाया गया जिसका नेतृत्व श्री एम. शपमल तथा श्री सीताराम ने किया. डंप आपरेटर श्री जी.आर. दास के नेतृत्व में बचेली में निक्षेप क्रमांक 85 पर सीटू (सी. पी. एम.) यूनियन का गठन किया गया.

25-3-78-(26)—लगभग 9.40 बजे सुबह श्रमिक एस. के. एम. एस. कार्यालय के सामने इकट्ठा हो गए. शापिंग सेंन्टर से बस स्टेण्ड की ओर एक जुलूस ले जाया गया. भीड़ में 120/170 लोग थे. वे लोग लाल टी यू सी झंडे लिए हुए थे. एस. के. एम.एस. के आफिस बाय उनका नेतृत्व कर रहे थे. दो महिलाओं सहित 43 व्यक्तियों के एक नए दल ने अपनी रिले भूख हड़ताल जारी रखी.

26-3-78-(27)—लगभग 9.26 बजे सुबह श्रमिक एस. के. एम.एस. यूनियन कार्यालय के सामने इक्ट्ठा हो गया. वे शापिंग सेन्टर से प्रशासनिक भवन के सामने "बचत स्तम्भ" तक एक जुलूस ले गए. उसमें 90—96 कामगार थे. वे लाल टी यू सी झंडे लिए हुए थे. एस. के. एम.एस. के आफिस बाय नेतृत्व कर रहे थे और श्री सूरज नारायण उनकी सहायता कर रहे थे. अड़तालीस फ्लोट अयस्क श्रमिकों का एक नया दल रिले भूख हड़ताल पर बैठा.

27-3-78(28)—इस अवस्था में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के दुर्ग क्षेत्र के नेता श्री गंगा चौबे ने उपद्रवकारी श्रमिक आन्दोलन में भाग लिया और उसका नेतृत्व संभाला. लगभग 175 श्रमिकों का एक जुलूस जिसका नेतृत्व दुर्ग के कामरेड गंगा चौबे कर रहे थे. परियोजना क्षेत्र से 9 बजकर 30 मिनट पर निकला. शासन विरोधी नारे लगाए गए. जुलूस के बाद गंगा चौबे ने भीड को सम्बोधित किया और श्रमिकों से जोर देकर कहा कि उन्हें शासन से वैकल्पिक रोजगार देने की मांग पर डटे रहना चाहिये. उन्होंने यह भी कहा कि यद्यपि भूख हड़ताल 29 मार्च 78 को समाप्त हो जाए किन्तु वे अंत तक अपना अन्दोलन जारी रखेंगे. कामरेड चौबे ने अपने भाषण में जिला प्राधिकारियों की और परियोजना प्रबंधकों की कार्रवाई की भी आलोचना की. 34 व्यक्ति बारी बारी से भूख हड़ताल पर बैठे, जिनमें से 25 महिलायें थी, 8 व्यक्ति 11-सी के नियमित कर्मचारी थे और निक्षेप 14 एक व्यक्ति भी भूख हड़ताल में शामिल हो गया.

28-3-78-(29)—कामरेड गंगा चौबे और इन्द्रजीतसिंह के नेतृत्व में 117 श्रमिकों का एक जुलूस 9 बजकर 30 मिनट पर परियोजना क्षेत्र से निकला. शासन विरोधी नारे लगाए गए. श्री चौबे तथा इन्द्रजीतसिंह ने जुलूस के बाद भीड़ को संबोधित किया. 56 व्यक्ति जिनमें 12 महिलाएं शामिल थीं, बारी बारी से भूख हड़ताल पर बैठे. श्री गंगा चौबे ने श्रमिकों को संबोधित करते हुए घोषणा की कि वे अपनी लडाई जारी रखेंगे और किसी भी स्थिति का सामना करने के लिये जेल जाने के लिये तैयार रहेंगे तथा वे हिंसा का सहारा लेने के लिये भी तैयार रहेंगे.

29-3-78-(30)-(एक)—ग्यारह बजकर तीस मिन पर 2000 व्यक्तियों का एक जुलूस जिसमें 800 महिलाएं थीं और जिसका नेतृत्व कामरेड गंगा चौबे कर रहे थे. शासन विरोधी नारे लगाते हुए महाप्रबंधक के कार्यालय की ओर [illegible] हुए तथा उनके कार्यालय अहाते में प्रवेश किया और दोपहर एक बजे तक प्रदर्शन किया. 175 पुरुष तथा 100 महिलाओं के एक दल को छोड़कर जिसने 6 बजकर 30 मिनट तक "धरना" दिया, सब तितर बितर हो गए. बाद में उन्होंने एक आम सभा की, जिसमें जुलूस निकाले और गिरफ्तारी देने का निर्णय लिया गया. स्थिति का बडी सावधानी और संयम से सामना किया गया. तीनों [illegible] लौह अयस्क खदानों (फ्लोट और माइन्स) के श्रमिक हड़ताल पर रहे. यह हड़ताल अगले दिन भी की जानी थी.

30(2) लगभग 2000 श्रमिकों का एक जुलूस जिसमें अशोका माइनिंग कंपनी तथा बोरा कंपनी की महिलायें और बच्चे शामिल थे, शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरा और सामुदायिक केन्द्र (कम्युनिटी सेंटर) पर समाप्त हो गया. यहां सर्वश्री इंद्रजीतसिंह, गंगा चौबे तथा एम. पी. पाण्डेय ने बैठकको संबोधित किया तथा नेताओं ने भीड़ को भुखमरी से बचने के लिये गिरफ्तारी देने के लिए उकसाया तथा निम्नलिखित नारे लगाए:—

"स्वदेशी ने ललकारा है– चरणसिंह हत्यारा है ?

पुलिस हमारा भाई है इनसे नहीं लडाई है."

अंतिम नारा पुलिस द्वारा बरते गए कामयाब संयम को पुष्टि करता है. उन्होंने अगले दिन एक और जुलूस निकालने और अधिकारियों का घेराव करने की घोषणा की. अशोक माइनिंग कंपनी तथा बोरा कंपनी के कामगारों ने अगले दिन हड़ताल पर जाने का निश्चय किया. बारी-बारी से की जाने वाली भूख हड़ताल वापस ले ली गई.

30.3.78—31(1)—उन खदानों में जहां हाथ से कार्य होता है. 11-बी तथा 11-सी के वियुक्त लोह अयस्क (फ्लोट ओर) श्रमिकों ने काम बन्द कर दिया. अपमानजनक नारे लगाते हुए. लगभग 2000 श्रमिकों ने सामदायिक केन्द्र से प्रशासनिक भवन तक जलूस निकाला. लगभग 500 श्रमिकों ने जिनका नेतृत्व भा. क. पा. के नेता श्री गगा चौबे तथा किरदूल चिकित्सालय के वार्ड बॉय श्री सुजीत मुंशी कर रहे थे. प्रशासनिक भवन का फाटक तोड़ दिया तथा पुलिस और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई. एस. एफ.) का घेरा तोड़ दिया लगभग 100 श्रमिक शाम 6 बजकर 15 मिनट पर कार्यालय के अहाते में रुके रहे. श्री एम. पी. पाण्डे संयुक्त खदान मजदूर संघ (एस. के. एम.एस.) के संगठन सचिव तथा श्री गंगा चौबे ने श्रमिकों से संघर्ष को उत्साहपूर्वक जारी रखने के लिए कहा. लगभग 100 लेवलिंग ठेका श्रमिक हड़ताल पर चले गये और लेवलिंग कार्य बंद कर दिया.

31(2) कलेक्टर, बस्तर द्वारा स. ख. म. सं. (एस. के. एम.एस.) के पदाधिकारियों की एक बैठक बुलाई गई और प्रबंधक वर्ग तथा अशोक माइनिंग कंपनी के ठेकेदारों के बीच बातचीत कराई गई और उन्हें बताया गया कि अशोक माइनिंग कम्पनी का ठेका समाप्त करने का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया गया है और यदि इस प्रकार आंदोलन जारी रखा गया तो वह अनावश्यक रूप से हिंसक भी हो सकता था. नेताओं ने आश्वासन दिया कि आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा.

31.3.78—32.—लगभग 12 बजकर तीस मिनिट पर लगभग 3000 व्यक्ति जिसमें काफी संख्या में महिलाएं थी, श्री गंगा चौबे के नेतृत्व में जुलूस के रूप में महाप्रबन्धक के कार्यालय पहुंचे और उसके अहाते में बलपूर्वक घुस गए. उन्होंने श्री बीजू पटनायक के विरुद्ध नारे भी लगाए और उन्होंने जत्थों में जेल भरने की इच्छा व्यक्त की. महाप्रबन्धक जब वे अपने घर जा रहे थे, इस समय भीड़ ने लगभग 30 मिनट तक उनका घेराव भी किया. वियुक्त लोह अयस्क खदानों का काम बंद रहा.

श्री गंगा चौबे तथा 30 अन्य व्यक्ति जिनमें 10 श्रमिक महिलाएं भी शामिल थीं, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अधीन गिरफ्तार किए गए. हड़ताली श्रमिकों द्वारा बाधा डालने के कारण मशीनीकृत लदान (मेकनाइज्ड लोडिंग साइडिंग) तथा हाथ से लदान साइडिंग (मैन्युअल लोडिंग साइडिंग) से रैकों का लगाया जाना बन्द रहा दूसरी पारी के मशीनीकृत खदान कार्य में बाधा पडी क्योंकि दूसरी पारी की बसों को भी खदान तक नहीं जाने दिया गया. महाप्रबंधक ने इंद्रजीतसिंह तथा गगा चौबे को बुलाया. महाप्रबंधकने उन्हें सलाह दी कि उन्हें हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिये इंदरजीत सिंह ने आश्वासन दिया कि वे हिंसा का सहारा नहीं लेंगे.

1-4-78—33.—8 बजकर 30 मिनट पर वियुक्त लोह अयस्क खदान ठेका श्रमिकों ने, जिनकी संख्या 200 थी कार्य के लिये पहाड़ी पर नियमित श्रमिकों को ले जाने वाली राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की बसों को रोका. इस बाधा के कारण बहुत से रा. ख. वि. नि. के श्रमिक प्रातःकालीन पारी में कार्य पर उपस्थित नहीं हो सके. प्रातः 1 बजकर 30 मिनट पर लगभग 1500 व्यक्तियों का एक जुलूस जिसमें 500 महिलाएं थीं और जिसका नेतृत्व कामरेड एम. पी. पांडे तथा सुजीत मुंशी कर रहे थे. संयुक्त खदान मजदूर संघ (एस. के. एम. एस.) मजदूर कार्यालय से फाटक तोड़ते हुए बढ़े किन्तु उन्हें पीछे खदेड़ दिया गया. उन्हें बार-बार तितर-बितर होने और हिंसा का सहारा न लेने की चेतावनी दी गई किन्तु उन्होंने नहीं सुनी. उन्होंने भारी पथराव किया और रा. ख. वि. नि. की संपत्ति को क्षति पहुंचाई. उप संभागीय मजिस्ट्रेट पुलिस उप अधीक्षक, सहायक कमाण्डेन्ट के. औ. सु. ब. तथा लगभग 15 पुलिस अधिकारियों और जवानों तथा कुछ अन्य व्यक्तियों को मामूली चोटें आईं. उप संभागीय मजिस्ट्रेट के आदेशों के अधीन आंसू गैस का उपयोग कर भीड़ को तितर बितर किया गया. कामरेड सुजीत मुंशी, कामरेड सीताराम तथा 9 अन्य व्यक्तियों को दन्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अधीन गिरफ्तार किया गया.

34. मेसर्स अशोक माइनिंग कंपनी के लगभग 400 श्रमिकों ने अपना अंतिम भुगतान स्वीकार किया.

35. रा. ख. वि. नि. ने वियुक्त लोह् अयस्क श्रमिकों को गैरकानूनी गतिविधियों के लिये भड़काने और उकसाने के लिये तथा श्रमिकों को धमकाने के लिये श्री इंदरजीत सिंह को एक आरोप पत्र तामील किया. श्री एम. पी. पांडे को भी ऐसा ही नोटिस तामील किया गया.

2-4-78–36.—श्रमिकों ने रेलवे साइडिंग पर ही अपना ध्यान केन्द्रित रखा. इसके परिणामस्वरूप वेगनों के रेंक भेजे नहीं जा सके.

37. मेसर्स अशोक माइनिंग कंपनी ने लगभग 1000 श्रमिकों का भुगतान किया. 600 श्रमिक, जिन्हें अपना वेतन मिल गया था. अपना सारा सामान समेट कर बेलाडीला छोड़कर अपने-अपने मूल गांवों को चले गए और पीछे छोड़ गए अपनी खाली फूस के छप्पर वाली झोपड़ियां.

3-4-78—38.—दोपहर 4 बजे लगभग 25 महिलाएं जो भा.क.पा. के बैनर लिए हुए थीं, फुटबाल मैदान के पास इकट्ठी हुई और उन्होंने मशीनीकृत खदान कामगारों को पहाड़ी पर ले जाने वाली रा. ख. वि. नि. की बस के सामने धरना दिया. हड़ताली श्रमिकों ने रेलवे लाइन पर धरना देना जारी रखा, जिससे लोह्अयस्क से लदे रेंकों के आने जाने में बाधा पड़ी. इससे पहले दोपहर 12.00 बजे दो जुलूस निकाले गए जिनमें से एक का नेतृत्व कामरेड झादी लक्ष्मण और दूसरे का नेतृत्व कामरेड के. एच. कुरुप कर रहे थे. कामरेड झादी लक्ष्मण के नेतृत्व वाला जुलूस रेलवे साइडिंग की ओर गया तथा दूसरे जुलूस ने दूसरे पारी में काम पर जाने वाले कामगारों को पहाड़ी पर ले जाने वाली रा.ख.वि.नि. की बसों के सामने 12.30 बजे धरना दिया. पांच व्यक्तियों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अधीन गिरफ्तार किया गया. 40 महिला श्रमिक, जिनका नेतृत्व श्रीमती इंदरजीत सिंह कर रही थीं, दिन को 3.30 बजे महाप्रबंधक के आवासगृह पर पहुंची वे नारे लगा रही थीं, और वे परिसर में बैठ गईं. हड़ताली श्रमिकों ने रेलवे लाइन पर धरना देकर रेल वेगनों के आने जाने में बाधा डालना जारी रखा. काम पर जाने के इच्छुक लगभग सात-आठ सौ श्रमिकों को हड़ताली श्रमिकों ,द्वारा काम पर जाने से रोका गया जो कि खदानों की ओर जाने वाले रास्तों पर धरना दिए हुए थे. लोको शेड पर पत्थरों की बौछार की गई और लोको शेड पर प्रकाश व्यवस्था के लिये लगाई गई फ्लड लाइट हड़ताली श्रमिकों द्वारा तोड़ दी गई.

38-ए.—बारूद के 25-25 कि. ग्रा. के दो पैकेट पुलिस द्वारा जब्त किये गये.

39.—अब तक मेसर्स अशोक माइनिंग कंपनी ने कुल मिलाकर 1278 श्रमिकों को भुगतान किया था और उनमें से 1000 श्रमिक अपने-अपने घर चले गये.

40.—2 तथा 3 मार्च 1978 की रात को वोरा कंपनी ने श्रमिकों ने समीपस्थ और 11 बी के रास्ते में पड़नेवाली पानी की पाइप लाइन तोड दी. जिससे वोरा कंपनी के श्रमिकों को पानी की पूर्ति की जाती थी. श्रमिक सततरूप से उस स्थान की निगरानी भी कर रहे थे ताकि पाइप लाईन को सुधार कर पानी की पूर्ति पुनः चालू न की जा सके.

4-4-1978–41.–दोपहर 2 बजे कामरेड झादी लक्ष्मण के नेतृत्व में लगभग 200 व्यक्तियों का एक जुलूस निकाला गया. नगर में से गुजरता हुआ यह जुलूस अशोक माइनिंग कंपनी के श्रमिकों के पास गया और उनसे जुलूस में शामिल होने के लिये कहा क्योंकि सं.ख. म. स. ने यह आन्दोलन उनके हितों की रक्षा के लिये आरम्भ किया था, किन्तु उन्होंने उसमें शामिल होने से इनकार कर दिया. श्रीमती इदरजीत सिंह के नेतृत्व में 60 पुरुष कामगारों का एक जुलूस दोपहर 2 बजे महाप्रबंधक के बंगले पर पहुंचा और वे लोग वहां नारे लगाते हुए धरना देकर बैठ गए. मेसर्स वोरा कम्पनी के लगभग 1000 श्रमिक काम पर जाने के लिये सुबह कंपनी कार्यालय के निकट एकत्र हुए किन्तु हड़ताली श्रमिकों ने उन्हें काम पर नहीं जाने दिया, क्योंकि वे खदान जाने वाले रास्ते पर धरना दिये हुये थे.

उपद्रवग्रस्त क्षेत्र को स्थलाकृति—

42.—उपद्रवग्रस्त क्षेत्र, जो सामान्यतः श्रमिक शिविर (लेबर कैम्प) कहलाता है, किरन्दूल रेलवे स्टेशन के पश्चिम में स्थित है. यह चिलमची के आकार का क्षेत्र है जो तीन ओर से विभिन्न ऊंचाइयों की छोटी पहाडियों से घिरा हुआ है और पूर्व की ओर अर्थात् रेलवे स्टेशन की ओर खुला हुआ है. यह पूरा क्षेत्र ऊबड़-खाबड़ है और इसमें से एक नाला बहता है. इसके तल पर और टीलों पर श्रमिकों की अनेक फूस छाई झोपड़ियां हैं.

43. —नाले के किनारे-किनारे प्राकृतिक झाड़ियां हैं जो सदा हरी भरी रहती हैं और पर्याप्त घनी हैं.

44.—किरन्दूल रेलवे स्टेशन मा. समुद्र सतह से 2000फुट की ऊंचाई पर स्थित हैं. इसके धुर पश्चिम में एक सड़क है जो जगदलपुर से किरंदूल तक आती है. इस सड़क के और पश्चिम में एक मस्जिद है. इसकी ऊंचाई मा. स. स. से 2150 फुट है. उत्तर में रा.ख.वि.नि. के बी टाइप क्वार्टर, डाकघर तथा बस स्टेण्ड हैं. दक्षिण में कहीं-कहीं तथा दक्षिण-पूर्व की ओर रेलवे लाइन के साथ-साथ टीलें हैं जो उनके लम्बरूप हैं, जहां वैगन पर लदान के लिये लोह् अयस्क का ढेर लगाया जाता है.

श्री इन्दरजीत सिंह का भाषण:—

45. 5-4-78.—सं.ख.म.सं. द्वारा आन्दोलन करने के बावजूद मेसर्स अशोक माइनिंग कंपनी के श्रमिकों ने दिनांक 1-4-78 से भुगतान लेना प्रारभ कर दिया और 1000 से भी अधिक श्रमिक किरन्दूल को छोड़कर अपने अपने घरों को लौट गए. यह देखकर कि इससे आन्दोलन असफल हो सकता है श्री इंदरजीतसिंह तथा उसके सहयोगियों ने हताश होकर इन श्रमिकों को किरंदूल छोड़ने से रोकने का प्रयास किया. तथापि वे असफल सिद्ध हुए क्योंकि इन श्रमिकों ने आंदोलन में शामिल होने से इन्कार करदिया. इस तथ्य के बावजूद कि मेसर्स अशोक कंपनी के श्रमिक चले गये थे आंदोलन जारी रखा गया और मेसर्स वोरा कंपनी के श्रमिक छटनी के इस आदेश से तत्काल प्रभावित नहीं हुए. यह देखकर कि उनकी दलीलों में कोई खास दम नहीं है श्री इंदरजीतसिंह और उनके साथियों ने तथा संघ के अन्य नेताओं ने आन्दोलन में हिंसा की मात्रा को बढ़ाने के और भी अधिक दुस्साहसिक प्रयत्न किए. इसलिये श्री इंदरजीत सिंह तथा उनके प्रमुख सहयोगी श्री एम. पी. पांडे ने इस मामले को तूल देने के लिये वोरा कंपनी के श्रमिकों को हिंसा का सहारा लेने के लिये भड़काया.

उसने सुबह श्रमिकों के बीच उत्तेजक भाषण दिया. कहा गया है कि उसने अपने भाषण में श्रमिकों को उग्र हिंसा पर उतारू होने के लिये भड़काया. ऐसा कहा जाता है कि उसने मजदूरों से बार बार कहा कि खून की नदियां बहा दो" उसी सुबह (5-4-78) श्रीमती इंद्रजीतसिंह को, जो महिला मजदूरों को आन्दोलन के लिये भड़का रही थी. महाप्रबंधक के आवासगृह में प्रवेश करने और घेराव करने पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अधीन गिरफ्तार कर लिया गया.

46. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के प्रबंधक वर्ग ने भी लिखित सूचना दी कि इंदरजीत सिंह हिंसात्मक गतिविधियों का संयोजन कर रहा था तथा मजदूरों को और भी अधिक हिंसा, यहां तक कि खून खराबे के लिये भड़का रहा था. इससे तोड़फोड़ के संबंध में कान्स्टेबल द्वारा दी गई रिपोर्ट की पुष्टि हो जाती थी.

47. (10.00) ऐसी सूचनाएं प्राप्त होने पर जिला मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने यह तय किया कि श्री इंदरजीतसिंह और एम.पी. पांडे को गिरफ्तार करना आवश्यक है. इस तथ्य की परिप्रेक्ष्य में कि विश्वसनीय आसूचना रिपोर्टों में उनकी ओर से हिंसा की धमकियों का बार बार उल्लेख किया जा रहा था और यह सूचना दी गई थी कि श्री इंदरजीतसिंह किन्हीं एक रामसिंह के मकान में खुद को छिपाये हुए और वहीं से आन्दोलन का नेतृत्व कर रहा था. उप संभागीय पुलिस अधिकारी (एस. डी. ओ. पी.) दीक्षित और सहायक कमान्डेन्ट केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सहित एक पुलिस पार्टी जो मोटे तौर पर एक प्लाटून थी, तैनात कर दी गई.

48. शिविर में पार्टी के उस समय पहुंचने पर, जब श्री इन्दरजीत सिंह के छिपने के बारे में जांच पड़ताल चल रही थी, और जिसमें कुछ समय लग गया. लोह खनिज ढेलों, लाठियों औरअन्य घातक हथियारों से लैस श्रमिक चारों ओर से अन्दर घुसने लगे. पार्टी ने भाप लिया कि अप्रत्यक्ष रूप से पार्टी को घेरने तथा उसे अलग अलग कर देने की कोशिश की जा रही है अत: पार्टी ने पीछे हटने का निर्णय लिया. ऐसा प्रतीत होने पर कि पुलिस पार्टी पीछे हटना चाहती है, भीड़ ने जवानों और अधिकारियों पर लोह खनिज ढेले फेंकने शुरु कर दिया. उ.स.मजि. (एसडी.एम.) श्री मेहरा ने तत्काल आंसू गैस के गोले छोड़ने का आदेश दिया. यह बेअसर सिद्ध हुआ भीड़ ने, जिसमें अब 2000 से अधिक लोग शामिल हो गये थे, और जो हिंसक तथा उद्धत बन गई थी, पार्टी को चारों ओर से पूरी तरह घेर लिया.

49. उन्मत्त भीड़ ने पार्टी पर लोहे की छड़ों डन्डों आदि से क्रूरता पूर्वक हमला कर दिया. इसके परिणाम स्वरूप अनेक जवानों को गंभीर चोट आई तथा उनमें से कुछ गिर पड़े क्योंकि निकल भागने के रास्ते बंद हो गये थे. पार्टी के अधिकतर लोग फंस गये थे. तथापि उ.स.मेहरा और उप सभागीय पुलिस अधिकारी दीक्षित घायल अवस्था में किसी तरह बमुश्किल अपने को मुक्त कराकर लौट पाए.

50. जब ये अधिकारी वापस लौट रहे थे, तब कुछ भी कर गुजरने पर आमादा भीड ने उनका पीछा किया. ये अधिकारी किसी तरह वापस आ गये किन्तु घातक हथियारों से लैस भीड़ ठीक महाप्रबन्धक के निवास तक आ गई तथा कर्तव्य पर तैनात व्यक्तियों पर हमला करने की कोशिश करने लगी. यहां एक पुलिस पार्टी ने उन्हें रोका, जिसमें आंसू गैस का भी उपयोग किया गया.

51. उप संभागीय पुलिस अधिकारी दीक्षित और उप संभागीय मजिस्ट्रेट मेहरा ने लोटने के बाद इस बात की सूचना पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट को दी. उपनिरीक्षक शर्मा, कुशवाह, प्लाटून कमान्डर वलीसिंह तथा केशरसिंह की सहायता से उपलब्ध बल से तत्काल पुलिस और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की कुमुक भेजी गई. इस पार्टी को बदूकों से भी लेस किया गया.

52. (1) जिला मजिस्ट्रेट उप संभागीय मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उपलब्ध पुलिस बल सहित लगभग 11.30 बजे रवाना हुए तथा श्री दिलीप मेहरा उप संभागीय मजिस्ट्रेट दंतेवाड़ा, कैम्प किरन्दूल द्वारा दंड प्रक्रिया

संहिता की धारा 144 लागू की गई, जिसके अनुसार पांच या अधिक व्यक्तियों के जमा होने, लाठियां, शस्त्र, पत्थर और अन्य हथियारों आदि को लेकर चलने पर पाबंदी लगा दी गई. श्री मेहरा ने स्वयं अपनी जीप में लगे लाउडस्पीकर से इस आदेश की घोषणा की.

(2) श्री मेहरा, उपसंभागीय मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बल का उपयोग करने के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट से परामर्श किया तथा जिला मजिस्ट्रेट बस्तर, कैम्प किरन्दुल के अनुमोदन पर दंगाईयों को बल का उपयोग कर, जिसमें आग्नेयास्त्र भी शामिल थे, तितर-बितर करने का निर्णय लिया गया.

(3) उप-संभागीय मजिस्ट्रेट श्री दिलीप मेहरा तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ओ. पी. गर्ग बल के साथ आगे बढ़े तथा उनके पीछे-पीछे जिला मजिस्ट्रेट चले ताकि आगे बढ़ रहे बल पर पीछे से हमला न हो सके. जिला मजिस्ट्रेट निरन्तर आगे बढ़ रहे बल के पीछे चलते रहे. अधिकारियों के अग्रिम दल पुलिस जवानों और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को दंगाइयों ने चारों ओर से घेर लिया. उन पर भारी पथराव किया गया तथा उन पर लाठियों और लोहे की छड़ों आदि से वार किये गये तथा उनमें से अनेक घायल हो गये. चेतावनी देने के बाद पहले लाठी चार्ज किया गया उसके बाद अश्रु गैस छोड़ी गई किन्तु इनका प्रभाव न पड़ते देख उप-संभागीय मजिस्ट्रेट ने हवा में गोली चलाने का आदेश दिया. नौ गोलियां हवा में चलाई गईं. इसका दंगाइयों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जिन्होंने विभिन्न स्थलों पर खाली झोपड़ियों में आग लगाना शुरू कर दिया. परिणामस्वरूप क्षेत्र में फंसे घायल पुलिस वालों तथा अन्य जवानों को वहां से निकालने की दृष्टि से आत्मरक्षा तथा लोगों और सम्पत्ति की रक्षा के लिये तथा हिंसक दंगाइयों को तितर-बितर करने के लिये, जो पथराव कर रहे थे तथा झोपड़ियों में आग लगा रहे थे और जो लाठियों तथा लोहे की छड़ों आदि से लैस थे, उप-संभागीय मजिस्ट्रेट ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से परामर्श कर यह चेतावनी दी कि कारगर गोली चलाई जायेगी. जब इसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो उप-संभागीय मजिस्ट्रेट ने कारगर गोली चालन का आदेश दिया. गोली चालन उस समय तत्काल बन्द कर दिया गया जब दंगा करने वालों ने भागना शुरू कर दिया. श्री ओ. पी. गर्ग, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बस्तर, कैम्प किरन्दुल के निदेशन के अधीन इन आदेशों के अन्तर्गत 12 गोलियां चलाई गईं. कुल मिलाकर 21 गोलियां चलाई गईं.

53. जैसे ही आगजनी देखी गई उसे बुझाने के लिये तत्काल प्रयत्न किये गये. अग्निशामक दल को बुलाया गया. बड़ी कठिनाई से कुछ झोपड़ियों को ही बचाया जा सका. अग्निशामक दल की सहायता से बाजार क्षेत्र को भी बचा लिया गया. आग से कोई जन हानि नहीं हुई. एक व्यक्ति आग में झुलसने में घायल हो गया था. बोरा 2005 कम्पनी की पाइप लाइन को मजदूरों ने पहले ही काट दिया था. शिविर में थोड़ा भी पानी सहज उपलब्ध नहीं था.

54. तितर-बितर होने के बाद शाम को कुछ उपद्रवी लोगों ने कुछ झोपड़ियों में आग लगा दी और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की पाइप लाइन तोड़ दी.

55. पुलिस कार्रवाई और उपद्रव के परिणामस्वरूप 9 व्यक्ति स्थल पर ही मारे गये, एक घायल व्यक्ति की बाद में अस्पताल में मृत्यु हो गई तथा 5 अन्य व्यक्ति गोली लगने से घायल हो गये. पुलिस पक्ष की ओर से भीड़ के आक्रमण के कारण एक हेड कान्स्टेबल मारा गया, 28 पुलिस जवान, 8 केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षाबल के जवान तथा उप-संभागीय मजिस्ट्रेट घायल हो गये.

56. भीड़ के तितर-बितर होने तथा आग बुझाई जाने के बाद राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को अस्पताल के कर्मचारियों की सहायता से बचाव कार्य प्रारंभ किए गए. घायलों और मृतकों को अस्पताल लाया गया.

57. स्थिति को और भी खराब होने से बचाने की दृष्टि से जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 5-4-78 को 3 बजे दोपहर से 20 घंटे के लिये कर्फ्यू लगा दिया गया, जिसे बाद में 7-4-78 को 7 बजे सुबह तक के लिये बढ़ा दिया गया. कर्फ्यू के दौरान सीमित संख्या में कर्फ्यू पास जारी किए गए.

58. श्री डी. एच. खेड़ा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट को शवों की मृत्यु समीक्षा के लिये तैनात किया गया चूंकि मृत्यु समीक्षा में मृत्यु का कारण नहीं दर्शाया गया था अतः सिविल सर्जन से शव परीक्षण की व्यवस्था कराने का अनुरोध किया गया था. यह कार्य दन्तेवाड़ा में किया गया क्योंकि किरन्दुल में कोई शव गृह नहीं था.

59. शव-परीक्षण के बाद शवों को वहां उपस्थित उनके रिश्तेदारों को सौंप दिया गया. जिन मृतकों के रिश्तेदार उपस्थित नहीं हो सके थे और साथ ही जिनकी शिनाख्त नहीं हो सकी थी, उनका दाह संस्कार दन्तेवाड़ा की जनता के समक्ष कर दिया गया. इन मृतकों में से केवल एक व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो सकी थी. एहतियात के तौर पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू रही, जिसकी अवधि समय-समय पर बढ़ाई जाती रही.

60. गोलीकांड़ के बाद जिला मस्जिट्रेट ने स्वयं आगजनी वाले क्षेत्र का दौरा किया. बचाव कार्य और उस क्षेत्र तथा अस्पताल में सभी चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराई गई थीं, प्रथमोपचार संबंधी व्यवस्थाओं का पर्यवेक्षण किया गया. इसके अलावा निम्नलिखित अन्य सहायता भी दी गई.—

(क) राज्य शासन ने मृतकों के परिवारों और घायल व्यक्तियों को अनुग्रह राशि के भुगतान की घोषणा की. भुगतान किया गया.

(ख) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के प्रबन्धक वर्ग ने भी मृतकों के परिवारों तथा घायलों एवं अस्पताल में भर्ती व्यक्तियों को अनुग्राह राशि देने की घोषणा की.

(ग) जिन व्यक्तियो की झोपड़ियां जला दी गई थीं, उनको राज्य शासन की ओर से अनुग्रह राशि के भुगतान की घोषणा की गई. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के प्राधिकारियों ने भी ऐसे व्यक्तियों को धन का भुगतान किया. ठेकेदारों से भी ऐसे व्यक्तियों को भुगतान करने का अनुरोध किया गया.

(घ) पात्र व्यक्तियों को झोपड़ियां बनाने के लिये वन विभाग से सामग्री प्रदान करने के लिये कहा गया था.

61. किसी भी श्रमिक के गुम होने या अतापता न चलने की कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी. बाद में दन्तेवाड़ा के तहसीलदार के जरिये ठेकेदारों की सहायता से उन मजदूरों की, जिनकी झोपड़ियां जल गई थीं, सूची तैयार करने के लिये घर-घर जाकर या शखत दर शखत जांच पड़ताल कराई गई.

मुआवजा देने के संबंध में ठेकेदारों से अपनी अपनी श्रमिक सूचियों की जांच करने के लिये कहा गया तथा किसी मजदूर के लापता होने या मरने की सूचना नहीं मिली.

62. विवरण समाप्त करने से पहले यह निवेदन किया जाता है कि प्रश्नास्पद घटनाओं से संबंधित सभी संगत दस्तावेजों की मांग आयोग द्वारा की जा चुकी है. उपर्युक्त बातों का उल्लेख किए बिना इसमें प्रस्तुत किया गया विवरण, कुछ मामलों में आवश्यक रूप से पूर्ण नहीं कहा जा सकता है. इसलिये यह अनुरोध किया जाता है कि विवरण को इस कठिनाई के संदर्भ में ही पढ़ा जाये तथा यथा समय दस्तावेज उपलब्ध कराये जाने के बाद एक पूरक विवरण प्रस्तुत करने के अनुमति दी जाये.

टिप्पणी.—उपर्युक्त अधिकारियों द्वारा कोई पूरक या अतिरिक्त विवरण फाइल नहीं किया गया. अत: उनके कथन को यहां इसमें इसके बाद स्थानीय प्रशासन या जिला प्रशासन के कथन के रूप में विनिर्दिष्ट किय गया है.

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, मर्यादित किरन्दुल का कथन

(1) (क) प्रबन्धक-वर्ग का कहना यह है कि उसका मद (एक) (ख) तथा (ग) (दो) और (तीन) में शामिल विचारणीय विषयों से सीधे कोई संबंध नहीं है. प्रबन्धक-वर्ग यह महसूस करता है कि उससे खनिकर्म श्रमिक द्वारा किये गये प्रदर्शनों के कारणों और घटनाक्रम के सम्बन्धमें ही विवरण देने कीही अपेक्षा की जा सकती है.

(ख) परियोजना का संक्षिप्त इतिहास:

(1) बेलडीला लौह खनिज परियोजना निक्षेप क्र. 14 राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अन्तर्गत आने वाली परियोजनाओं में से एक है, जो मध्यप्रदेश के बस्तर जिले में स्थित है.

(2) दीर्घावधि आधार पर भारत सरकार और जापानी स्टील मिल्स के बीच हुये करार के अनुसरण में एकमेव जापान को लौह अयस्क का निर्यात करने के लिये बेलाडीला लौह परियोजना (निक्षेप क्र.14) का विकास किया गया है खदान ने 1968 69 में काम करना शुरू किया. तथापि, कई कारणों से, जिनमें से मुख्य थे प्राथमिक रूप में निक्षेप का स्वरूप तथा प्रत्याशा की अपेक्षा से काम पिण्ड निकलना, खान अपनी निर्धारित क्षमता तक कार्य नहीं कर सकी निकटवर्ती निक्षेप, अर्थात् बेलाडीला निक्षेपक्र. 5 का काम प्रारंभ होने में भी विलम्ब हुआ, जिसको उक्त संविदा के अधीन निर्यात व वनवद्धता की पूर्ति के लिये विकसित किया जाना था और इसके फलस्वरूप जापान स्टील मिल्स के साथ संविदागत प्रतिबन्धता की तुलना में अयस्क की पूर्ति में कमी आयी. संविदागत दायित्व को सम्भावित सीमा तक पूरा करने की दृष्टि से उत्पादन बढ़ाने के लिये तात्कालिक अल्पावधि उपाय पुन: चालू किये जाने थे. मुख्यत:इसी पृष्ठभूमि में

बेलाडीला काम्पलेक्स में ठेका श्रमिकों के जरिये खदान/वियुक्त अयस्क निकालने का निर्णय लिया गया था. इस प्रकार इस विषम स्थिति से निपटने के लिये अस्थायी रूप से राष्ट्रीय खनिकर्म विकास निगम द्वारा अयस्क खनिकर्म के लिये विशुद्ध रूप से एक तदर्थ व्यवस्था लागू की गई.

(3) वर्ष 1977 में, इस्पात उद्योग में विश्व मंदी के कारण जापानी स्टील मिल्स के लिये लौह अयस्क का उठाव संविदागत मात्रा से काफी कम था. राष्ट्रीय खनिकर्म विकास निगम द्वारा 1977-78 में 80 लाख टन के प्रस्ताव की तुलना में जापानी स्टील मिल्स द्वारा वास्तविक उठाव केवल 59.6 लाख टन था. इसके फलस्वरूप बंदरगाह और खदानों पर दोनों जगह काफी माल जमा हो गया तथा श्रमकिों के जरिये वियुक्त अयस्क (फलोट ओर) की खदानों से संपूर्ण संविदागत उत्पादन उठाने की दृष्टि से यत्र चालित खदान उत्पादन में वार-वार बाधा पड़ी.

(4) वर्ष 1978-79 के लिये राष्ट्रीय खनिज विकास निगम तथा राष्ट्रीय खनिज व्यापार निगम द्वारा किये गये भरसक प्रयासों के बावजूद जापानी स्टील मिल्स लगभग 80 लाख टन संविदागत मात्रा की तुलना में 60 लाख टन से अधिक माल लेने को सहमत नहीं हुई. इस प्रकार सुनिश्चित उठाव और अधिकतम-खदान भण्डार (स्टाक होल्डिंग) की संभावना को ध्यान में रखते हुये उत्पादन को विनियमित किया जाना था. श्रमिकों को कोई भी कठिनाई न होने देने की दृष्टि से श्रमकि खदानों से संविदागत मात्रा में कमी नहीं की गई और जो कुछ भी कमी करना आवश्यक था वह केवल यंत्रीकृत खदानों से ही की गई है.

(5) एक निश्चित समयावधि के बाद श्रमिक संकार्यों को जारी रखने का इरादा निगम का कभी नहीं रहा है और श्रमिक खदानों को बन्द करने का प्रावस्थावद्ध कार्यक्रम बहुत पहले ही बना लिया गया था. यहां तक कि ठेके देते समय भी सभी सम्वन्धित लोगों को यह पूरी तरह मालूम था कि श्रमिक उत्खनन/वियुक्त अयस्क निकालना संविदागत अयस्क की मात्रा सुपुर्द कर देने/प्रत्येक संविदा की अवधि समाप्त होने के बाद बन्द कर दिया जावेगा. परिणामतः वियुक्त अयस्क श्रमिकों का नियोजन ठेके की एक निर्दिष्ट अवधि के लिये ही था.

(6) किरन्दूल एक छोटी सी बस्ती है, जो जिला बस्तर की तहसील दन्तेवाड़ा में स्थित है. यह जगदलपुर से अर्थात्, बस्तर जिले के जिला मुख्यालय से लगभग 80 मील या 128 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण-पश्चिम में है. यह जगदलपुर से रायपुर तक सड़क द्वारा जुड़ा है, जिसकी दूरी लगभग 264 मील या 424 किलोमीटर है. यह सड़क डामरीकृत है. यह विशाखापट्टम से 427 किलोमीटर दूर है, जिससे वह रेल द्वारा जुड़ा हुआ है. किरन्दूल का विकास पिछले दस वर्षों में हुआ है. इसकी आबादी लगभग 30 हजार है. किरन्दूल बैलाडीला क्षेत्र में स्थित है. निक्षेप क्र. 14, निक्षेप क्र. 11-सी तथा 11-बी में उत्खनन कार्य से सम्बद्ध श्रमिक अधिकारी और व्यक्ति जिस बस्ती में रहते हैं वहीं किरन्दूल नगर बन गई है. किरन्दूल बस्ती में निक्षेप क्र. 14, निक्षेप क्र. 11-बी तथा 11-सी में लौह अयस्क के उत्खनन संबंधी विभिन्न कार्य करने वाले व्यक्ति रहते हैं. उसमें एक छोटा सा बाजार, बस स्टैण्ड, डाक तथा तार घर और रेलवे स्टेशन भी है. किरन्दूल निक्षेप समूह के श्रमिकों को मोटे तौर पर निम्नलिखित प्रवर्गों में विभाजित किया जा सकता है—

खदान का विवरण	संकार्य का स्वरूप	श्रमिकों की संख्या	नियोजन का स्वरूप	उत्पादन शिविर. संविदागत मात्रा	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. क्र. 14 ..	यंत्रीकृत (विस्फोटन प्रावस्था से वैगन लदान प्रावस्था तक संकार्य मशीनों से किया जाता है.)	लगभग 1655	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के कर्मचारी.	2.0 से 2.5 मी. टन वार्षिक	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा पक्के तथा अस्थायी आवास गृह बनाये गये.
	शारीरिक श्रम				
2. वियुक्त अयस्क खदान.	(क) मैलिजर घाटी	लगभग 1640	मेसर्स अशोक माइनिंग कं. द्वारा नियोजित.	मई, 75 से मई, 78 के दौरान 22.0 लाख टन.	मैलिजर घाटी बांस की चटाइयों और फूस के छप्पर वाले अस्थाई मकान

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(ख)	11-ए-खदान.	लगभग 1360	मेसर्स वी. डी. भामोट एण्ड सन्स द्वारा नियोजित.	मार्च, 75 से सित., 78 के दौरान 19.2 लाख टन.	किरन्दूल/बचेली में बांस की चटाइयों और फूस के छप्पर वाले अस्थायी मकान.
(ग)	11-बी	लगभग 2300	मेसर्स उमेदराय वोरा द्वारा नियोजित.	सित., 75 से सित. 78 तक 34.5 लाख टन.	किरन्दूल में बांस की चटाइयों के और फूस के छप्पर वाले अस्थायी मकान.
(घ)	11-सी	लगभग 1100	मेसर्स एम. पी. आयरन और माइनिंग कम्पनी द्वारा नियोजित.	जुलाई, 75 से मार्च, 79 के दौरान 20.0 लाख टन.	किरन्दूल में बांस की चटाइयों और फूस के छप्पर वाले अस्थायी मकान.

मैलिजर घाटी में कार्य करने वाली मेसर्स अशोक माइनिंग कम्पनी का ठेका कुल संविदागत मात्रा की पूर्ति के पूरा होने पर 31-3-1978 को समाप्त हो गया.

उपर्युक्त के अलावा 4 वियुक्त अयस्क उत्खनन के ठेकों में वैगनों की लदान तथा यंत्रीकृत उत्खनन अयस्क के समतलन में 2 और ठेकेदार लगाये गये. ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

ठेकेदार का नाम	ठेके का स्वरूप	श्रमिकों की संख्या	शिविर	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. मेसर्स श्री लक्ष्मीनारायण भगवान ट्रस्ट.	लदान तथा समतलन	लगभग 700	किरन्दूल	
2. मेसर्स एस. अमरीक सिंह	समतलन	लगभग 100	किरन्दूल	

उनके पास एन. एम. डी. सी. का या उस क्षेत्र का कोई भी अन्य उत्खनन-कार्य नहीं रह गया था. ऐसी स्थिति में जहां तक लौह अयस्क उठाने तथा एन. एम. डी. सी. को उसकी पूर्ति करने का प्रश्न है वहां तक ठेकेदार द्वारा नियोजित कामगारों द्वारा अन्य व्यक्तियों के लिये कोई काम नहीं रह गया था.

पहले भी ऐसा हुआ था कि विशिष्ट मात्रा में लौह अयस्क की पूर्ति के ठेके दिये गये थे और उस मात्रा में लौह अयस्क की पूर्ति के पश्चात् ठेकेदारों ने अपना कारोबार बन्द कर दिया था और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबन्धों के अधीन अपने कामगारों को उनकी विधि सम्मत बकाया रकमों का भुगतान करने के पश्चात् उनकी सेवायें समाप्त कर दी थीं.

(7) मेसर्स अशोक माइनिंग कम्पनी ने अपना कार्य बन्द करने तथा अपने 1653 कर्मचारियों की सेवायें समाप्त करने के अपने इरादे की सूचना संबंधित प्राधिकारियों को देकर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबन्धों के अधीन विशेष रूप से धारा 25 (ढ) तथा 25 (ण) के अधीन आवश्यक कार्रवाई की थी. मेसर्स अशोक माइनिंग कम्पनी ने कामगारों की सेवायें समाप्त करने के अपने इरादे की सूचना भी कामगारों को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबन्धों के अधीन दे दी थी और कामगारों को अपनी बकाया रकमें 31-3-1978—1-4-1978 को ले लेने के लिये कहा था.

प्रबन्धक-वर्ग के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार मेसर्स अशोक माइनिंग कम्पनी द्वारा नियोजित प्राय: सभी कामगारों ने छंटनी तथा छंटनी-मुआवजे को स्वीकार कर लिया था और वे 3-4-1978 तक बेलाडीला छोड़कर चले गये थे.

(8) संयुक्त खदान मजदूर संघ ने मेसर्स अशोक माइनिंग कम्पनी के 1653 मजदूरों को दिये गये छंटनी-नोटिस को वापस लेने के लिये सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), रायपुर के समक्ष एक औद्योगिक विवाद प्रस्तुत किया था. उक्त कर्मचारी एन.एम.डी.सी. के कर्मचारी नहीं थे और एन.एम.डी.सी. तथा अन्य कामगारों के बीच नियोजक कर्मचारी का संबंध न होने के कारण सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के समक्ष विचाराधीन उस औद्योगिक विवाद में एन. एम. डी. सी. एक पक्ष नहीं था. तथापि इस विवाद का निपटारा सुलह के रूप में नहीं हो पाया था और इसलिये बाद में सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) ने सुलह न हो पाने की सूचना भेज दी थी. भारत सरकार ने अपने पत्र क्रमांक एल-260 11-4-78-तीन-बी, दिनांक 27-5-1978 (प्रति संलग्न है) के जरिये इस विवाद को औद्योगिक न्यायाधिकरण को न भेजने का निर्णय लिया था क्योंकि छंटनी ठेका-करार की समाप्ति के कारण हुई थी और मुख्य नियोजक ने न तो उनके ठेकों को आगे बढ़ाया था और न वैकल्पिक ठेके लिये थे.

(9) यद्यपि मेसर्स अशोक माइनिंग कम्पनी द्वारा दिये गये छंटनी-नोटिस को वापिस लेने संबंधी संयुक्त खदान मजदूर संघ द्वारा उठाया गया औद्योगिक विवाद सुलह अधिकारी अर्थात् सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) रायपुर के समक्ष विचाराधीन था, तथापि संघ ने आंदोलन शुरू कर दिया था, जिसके ब्यौरे नीचे दिये जा रहे हैं :—

1-1-1978.—संयुक्त खदान मजदूर संघ (आइटक से संबद्ध) ने भारत सरकार से यह अनुरोध किया था कि वह ठेका-मजदूरों की मजदूरी में बढ़ोत्तरी संबंधी विचाराधीन अनिर्णीत विवाद को देखते हुए मेसर्स अशोक माईनिंग कम्पनी द्वारा दिये गये छंटनी-नोटिस को गैर-कानूनी तथा अविधिमान्य घोषित करे.

15-1-1978.—दोपहर लगभग 2 बजे मेसर्स अशोक माइनिंग कम्पनी के लगभग 500 मजदूरों ने शापिंग सेण्टर से संयुक्त खदान मजदूर संघ के बेनर के साथ श्री इन्द्रजीत सिंह, अध्यक्ष सं. ख. म. स. तथा श्री एम. पी. पांडे संगठन-सचिव सं. ख. म. सं. के नेतृत्व में एक जलूस निकाला. प्रदर्शकारियों के हाथ में लाल झंडे थे. मुख्य प्रशासनिक कार्यालय के पास वे दोपहर बाद लगभग 4. 45 बजे नारे लगाते हुए पहुंचे. श्री इन्द्रजीत सिंह ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह प्रदर्शन सिर्फ पहला कदम है और वे परिणामों या अप्रत्यक्ष प्रभावों की परवाह किये बिना कोई भी दूसरी कार्रवाई कर सकते हैं.

22-1-1978.—शाम के लगभग 4. 30 बजे सर्वश्री उमेदराय वोरा कंपनी के लगभग 300 मजदूरों (जिनमें महिला-मजदूर भी शामिल थीं) ने एम. एम. डब्ल्यू. (इण्टक से संबद्ध) के बैनर के साथ सामुदायिक केन्द्र के पास से जुलूस निकाला. जुलूस का नेतृत्व श्री ए. बी. खान, संयुक्त सचिव, एम. एम. डब्ल्यू. तथा श्री जे. ए. सिद्दीकी, सचिव, एम. एम. डब्ल्यू तथा एम. एम. डब्ल्यू. के ही अन्य पदाधिकारी कर रहे थे. यह जुलूस कांग्रेस का झंडा लेकर नारे लगाता हुआ शाम के लगभग 4. 45 बजे मुख्य प्रशासनिक कार्यालय के पास पहुंचा.

10-2-1978.—एम. एम. डब्ल्यू. ने अपनी 6 मांगों के समर्थन में 25-2-78 को हड़ताल करने का नोटिस मेसर्स उमेदराय वोरा कं. मेसर्स एम. पी. आई. ओ. एम. निगम तथा मेसर्स श्री लक्ष्मीनारायण भगवान ट्रस्ट को दिया था.

एस.के.एम.एस. ने आर इाईसी (सी) जबलपुर को पत्र लिखकर मेसर्स अशोक माइनिंग कम्पनी द्वारा दिये गये छंटनी-नोटिस को वापिस लेने संबंधी औद्योगिक विवाद उठाया था. एस. के. एम. एस. ने एक नोटिस भी दिया था जिसमें कहा गया था कि 1-3-1978 को या उसके बाद किसी भी दिन सीधी कार्रवाई की जायगी.

27-2-1978.—दोपहर के लगभग 2 बजे मेसर्स एस. एस. आई. न. वी. ट्रस्ट के अंतर्गत कार्यरत लगभग 350 ठेका मजदूरों (जिनमें महिला-मजदूर भी शामिल थी) ने टी. यू. सी. के झंडे लेकर सामुदायिक केन्द्र से एक जुलूस निकाला, जो दोपहर के लगभग 2. 15 बजे मुख्य प्रशासनिक कार्यालय के पास पहुंचा. एस. के. एम. एस. के श्री सीताराम के नेतृत्व में प्रदर्शनकारी प्रशासनिक कार्यालय के पास 3½ घंटे तक नारे लगाते रहे.

28-2-1978.—प्रातः लगभग 11. 15 बजे मेसर्स एस. एस. एल. एन. वी. ट्रस्ट के अधीन कार्यरत मजदूरों ने मैन्यूअल लोडिंग साइट से एक जुलूस निकाला और मुख्य प्रशासनिक कार्यालय के सामने एकत्र हुए. उनका कहना था कि मैन्यूअल लोडिंग साइट में रैक नहीं रखे गये थे. अनुमानतः भीड़ में महिला मजदूरों सहित 350 मजदूर थे. प्रदर्शनकारी टी. यू. सी. के लाल झंडे तथा घातक शस्त्र लेकर चल रहे थे तथा अपमानजनक नारे लगा रहे थे. प्रदर्शनकारियों में श्री इन्द्रजीतसिंह अध्यक्ष, एस. के. एम. एस. तथा श्री बरसा दूल्हा राम, कोषाध्यक्ष, एस. के. एम. एस. भी शामिल थे.

दोपहर के लगभग 1.15 बजे जब महाप्रबन्धक अपना कार्यालय छोड़कर मध्याह्न-भोजन के लिये जा रहे थे तब मजदूरों ने "बच स्तंभ" के पास उनका घेराव किया और उनको अपने कार्यालय वापिस लौटने पर मजबूर कर दिया.

2-3-1978.—फ्लोट अयस्क खदानों के 5000 मजदूरों ने श्री इन्द्रजीतसिंह अध्यक्ष, एस. के. एम. एस. तथा श्री एम. पी. पांडे, संगठन सचिव, एस. के. एम. एस. के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला. वे अपमानजनक नारे लगा रहे थे. मजदूरों को संबोधित करते हुए श्री इन्द्रजीतसिंह ने मजदूरों से संघर्ष करते रहने तथा भूख-हड़ताल करने के लिये कहा.

10-3-1978.—प्रात: लगभग 10.30 बजे मेसर्स अशोक माइनिंग कम्पनी के 125 मजदूर एस. के. एम. एस. के संघ कार्यालय के सामने इकट्ठा हुए और शापिंग सेण्टर से एक जुलूस निकालकर प्रशासनिक भवन पहुंचे. जुलूस का नेतृत्व श्री इन्द्रजीतसिंह, अध्यक्ष, एस. के. एम. एस. तथा दुर्ग के एस. के. एम. एस. के श्री सी. आर. बक्षी कर रहे थे. श्री बक्षी ने मजदूरों को सम्बोधित किया और लड़ाई जारी रखने को कहा. उन्होंने कहा कि 25 से 30 मजदूरों का एक जत्था तब तक भख हड़ताल करेगा जब तक कि मेसर्स अशोक माइनिंग कम्पनी द्वारा दिये गये छटनी-नोटिस को वापिस लेने की उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती. प्रात लगभग 10 बजे एस. के. एम. एस. के संघ-कार्यालय में रिले भख हड़ताल प्रारंभ कर दी गई, जिसमें लगभग 20 मजदूरों ने भाग लिया.

11-3-1978.—प्रात: लगभग 9 बजे.15 लगभग 90 फ्लोट अयस्क मजदूरों ने श्री इन्द्रजीतसिंह, अध्यक्ष, एस.के.एम. एस. तथा श्री बरसा दुलाराम, कोषाध्यक्ष, एस. के. एम. एस. तथा एस. के. एम. एस. के श्री सी.आर. बक्षी के नेतृत्व में शापिग सेण्टर से मुख्य प्रशासनिक कार्यालय तक नारे लगाते हुए जुलूस निकाला प्रदर्शनकारी अपमानजनक नारे लगा रहे थे. रिले भूख-हड़ताल चलती रही.

12-3-1978.—प्रात: 10.45 के आस-पास लगभग 65 मजदूरों ने एस. के. एम. एस. के नेतृत्व में शापिंग सेण्टर से मुख्य प्रशासनिक कार्यालय तक नारे लगाते हुए एक जुलूस निकाला. रिले भूख-हड़ताल जारी रही.

13-3-1978.—प्रात: 9.15 बजे के आसपास लगभग 85 मजदूरों ने एस. के. एम. एस. की कार्यकारिणी समिति के सदस्य श्री एस. मुंशी के नेतृत्व में शापिंग सेण्टर से मुख्य प्रशासनिक भवन तक नारे लगाते हुए एक जुलूस निकाला. रिले भख-हड़ताल जारी रही.

14-3-1978.—प्रात: 9.15 बजे आसपास लगभग 95 मजदूरों ने श्री इन्द्रजीतसिंह, अध्यक्ष, एस. के. एम. एस. तथा श्री एन. आई. थामस, सचिव, एस. के. एम. एस. के नेतृत्व में शापिंग सेण्टर से मुख्य प्रशासनिक भवन तक नारे लगाते हुए एक जुलूस निकाला. रिले भूख-हड़ताल जारी रही.

15-3-1978.—प्रात: 10.00 बजे के आसपास लगभग 90 मजदूरों ने इन्द्रजीतसिंह, अध्यक्ष, एस. के. एम. एस. के मुख्य प्रशासनिक भवन तक नारे लगाते हुए जुलूस निकाला. श्री इन्द्रजीतसिंह, अध्यक्ष एस. के. एम. एस. ने शापिंग सेण्टर में दिये गये अपने भाषण में कहा कि छटनी के मुद्दे पर चर्चा करने के लिये वे मंत्री के पास अपना एक प्रतिनिधि मंडल ले जा रहे हैं और यदि मंत्री ने कोई अनुकल निर्णय नहीं लिया, तो वे आगे कोई उचित कार्रवाई करेंगे. रिले भूख-हड़ताल जारी रही.

16-3-1978.—प्रात: 9.15 बजे के आसपास लगभग100 मजदूरों ने श्री इन्द्रजीतसिंह, अध्यक्ष, एस. के. एम. एस. के नेतृत्व में शापिंग सेण्टर से प्रशासनिक भवन तक नारे लगाते हुए एक जुलूस निकाला. रिले भूख-हड़ताल जारी रही.

17-3-1978.—प्रात: 9.15 बज के करीब लगभग 98 मजदूरों न एस. के. एम. एस. के नतृत्व में शापिंग सेण्टर से मुख्य प्रशासनिक भवन तक नारे लगाते हुए जुलूस निकाला. श्री एम. पी. पांडे, संगठन सचिव, एस. के. एम. एस. ने मजदूरों को संबोधित करते हुए कहा कि वे अपनी लड़ाई जारी रखेंगे. रिले भूख-हड़ताल जारी रही.

18-3-1978—प्रात: 9.15 बजे के आसपास लगभग 100 मजदूरों ने एस. के. एम. एस. के नेतृत्व में शापिंग सेंटर से प्रशासनिक भवन तक नारे लगाते हुए जुलूस निकाला. रिले हड़ताल जारी रही.

19-3-1978.—प्रात : 9.30 बजे के आसपास लगभग 55 मजदूरों ने एस. के. एम. एस. के नेतृत्व में शापिंग सेंटर से प्रशासनिक भवन तक नारे लगाते हुए एक जुलूस निकाला. रिले हड़ताल जारी रही.

20-3-1978:—प्रात: 9. 15 बजे के आसपास लगभग 80 मजदरों ने एस. के. एम. एस. के नेतत्व में शापिंग सेंन्टर से प्रशासकीय भवन तक नारे लगाते हुए एक जुलूस निकाला रिले भूख-हड़ताल जारी रही.

21-3-1978:—प्रात: 9.15 बजे के आसपास लगभग 100 मजदूरों ने एस.केएम.एस. के नेतृव में शांपिग सेंटर से प्रशासनिक भवन तक नारे लगाते हुए एक जुलूस निकाला. रिले भूख हड़ताल जारी रही.

22-3-1978:—प्रात: 9.15 बजे के आसपास लगभग 130 मजदूरों ने एस. के. एम. एस. के पदाधिकारी सर्वश्री आई.के. मूर्ति तथा डी. लक्ष्मय्या के नेतृत्व में शापिंग सेंटर से प्रशासनिक भवन तक नारे लगाते हुए एक जुलूस निकाला. रिले भूख-हड़ताल जारी रही.

23-3-1978:—प्रात: 9.30 बजे के आसपास लगभग 140 मजदरों ने एस. के. एम. एस. के नेतृत्व में शापिंग सेन्टर से प्रशासनिक भवन तक नारे लगाते हुए एक जुलूस निकाला. रिले भूख-हड़ताल जारी रही.

24-3-1978:—प्रात: 9.30 बजे से आसपास लगभग 150 मजदूरों ने एस. के. एम. एस. के नेतृव में शांपिंग सेन्टर से प्रशासनिक भवन तक नारे लगाते हुए एक जुलस निकाला.. रिले भूख हड़ताल जारी रही.

25-3-1978:—प्रात: 9.30 बजे के आसपास लगभग 130 मजदरों ने एस. के एम.एस के नेतत्व में शांपिग सेंन्टर से प्रशासनिक भवन तक नारे लगाते हुए एक जुलस निकाला. रिले भूख-हड़ताल जारी रही.

26-3-1978:—प्रात: 9.30 बजे के करीब लगभग 90 मजदूरों ने एस. के. एम. एस. के नेतृव में शांपिग सेंटर से प्रशासनिक भवन तक नारे लगाते हुए एक जुलूस निकाला. रिले भूख-हड़ताल जारी रही.

27-3-1978:—प्रात: 9.15 बजे के करीब लगभग 140 मजदूरों ने एस. के. एस. एम. के बैनर के साथ बाहरी सी. पी आई. नेता श्री गंगा चौबे के नेतृव में शापिंग सेन्टर से प्रशासनिक भवन तक नारे लगाते हुए एक जुलूस निकाला. रिले भूख हड़ताल जारी रही.

28-3-1978:—प्रात: 9.30 बजे के आसपास लगभग 140 मजदूरों ने एस. के. एम. एस. के नेतृव में शांपिग सेंटर से प्रशासनकि भवन तक नारे लगाते हुए एक जुलूस निकाला. श्री इन्द्रजितसिंह, अध्यक्ष, एस.के एम. एस ने मजदूरों को सम्बोधित करते हुए कहा कि वे फ्लोट अयस्क ठेका मजदूरों की छटनी के संबंध में मंत्री तथा शासन के अन्य सदस्यों से मिले थे, किन्तु समस्या का कोई समाधान नहीं निकला था. उन्होंने मजदूरों से संघर्ष करते रहने के लिये कहा और बताया कि अगली कार्यवाही के संबंध में निर्णय 29-3-78 को होने वाली सामान्य निकाय की बैठक में लिया जाएगा. उन्होंने यह भी बताया कि मजदूरों को पुलिस की किसी भी संभावित कार्रवाई से भयभीत नहीं होना चाहिये. बाहरी सी.पी.आई. नेता श्री गंगाप्रसाद चौबे ने मजदूरों को संबोधित करते हुए कहा कि वे अपना संघर्ष जारी रखेंगे और किसी भी आकस्मिक घटना से भयभीत नहीं होंगे और श्रमिकों को जेल में जाने के लिये तैयार रहना चाहिए. और हिंसा के लिये भी तैयार रहना चाहिए.

29-3-1978:—दोपहर में एस. के, एम. एस. ने लगभग 2000 मजदरों का (जिनमें 800 महिला मजदर भी शामिल थीं) एक जुलूस निकाला. जुलूस सामुदायिक केन्द्र में लगभग शाम 5 बजे हुई सभा के बाद समाप्त हो गया. सभा में बाहरी सी. पी. आई नेता तथा सर्वश्री इन्द्रजीतसिंह, अध्यक्ष, एस.के.एम.एस. तथा एम. पी. पांडे, संगठन सचिव, एस. के. एम. एस. ने भाषण दिये. श्री चौबे ने प्रधानमंत्री तथा केन्द्रीय इस्पात मंत्री की आलोचना की. उन्होंने कहा कि यह उनके संघर्ष की सिर्फ शुरुआत है, जो अनिश्चित काल तक जारी रहेगा. इन्द्रजीतसिंह ने मशीनीकृत खदानों के नियमित कर्मचारियों की भर्त्सना की और कहा कि संघर्ष में शामिल न होकर उन्होंने फ्लोट अयस्क खदानों के गरीब मजदूरों के साथ विश्वासघात किया. सभा 30-3-78 से आगे फ्लोट अयस्क खदान में पूर्णतः कार्यबंदी के आव्हान के साथ समाप्त हो गई.

30-3-1978—हमेशा की तरह 11 बी तथा 11 सी मैन्युअल खदानों में कार्यरत मजदूर अपने कार्यस्थलों पर जाने के लिये परिवहन के लिये सुबह इकट्ठा होने लगे. तथापि, पिछले दिन की हड़ताल के आह्वान से प्रभावित होकर कुछ मजदूरों ने जिन्होंने हड़ताल करने का निश्चय कर लिया था, डरा-धमका कर बहुत से मजदूरों को काम पर जाने से रोका.

उसी दिन बाद में दोहपर के लगभग एस.के.एम.एस. ने 11बी तथा 11 सी खदानों में कार्यरत लगभग 2,000 फ्लोट अयस्क मजदूरों का एक जुलूस निकला. प्रदर्शनकारी हाथ में एसकेएमएस के बैनर लिये हुए थे और नारे लगा रहे थे. उनका नेतृत्व अन्य नेताओं के साथ बाहरी सी. पी. आई. नेता श्री गंगा चौबे तथा एसकेएमएस के अन्य पदाधिकारी कर रहे थे.

जुलूस मुख्य प्रशासनिक भवन की ओर चला. चूंकि जुलूस का रुख आक्रामक था, अतः प्रशासनिक भवन की बाड़ से लगकर पुलिस कर्मियों ने घेराबंदी कर दी. तथापि, उक्त श्री गंगा चौबे तथा एसकेएमएस के श्री सुजीत मुंशी के नेतृत्व में लगभग 600 प्रदर्शनकारी पुलिस के घेरे को तोड़कर मुख्य प्रशासनिक भवन के परिसर में जो कि संरक्षित क्षेत्र है, जबरन घुस पड़े.. नारेबाजी जारी रही. दोपहर 2.15 से भीड़ धीरे धीरे छटने लगी, किन्तु श्री गंगा चौबे और लगभग 100 प्रदर्शनकारी शाम 6 बजे तक परिसर में बैठे रहे तथा नारे लगाते रहे. श्री चौबे ने मजदूरों को संबोधित किया और उनसे संघर्ष जारी रखने को तथा पुलिस बल से, जिसे गृह मंत्री ने मजदूरों को कुचलने के लिये भेजा है, लडने को कहा.

31-3-1978—(क) हड़ताली कर्मचारियों के एक झुंड ने पुनः डरा धमका कर 11 बी तथा 11 सी खदानों के काम पर जाने के इच्छुक मजदूरों को काम पर जाने से रोका. इसलिये 11 बी तथा 11सीका काम बंद रहा.

(ख) प्रातः 7–30 बजे मेकेनाइज्ड साइडिंग पर लदान (लोडिंग) के लिये 48 वैगनों का एक रैक रखा गया. लगभग 24 वैगनों के लदान के बाद लेवलिंग मजदूरों तथा फ्लोट अयस्क मजदूरों ने लोकों के सामने बैठकर तथा ट्रैक पर गिट्टियां फैलाकर रैक संचलन रोककर वैगनों का लदना बंद करवा दिया. रैक के सामने प्रदर्शन करने वाले तथा बैठे मजदूरों की संख्या बढ़कर दोपहर 11.30 तक लगभग 400 हो गई. भीड़ अनियंत्रित भी हो गई और उसने लदान कार्य में उपयोग में लाये जाने वाले डोजरों का चलना भी रोक दिया.

(ग) दोपहर के लगभग महाप्रबंधक ने बातचीत के लिये एस. के. एम.एस. के अध्यक्ष श्री इन्द्रजीतसिंह, तथा बाहरी कम्युनिस्ट पार्टी नेता श्री गंगा चौबे को बुलाया. बातचीत के दौरान महाप्रबंधक ने दोनों नेताओं से हिंसा और जोर जबरदस्ती तथा कंपनी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की आवश्यकता समझाई और आग्रह किया कि वे लोग परियोजना के सामान्य कामकाज चलते रहने दें. नेताओं ने महाप्रबंधक को आश्वासन दिया कि किसी प्रकार की हिंसा नहीं होगी, किन्तु प्रदर्शन तथा संघर्ष जारी रहेंगे.

(घ) दोपहर के 12.30 बजे के आस पास एस. के. एम.एस. ने श्री . चौबे के नेतृत्व में लगभग 2600 मजदूरों का (जिनमें 1000 महिला मजदूर भी थीं) एक जुलूस निकाला, जो नारे लगाते हुए, प्रशासनिक भवन तक पहुंचा. पहले उन्होंने फाटक तोड़ा और बाड़ के किनारे लगे हुए पुलिस के घेरे को तोड़ा. उन्होंने प्रशासनिक भवन की चार दीवार पार की और फिर से नारे लगाने लगे. इसके बाद उन्होंने भवन के लोहे के फाटक को जिसमें ताला लगाया गया था तोड़कर मुख्य प्रशासनिक भवन में घुसने का प्रयत्न किया. बहुत जोर लगाया गया, पर प्रशासनिक भवन का लोहे का फाटक नहीं टूटा और भीड़ भवन में नहीं घुस पाई. पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया. तब श्री चौबे ने वहां मजदूरों को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी लड़ाई श्री बीजू पटनायक से है और उन्हें टोलियों में जेलों को भर देना चाहिए.

(ङ) खदान की दूसरी पारी में काम करने वाले लोगों को ले जाने वाली बसें मुख्य प्रशासनिक भवन के सामने की सड़क से गुजरती हैं. प्रदर्शनकारियों ने बसों का आना-जाना रोका और इसलिये यंत्रीकृत खदान (मेकेनाइज्ड माइन) की दूसरी पारी के संकार्य में बाधा पड़ी.

(च) महाप्रबंधक, अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी भीड़ से घिरे होने के कारण प्रशासनिक भवन में बंद रहे. लगभग दोपहर के 2.30 बजे जब महाप्रबंधक और कुछ अधिकारी कार्यालय के बाहर आये, तब उनका आधे घंटे से अधिक समय तक घेराव किया गया. पुलिस ने उनको छुड़ाया तथा सुरक्षा में उनको बाहर पहुंचाया गया. अपर कलेक्टर, जगदलपुर, उप-संभागीय मजिस्ट्रेट, दंतेवाडा और राज्य जिला पुलिस अधीक्षक भी उस समय प्रशासनिक भवन के पास थे और स्थिति को संभाल रहे थे.

(छ) प्रबंध वर्ग से चर्चा करने के लिये एस के. एम.एस. के नेता केवल 31 मार्च 78 तक उपलब्ध रहे. उसके पश्चात् परियोजना प्राधिकारियों ने बहुतेरा चाहा कि सर्वश्री इन्दजीतसिंह और एम. पी. पांडे से चर्चाकर स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सके, परन्तु उक्त नेताओं ने 1 अप्रैल 1978 से सहयोग देना बंद कर दिया और वे चर्चा के लिये उपलब्ध नहीं हुए.

1-4-78—11-सी तथा 11 बी खदानों के हड़ताली मजदूरों द्वारा पहली पारी तथा सामान्य पारी की बसों को किरन्दूल बस्ती से लेकर हिल टाप तक रोका गया. प्रातः लगभग 11.30 बजे श्री एम. पी. पांडे, संगठन सचिव, एस. के. एम.एस. तथा एस. के. एम.एस. के श्री सुजीत मुंशी के नेतृत्व में 11 सी तथा 11 बी खदानों के लगभग 1500 हड़ताली मजदूरों (जिसमें 500 महिला मजदूर शामिल थीं) का एक जुलूस नारे लगाता हुआ एस. के. एम.एस. यूनियन कार्यालय से प्रशासनिक भवन तक गया. हिंसा पर उतारू भीड़ ने फाटक तोड़कर प्रशासन भवन में घुसने का प्रयास किया किंतु उन्हें पुलिस द्वारा पीछे खदेड़ दिया गया. भीड़ हिंसक हो उठी तथा पत्थर बरसाने लगी. जिससे परियोजना की संपत्ति को क्षति पहुंची. पुलिस बल के सदस्यों, जिला प्राधिकारियों तथा सी. आई. एसएफ. के जवानों को चोटें आईं. भीड़ को तितर बितर करने के लिये पुलिस को आंसू गैस का प्रयोग करना पड़ा. पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया जिसमें सुजीत मुंशी तथा एस. के. एम.एस. के पदाधिकारी भी थे. खदान 11 बी तथा सी-11 को जाने वाले रेल मार्ग तथा सड़कों पर रुकावटें डालना जारी रहा.

2-4-1978—फ्लोट अयस्क खानों का साप्ताहिक छुट्टी का दिन था. लदाने शेड में रेक को रोकना तथा रेल मार्ग में रुकावट डालना भी जारी रहा.

3-4-1978.—खदान 11 बी तथा 11-सी में हड़ताल तथा रेक का रोका जाना जारी रहा. लगभग 100 मजदूरों द्वारा पहली पारी की बसों को रोका गया. श्रीमती इन्दरजीत सिंह एस. के. एम.एस. के अध्यक्ष श्री इन्दरजीतसिंह की पत्नी के नेतृत्व में लगभग 50-60 महिला मजदूरों ने बाजू के फाटक से महाप्रबंधक के निवास स्थान में घुसने का प्रयास किया. किन्तु उन्हें सी. आई. एस. एफ. के जवानों ने रोक दिया. बाद में उन्होंने परिसर के बाहर धरना दिया तथा नारे लगाए. पिछले दो दिनों से रेल मार्ग पर धरना दे रहे मजदूरों ने गाड़ियों और उस क्षेत्र में लगे फ्लड लाइटों पर पत्थर फेंके जिससे इन लाइटों को क्षति पहुंची.

4-4-1978. खदान 11 बी तथा 11-सी में हड़ताल जारी रही. दोपहर के लगभग 3.00 बजे लगभग 50 महिला मजदूरों ने नारे लगाते हुए महाप्रबंधक के निवासस्थान के परिसर में प्रवेश किया तथा धरना दिया वे महाप्रबंधक के निवास स्थान के परिसर में नारे लगाती रहीं.

दोपहर बाद लगभग 3.30 बजे एस.के. एम.एस. के बैनर के नीचे लाठियों से लैस लगभग 170 हड़ताली मजदूरों ने एक जुलूस निकाला.

संबंधित प्राधिकारियों को समय समय पर उत्पन्न स्थिति से अवगत रखा गया.

(10) 4 अप्रैल, 1978 को समाप्त होने वाले घटनाक्रम के निम्नलिखित परिणाम सामने आए:—

(एक) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम तथा ठेकेदार मेसर्स अशोक माइनिंग कंपनी के बीच हुआ ठेका कार्य समाप्त होने पर समाप्त हो गया.

(दो) ठेका समाप्त होने के फलस्वरूप उसके द्वारा काम में लगाए गए मजदूरों के पास किरन्दूल या बैलाडीला में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अधीन किन्हीं लोह अयस्क खानों में कोई कार्य नहीं रहा.

(तीन) ठेकेदार अशोक माइनिंग कंपनी द्वारा कार्य पर रखे गये अधिकांश मजदूरों ने मुआवजा स्वीकार कर लिया और वे 3-4-1978 तक किरन्दूल छोड़ कर चले गए.

(चार) एस. के. एम. एस. के पदाधिकारियों ने, जो किरन्दुल में सक्रिय थे, महसूस किया कि मजदूरों पर उनकी पकड़ ढीली होती जा रही है तथा हताश तथा निराश होकर उन्होंने अन्य ठेकेदारों द्वारा काम पर रखे गए मजदूरों में अपने पैर जमाने के लिये प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया. उन्होंने अपना उत्साह दिखाने के लिये जुलस प्रदर्शन, घेराव, आदि का सहारा लिया.

(पांच) मजदूर संघ के नेताओं ने क्षेत्र में आतंक तथा अस्थिरता का वातावरण पैदा किया और अन्य फ्लोट अयस्क ठेकेदार के जिनका कार्य अभी भी चालू था, मजदूरों का समर्थन प्राप्त करने लगे.

(छह) उन्होंने मजदूरों को उकसाया तथा 1 अप्रैल तथा 4 अप्रैल 1978 के बीच धीरे-धीरे तनाव पैदा करने की गतिविधियों में लग गए. फ्लोट अयस्क ठेकेदारों के मजदूरों को प्रदर्शन, घेराव तथा अन्य गतिविधियों में भाग लेने के लिये तैयार किया जिसका उद्देश्य था यंत्रीकृत खान में कार्य को ठप्प करना.

(सात) कानून तथा व्यवस्था की स्थिति को गंभीर खतरा था. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के प्राधिकारियों से यह अपेक्षा की गई कि वे समय-समय पर रिपोर्ट देते रहें और कानून तथा व्यवस्था के सम्बन्ध में उपयुक्त कदम उठाने के लिये स्थानीय जिला प्राधिकारियों से निवेदन करते रहें.

(आठ) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के मजदूरों तथा अधिकारियों की रोजमर्रा की जिन्दगी अस्त व्यस्त हो गई थी.

(11) इस संदर्भ में माननीय आयोग की जानकारी के लिये निम्नलिखित बातें प्रस्तुत की जा सकती हैं:—

ठेका मजदूरों की छटनी की समस्या पर अखिल भारतीय राष्ट्रीय खनिज विकास निगम मजदूर संघ के प्रतिनिधियों तथा बेलाडीला निक्षेप क्र. 14 पर कार्यरत संघों के प्रतिनिधियों से कई बार चर्चा की गई. प्रबन्धक वर्ग ने शारीरिक रूप से खनिकर्म करने वाले मजदूरों की नौकरी को जारी रखने में अपनी असमर्थता व्यक्त की, क्योंकि बेलाडीला क्र. 5 परियोजना में उत्पादन प्रारंभ करने के लिये खनिकर्म की कोई आवश्यकता नहीं थी. इस अपरिहार्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए, संघों को समझाया गया कि वे स्थिति से निपटने में प्रबन्धक वर्ग को अपना सहयोग दें.

4 जनवरी 1978 को हैदराबाद में सम्पन्न हुई शीर्ष बैठक के समय अखिल भारतीय राष्ट्रीय खनिज विकास निगम मजदूर संघ के अध्यक्ष श्री एस. के. सान्याल तथा बेलाडीला निक्षेप क्र. 14 में कार्यरत संघों के प्रतिनिधियों के समक्ष प्रबन्ध निदेशक द्वारा स्थिति स्पष्ट की गई. पुनः 8 तथा 9 फरवरी, 1978 को बेलाडीला के अपने दौरे के दौरान प्रबन्ध निदेशक ने निदेशक (उत्पादन) के साथ बेलाडीला निक्षेप क्र. 14 के एस. के. एम. एस. तथा एम. एस. डब्ल्यू. यू. दोनों के प्रतिनिधियों से चर्चा की तथा ठेके के पूर्ण होने पर 31 मार्च, 1978 से मेसर्स अशोक माइनिंग कम्पनी के मजदूरों की छटनी की अपरिहार्यता को स्पष्ट किया. उनसे शान्तिपूर्ण तथा व्यवस्थित ढंग से छटनी में सहयोग देने का निवेदन किया गया.

निदेशक (उत्पादन) तथा प्रबन्धक (औद्योगिक सम्बन्ध) ने किरन्दुल और बचेली में दिनांक 5 तथा 6 मार्च, 1978 को बेलाडीला 14 तथा बेलाडिला 5 पर कार्यरत संघों के प्रतिनिधियों से चर्चाएं की तथा उस कठिन स्थिति को स्पष्ट किया था जो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के सामने लौह अयस्क की अपर्याप्त उठाव के कारण बन गई थी. इस कारण ठेके की समाप्ति पर ठेका मजदूरों की छटनी की इस अपरिहार्यता के परिणामस्वरूप उनसे कार्य को शान्ति से बन्द करने में सहयोग देने के लिये निवेदन किया गया.

9 तथा 10 मार्च, 1978 को प्रबन्धक (औद्योगिक सम्बन्ध) ने विशेष रूप से श्री एस. के. सान्याल, अध्यक्ष, अखिल भारतीय राष्ट्रीय खनिज विकास निगम मजदूर संघ से चर्चा करने के लिये नागपुर का दौरा किया तथा उनसे ठेका मजदूरों की शान्तिपूर्ण छटनी में सहयोग देने का आग्रह किया.

जब मार्च, 1978 के तीसरे सप्ताह से एस. के. एम. एस. द्वारा आयोजित आन्दोलन तथा प्रदर्शन किरन्दुल क्षेत्र में होने लगे और बार-बार होने लगे तब राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के प्रबन्धक वर्ग ने स्थिति को समाधानप्रद बनाने के लिये सभी सम्भव प्रयास किए. प्रबन्धक वर्ग द्वारा किए गए कुछ प्रयास निम्नानुसार हैं:—

(एक) 22 मार्च, 1978 को हैदराबाद में प्रबन्ध संचालक तथा अन्य संचालकों और अधिकारियों के साथ एस. के. एम. एस. के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई. एस. के. एम. एस. की ओर से श्री एन. आई. थामस और एम. एम. डब्ल्यु. यु. की ओर से श्री जे. ए. सिद्दीकी उपस्थित थे. निगम के प्रबन्ध निदेशक तथा निदेशक (उत्पादन) ने विस्तृत रूप से उन परिस्थितियों को स्पष्ट किया जिनमें मेसर्स अशोक माईनिंग कम्पनी का ठेका जारी नहीं रखा जा सकता था. प्रबन्धक वर्ग द्वारा प्रतिनिधियों को यह समझाया गया कि ठेके को समाप्त करना राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हित में आवश्यक था. यह बात भी स्पष्ट कर दी गई थी कि संविदा समाप्ति के परिणामस्वरूप छंटनी की जाएगी, किन्तु प्रबन्ध वर्ग ऐसे सभी प्रयास करेगा कि अशोक माइनिंग कम्पनी छटनी किए गए मजदरों को कोई दूसरा काम दे. मजदरों के

प्रतिनधियों को परियोजना में शान्ति बनाए रखने की सलाह दी गई थी. उन्हें प्रबन्धक वर्ग के प्रतिनिधियों के साथ उपस्थित होने तथा यह सुनिश्चित करने के लिये भी आमंत्रित किया गया था कि छटनी किए गए मजदूरों को सभी बकाया रकमों का पूरा पूरा भुगतान किया गया है.

(दो) ऐसा प्रतीत होता है कि उसके बाद एम. एम. डब्ल्य. य. के प्रतिनिधि स्थिति से संतुष्ट हो गए थे और उन्होंने आंदोलन बन्द कर दिया था तथापि एस. के. एम. एस. के प्रतिनिधियों ने स्पष्टत: उन मजदूरों की भावनाओं को भड़काने के उद्देश्य से, जिनकी शीघ्र या भविष्य में छटनी किए जाने की संभावना थी, आन्दोलन तथा प्रदर्शन जारी रखा.

(तीन) 22-3-1978 को प्रबन्ध संचालक से की गई चर्चा के अनुसार 27 मई, 1978 को त्रिपक्षीय चर्चा की गई, जिसमें एस. के. एम. एस. के प्रतिनिधि रा. ख. लि. नि. के बेलाडीला 14 के महाप्रबन्धक मेसर्स, अशोक माइनिंग कम्पनी के श्री सोहनलाल जैन उपस्थित थे. श्री सोहनलाल जैन ने लगभग 100 मजदूरों को भवन ठौर (बिहार) और लगभग 700 मजदूरों को बरगी (जबलपुर) में वैकल्पिक नियोजन देने का प्रस्ताव किया था. यहां यह उल्लेखनीय है कि मेसर्स अशोक माइनिंग कम्पनी के मजदूर किरन्दुल के स्थायी निवासी नहीं थे, अपितु उन्हें बाहर से लाया गया था. एस. के. एम. एस. के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया गया था कि वे मजदूरों पर अपने प्रभाव का उपयोग उन्हें काम के नए स्थान पर बसाने के लिये करें. महाप्रबन्धक ने श्री सोहनलाल जैन से भुगतान पत्रक तैयार रखने के लिये भी कहा, जिससे कि उन मजदूरों को, जिनके छंटनी किए जाने की संभावना थी, आसानी से भुगतान किया जा सके. इस बात पर भी सहमति हो गई थी कि छटनी के लाभों तथा अन्य बकाया रकमों के भुगतान का पर्यवेक्षण प्रबन्धक वर्ग तथा संघों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा.

(चार) रा. ख. वि. नि. के कुछ अधिकारियों को भी मेसर्स अशोक माइनिंग कम्पनी की प्लोट अयस्क खदानों में मजदूरों को समझाने के लिये भेजा गया था. मजदूरों को यह बताया गया था कि ठेकेदार उन्हें वैकल्पिक नियोजन देने को तैयार हैं. उन्हें यह भी बताया गया कि वैकल्पिक नियोजन देने के बावजूद भी ठेकेदार छटनी मुआवजा के रूप में देय होने वाले सभी भुगतान करेगा.

(पांच) 28 मार्च, 1978 को ठेकेदारों को यह सलाह दी गई थी कि वे अपने मजदूरों को परियोजना के संरक्षित क्षेत्र के भीतर गैर-कानूनी क्रियाकलापों का प्रयोग करने से रोकें.

(छह) महाप्रबन्धक ने श्री गंगा चौबे, सी. पी. आई. नेता, जो आन्दोलन चलाने में एस. के. एम. एस. को सहायता करने दुर्ग से आए थे और

श्री इन्द्रजीत सिंह से तीस मार्च, 1978 को पुन: मुलाकात की और उनसे अप्रिय स्थिति तथा हिंसा को टालने का अनुरोध किया. 30-3-78 को मेसर्स अशोक माइनिंग कम्पनी के श्री सोहनलाल जैन को रा. स. वि. नि. के वरिष्ठ अधिकारियों ने भुगतान काउन्टर खोलने की सलाह दी जिससे कि छटनी किए गए मजदूरों को सभी बकाया रकमों का भुगतान किया जा सके. माइनिंग कम्पनी की प्लांट अयस्क खदान में अधिकारियों का एक दल यह सुनिश्चित करने के लिये भेजा गया कि छटनी किए गए मजदूरों को रकमों का भुगतान विधिवत किया जा रहा है.

(सात) 31-3-1978 को लगभग दोपहर 12.15 बजे महाप्रबन्धक ने श्री गंगा चौबे तथा श्री इन्दरजीत सिंह से चर्चा की और यह सलाह दी कि आन्दोलन शान्तिपूर्ण होना चाहिये और हिंसा से बचा जाना चाहिए. श्री गंगा चौबे तथा श्री इन्दरजीत सिंह ने प्रबन्धक वर्ग को आश्वासन दिया कि आन्दोलन शान्तिपूर्ण ही होगा. तथापि श्री गंगा चौबे और श्री इन्द्रजीत सिंह ने अपना वादा नहीं निभाया.

(आठ) बाद में, चूंकि स्थिति बिगड़ती जा रही थी अत: प्रबन्धक (औद्योगिक संबंध) ने पुन: नागपुर का दौरा किया और 2 तथा 3 अप्रैल, 1978 को अखिल भारतीय रा. ख. वि. नि. कामगार संघ के अध्यक्ष सान्याल से चर्चा की तथा ठेका मजदूरों की शान्तिपूर्वक छंटनी में उनसे सहयोग देने को कहा.

5-4-1978

(12) यह सूचित किया गया कि प्रात: लगभग 5.30 बजे श्री इन्दरजीत सिंह अध्यक्ष एस. के. एम. एस. ने कामगार बस्ती के निकट भारी संख्या में कामगारों को एकत्र किया और उत्तेजक भाषण दिया जिसमें मजदूरों को हिंसा का सहारा लेने के लिये भी कहा गया.

प्रातः लगभग 7.30 बजे जब इच्छुक कामगार खदान 11-बी तथा 11-सी पर काम पर जाने के लिए पुनः एकत्र हुए तब हड़ताली मजदूरों ने धमकियां दीं और उन पर पत्थर फेंके.

मजदूरों के शिविर में पुलिस दल तथा कामगारों के बीच कहीं-कहीं संघर्ष हुआ जिसके परिणामस्वरूप पुलिस कर्मियों को चोटें आई- बाद में हेड कान्सटेबल श्री कोमल सिह की मृत्यु हो गई.

लाठियों से लैस भारी भीड़ दौड़ती हुई महाप्रबन्धक के निवास स्थान पर पहुंची. पुलिस बल तथा सी. आई. एस. एफ. ने लोगों को रोका और अन्ततः तितर-बितर करने के लिये अश्रु-गैस के गोले छोड़ने पड़े.

उप संभागीय मजिस्ट्रेट ने दोपहर 11.30 बजे दण्ड संहिता की धारा 144 लागू कर दी और धारा 144 लागू होने के बावजूद पुलिस तथा कामगारों में संघर्ष हुआ. जिसके परिणामस्वरूप गोली चलानी पड़ी जिससे दुर्भाग्यवश कुछ लोग मारे गए. बाद में कर्फ्यू लगा दिया गया.

(13) ऐसा प्रतीत होता है कि यह एस के. एम. एस. के उन पदाधिकारियों का एक सुनियोजित कार्य था जो शासन को बदनाम करने में रुचि रखते हैं.

(14) यह कहा जा सकता है कि ठेकेदार, मेसर्स अशोक माइनिंग कम्पनी द्वारा की गई छटनी के फलस्वरूप यह घटना घटी जिसके कारण खनिक कर्म कामगारों को प्रदर्शन करना पड़ा. उस कारण तथा घटनाक्रम का विषद विवरण बस्तर के पुलिस तथा जिला प्राधिकारी देख सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप खनिकर्म कामगारों तथा पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई और दिनांक 5-4-78 को किरन्दूल में पुलिस को गोली चलानी पड़ी.

(15) इन मुठभेड़ों तथा गोली चालन के बाद राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के प्रबन्धकों ने इस पीड़ा को कम करने के लिये अपनी शक्ति के भीतर यथासंभव सभी कार्य किये. बैलाडीला परियोजना का एक चिकित्सालय किरन्दुल में है. इसमें योग्य डाक्टर तथा नर्सें हैं. चिकित्सालय के प्राधिकारियों ने सभी जख्मी लोगों को पर्याप्त चिकित्सा सहायता प्रदान की. वास्तव में बचेली चिकित्सालय, जो डिपाजिट क्र. 5 की एक सहयोगी संस्था है, में कार्यरत डाक्टरों को भी किरन्दुल बुलाया गया था. घायलों को चिकित्सा सहायता देने के लिये मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. आलम को जो रायपुर, में अध्ययन अवकाश पर थे, रायपुर से बुलाया गया था. सभी घायलों का हर संभव उपचार करने लिये डाक्टरों नर्सें तथा कम्पाउण्डर रात-दिन काम करते रहे. प्रबन्धक वर्ग ने चिकित्सा कर्मचारियों को उनकी अतिरिक्त तथा अनुकरणीय सेवाओं के लिये अनुग्रह पूर्वक भुगतान किया. उपचार के मामले में कामगारों, गैर-कामगारों तथा शासकीय पदाधिकारियों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया गया.

(16) चिकित्सा सहायता देने के अलावा प्रबन्धक वर्ग ने तत्काल एक अधिसूचना जारी की जिसमें प्रत्येक मृत व्यक्ति के आश्रित को 5,000 रु. प्रत्येक घायल व्यक्ति को 1,000/- रुपये तथा उन व्यक्तियों को, जिनकी झोपड़ियां नष्ट कर दी गई थीं, प्रति व्यक्ति 100 रु. देने की घोषणा की. प्रबन्धक वर्ग ने अभी तक मृत व्यक्तियों के 6 (छह) आश्रितों को पांच-पांच हजार रु. 21 (इक्कीस) घायल व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में एक-एक हजार रु. और 839 (आठ सौ उन्तालीस) ऐसे लोगों को, जिसकी झोपड़ियां आग से नष्ट हो गई थीं, सौ. सौ. रु. मुआवजे के रूप में भुगतान किये हैं सभी भुगतान उचित सत्यापन तथा जिला प्राधिकारियों की पुष्टि के बाद किए गये थे. इस मामले में प्रबन्धक वर्ग का रवैया बड़ा उदार तथा सहानुभूतिपूर्ण रहा और उसने सभी प्रभावित व्यक्तियों को सहायता दी है.

(17) प्रबन्धक वर्ग का कहना यह है कि ठेके की समाप्ति और उसके फलस्वरूप कर्मचारियों की सेवा की समाप्ति कारोबार के सामान्य-क्रम में की गई थी. राजनैतिक कारणों से एस. के. एम. एस. संघ ने आन्दोलन शुरू किया. वास्तव में एस. के. एम. एस. के पदाधिकारी, प्रबन्धक वर्ग के प्रतिनिधियों के समक्ष इस बात पर जोर दे रहे थे कि उन्हें शासन के विरुद्ध संघर्ष जारी रखना है.

(18) प्रबन्धक वर्ग बहुत उदार रहा है और उसने कामगारों को अपनी शक्ति के भीतर सभी संभव सहायता दी थी. यद्यपि, बचेली की मशीनीकृत खदान में उत्पादन शुरू होने के बाद फ्लोट अयस्क की जरूरत नहीं थी फिर भी प्रबन्धक वर्ग ने तत्काल ठेका समाप्त नहीं किया और प्रबन्धक वर्ग ने मशीनीकृत खदानों में उत्पादन की मात्रा कम कर ठेका अवधि के समाप्त होने तक उसे चालू रखने की अनुमति दी.

(19) प्रबन्धक वर्ग अपने बयान में कुछ जोड़ने या संशोधन करने और आवश्यक होने पर दावे का एक अतिरिक्त विवरण भी प्रस्तुत करने का अधिकार सुरक्षित रखता है.

(ख) आगे प्रबन्धक वर्ग, माननीय आयोग के समक्ष किसी पक्षकार द्वारा दिए गए बयान का उत्तर देने के अपने अधिकार को सुरक्षित रखता है जिसमें उसके विरुद्ध कोई आरोप लगाया गया हो.

(21) प्रबन्धक वर्ग आयोग को सभी सहायता देने का आश्वासन देता है.

(22) प्रबन्धक वर्ग, सूची के अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत कर रहा है. वह आगे और दस्तावेज प्रस्तुत करेगा जो वाद में संगत तथा जरूरी समझे जाएंगे.

टिप्पणी :—जांच के दौरान रा. ख. वि. नि. ने कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किए थे किन्तु संशोधन या उत्तर के रूप में कोई अतिरिक्त विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया.

4. श्री सी. आर. बक्षी सह महामंत्री, संयुक्त खदान मजदूर संघ निवास-भिलाई का लिखित कथन.

1. आवेदक संयुक्त खदान मजदूर संघ का सह-महामंत्री है. इस संघ का मुख्य कार्यालय नंदिनी मांईस जिला दुर्ग में है और इसकी स्थापना सन् 57–58 में हुई है. यह इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत है सन् 1966 में इस संघ के बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना प्रारंभ होने पर अपना शाखा कार्यालय खोला है. उस समय से आज तक यही एक श्रमिक संघ परियोजना, श्रम विभाग तथा शासन द्वारा मान्य प्रमुख संघ है. परियोजनारत कर्मचारी तथा ठेकेदारों के यहां कार्यरत मजदूर 95 प्रतिशत की संख्या में इस संघ के सदस्य हैं.

बैलाडीला परियोजना की शाखा में इस संघ के अध्यक्ष सन् 1968 से श्री इन्दजीतसिंह हैं उन्हें इस गोली कांड की घटना के संबंध में हत्या, आगजनी तथा अन्यआरोप लगाकर विशाखापटनम जेल, आंध्रप्रदेश में रखा गया है जहां वे 11-4-78 से बन्द हैं

इस संपूर्ण घटना की जानकारी की विस्तृत प्रतिवेदन वे ही दे सकते हैं जो जेल से छूट ने के बाद में प्रस्तुत करेंगे. प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि समाप्त हो रही है, अतएव मैं संघ की ओर से निम्नलिखित प्रस्तुत कर रहा हूं. संघ इस प्रतिवेदन को अपने समस्त पदाधिकारियों के जेल से छूटने के बाद सुधार करने, जोड़ने या उसे संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है:—

2. बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना के अन्तर्गत खदानों में कार्य दो प्रकार से होता है. मशीनीकरण द्वारा, जिसमें लगभग 2000 कर्मचारी कार्यरत, दूसरा ठेकेदारों द्वारा श्रमिक मजदूरों से लौह अयस्क इकट्ठा करवाने का कार्य. यह कार्यअलग ठेकेदार कम्पनियां श्रमिक मजदूरों द्वारा फ्लोट और इकट्ठा करवाकर परियोजना को देने का है. इन सब ठेकेदारों के यहां लगभग 7,500 श्रमिक मजदूर कार्यरत है.

3. ठेकेदारों के यहां काम करने वाले श्रमिकों को यह ठेकेदार बहुत कम मजदूरी देते थे. संयुक्त खदान मजदूर संघ ने इन श्रमिकों की मांगों को लेकर पिछले तीन चार वर्षों में कई बार शांतिपूर्ण आन्दोलन करके इनकी मजदूरी में वृद्धि करवाई है. साथ ही इन मजदूरों को रहने के लिये झोपड़ी की व्यवस्था, बोनस, दुर्घटना, लाभ इत्यादि सुविधाएं भी दिलवाई है. इसी कारण से इस परयोजना में कार्यरत श्रमिक मजदूर का करीब शत-प्रतिशत भाग संयुक्त खदान मजदूर संघ को ही अपना एकमात्र संघ मानते हैं.

4. बैलाडीला लोह अयस्क परियोजना खान विभाग, भारत शासन की अन्तर्गत संचालित एक निगम है. भारत शासन और जापानीस स्टील मिल्स के मध्य लोह-अयस्क के हस्तांतरण के विषय में जो समझौता है उसके अनुसार अप्रैल 1971 से आगामी 10 वर्षों तक कच्चा लोहा जापानीस स्टील मिल्स को भेजा जाना तय हुआ है. अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार 1-4-78 तक 45,120,000 टन लोह अयस्क का निर्यात जापान स्वीकार करेगा. इसमें 10 प्रतिशत की कटौती या बढ़ाने का भी प्रावधान है. लेकिन बैलाडीला लोह अयस्क परियोजना ने अभी तक केवल 32,400,769 टन कच्चा लोह का ही निर्यात जापान को किया है. इस प्रकार से इस परियोजना को आगामी वर्ष में 12.70 लाख मैट्रिक टन कच्चे लोहे को पूर्ति किया जाना है. इन आंकड़ों से वह प्रमाणित होता है कि जापान ने अपने अनुबन्ध के अनुसार लोह-अयस्क की मांग में कोई कमी नहीं की थी. लेकिन इसके विपरीत खान मन्त्रालय, भारत शासन पिछले वर्ष से ही वह सूचित करती रही है कि भविष्य में फ्लोट और इकटठ करने के लिए नए अनुबन्ध नहीं किए जायेंगे.

5. विगत अक्टूबर, 1977 को केन्द्रीय इस्पात् एवं खान मंत्री श्री बीजूपटनायक ने किरन्दूल का भ्रमण किया था उस समय संयुक्त खदान-मजदूर संघ, की ओर से फ्लोट और के भविष्य में ठेके न दिए जाने के कारण श्रमिकों की छटनी की ओर उनका ध्यान आकर्षित करवाया था. उस समय केन्द्रीय मंत्री जी ने यह उपेक्षापूर्ण उत्तर दिया था कि "क्या मैं तुम्हारे लिए यहां पर चल रहे लोह अयस्क संयंत्र बन्द कर दूं." वह एक विचारणीय प्रश्न है कि विशेषज्ञों की राय में

फलोट और श्रमिक मजदूरों द्वारा जमा करवाना कम खर्चीला है और इसके विपरीत संयंत्र और मशीनीकरण के द्वारा लोह अयस्क खुदवाना अधिक महंगा है. साथ ही जितना भी लोह अयस्क बैलाडीला से निकाला जा चुका है उसका 55 प्रतिशत भाग श्रमिक मजदूरों द्वारा फ्लोट और एकत्रित कर जापान को भेजा गया है. इसके साथ ही वर्तमान शासन की भी यह मान्य नीति है कि बेरोजगारी अधिक से अधिक दूर की जाये.

ऐसी अवस्था में यदि खान मंत्रालय भारत शासन तथा लोह अयस्क परियोजना बैलाडीला ने मजदूरों की छटनी के लिए यदि कार्यक्रम बनाकर उसे कार्यान्वित करने का जो निर्णय लिया था वह जनता पार्टी और भारत शासन की निर्धारित नीतियों के विपरीत कार्यवाही थी.

6. इसी सन्दर्भ में संसद सदस्य श्री कल्याण राय तथा श्री सी. के. चंद्रप्पन ने 16-2-78 को श्रममंत्री श्री रवीन्द्र वर्मा तथा खान मंत्री श्री बीजू पटनाईक को पत्र लिखकर बैलाडीला में प्रस्तावित मजदूरों की छटनी की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया था. उस समय खान मंत्री श्री बीजू पटनाईक ने संसद में यह जानकारी दी थी कि ठेकेदारों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे छटनी किये गये मजदूरों को अन्य परियोजनाओं में कार्य दें. खान एव इस्पात मंत्री का संसद में दिया गया यह आश्वासन बैलाडीला लोह अयस्क परियोजना के महा प्रवन्धक ने क्रियान्वयन नहीं किया. इसका ज्वलंत उदाहरण यह है कि उन्होंने अशोक माईनिंग कम्पनी के ठेके को मार्च 1978 में समाप्त कर दिया. इसके परिणामस्वरूप वहां कार्यरत 1653 मजदूर बेकार हो गये. उसी अवधि में श्री कल्याण राय, सी. के. चन्द्रप्पन, श्री इन्द्रजीतसिंह तथा श्री सी. आर. बक्शी ने खान मंत्री श्री बीजू पटनाईक से इन मजदूरों की छटनी के विषय में प्रतिनिधि मंडल के रूप में भेंट की. उस समय खान मंत्री ने यह तर्क दिया था कि लोह अयस्क खानों में कार्य करने वाले करीब एक लाख मजदूरों की छटनी निकट भविष्य में संभव है. इसका कारण उन्होंने यह बताया कि जापान कम कच्चे लोहे ले रहा है. प्रतिनिधि मंडल ने जब इस पर भविष्य में श्रमिक असंतोष एवं बेकारी की ओर ध्यान आकर्षित किया तो खान मंत्री ने यह उत्तर दिया कि "यह समस्या राज्य शासन का सिरदर्द है और राज्य शासन ही उसे निपटेगा."

7. बैलाडीला में ठेकेदारों के यहां कार्यरत 7500 श्रमिकों में अधिकांशतः छत्तीसगढ़ के ही श्रमिक हैं. पिछले कई वर्षों से इस क्षेत्र में वे स्थायी रूप से इन ठेकेदारों के यहां काम करते चले आ रहे हैं. इन 7500 मजदूरों के ऊपर आश्रित लगभग 25000 महिलायें, पुरुष एवं बच्चों के जीविका का साधन यह मजदूरी ही है. यदि इन सब मजदूरों को काम से अलग कर दिया जाता है तो इनकी जीविका उपार्जन का परियोजना या शासन ने अन्य कोई साधन उपलब्ध कराने का न इन्हें कभी कोई आश्वासन दिया है और न कोई मार्ग दर्शाया. इसके विपरीत संयुक्त खदान मजदूर संघ सन् 1977 से ही इस समस्या के समाधान के लिए समय-समय पर श्रमिक संघ द्वारा शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करने के लिए स्मरण पत्र देना, संसद में इस समस्या के संबंध में सवाल उठाना और इस्पात तथा खान मंत्री से भेंट करना आदि महत्वपूर्ण कार्य किए. इसके बावजूद भी जब लोह अयस्क परियोजना और खान मंत्रालय ने संघ की शांतिपूर्ण प्रदर्शन, भूख हड़ताल और धरनाकी कार्यवाही लाचार होकर अपनानी पड़ी.

8. अशोक माईनिंग कम्पनी में कार्यरत 1653 मजदूरों की छटनी का नोटिस एवं छटनी की कार्यवाही इंडियन माईनिंग एक्ट एवं इंडियन डिस्प्यूट एक्ट के तहत अवैध है. अशोक माईनिंग कम्पनी द्वारा छटनी की नोटिस देने के बाद श्री इन्द्रजीतसिंह, एम. पी. पांडे और सी. आर. बक्शी जो एस. के. एम. एस. के पदाधिकारी हैं उन्होंने विधिवत औद्योगिक विवाद असिस्टेन्ट लेबर कमीश्नर सेन्ट्रल रायपुर के समक्ष पेश किया था और उसमें दो प्रमुख मुद्दे उठाए गए थे, "अशोक माईनिंग कम्पनी ने कम्पनी के अवसान (समाप्ति) एवं मजदूरों की छटनी की नोटिस एक ही फार्म में दी थी जो अवैध है. इस पर असिस्टेन्ट लेबर कमिश्नर ने एन. एम. डी. सी. के बैलाडीला लोह अयस्क परियोजना के मैनेजमेंट को और ठेकेदार को विधिवत नोटिस देकर प्रकरण की सुनवाई की थी और उन्होंने अपनी रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को प्रेषित की थी. इस सन्दर्भ में केन्द्रीय श्रम-मंत्री श्री रवीन्द्र वर्मा ने एक प्रश्न के उत्तर में संसद में बयान दिया था कि केन्द्रीय श्रम मंत्रालय ने अशोक माईनिंग कम्पनी को छटनी के लिए स्वीकृति प्रदान नहीं की थी. इससे स्पष्ट है कि स्पात एवं खान मंत्रालय तथा एन. एम. डी. सी. के मैनेजमेन्ट ने अवैध रूप से एक तरफा निर्णय जल्दबाजी में लेकर मजदूरों की छटनी स्वयं होकर कम्पनी से करवाई और जब मजदूरों की ओर से उनकी अधिकृत यूनियन ने वैधानिक एवं शांतिप्रिय आन्दोलन प्रारम्भ किया तो उससे कुचलने के लिए डिपाजिट 14 के महाप्रबन्धक श्री सरीन ने स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस फोर्स को आमंत्रित किया.

9. जिन मजदूरों की छटनी हो रही थी उन्हें अशोक माईनिंग कम्पनी द्वारा बोनस, छटनी का मुआवजा और उनकी बकाया राशि मजदूरों को पूरी तरह भुगतान की जा रही है या नहीं यह देखना कि मजदूरों को अशोक कम्पनी द्वारा विधिवत पूरा भुगतान हो रहा है, बैलाडीला परियोजना के मैनेजमेन्ट की जिम्मेदारी थी. किन्तु असिस्टेन्ट लेबर कमिश्नर, सेन्ट्रल रायपुर जो गोलीकांड बाद आज भी केन्द्रीय श्रम मंत्रालय के निर्देशों पर इन तथ्यों की जांच कर रहे हैं जिसमें कम्पनी द्वारा छटनी शुदा मजदूरों के भुगतान में अनेकों अनियमिततायें पाई गई है. अतः श्री जी. के. सरीन एवं स्पात मंत्रालय

ने अशोक माईनिंग कम्पनी के 1653 मजदूरों की अवैध छटनी की कार्यवाही पूरा करने हेतु पुलिस फोर्स लगाकर जबरन भुगतान करवाया और मजदूरों के हस्ताक्षर पावती पर बल प्रयोग द्वारा प्राप्त किया और उन्हें जबरन इच्छा के विरुद्ध बसों और ट्रकों में बिठाकर परियोजना की सीमा से बाहर कर दिया. श्री जी. के. सरीन की छटनी के संबंध में जो तत्परता और आवश्यक रुचि दिखाई गई वह श्री बीजू पटनाईक को खुश करने के लिए की गई.

10. संयुक्त खदान मजदूर संघ ने बहुत ही दुख और दर्द के साथ बेबस और मजबूर हो कर छटनी के निर्णय के विरुद्ध शांतिपूर्ण आन्दोलन की घोषणा की एवं प्रथम चरण में शृंखलाबद्ध अनशन 10 मार्च, 1978 को किरन्दुल में प्रारम्भ किया जो शांतिपूर्ण तरीके से 30 मार्च, 1978 तक चलता रहा किन्तु लौह एवं स्पात मंत्रालय तथा एन. एम. डी. सी. के उच्चाधिकारियों ने यूनियन द्वारा उठाए गए सवाल पर किसी भी प्रकार की पहल नहीं की. केवल एक ही घिसा-पिटा अविवेकपूर्ण छटनी विरोध उत्तर दिया जाता था कि विश्व के बाजार में कच्चे लोहे की खपत की मन्दी आ गई है और जापान ने अनुबन्ध के शर्तों के उल्लंघन करते हुए 80 लाख टन के प्रतिवर्ष कच्चे लोहे के निर्यात को घटाकर 60 लाख टन कर दिया है अतः छटनी अपरिहार्य है.

11. केन्द्रीय शासन एवं मैनेजमेन्ट के अनुत्तरदायी एवं उपेक्षापूर्ण रुख प्रस्तावित छटनी के संबंध में यूनियन के सम्मुख केवल एक ही विकल्प ही रह गया कि छटनी बन्द कराने की मांग को लेकर आन्दोलन को अधिक कारगर बनाया जाय जिससे प्रस्तावित छटनी रोकी जा सके. किन्तु यूनियन ने यह निर्णय लिया कि आन्दोलन को नई दिशा दिया जावे और प्रदर्शन शांतिपूर्ण ही रहे. उसके अनुरूप ही तीस मार्च, 78 से जुलूस के माध्यम से शांतिपूर्ण प्रदर्शन एवं जेल भरो आन्दोलन तथा धरना देने के संबंध में निर्णय लिया गया और तदनुसार 30 मार्च, 78 से आन्दोलन अपने प्रस्तावित नया-चरण में प्रारम्भ किया.

संयुक्त खदान मजदूर संघ के तत्वावधान में 30-3-78 को दुर्ग के वयोवृद्ध श्रमिक नेता श्री गंगा चौबे के नेतृत्व में बैलाडीला के महाप्रबन्धक के कार्यालय के समक्ष दोपहर 1 बजे से धरना प्रारम्भ किया जिसमें दो सौ चौवन श्रमिक शरीक थे. महाप्रबन्धक के कार्यालय में दन्तेवाड़ा के एस. डी. एम. श्री मेहरा एवं पुलिस अधिकारी भी उपस्थित थे. करीब 3 बजे दोपहर को एस. डी. एम. श्री मेहरा ने धरना पर बैठे श्रमिकों से पूछा कि आप में से कितने लोग स्वतः गिरफ्तार कराना चाहते हैं, वे अपना नाम लिखवायें. इस पर उपस्थित सभी 254 श्रमिकों ने हाथ उठाकर गिरफ्तारी के लिए स्वतः को पेश किया. उल्लेखनीय है कि इसमें से करीब 150 महिला श्रमिक भी धरने पर बैठी. किन्तु उस समय एस. डी. एम. श्री मेहरा ने किसी की गिरफ्तारी नहीं की. किन्तु धरने पर बैठे श्रमिक शांतिपूर्ण बैठे रहे. श्री मेहरा अधिकारियों की प्रतीक्षा करते रहे और रात्रि 8 बजे उन्होंने नाटकीय ढंग से यह घोषणा किया कि धरने पर बैठे किसी भी श्रमिक या उसके नेता की गिरफ्तारी नहीं होगी. इस पर श्रमिकों ने उस दिन की धरना का कार्यवाही समाप्त कर अपने घर वापस चले गए. यहां यह उल्लेखनीय है कि 254 श्रमिक 9 घंटे तक महाप्रबन्धक के कार्यालय के बाहर धरना देकर बैठे थे. किन्तु न तो श्रमिकों द्वारा शांति भंग की गई और न तो किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटी. प्रशासन या मैनेजमेन्ट ने भी धरना के सम्बन्ध में कोई आरोप नहीं लगाया.

12. 31-3-78 को महिला एवं पुरुष खान मजदूरों ने एक विशाल प्रदर्शन श्री गंगा चौबे के नेतृत्व में मोटर स्टेन्ड से निकाला और जुलूस महाप्रबन्धक के कार्यालय के समक्ष जाकर प्रदर्शन प्रारम्भ किया एवं छटनी के विरुद्ध मांग पेश करते हुए नारे लगाए. कार्यालय का मुख्य द्वार पर ताला लगाया गया था. मजदूर नारा लगाने लगे कि "हमें गिरफ्तार करो, हम जेल भरेंगे" गंगा चौबे के नेतृत्व में 41 प्रदर्शनकारी गिरफ्तारी हेतु सामने आए किन्तु उसमें से केवल 31 प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी पुलिस ने किया. गिरफ्तारी के बाद शेष प्रदर्शनकारी शांतिपूर्वक वापस हो गए.

13. 1-4-78 को पुनः करीब सभी प्रदर्शनकारी, जिसमें महिलायें भी शरीक थीं, छटनी के विरुद्ध नारे लगाते हुए 12 बजे दोपहर को महाप्रबन्धक के कार्यालय की ओर रवाना हुए. महाप्रबन्धक कार्यालय को लौह अयस्क मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ था. द्वार से लगे हुए सुरक्षा दल (केन्द्रीय) के लगभग कुछ जवान द्वार की रक्षा हेतु तैनात थे. आफिस के चारों ओर सुरक्षा दल और केन्द्रीय सुरक्षा दल के लगभग 60 जवान कार्यालय के रक्षा हेतु विभिन्न स्थानों पर तैनात थे. प्रदर्शनकारी जब गेट पर पहुंचे तब केन्द्रीय सुरक्षादल के जवानों ने उनको गेट के आगे बढ़ने नहीं दिया. प्रदर्शनकारी गेट के बाहर प्रदर्शन एवं नारेबाजी करते रहे. उल्लेखनीय है कि लगभग 500 महिला प्रदर्शनकारी गेट के सामने बाहर खड़ी हुई थी. गेट के बाहर तैनात केन्द्रीय सुरक्षा दल के दो जवानों ने लाठियों से दो महिला प्रदर्शनकारी, जो गेट के समीप ही बाहर खड़ी थी, उनकी साड़ियां, लाठियों से उठाया और उन्हें बेपरदा करने की कोशिश की. इस प्रकार प्रदर्शनकारी मजदूरों ने आपत्ति जाहिर की उसी समय श्री मेहरा ने केन्द्रीय सुरक्षा दल को आदेश दिया "क्या देखते हो, इन सालों को डन्डे मारकर भगाओ." श्री मेहरा के इशारे पर उपस्थित केन्द्रीय सुरक्षा दल एवं पुलिस दल में जोश आ गया और उन्होंने लगभग दो सौ प्रदर्शनकारी, जिसमें महिलायें भी थीं, डंडे से मारना और खदेड़ना शुरु किया.

14. इसी बीच महाप्रबन्धक कार्यालय के बाहर जो दल थी उसने भी गेट के बाहर शांतिप्रिय प्रदर्शनकारियों पर लाठी प्रहार करना शुरू किया: लाठी प्रहार से जब प्रदर्शनकारी कुछ पीछे हटे तो उक्त दल ने पत्थरों से प्रदर्शनकारियों को मारना शुरू किया, इस पर मजदूर और पीछे हटे. तब उक्त दल ने टीयर गैस का उपयोग कर उन्हें पीछे खदेड़ा. प्रदर्शनकारी जब पीछे हट गया तो उनमें से ग्यारह श्रमिकों को गिरफ्तार किया गया जो घायल थे. उसमें से सुरजीत मुंशी, मंथिरराम और हीरालाल गंभीर रूप से घायल थे. श्री मेहरा ने उपरोक्त गंभीर रूप से घायल तीनों व्यक्तियों सहित अन्य घायल श्रमिकों को उपचार हेतु अस्पताल जाने से रोक दिया. इस कारण उनकी चोटों की जांच नहीं हो सकी किन्तु वे सभी अपनी चोटों के सम्बन्ध में आयोग के समक्ष बयान देंगे. जगदलपुर जेल में आने के बाद गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों की बेन्डेज वगैरह डाक्टर द्वारा की गई किन्तु उनकी चोटों की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई. महाप्रबन्धक कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करीब 6 बजे शाम को समाप्त हुई.

उसी दिन प्रदर्शन में डिपोजिट नं. 13 की जो मजदूर प्रदर्शन में शरीक हुए थे वे लोग शाम को अंधेरा होने के कारण वापस नहीं जा सके. अत: 1-4-78 को रात्रि को डिपोजिट 13 के प्रदर्शनकारी एवं अन्य प्रदर्शनकारी, जिसमें लगभग 150 पुरुष, महिला और बच्चे थे, संघ कार्यालय के समक्ष मैदान में रात सोए. अर्धरात्रि को केन्द्रीय सुरक्षा दल के जवानों ने संघ कार्यालय के सामने सोए श्रमिकों पर अचानक हमला किया. तथा लाठियों से उन्हें मारना शुरू किया. गहरी नींद में सोए श्रमिक इस आकस्मिक हमले से घबरा गए और इधर-उधर भागने लगे दल के लोगों ने दो महिलाओं को निवस्त्र कर दिया और बहुत से मजदूर भाग खड़े हुए जिन्हें कई प्रकार के चोटें लगी थी. इनमें से 27 पुरुष मजदूरों को पकड़ कर ट्रक में बिठाला गया और आदेश दिया गया कि कल सुबह जाकर वे लोग अशोक कम्पनी से अपनी बकाया राशि वसूल कर लेवें. इसके बाद उन्हें जैन कम्पनी के एक नम्बर कार्यालय में बुलाया गया और दूसरे दिन इन 27 मजदूरों से पावती के रकम पर जबरन हस्ताक्षर कराया गया और ट्रक में बिठाल कर गीदम और दन्तेवाड़ा के बीच उतारा गया.

15. श्री सरीन ने परियोजना के उन कर्मचारियों को जो घटना के चश्मदीद गवाह थे और यूनियन के समर्थक थे उन्हें बड़ी तादाद में चार्ज शीट दी गई और सरीन ने चश्मदीद गवाहों पर दबाव डाला कि ये लोग चार्ज शीट के जबाब में यह लिखकर देवें कि 5-4-78 की गोली कांड के संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है और पुलिस एवं केन्द्रीय सुरक्षा दल द्वारा जो अत्याचार किया गया है उसके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं. जिन लोगों ने श्री सरीन के निर्देशों के अनुसार जवाब दए उन्हें श्री सरीन ने पूरा संरक्षण दिया और जिन कर्मचारियों के संबंध में श्री सरीन और मैनेजमेन्ट को शंकायें थी उनके नाम पुलिस को देकर उन्हें पुलिस द्वारा पंजीबद्ध किये गये हत्या से लेकर अन्य जुर्मों के तहत गिरफ्तार करवाया गया. बैलाडीला मैनेजमेन्ट की जो दुकानें किराये पर जिन व्यापारियों को दी गई थी उन्हें श्री सरीन द्वारा नोटिस दी गई और उस नोटिस में लिखा गया था कि तुम किरायेदारों ने संयुक्त खदान मजदूर संघ आंदोलन को समर्थन और सहयोग दिया और आंदोलन को चलाने में चन्दा देकर मदद की, इसलिए क्यों न तुम्हारी किरायादारी समाप्त की जावे. यहां यह उल्लेखनीय है कि उपरोक्त किरायेदारों की दुकानें गोलीकांड के घटना स्थल से लगी हुई है और वे दुकानदार घटना के चश्मदीद गवाह हैं तथा श्री सरीन को यह विश्वास था कि वे दुकानदार पुलिस की पशुविकता का समर्थन नहीं करेंगे बल्कि दमन, अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध गवाही देंगे, इसलिए श्री सरीन ने इन दुकानदारों को रोजी-रोटी पर हमला कर उन्हें भयभीत किया और उन्हें सच्ची साक्ष्य देने से रोकने का प्रयत्न किया. इतना ही नहीं संयुक्त खदान मजदूर संघ के अध्यक्ष श्री इन्द्रजीतसिंह जो गत 11-4-78 विशाखापटनम जेल में बन्द हैं उनकी अनुपस्थिति में उनके विरुद्ध एक तरफा विभागीय कार्यवाही की. उनके विरुद्ध चार्जशीट में यह भी एक आरोप था, श्री इन्द्रजीतसिंह ने विधान सभा चुनाव में जनता पार्टी के विरुद्ध प्रचार किया था. जिस तरह ट्रेड यूनियन के आंदोलन के सबसे लोकप्रिय नेता श्री इन्द्रजीतसिंह को नौकरी से अलग कर श्री सरीन की आत्मा को शांति प्राप्त नहीं हुई और श्री इन्द्रजीतसिंह जगदलपुर जेल में चालू आंदोलन के संबंध में गिरफ्तार हैं, उनके दो नाबालिक बच्चों के ऊपर नोटिस तामिल कर आदेश दिया गया कि श्री इन्द्रजीत सिंह परियोजना के जिस भवन में रहते हैं उसे खाली कर दिया जावे. यदि अदालत से उनके आदेश के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त न होता तो श्री सरीन श्री इन्द्रजीतसिंह के नाबालिक बच्चों को सड़कों पर फेंक देते और उनकी गृहस्थी के सामान को केन्द्रीय सुरक्षा दल के जवानों को बक्शीश में बांट देते.

16. आजादी के बाद इस देश में अनेकों श्रमिक आंदोलन हुए, गोलियां चलाई गई, अन्याय और अत्याचार भी हुए कि श्री सरीन महाप्रबन्धक डिपोजिट 14 ने जो उदाहरण पेश किये हैं उसकी मिसाल दुनियां के इतिहास में चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी.

17. केन्द्रीय सुरक्षा दल, जो किरन्दुल में तैनात है, उसके कर्त्तव्यों की सीमा क्या है ? उक्त दल के लिए कानून के तहत नियमावली है. किन्तु श्रमिक आंदोलन, जो छटनी के फलस्वरूप चल रहा था, उसमें उक्त दल के जवानों ने न केवल अपने अधिकारों का उल्लंघन किया बल्कि उन लोगों के मध्य रात्रि को संयुक्त मजदूर संघ कार्यालय के समक्ष 1-4-78 को श्रमिक एवं उनकी महिलाओं को सोते में लाठी और डंडे से प्रहार से मारा. महिलाओं का शीलभंग उन जवानों ने कर अपनी बहादुरी का परिचय दिया. यहां यह उल्लेखनीय है कि शासकीय विज्ञप्ति में डिपोजिट 14 के मैनेजमेन्ट द्वारा

यूनियन के नेताओं के यह आरोप 5-4-78 तक कभी भी नहीं लगाया गया कि श्रमिकों द्वारा पूरे संयंत्र में या और किसी जगह किसी वस्तु का कोई नुकसान किया गया हो सिवाय इस आरोप के कि श्रमिकगण रेल्वे स्टेशन पर छटनी के विरुद्ध धरना देकर लोह अयस्क ढोने वाली रेल गाड़ी को चलने से रोका.

18. गोली कांड के पूर्व जिले में अनेकों राजस्व पुलिस एवं अन्य अधिकारियों का जमघट किरन्दुल में लग गया गोली-कांड के बाद भी दो महिने तक जिले में अनेकों वरिष्ठ अधिकारी, संभाग के वरिष्ठ अधिकारी और भोपाल से आए हुए अनेकों मेहमान अधिकारियों का जमघट किरन्दुल में विश्राम भवन में चलता रहा.

19. डिपाजिट फोर्टीन व जनरल मैनेजर जी. के. सरीन के संयुक्त खदान मजदूर संघ के अध्यक्ष इन्द्रजीतसिंह एवं सचिव एम. पी. पांडे ने इस आरोप पर कि वे लोग परोक्ष रूप से खान मजदूरों को समर्थन दे रहे हैं, इस आरोप पर निलंबित कर दिया. श्रीमती इन्द्रजीतसिंह ने 150 महिलाओं को जुलूस लेकर महा-प्रबन्धक के बंगले के सामने धरना दिया; जहां पर सेन्ट्रल सिक्यूरिटी फोर्स के जवानों ने महिला के साथ बंगले में उत्तेजना फैलाने हेतु दुर्व्यवहार किया. यह धरना काफी देर तक चलता रहा और अन्त में धरना की समाप्ति पर प्रदर्शनकारी महिलायें वापस चली गयीं.

20. 1 अप्रैल के बाद से सेन्ट्रल सिक्यूरिटी फोर्स के जवान तथा पुलिस के जवान रात के अन्धेरे में विभिन्न लेबर कैम्पों में जाकर लोगों के घरों में जाकर मजदूरों से इन्द्रजीतसिंह के बारे में पूछते थे कि वे कहां हैं मजदूरों द्वारा इंकार करने पर उन्हें डन्डों से पीटा गया. और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे थे. पुलिस एवं सिक्यूरिटी के फोर्स के जवान दमन, मारपीट एवं महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार लगातार करते रहे.

21. 5 अप्रैल को सुबह करीब 7.30 बजे, जब श्रीमती इन्द्रजीतसिंह धरना से वापस लौट रही थीं तब उन्हें पुलिस वाले ने बाजार के पास रोका और थाने ले गए. थाने में इन्द्रजीतसिंह की पत्नी को गिरफ्तार किया गया. 9.30 बजे सुबह श्री मेहरा एस. डी. ओ. एवं श्री दीक्षित डिप्टी एस. पी., जो पुलिस एवं अधिकारियों के साथ दो जीपों में सवार थे, बाजार से होते हुए मलपा कैम्प, रेडी कैम्प तथा लुडिंग प्लांट की ओर रवाना हुए. इनके साथ करीब 22 लाठी टीयर गैस से लैस पुलिस एवं सिक्यूरिटी फोर्स के जवान भी थे. श्री मेहरा एस. डी. एम. के आदेश पर पुलिस के जवान उपरोक्त कैम्पों में जो मजदूर उनके घरों में सपरिवार शांतिपूर्वक बैठे थे, उनके घरों में पुलिस के जवान घुसकर इन्द्रजीतसिंह को ढूंढने लगे. इन जवानों ने झोपड़े के अन्दर एवं बाहर बैठे एवं खड़े हुए मजदूरों की उनके बच्चे एवं महिलाओं को डन्डे से मारना शुरू कर दिया और उनके घरों में घुसकर जो भी कीमती सामान हाथ लगा उसे उठा लिया तथा नौजवान महिलाओं की इज्जत लूटने का प्रयास किया और झोपड़ी में रहने वालों को गन्दी गन्दी-गाली दी. उस फोर्स की कार्यवाही के कारण झोपड़ी में रहने वाले लोग भयभीत हुए और अपनी जान बचाने के लिए वे लोग लोडिंग प्लांट की ओर जहां रेल्वे लाइन भी है, भागने लगे.

22. इन झोपड़ियों में जब पुलिस घुसकर मारपीटकर रही थी, औरतों की इज्जत ले रहे थे तो उससे आगे की रहने वाली परिवारों ने भी देखा सब घटना देखा और वे भी जान बचाने के लिए उसी ओर भागे. उन झोपड़ी से भागने वाले परिवार के लोगों को भागते हुए देखकर पुलिस का साहस और बढ़ गया. फोर्स के सभी जवानों ने डन्डा लेकर भागते हुए मजदूरों का पीछा किया और जो भी मिला उसे अन्धाधुन्ध डन्डे से मारने लगे. मार खाने वालों में महिलायें, बच्चे और पुरुष भी थे. लोडिंग प्लांट के पास रेल्वे लाइन पर जो मजदूर बैठे थे, जो काफी तादाद में थे, उन लोगों ने उपरोक्त जवानों की कार्यवाही, उनके द्वारा अकारण महिलाओं और बच्चों को डन्डे से मारना एवं औरतों की इज्जत लेने का प्रयास करना, यह सब घटना वहां पर एकत्र मजदूरों ने देखा, तब रेल्वे लाइन के पास एकत्र मजदूरों ने अपने मजदूर साथियों के परिवारों के प्राणों और महिलाओं की इज्जत की रक्षा के लिए वहां पर समीप ही जो पत्थर के टुकड़े का ढेर था और लकड़ियां आसपास पड़ी हुई मिली, उन्हें लेकर जवानों को मजदूर परिवार के प्राणों बचाने के लिए क्योंकि वे सभी जवान, जो मजदूर परिवारों का बलिष्ठ लाठियों से प्रहार कर रहे थे, और इस प्रहार से इन मजदूरों के मन में यह आशंका हो गई थी कि यदि डन्डों से मारकर भागते हुए परिवार के लोगों को गंभीर चोट लग रही है और उनके जान का भी खतरा है, वे आसपास एकत्र मजदूरों ने पत्थरों से जवाबी कार्यवाही की तथा जब पुलिस के जवानों ने आकर उन पर भी डन्डों से और पत्थरों से प्रहार करना शुरू किया तो वहां एकत्र एक मजदूर ने स्वयं की आत्मरक्षा तथा अन्य मार खाने वाले मजदूरों की प्राणों की रक्षा हेतु पुलिस का डन्डा छीनकर डन्डे से प्रहार कर मजदूरों के परिवारों को बचाने का प्रयास किया. इस घटना में अनेकों मजदूर परिवार के लोगों को चोटें आई अनेकों मजदूर परिवार के लोगों को गंभीर चोटे आई तथा पुलिस फोर्स के कुछ लोगों को भी चोटें आई. यह घटना करीब 9-30 से 10-30 बजे के बीच सुबह घटित हुई थी. मजदूरों ने आत्मरक्षा या मजदूरों के परिवारों की रक्षा हेतु यह जवाबी कार्यवाही की.

23. करीब 10.30 बजे एन. एम. डी. सी. के डाक्टर एम्बुलेन्स की गाड़ी में घायल पुलिस अधिकारियों को अस्पताल ले जाया गया. पुलिस के अन्य घायलों को जीप में लाया गया तथा जो जवान साधारण रूप से घायल थे वे सब भी अस्पताल पहुंचे गये. हवलदार कोमलसिंह घायल था उसे बाद में लाया गया जो करीब 10-30 बजे दाखिल हुआ

श्रौर करीब 15 मिनट बाद उसकी मृत्यु हो गई. इस तरह श्री मेहरा एस. डी. एम. श्रौर दीक्षित डी. एस. पी. के साथ जो पुलिस दल उपरोक्त कैम्पों में घुसा था वे सब 10-30 बजे तक उपचार हेतु एन. एम. डी. सी. के अस्पताल में भर्ती हो गये. इस घटना में गंभीर रूप से घायल मजदूरों को अस्पताल नहीं पहुंचने दिया गया.

24. पुलिस व अन्य अधिकारियों के घायल होने के समाचार से एवं हवलदार कोमलसिंह की मृत्यु हो जाने से किरन्दुल में उस समय जो एस. ए. एफ. पुलिस एवं सेन्ट्रल सिक्यूरिटी पुलिस के जो जवान थे उनके दिमाग में खून उतर आया श्रौर सारी फोर्स एक राय होकर हवलदार कोमलसिंह की मौत का बदला लेने के लिये योजनाबद्ध ढंग से कार्यवाही करने लगी.

25. इसके बाद लगभग 1 बजे लाउड स्पीकर से यह घोषणा की गई कि सारे मजदूर अपने झोपड़ों में चले जाये कसी को अगर घर से बाहर देखा जायेगा तो उसे गोली मार दिया जायेगा याने वास्तविक रूप से कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया गया. कर्फ्यू की वैधानिक घोषणा उस समय नहीं की गई. वहां पर रहने वाले मजदरों के मन में इतना अधिक आतंक श्रौर भय व्याप्त था श्रौर मजदूर अपने को इतना अधिक असुरक्षित महसूस कर रहे थे वे सब रेल्वे लाइन के पास ही बैठे रहे.

26. इसके बाद लगभग 1. 30 बजे से सारी फोर्स अलग-अलग हिस्सों में बांटी गई श्रौर फोर्स की एक टुकड़ी अस्पताल के नीचे की पहाड़ियों से उनका तथा बंगाली कैम्प से उतर कर प्रभु कैम्प की श्रोर रवाना हुए. प्रभु कैम्प जगदलपुर से किरन्दुल शहर में घुसने के दाहिने हाथ की श्रोर अंतिम छोर पर है. उस कैम्प के दोनों श्रोर दो सड़कें हैं जिससे खदानों की श्रोर ट्रक जाती है. पुलिस के जवानों ने प्रभु कैम्प को दोनों सड़कों श्रौर प्रवेश की राह पर घेर लिया श्रौर वहां पर उपस्थित मजदूरों को डन्डों से मारना शुरू कर दिया. पुलिस की डन्डों की मार से बचने के लिए मजदूर नीचे पहाड़ी की श्रोर भागे तो पुलिस फोर्स ने वहां गोलियां चलायीं श्रौर साथ ही झोपड़ी में आग लगा दी झोपड़ी में जो मजदूर परिवार थे वे भी निकल भागे. उनमें से मजदूरों को डंडों से मारा श्रौर एक व्यक्ति तो डंडों के मार से वहीं मर गया तथा एक हालसिंह नामक मजदर गोली से घायल होकर मर गया. झोपड़ों में आग लगाने के कारण करीब 300 झोपड़े जलकर राख हो गये. वहां पर रहने वाले मजदूर केवल तन पर जो कपड़ा था वही उनकी संपत्ति बन गयी. बाकी मजदूरों की सारी गृहस्थी, सामान व रकम जलकर राख हो गया. इसके बाद पुलिस के जवान वहां से लोडिंग प्लांट की श्रोर रवाना हो गये श्रौर सड़कों के बाई श्रोर जो झोपड़ी से गुजरते हुए आगे बढ़े श्रौर झोपड़ी में रहने वाले परिवार के लोगों को गाली गलौच करते एवं डंडे से मारपीट करते लोडिंग प्लांट की श्रोर बढ़े. उसी समय बोरा कंपनी के आफिस की श्रोर से फोर्स के जवानों का एक बड़ा दल भी धीरे-धीरे वैसा ही व्यवहार करता हुआ लोडिंग प्लांट की श्रोर बढ़ने लगा. लोडिंग प्लांट की श्रोर भी पुलिस जवानों का एक दल घेरा बंदी किये हुए था वह भी आगे बढ़ने लगा उस समय हजारों की तादाद में मजदूर श्रौर उनके परिवार के लोग लोडिंग प्लांट की श्रोर इर्दगिर्द बैठे थे. पुलिस उन मजदरों को तीनों श्रोर से घेरे बैठी थी जिनके पास रायफलें, टीयर गैस एवं लाठियां थीं. अधिकारियों का दल जब वहां पहुंचा तब वहां घोषणा की गई थी सारे मजदूर शांत होकर बैठ जाये अब उनकी गिरफ्तारी होगी क्योंकि उन्होंने धारा 144 को भंग किया है. मजदूरों ने पूछने पर स्वत: गिरफ्तारी देने की सहमति हाथ उठाकर जाहिर किया था. इसी बीच रेल्वे लाइन के पास बिजली खंम्भे के समीप एक मजदूर खड़ा था जो पुलिस के जवान ने जाकर डंडा मारना शुरू किया. वहां पर एकत्र मजदूर जब रेल्वे लाइन की दूसरी श्रोर खुले मैदान की श्रोर भागने लगे तब बहादुर जवान रायफल की गोलियां भागते मजदूरों पर दागना शुद्ध किया साथ में टीयर गैस वालों ने टीयर गैस छोड़े श्रौर लाठी धारी पुलिस ने भागते मजदूरों पर डंडा बरसाना शुरू किया. लाठी धारी पुलिस ने बदला लेने की भावना से श्रौर मजदूरों को सबक सिखाने के बहाने धड़ाधड़ गोलियां चलाई जिससे काफी संख्या में मजदूर गोलियां श्रौर डंडे की मार से घटनास्थल पर ही हलाक हो गये श्रौर सैकड़ों के तादाद में लोग घायल हुए जिसमें महिलाएं श्रौर बच्चे भी शरीक थे.

27. गोलीबारी श्रौर डंडे के मार से लोगों की हत्या करने श्रौर घायल करने के बावजूद पुलिस के जवानों के प्रति हिंसा की प्यास नहीं बुझी तब एस डी. एम. श्री म्मेहरा ने चिल्ला कर कहा कि इन्द्रजीत साला किसी झोपड़ी में छिपा होगा, आग लगा दो. पुलिस वालों ने भी झोपड़ों में आग लगाने का नारा दिया श्रौर आग लगा दी गई ताकि इन्द्रजीतसिंह किसी झोपड़ी में छिपा हो तो जलकर आ जाये श्रौर यदि बाहर निकले तो उसे गोली से भून दिया जाये. साथ ही साथ जवान यह चिल्लाते की झोपड़े जलाने के बाद मजदूरों को स्वत: यहां से भगाने की हमारी समस्या हल हो जायेगी क्योंकि उसके बाद मजदूरों का स्वत: यहां से भागने के लिये मजबूर होना पड़ेगा. इस तरह खलप्पा कैम्प श्रौर रैडी कैम्प में बहुत पड़े पैमाने पर आगजनी की गई जिससे मजदूरों के हजारों झोपड़े जलकर राख हो गये श्रौर झोपड़े के साथ उनकी सारी संपत्ति श्रौर गृहस्थी भी जल गयी श्रौर उनके पास केवल बदन का कपड़ा बच रहा. दुनियां के इतिहास में ऐसा नृशंस, बर्बर, अविवेकपूर्ण बदला भंजाने की कोई मिसाल नहीं मिलती है श्रौर जिसमें धुआंधार गोलियां चलाई गई हो, लाठियों से लोगों को मारा गया हो श्रौर हजारों की तादाद में झोपड़े जला दिये गये हो. इस घटना पर 6 अप्रैल को मध्यप्रदेश विधान सभा में मुख्यमंत्री श्री सखलेचा ने जो बयान दिया उससे स्पष्ट होता है कि उनके शासन का पूरा समर्थन श्रौर शह-पुलिस को प्राप्त था

क्योंकि उनने गोलीकांड को न केवल उचित बतलाया बल्कि एक बेतुका और बेबुनियाद आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल के उग्र-पंथी नेतागणों ने षड्यंत्र द्वारा किरन्दूल में मजदूरों को हिंसा के लिये भड़काया, किन्तु दुर्भाग्य से मध्यप्रदेश शासन या पुलिस ने आज तक एक भी ऐसे उग्रपंथी नक्सली नेता को गिरफ्तार नहीं किया ना ही उनका सार्वजनिक रूप से उल्लेख किया.

28. रेडी और मलप्पा कैम्प में गोली चालन एवं आगजनी दोपहर के 2 बजे से 2.30 बजे तक होती रही और उसके बाद भी तीन बजे तक घूम-घूम कर बदला भंजाया जा रहा था अतः 3 बजे दिन से शासकीय तौर पर कर्फ्यू लगाने की घोषणा की पुष्टि पहली बार विधान सभा में पुलिस मंत्री श्री त्रिपाठी द्वारा की गयी. उसके पूर्व किरन्दूल में बाहर याने जिला-मुख्यालय संभाग के मुख्यालय रायपुर को भी जानकारी नहीं थी. कर्फ्यू के साये जबकि किरन्दूल के मजदूर एवं निवासी आतंक से कांप रहे थे तब पुलिस एवं प्रोजेक्ट की ट्रकों एवं जीपों की अन्य वहानों में लाशों को ढोना शुरू किया गया. लाशों का पंचनामा भी नहीं हुआ और बहुत सी लाशों को साक्ष्य नष्ट करने के इरादे से ढोकर सुदूर पहाड़ी अंचलों में ले जाया गया और बाद में इन्हें नष्ट किया गया.

29. गोलीकांड के बाद बेघरबार श्रमिक भयभीत होकर जंगलों में भाग गये और एक बड़ी संख्या में पैदल ही उनके घरों कि ओर रवाना हो गये. आजतक अनेकों मजदूर परिवारों के सदस्यों का कोई पता नहीं जिसकी सूची अलग से दी जावेगी.

30. साक्ष्य मिटाने के इरादे से जली हुई झोपड़ी को नये झोपड़े बनाने के बहाने जली हुई सामग्री और राख की सफाई कर दी गई. डाक्टरों को बुलवाकर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बदली गई. लगातार दो माह तक धारा—144 का निषेधाज्ञा जारी कर सामान्य गतिविधियों पर रोक लगा दी गयी. अकारण मनोमालिनी पूर्ण मजदूरों और एन. एम. डी. सी. के कर्मचारियों की गिरफ्तारियां की जाती रही. पुलिस फोर्स प्रतिदिन सुबह शाम लेबर कैम्पों में जाकर आतंक फैलाती रही. इस तरह हर संभव साक्ष्य या तो नष्ट कर दिये गये या साथियों को आतंकित किया गया जिससे बड़ी घटना आयोग के सामने न आ सके. पुलिस ने निकृष्ट और गंदे हथकंडे अपनाये और लोगों को आतंकित किया.

31. गोलीकांड के बाद लगातार 2½ महीने तक जिले, संभाग और भोपाल से आये हुए पुलिस एवं अन्य अधिकारी करन्दुल में डेरा डालकर बैठ गये. इन लोगों ने थाने के रजिस्ट्रर एवं गोली बारूद के रजिस्टर, गुप्त रिपोर्ट, केस डायरियां तथा गोलीकांड के संबंधित जो भी रिकार्ड थे उनमें हेराफेरी किया है. जिनके संबंध में जांच के दौरान आवेदन पत्रों के द्वारा रिकार्डों को मंगाने और मुलाहिजा करने की मांग की जायेगी और सिद्ध किया जायेगा कि सारे प्रशासन ने नियमों और कानून को ताक में रखकर जालसाजी कर बहुत से रिकार्ड नष्ट किये और बहुत से रिकार्ड बनाये. आयोग के सामने जांच के संबंध में जो टर्मस रखे गये है उन पर भी हमारा कथन निम्न है :

गोली चालन के ठीक पूर्व तथा ठीक बाद में की स्थिति को निपटने के लिये किये उपाय पर्याप्त थे, इस संबंध में पूर्व में भी कंडिकाओं की बहुत सी स्पष्ट एवं ज्वलंत तथ्यों के आधार पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई है. हमारा निवेदन है कि न तो इस्पात मंत्रालय या एन. एम. डी. सी. के अधिकारी या मध्यप्रदेश शासन के छटनी से उत्पन्न परिस्थिति से निपटने के लिये कोई भी रचनात्मक उपाय किये थे बल्कि हमारा आरोप है कि तीनों ने मिलकर सुनियोजित साजिश किया और मजदूरों को सबक सिखाने के लिए केवल अन्याय, दमन और बर्बरता का ही सहारा लिया. जिसकी परिणिति गोली चालन के रूप में 5 अप्रैल को घटित हुई. गोली चालन के बाद भी अधिकारों का दुरुपयोग आतंक फैलाने के लिये, साक्ष्य मिटाने के लिये, हकीकत छिपाने के लिये बहुत बड़े पैमाने पर किया गया क्योंकि खुद के अपराधों को छिपाने के लिये यह अति आवश्यक था.

(1) गोली कांड के बाद बड़े पैमाने पर सान्हा रजिस्टर, प्रथम सूचना पत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अस्पताल के अन्य रिकार्ड आदि में हेरा फेरी की गई है.

(2) अस्पताल में घायल मजदूरों को उसी वार्ड में जमीन पर सुलाया जाता था जहां सिपाही और अन्य पुलिस वाले पलंग पर लेटे हुए मजदूरों को पहिचानने की पूरी जालसाजी पूर्ण कर कार्यवाही करते रहते थे.

(3) स्थानीय प्रशासन ने परियोजना अधिकारियों और बड़े ठेकेदारों की मदद से समस्या संघ के पदाधिकारियों का नाम प्रथम सूचना पत्र में डलवा कर जेल भिजवाया है. यह सूचना पत्र घटना के 15-20 दिन बाद तैयार किया गया है और उसमें घटना दिनांक 10-4-78 के सर्वप्रथम गिरफ्तार 15 लोगों का कहीं नाम या उल्लेख भी नहीं है लेकिन आश्चर्य है कि 20 दिनों बाद गिरफ्तार परियोजना में लगातार कार्यरत कर्मचारियों का नाम प्रथम सूचना पत्र में है.

(4) स्थानीय जिला प्रशासन और परियोजना अधिकारियों ने प्लाट और ठेकेदारों को "छत्तीसगढ़ के मजदूरों को काम मत दो" और "उड़ीसा या आंध्र से मजदूर लाओ" का आदेश दे रखा है जिसके कारण करीब 400 छत्तीसगढ़ के मजदूर जबरन बेकार कर उन्हें भुखमरी का शिकार बनाया गया है.

32. मध्यप्रदेश रिजर्व पुलिस, केन्द्रीय औद्योगिक पुलिस फोर्स ने हजारों निहत्थे मजदूरों को तीन ओर से घेराबन्दी कर उन पर गोली चालन किया और तीन कैम्पों में लगभग दो हजार झोपड़ियों में बदले की भावना से आग लगा दी. ये तीनों कैम्प प्रभु कैम्प, रड्डी कैम्प और मलप्पा कैम्प अलग-अलग बसे हुए हैं और इनमें लगभग एक मील की दूरी है. उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए तीनों अलग-अलग कैम्पों को जलाया और तीनों कैम्पों में अलग-अलग समय पर गोली बारी की. शासन द्वारा दिनांक 6 अप्रैल को गोलीकांड के विषय में प्रसारित शासकीय विज्ञप्ति झूठे और बेबुनियाद प्रतीत होता है. इसी प्रकार से दिनांक 6 अप्रैल को गृह मंत्री प्रभुनारायण त्रिपाठी ने मध्यप्रदेश विधान सभा में जो वक्तव्य दिया वहां जिला अधिकारियों द्वारा प्रसारित शासकीय विज्ञप्ति से भिन्न और विपरीत है. गृह मंत्री के वक्तव्य में मजदूरों द्वारा झोपड़ियों में आग लगाने का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है.

33. आयोग के समक्ष पत्रकारों द्वारा प्रस्तुत लिखित वक्तव्यों की प्रति लिपियां प्राप्त होने पर तथा संघ के अध्यक्ष श्री इन्द्रजीतसिंह के जेल से रिहा होने के पश्चात् आवेदक पूरक लिखित वक्तव्य प्रस्तुत करने को अपना अधिकार सुरक्षित रखता है. गवाहों की लिस्ट और दस्तावेज बाद में पेश किये जावेंगे.

नोट.—श्री इन्द्रजीतसिंह, अध्यक्ष, सयुक्त खदान मजदूर संघ-बैलाडीला ने भी लिखित कथन पेश किया है जो इसके आगे दिया गया है परन्तु इस के अलावा सयुक्त खदान मजदूर संघ की ओर से और कोई अतिरिक्त कथन पेश नहीं किया गया.

(5) श्री इन्द्रजीतसिंह पिता पूरनसिंह, अध्यक्ष, संयुक्त खदान मजदूर संघ, निवास बैलाडीला का लिखित कथन—

1. यह कि किरन्दुल गोलीकांड दिनांक 5-4-78 एवं उसके पूर्व के घटनाक्रमों के संबंध में तथा अन्य मुद्दों पर माननीय आयोग द्वारा जांच की जा रही है. श्री सी. आर. बक्शी सह-महामंत्री, संयुक्त खदान मजदूर संघ, निवासी भिलाई ने दिनांक 9-6-78 को जो लिखित उत्तर आपके समक्ष पेश किया है, उस लिखित उत्तर की कंडिका क्रमांक 1 से 33 तक की अंतरवस्तु एवं तथ्यों को मैं मान्य करता हूं और वह लिखित उत्तर मेरे द्वारा पेश किये जा रहे हैं लिखित उत्तर का अंश माना जावे.

2. यह कि, संयुक्त खदान मजदूर संघ किरन्दुल शाखा का मैं अध्यक्ष हूं और मेरे नेतृत्व में ही संघ की कार्यकारिणी ने अशोक माइनिंग कम्पनी, किरन्दुल के खदानों में कार्यरत 1653 मजदूरों की छटनी के विरोध में शांतिपूर्ण आन्दोलन प्रारम्भ कर उसे जारी रखने का निर्णय लिया था और उसके अनुरूप ही 1-1-78 को एस. के. एम. एस. की ओर से श्रम-मंत्रालय के सचिव के नाम पत्र लिखकर निवेदन किया गया था कि अशोक माइनिंग कम्पनी द्वारा जो छटनी का नोटिस 22-1-77 को कम्पनी में कार्यरत खदान श्रमिकों को छटनी के लिये दी गई थी, तथा जिसकी प्रतिलिपि अशोक कम्पनी ने संघ को अग्रेशित की थी, उक्त नोटिस को अवैध एवं शून्यकारी घोषित करने के लिये निवेदन किया गया था. तत्पश्चात् दिनांक 14-1-78 को पुनः संघ द्वारा एक पत्र सचिव श्रम मंत्रालय नई दिल्ली को अग्रेषित किया गया था और छटनी को अवैध घोषित करने के लिये निवेदन किया गया था. इसी तारतम्य में दिनांक 16-1-78 को एक पत्र महाप्रबंधक लौह-अयस्क परियोजना बैलाडीला में 14 को अग्रेषित कर उनसे निवेदन किया गया था कि अशोक माईनिंग कम्पनी द्वारा प्रस्तावित छटनी में हस्तक्षेप कर नोटिस वापस करने की पहल करें.

3. यह कि, श्री एस. के. सान्याल अध्यक्ष अखिल भारतीय एन. एम. डी. सी. मजदूर संघ द्वारा जो पत्र खान एवं इस्पात मंत्री श्रम मंत्री एवं एन. एम. डी. सी. के मैनेजिंग डायरेक्टर हैदराबाद एवं अध्यक्ष स्टील एथारिटी भारत वर्ष नई दिल्ली को, अशोक माईनिंग कम्पनी द्वारा मजदूरों की प्रस्तावित छटनी के सम्बन्ध में भेजे गये थे जिसमें श्री सान्याल ने प्रस्तावित छटनी को रोकने के लिये हस्तक्षेप करने का निवेदन किया था.

4. यह कि अशोक माईनिंग कम्पनी द्वारा 1653 मजदूरों की छटनी की जो नोटिस दी गई थी उसे औद्योगिक विवाद घोषित करते हुए 10-2-78 को नियम 71 फार्म 'डी' के अनुसार रीजनल लेबर कमिश्नर 'सी' को संघ द्वारा आवेदन किया गया था कि रीजनल लेबर कमिश्नर द्वारा कन्सीलिएशन की कार्यवाही शीघ्र प्रारम्भ की जावे जिससे छटनी रुक जावे अन्यथा अशोक कम्पनी के मजदूर सीधी कार्यवाही दिनांक 1-3-78 के बाद करने के लिए बाध्य हो जावेंगे.

5. यह कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी श्री के. जी. श्रीवास्तव भी दिनांक 14-2-78 को एक आवेदन चीफ लेबर कमिश्नर श्रम मंत्रालय भारत शासन नई दिल्ली को प्रेषित किया था जिसमें एन. एम. डी. सी.

के डिपाजिट नं. 14 में कार्यरत ठेकेदार के 1653 मजदूरों की छटनी दिनांक 13-3-78 तक देने सम्बंधी नोटिस का जिक्र करते हुए मजदूरों की छटनी रोकने हेतु हस्तक्षेप करने का निवेदन किया गया था.

6. यह कि, दिनांक 17-2-78 को एस. के. एम. एस. पर्सनल मैनेजर बी. आई. ओ. पी. डिपाजिट नं. 14 किरन्दुल को एक पत्र लिखकर आग्रह किया गया था कि अशोक माईनिंग कम्पनी के साथ परियोजना का ठेके की अवधि 13-5-78 को समाप्त होती है. इसके अतिरिक्त यूनियन द्वारा रायपुर के कंसीलिएशन अधिकारी के समक्ष कंसीलिएशन की कार्यवाही लंबित है अत: औद्योगिक विवाद एक्ट 1976 की धारा 25 एवं 7 के तहत छटनी की कार्यवाही अवैध होगी. अत: मैनेजमेन्ट से आग्रह किया गया था कि वे ठेकेदार को निर्देश देवें कि ठेकेदार द्वारा जारी छटनी का नोटिस वापस लिया जावे.

7. यह कि कल्याण राय संसद सदस्य द्वारा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 387 के "अ" के सम्बंध में 3-3-78 को इस्पात एवं खान मंत्री द्वारा उत्तर संसद में दिया गया था कि बैलाडीला के लौह अयस्क की खानों से श्रमिकों द्वारा निकाले जाने वाले लौह-अयस्क की सप्लाई करने वाले ठेकेदारों में से एक ठेकेदार मेसर्स अशोक माईनिंग का ठेका 31-3-76 को समाप्त हो रहा है, इसलिए उसने भारत सरकार के श्रम मंत्रालय से अपना कारोबार बन्द करने तथा अपने 1200 कामगारों की छटनी की अनुमति मांगी है. किन्तु श्रम मंत्रालय द्वारा 5-4-78 तक उपरोक्त अनुमति अशोक माईनिंग कम्पनी को प्रदान नहीं की गई थी अत: श्रम मंत्रालय की अनुमति के पूर्व 25-3-78 से 31-3-78 तक लगभग 1120 उपरोक्त कामगारों की जबरन बैलाडिला परियोजना के जनरल मैनेजर के सहयोग से मजदूरों की अवैध छटनी की गई. इसके फलस्वरूप मजदूरों को एस. के. एम. एस. के तत्वावधान में शांतिपूर्ण आन्दोलन अपनी जीविका की रक्षा में करने को बाध्य होना पड़ा जिसकी परिणति 5-4-78 को निर्मम, निर्दय गोलीकांड के रूप में हुई जिसमें अनेकों मजदूरों का बलिदान हुआ और बड़ी संख्या में मजदूर एवं उनके परिवार के सदस्य घायल हुए तथा उनके झोपड़े पुलिस द्वारा जलाये गये.

8. यह कि, दिनांक 15-1-78 से संयुक्त खदान मजदूर संघ के लाल झंडे के तत्वाधान में अशोक माईनिंग कम्पनी के छटनी के नोटिस जारी करने के विरोध में प्रदर्शन प्रारम्भ हुआ और मजदूरों का जुलूस बैलाडिला के प्रशासकीय कार्यालय का नारे लगाते हुए पहुंचा करता था और उसके बाद भाषण होते थे और जुलूस शांतिपूर्ण विसर्जन हो जाया करता था यह प्रक्रिया जनवरी एवं फरवरी तथा 9-3-78 तक चलती रही तथा दिनांक 10-3-78 को संघ ने आन्दोलन में गति और दिशा देने में यह निर्णय लिया कि अगले दिनों में आन्दोलन में गति और दिशा देने में यह निर्णय लिया कि अगले दिनों में 25 या 30 मजदूर बारी बारी से शृंखलाबद्ध हड़ताल में बैठेंगें.

9. दिनांक 11-3-78 से एस. के. एम. एस. के तत्वाधान में मजदूरों की शृंखलाबद्ध भूख हड़ताल प्रारम्भ की गई जो मार्च, 78 के अन्त के शांतिपूर्वक चलती रही, प्रदर्शन जुलूस एवं सभाओं का आयोजन प्रतिदिन होता रहा तथा अन्य लिखा पढ़ी की कार्यवाही भी सम्बद्ध मंत्रालयों एवं अधिकारियों के मध्य होती रही किन्तु मजदूरों और यूनियन की मांग के सम्बंध में एन. एम. डी. सी. या इस्पात मंत्रालय द्वारा कोई पहल नहीं की गई और मजदूरों के शांतिपूर्ण आन्दोलन की ओर किसी ने आंख उठाकर भी नहीं देखा. लगातार चल रहे आन्दोलन से और इस आन्दोलन द्वारा शासन का ध्यान आकर्षित न होने के कारण मजदूरों को यह निर्णय मजबूर होकर लेना पड़ा कि आन्दोलन और भी तीव्र किया जावे जिसे कोई रचनात्मक परिणाम हासिल हो सके और इस दिशा में बैलाडिला लौह अयस्क क्षेत्र में प्रोजेक्ट के कर्मचारियों तथा अन्य कम्पनियों या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूर वर्ग से एस. के. एम. एम. ने अपील जारी किया और भी वर्ग के सहयोग के लिए आवाज दी, परिणाम काफी सफल हुए और 29-3-78 से 11-ब और 11-स में कार्यरत श्रमिकों तथा अन्य मजदूरों एवं कर्मचारियों ने भी शांतिपूर्ण आन्दोलन में सहयोग दिया जिससे आन्दोलन को नई गति और दिशा प्राप्त हुई. श्रमिक जगत के इस आकस्मिक सहयोग के कारण बैलाडिला परियोजना के अधिकारियों विशेषकर श्री सरीन जनरल मैनेजर के कैम्प में हड़कंप मच गया और श्री सरीन मजदूरों की उचित मांगों को केवल उनकी यह मांग कि 'हमें जीने के लिए काम दो' या हम मजदूर जो अपने हाथों के श्रम से बाल बच्चे पाल रहे हैं, उस काम को हमसे मत छीनों और हमारे बाल बच्चों को भूखे मरने के लिए मजबूर न करो 'इस सन्दर्भ में खान मंत्रालय को समर्थन प्रदान करने के बजाय श्री सरीन ने शांति और सुरक्षा के कार्य में संलग्न एस. डी. एम. श्री मेहरा एवं श्री गर्ग अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अतिरंजित, असत्य एवं कपोल कल्पित घटनाओं की रिपोर्ट देते हुए उन्हें पूर्वाग्रहित करने का प्रयत्न किया और दोनों नवयुवक अधिकारी जो अनुभव में अपरिपक्व है, श्री सरीन के इशारे पर शांतिप्रिय आंदोलन को भड़काने के लिए हिंसा व मारपीट कर उतारू हो गए.

10. यह कि दिनांक 29-3-78 को मजदूरों की आम सभा में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आन्दोलन तीव्र करने के लिए जेल भरो आन्दोलन प्रारम्भ किया जावे, इस निर्णय के तहत 30-3-78 को श्री गंगा चौबे एवं सुजीत मुंशी के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया और सत्याग्रहियों द्वारा स्वतः की गिरफ्तारी हेतु परियोजना प्रशासकीय कार्यालय में घुसे और पुलिस से स्वतः को गिरफ्तार करने की मांग किया इस पर श्री मेहरा एस. डी. एम. ने 25 सत्याग्रहियों को जा

उक्त कार्यालय में घुस गये थे उनसे श्री मेंहरा ने कहा कि आप सब लोग गिरफ्तार हो और उन्हें दोपहर से 8.30 बजे रात्रि तक रोककर रखा गया किन्तु रात्रि में श्री मेंहरा ने कहा कि आप लोग गिरफ्तार नहीं किये जायेंगे अतः सभी सत्याग्रही शांतिपूर्वक वापस आ गये.

11. यह कि एस. डी. एम. और पुलिस द्वारा इस प्रकार अवैध और अनावश्यक रूप से रोक रखने तथा उनकी गिरफ्तारी जो वे चाहते थे से इंकार करने पर सत्याग्रही काफी दुखी हुए.

12. यह कि, दिनांक 30-3-78 को श्री सरीन जनरल मैनेजर पुलिस एवं मेहरा से मेरी और श्री गंगा चौबे की बातचीत हुई और हमसे पूछा गया कि यूनियन की अगली क्या कार्यवाही होगी. इस पर हमने यह स्पष्ट बताया था कि छटनी के विरुद्ध चल रहे आंदोलन के सिलसिले में यूनियन ने जेल भरो आंदोलन का निर्णय लिया है और अगले दिन भी जुलूस निकलेगा और हम लोग सत्याग्रही के रूप में गिरफ्तारी देने के लिए प्रशासकीय कार्यालय एवं अन्य थानों पर प्रवेश कर स्वतः की गिरफ्तारी के लिए पुलिस आह्वान करने और गिरफ्तार होंगे किन्तु हमारी कार्यवाही शांतिपूर्वक होगी. जो कि हमने यह साफ कह दिया था कि जब तक छटनी बन्द करने की मांग पूरी नहीं होगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा.

13. यह कि, दिनांक 1-4-78 को एस. के. एम. एस. के नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस मोटर स्टैण्ड से प्रारम्भ होकर जिसमें काफी संख्या में महिलाएं भी थी जी. एम. के कार्यालय की ओर रवाना हुई और जेल भरो आन्दोलन के लिए उत्सुक हमारे सत्याग्रही जी. एम. के कार्यालय के सामने पुलिस के घेरे को लांघते हुए तथा कार्यालय के सामने के बन्द दरवाजे को पारकर काफी संख्या में जेल भरने वाले सत्याग्रही अहाते में चले गये और उन्होंने स्वतः को गिरफ्तारी के लिए पेश किया किन्तु एस. डी. एम. मेहरा ने उन सत्याग्रहियों को जो गिरफ्तारी के लिए गये थे उन्हें गिरफ्तार न कर उन्होंने खुद सुजीत मुंशी तथा अन्य साथियों को डंडे मारना तथा अश्लील गालियां देना शुरु कर दिया तथा उनके साथ वहां खड़ी पुलिस, सी-आई. एस. एफ के जवान एवं अन्य अधिकारियों ने सत्याग्रहियों को निर्दयता पूर्वक मारना प्रारम्भ कर दिया तथा यह क्रम. 12 बजे दिन से 2.30 बजे तक चलता रहा, जिसमें सैकड़ों मजदूरों को गम्भीर चोटे आई उसमें से अनेकों घायल सत्याग्रहियों ने एन. ए. डी. सी. अस्पताल में इलाज कराया. सुजीत मुंशी तथा अन्य साथियों को इतनी अधिक चोटें आई कि वे बेहोश हो गए तथा भगदड़ मच गई, पुलिस वालों ने भागते हुए लोगों पर पथराव किया, महिलाओं को बेइज्जत किया.

14. यह कि, उस दिन सत्याग्रहियों को पुलिस द्वारा पीटने जाने के कारण मैंने शाम को 4 बजे श्री मेहरा एस. डी. एम. को यूनियन आफिस से फोन किया इस पर श्री मेहरा ने मुझे कलेक्टर साहब से चर्चा करने हेतु आमंत्रित किया. रात्रि को मैं कुछ अन्य साथियों के साथ बैलाडीला रेस्ट हाउस गया जहां कलेक्टर, एस. पी., श्री मेहरा एस. डी. एम. तथा प्रोजेक्ट के अन्य अधिकारियों से मेरी काफी लंबी चर्चा हुई मैंने यह स्पष्ट आरोप लगाया कि जब सत्याग्रही स्वतः ही गिरफ्तारी हेतु कानून तोड़कर जी. एम. आफिस में घुसे तो आपने उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया तथा उन्हें वहां रोककर निर्ममतापूर्वक लाठियों से क्यों पीटा गया. मैंने स्पष्ट आरोप लगाया कि हमने कल की चर्चा में यह स्पष्ट कर दिया था कि हमारा जेल भरो आन्दोलन चलता ही रहेगा और आप गिरफ्तार करिये फिर क्यों सत्याग्रहियों को गिरफ्तार न कर प्रशासन ने हिंसा का सहारा लिया और अपनी हिंसात्मक कार्यवाही द्वारा मजदूरों एवं सत्याग्रहियों को लाठियों से मारा और बेइज्जत किया मैंने यह भी स्पष्ट किया था कि हमारा जेल भरो आन्दोलन तब तक चलता रहेगा जब तक छटनीकी कार्यवाही रोकी नहीं जाती. प्रशासन चाहे जितना भी हिंसक हो जाये हम अपना आन्दोलन जारी रखेंगे यह किसी हालत में बंद नहीं होगा.

15. यह कि रेस्ट हाउस में मैं और मेरे साथी जैसे ही यूनियन आफिस पहुंचे थोड़े ही देर में पुलिस एवं सी. आई. एस. एफ. का दस्ता पीछे पीछे आया और यूनियन आफिस तथा सामने मैदान में सोये हुए सैकड़ों मजदूरों को पुलिस वालो ने बेरहमी से लाठियों से मारना, जुतों से ठोकर देना तथा महिलाओं को बेइज्जत करना प्रारम्भ कर दिया और पुलिस ने इस अप्रत्याशित हिंसक हमले के कारण अनेकों मजदूर एवं महिलाएं घायल हुए अनेकों को गम्भीर चोटें आई और महिलाओं की इज्जत का हनन किया गया और उन सबको वहां से भगा दिया गया. यह पुलिस और सी. आई. एस. एफ. को दूसरा कायरतापूर्ण हिंसक हमला था. इस कायरता, बर्बर, नृशंस हमले से मजदूरों में आतंक, भय और असुरक्षा की भावना व्याप्त हो गई और शांति एवं सुरक्षा कायम रखने वाले जिम्मेदार पुलिस एव जिला प्रशासन से अधिकारियों द्वारा 1-4-78 को किये गये हिंसक अमले से यह स्पष्ट होता है कि जिला प्रशासन के अधिकारी एवं डिपाजिट 14 के श्री सरीन जनरल मैनेजर जिन लोगों ने मजदूरों के दृढ़ निश्चय आन्दोलन के प्रति मजदूरों को यूनियन की निष्ठा और आस्था से वे भलीभांति आश्वस्त हो गये थे कि आन्दोलन जारी रहेगा. मजदूर गिरफ्तारी के लिए कटिबद्ध है और 10-3-78 से चल रहे मूल लम्बे आन्दोलन में नई स्फूर्ति और गति आ गई है और मजदूरों की छटनी रोकने की मांग केन्द्रीय शासन पूरा नहीं की जा सकता तो उनके पास एक ही विकल्प बाकी रह गया था कि उन्होंने पुलिस बल को चारों ओर से बुलवाया और जब तक पर्याप्त पुलिस बल किरन्दुल पहुंच नहीं गया, आन्दोलन को 4-4-78 तक चलने दिया और छुटपुट गिरफ्तारी करते रहे.

16. यह कि पुलिस बल के सहारे अशोक माईनिंग कम्पनी में छटनी द्वारा मजदूरों को संगीनों के साये में कम्पनी से ज़बरन मुआवजा लेने और पावती पर दस्तखत करने के लिए मजबूर किया जाता था और मुआवजा प्राप्त मजदूरों को जबरन ट्रकों पुलिस गाड़ियों के जरिये 4-4-78 तक झांसी, दंतेवाड़ा एवं गीदम छोड़ दिया जाता था और 13 नंबर के डिपाजिट में उनके झोपड़े को पुलिस जला देती थी जिससे मजदूर मुवायजा लेने के बाद वहां आवास के अभाव में ठहर न सके तथा शासकीय तंत्र का सहारा लेकर धुआंधार प्रचार किया जाता था कि छटनी शुदा मजदूर स्वेच्छा से मुवायजा लेकर उनके घरों के लिए रवाना हो रहे हैं और किरन्दुल की स्थिति पूर्णतया शांत है. यह प्रचार 4-4-78 तक जिला प्रशासन द्वारा उनके अधीनस्थ जिला प्रकाशन के माध्यम से किया जाता था.

17. यह कि यूनियन के आन्दोलन को प्रभावशील बनाने के लिए 1-4-78 के बाद मजदूरों के लोडिंग नंबर के पास रेल्वे लाईन पर दिन एवं रात का धरना प्रारम्भ किया था. इस धरने में सैकड़ों मजदूर रेल्वे लाईन के सामने धरना देकर बैठ गये और लौह-अयस्क के ट्रेन रोक दिया तथा शासन से उनकी गिरफ्तारी की मांग करते रहे. मजदूरों ने यह स्पष्ट कर दिया था कि जब तक छटनी रोकने की मांग पूरी नहीं होगी हम रेल रवाना नहीं होने देंगे. एस. डी. एम., अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आदि ने स्वत: ही धरने की कार्यवाही देखी पर उन्होंने अज्ञात कारणवश धरना पर बैठे मजदूरों को गिरफ्तार नहीं किया जो कार्यवाही यह इंगित करती है कि जिला अधिकारियों ने निर्णायक कायवाही करने की योजना या षडयंत्र कर लिया था और उसी के अनुरूप 4-4-78 तक धीमी कार्यवाही कर रहे थे.

18. यह कि शांति सुरक्षा कायम करने वाले अधिकारियों ने उनकी पूर्व नियोजित योजना के अनुसार 5-4-78-को सुबह मेरी पत्नी श्रीमती इन्द्रजीत सिंह को गिरफ्तार किया क्योंकि करीब 150 महिलाओं ने दिनांक 4-4-78 से लगातार महाप्रबंधक के बंगले में धरना जारी रखा था. जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया.. मेरी पत्नी को गिरफ्तार करने के बाद ही उन्होंने मेरी गिरफ्तारी के निर्णय के आड़ में, श्री मेहरा एस. डी. एम., एस. डी. ओ. श्री दीक्षित तथा पुलिस की पल्टन ने श्रमिक बस्ती पर हमला बोल दिया. घरों में घुस कर मजदूरों, उनके बच्चों, महिलाओं को मारना, खदेड़ना का काम सुबह 9 बजे से प्रारम्भ कर दिया, यह घटना बैचलर होस्टल टाईप 1 बी के नीचे बसे हुए मजदूरों की कालोनी में शुरु किया. मजदूरों और उनके परिवारों को निर्ममतापूर्वक डंडों से पीटते हुए पुलिस खदेड़ रही थी और मजदूर परिवार भाग रहे थे. पुलिस की आक्रमणकारी मुद्रा में निरीह मजदूरों पर हमला करते हुए खदेड़ रही थी पुलिस के इस व्यवहार से पूरी कालोनी में भय एवं आतंक व्याप्त हो गया उक्त कालोनी के मजदूरों को भागने के लिए केवल एक ही रास्ता था वह रेल्वे लोडिंग नंबर 7 की ओर ही था जहां पर धरना में बैठे सैकड़ों मजदूर मौजूद हैं. पुलिस ने मजदूरों पर हमला करते हुए खदेड़ते उन्हें भगा रही थी तो मजदूरों ने भी स्वत: की आत्म रक्षा, महिलाओं के शील भंग होने से बचाने के लिये हमलावर पुलिस के साथ मुठभेड़ में संलग्न हो गई जिसमें सैकड़ों मजदूरों को गम्भीर चोटें आई.

19. यह कि बैचलर होस्टल टाईप-1-बी के नीचे के कालोनी में बसे मजदूरों पर जब हमला हुआ तब कुछ मजदूर श्री मरीन के बंगले की ओर रवाना हुए, जहां पर 150 महिलाएं धरना पर पूर्व से बैठी थी, उन्हें बंगले से वापस लाने के लिए बंगले की ओर गये क्योंकि मजदूरों को यह विश्वास हो गया था कि पुलिस अब हमलावर हो गई है और वे लोग कानूनी की सीमा लांघ चुके हैं और बंगले में धरना पर बैठी महिलाओं की इज्जत ले लेंगे. इन मजदूरों पर वहां पर तैनात पुलिस ने हमला बोल दिया, जिसमें कई घायल हुए.

20. यह पूर्णतया असत्य आरोप मेरे ऊपर लगाया गया है कि मैं गिरफ्तार नहीं होना चाहता था. मैंने पूर्व में श्री मेहरा एवं कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को स्पष्ट कर दिया था कि मैं गिरफ्तारी से बचना नहीं चाहता हूं. मैं सदैव गिरफ्तार होने को प्रस्तुत हूं. मैंने उनसे निवेदन किया था कि मेरी गिरफ्तारी से स्थिति नेतृत्व के अभाव में गलत मोड़ ले सकती है. अत: साथ ही हमलोग आन्दोलन भी स्थगित नहीं कर सकते, अत: जैसे ही भटिंडा की मीटिंग के जिम्मेवार नेता यहां आ जावेंगे, मैं खुद आकर गिरफ्तार हो जाऊंगा. इसके साथ भी मैंने स्वत: को गिरफ्तार से भी नहीं छिपाया और न ही मेरे नाम से गिरफ्तारी वारन्ट ही जारी हुए. यह भी आरोप पूर्णतया असत्य है कि 5-4-78 की सुबह मैं राम सिंह के घर छुपा था तथा उस दिन सुबह मैंने मजदूरों को हिंसा या खून की नदियां बहाने के लिए भड़काया था.

21. यह कि बैचलर होस्टल टाईप 1 बी के नीचे कालोनी में मजदूरों व अन्य साथी जो मुठभेड़ पुलिस के बीच हो गई थी उसके बाद दो बजे तक अधिकारियों ने बदला लेने और सबक सिखाने के इरादे से जोरदार तैयारी 2 बजे दिन तक करते रहे. उसके बाद काफी संख्या में पुलिस चर्च और मस्जिद के बीच नाले के पास ट्रकों से उतरी और काफी संख्या में पुलिस का दस्ता प्रभु कैम्प की ओर गया और वहां पर उन्होंने झोपड़ों में आग लगा दी, कुछ गोलियां भी चलाई और मजदूरों को लाठी और डंडों से मारना शुरु किया जो मजदूर का कम्पनी की ट्रक की पिकेटिंग कर रहे थे. बंगाली कैम्प की ओर से भी पुलिस का दस्ता प्रभु कैम्प की ओर पहुंचा. वहां से मजदूर और उनके परिवार पहाड़ियों और अन्य दिशा में भागे. कुछ बंगाली कैम्प की ओर भागे.. पुलिस उन्हें मारते खदेड़ते रही. यहां तक जालसिंह और एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई तथा सैकड़ों झोपड़े जला दिये गये, माल लूट लिया, सारी गृहस्थी जल गई.

22. यह कि, उसके बाद सड़क पर जो पुलिस का दस्ता रूक गया था, उसमें से काफी लोग बोरा कम्पनी की ओर गये और प्रभु कैम्प की झोपड़ों को जलाकर मजदूरों और उनके परिवार के लोगों को घायल कर तथा मारकर पुलिस का दास्ता किरन्दुल का नाका के पास से नीचे झोपड़ों की ओर उतर कर लोडिंग बैंकर की ओर झोपड़ों के बीच होता हुआ आगे बढ़ा उस तरह लोडिंग नंबर की ओर भी पुलिस का दास्ता पहुंचा और पुलिस वालों ने झोपड़े जलाये. गोलियां चलाई और फिर रेल्वे लाईन के पास वहां पर मौजूद मजदूरों को बैठने को कहा और फिर उन्हें भी मारना शुरु किया जिससे मजदूर रेल्वे लाईन के दूसरी ओर भागने लगे तब पुलिस ने भागते हुए मजदूरों पर बदले की भावना से गोलियां चलाई थी जिससे काफी संख्या में मजदूरों व उनके परिवार के लोग मारे गये और गम्भीर रूप से घायल हुए. पुलिस ने या मजिस्ट्रेट तेन चेतावनी दिया और न वे लोग कभी भी घिरे हुए थे. पुलिस व अधिकारीगण घूम घूम कर मजदूरों की प्रभु गलप्पा रेड्डी कालोनी और अन्य स्थानों में बसे हुए मजदूरों के झोपड़ों को जला दिया. अकारण गोलियां चलाई. झोपड़ों से कीमती सामान का लूटपाट किया. यह कि पुलिस की गोलियां व झोपड़े जलाने की कार्यवाही दो बजे के बाद से साढ़े तीन बजे तक चलती रही. गोलियां भी इसी बीच चल जाती थी.

23. यह कि बुधवार 5-4-78 को किरन्दुल बाजार का दिन था. मजदूरों की कालोनी बाजार से लगी हुई है. बाजार में हजार पन्द्रह सौ लोग आये थे. बाजार दो बजे दिन तक चलती रही और हमेशा चलती है. बाजार की भीड़ उनकी गोलीबारी के चपेट में न आ जायें, इसलिए पुलिस एवं अधिकारियों ने दो बजे दिन के बाद मजदूरों को सबक सिखाने एवं प्रतिशोध की भावना से हमला करने की योजना रोक रखी थी और फिर उसके बाद उन्होंने प्रभु कैम्प से पहिले हमला शुरु किया और वहां झोपड़े जलाये तथा गोलीबारी की, मजदूरों को मारा.

24. यह कि डिपाजिट नं. 14 के महा-प्रबन्धक ने जब मैं, विशाखापटनम जेल में था, मेरे विरुद्ध चार्ज शीट दिया, उसमें लिखे आरोप तथा उसके तहत की गई, मुझे बर्खास्त करने का प्रबन्धकों की कार्यवाही यह स्पष्ट करती है कि श्री सरीन महाप्रबन्धक ने कानून साथ में रखकर मुझे नौकरी से बर्खास्त किया और ऐसा करने के पीछे उनका क्या उद्देश्य था. इतना ही नहीं मेरी गैर हाजिरी में जब मेरी पत्नि जेल में थी और मेरे नाबालिग बच्चे घर में थे तो उन्होंने क्वार्टर खाली करने का आदेश पारित कर दिया.

25. यह कि ट्रेड यूनियन अधिकारों के तहत हड़ताल, धरना एवं आन्दोलन का मौलिक अधिकार प्रत्येक मजदूर को है, उस पर रोक लगाना मैनेजमेन्ट के अधिकार क्षेत्र के बाहर है, किन्तु परियोजना के मैनेजमेन्ट व सभवतः साधारण ज्ञान के अभाव में आन्दोलन के प्रारम्भ से अवैध एवं नाजायज रूख अपना कर स्थिति को गलत मोड़ देने में सक्रिय सहयोग दिया है. साथ ही मजदूरों के विरुद्ध हिंसक कार्यवाही हेतु जो पुलिस व प्रशासन द्वारा षडयंत्र किया गया था उसमें मार्गरत रहे हैं. किरन्दुल के मजदूरों व उनके परिवार के बच्चों की खून की होली, पांच अप्रैल को प्रशासन व परियोजना के मिले जुले षडयंत्र की परिणति है जिसमें किरन्दुल के मेहनतकश मजदूरों के जीवन भर की कमाई उनकी गृहस्थी जो उनके झोपड़ों में थी, उसमें पुलिस ने आग लगाकर भारतवर्ष की तवारीख में, क्रूरता निर्ममता पाशविकता एवं निर्ममता का अविस्मरणीय एवं अलौकिक अध्याय जोड़ा है जिसकी मिसाल ब्रिटिश हुकूमत में भी चिराग लेकर खोजने से नहीं मिलेगी. माननीय आयोग के कन्धों पर उन मृत पुरुष, स्त्री एवं बच्चों एवं उनकी कालोनी को श्मशान में बदल देने वाले, दुर्दान्त क्रूर एवं पाशविक हत्यारों को न्याय के कटघरे में खड़ा करने का भार है, जिसमें किरन्दुल आकाश में विक्षोभ में मंडराती मृत-आत्माओं को सन्तोष एवं शांति प्रदान हो सके कि उनका बलिदान निरर्थक नहीं गया.

26. यह कि ज्ञात हुआ है कि गोलीबारी के बाद दो माह तक सरकारी अधिकारियों की फौज किरन्दुल रेस्टहाउस में डटी रही. बाहर से भी अनुभवी पुलिस एवं अन्य अधिकारी वहां पहुंचे. नये सिरे से कमीशन को धोखा देने के लिए कागजात तैयार किये गये और कागजात नष्ट किये गये. आयोग को इसकी शिकायत की गई थी किन्तु माननीय आयोग द्वारा जब कागजात सीलबन्द करने की कार्यवाही की गई तब तक अधिकारियों को पूरा अवसर प्राप्त हो चुका था और अधिकारीगण हेरा-फेरी की सारी कार्यवाही खत्म कर चुके थे. फिर भी मुझे विश्वास है कि माननीय आयोग नीर छीर के सिद्धान्त के जरिये इस हेरा-फेरी को अवश्य उजागर करने में सफल होंगे.

6. श्री शंकरगुहा नियोगी संगठन मंत्री; छत्तीसगढ़ माइन्स श्रमिक संघ- निवास--राजहरा का लिखित कथन

1. यह कि, आवेदक छत्तीसगढ़ माइंस श्रमिक संघ दल्ली राजहरा का संगठन मंत्री है. इस संघ का प्रमुख कार्यालय दिल्ली राजहरा, जिला दुर्ग में है. यह संघ इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट के अन्तर्गत पंजीबद्ध है. इसका पंजीयन क्रमांक 2019 दिनांक 29 अप्रैल, 1977 है. इस संघ को छत्तीसगढ़ के जिलों में यूनियन की शाखा कार्यालय प्रारम्भ करने का अधिकार है. बैलाडीला लौह-अयस्क परियोजना किरन्दुल में इस संघ से सहानुभूति रखने वाले सदस्य थे जिनके माध्यम से इस संघ ने बैलाडीला में मजदूरों के आन्दोलन पर अपनी नजर रखी थी. किरन्दुल गोलीकांड के पश्चात

ही इस संघ ने अपनी शाखा प्रारंभ कर दी है जो वर्तमान समय में कार्यरत है. संघ किरन्दुल में घटित गोलीकांड दिनांक 5 अप्रैल, 1978 के सम्बन्ध में आयोग के समक्ष तथ्य को रखना अपना दायित्व समझता है अतः निम्नलिखित प्रस्तुत कर रहा है :—

2. बैलाडीला खदान में कार्य दो प्रकार से होता है. पहला मशीनीकरण द्वारा तथा दूसरा ठेकेदारों के मातहत मैनुयल खदान में मजदूरों द्वारा. मैन्युअल माईन्स के मजदूर प्रधानतः दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर, राजनांदगांव जिले के छत्तीसगढ़ी लोग ही हैं. कुछ गंजाम जिला और कालाहंडी के उड़ीसा मजदूर हैं. गांवों के ये भूमि-हीन एवं गरीब किसान गरीबी, अकाल व सूखा के कारण गांव से भागकर नौकरी की तलाश में भटकते-भटकते बैलाडीला आये और लगभग सात-आठ साल से कार्यरत हैं. ये मजदूर ठेकेदार के अन्तर्गत ही कार्य करते हैं.

3. मालिक दो प्रकार के है. एक तो एन. एम. डी. सी. बी. आई. ओ. पी.. के सरकारी नौकरसाही मालिक तथा दूसरे ठेकेदारी प्रथा के मातहत मालिक ठेकेदार. एन.एम.डी.सी. भ्रष्ट और नौकरसाहीयों का अड्डा है.

4. मजदूर संघ भूख से तड़पता है परन्तु एन.एम.डी.सी. वाला का कहना है कि नोट यहां हवा में उड़ता है, जितना हो सके उतना बीनों और झोले भरो सब के सब आफिसर ठेकेदारों से मिले हुए हैं. प्रोजेक्ट इंजिनियर श्री कामला तो पहले कोयला खदान में वोरा कम्पनी के ही मैनेजर थे. एन. एम. डी. सी. के वैलफेयर आफिसर को मजदूरों के पैमेन्ट रजिस्टर में दस्तखत करने के लिये पैसा मिलता है. माईन्स मैनेजर से लेकर फोरमेन तक मजदूरों के ऊपर अत्याचार एवं निर्मम शोषण देखकर भी कुछ नहीं बोलते क्योंकि उनके जेब ठेकेदारों के पैसों से भरे रहते है. तीन प्रमुख ठेकेदारों के मातहत 31 मार्च तक मैन्युअल माईन्स में काम चलाया जा रहा था. ये ठेकेदार है — (1) वोरा कम्पनी, (2) अशोक माईनिंग कम्पनी, (3) भनोत कम्पनी. इन कम्पनियों का परिचय इस प्रकार हैं :—

वोरा कम्पनी.—यह धनवाद की कम्पनी है. धनबाद कोयला खदान इलाकों में वहां मजदूरों का वर्षों से शोषण करने वाली इस कम्पनी ने अपना आतंक का राज बना रखा था. इस कम्पनी को कोलकिंग कहा जाता था. इसके अत्याचार से त्रस्त होकर कोयला खदानों के मजदूरों ने आंदोलन के माध्यम से इन्हे भगा दिया और कोयले की खदानों का राष्ट्रीयकरण हुआ.

अशोक माईनिंग कम्पनी.—इस कम्पनी के कर्णधार छत्तीसगढ़ की तमाम खदानों के ठेकेदार बनने से पहले साहूकारी का धन्धा करते थे. छत्तीसगढ़ में उद्योगों के विकास के साथ ही साथ इस कम्पनी का अत्यन्त तीव्रगति से विकास हुआ और शीघ्र ही यह एक बहुत बड़ी कम्पनी बन गई. दल्ली राजहरा में हुए गोलीकांड में इस कम्पनी का हाथ था.

भनोत कम्पनी.—बनारसीदास भनोत इस कम्पनी के मालिक हैं. बैलाडीला में इस कम्पनी को लोग गुंडा-कम्पनी के नाम से पुकारते हैं. इस कम्पनी के मालिक की गुन्डागर्दी किसी भी आजाद एवं प्रजा-तांत्रिक देश में सम्भव नहीं है. खदानों में जाकर मजदूरों को मारना पीटना नित्य की बात है. यदि कोई मजदूर अपने हक की बात करता है तो उसे कमरे में बन्द कर अधमरा होते तक पीटा जाता है.

5. मशीनीकरण से बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हुई. एक तो देश में करोड़ों लोग बेरोजगार हैं दूसरी ओर इंदिरा गांधी के जमाने से लगातार मशीनीकरण की प्रक्रिया शुरू है इस मशीनीकरण की चपेट में आकर आज लाखों आदमी सात आठ साल तक काम करने के बाद बेरोजगार हो रहे हैं और होते जा रहे हैं. मैकनाईज्ड खदान के लोहे की दर हमेशा मैन्युअल खदान की दर से अधिक होती है. डिपाजिट नम्बर 14 की उत्पादन लागत 33.00 रुपये प्रति टन, डिपाजिट नम्बर 5 की उत्पादन लागत रुपये 40.00 प्रति टन है, जबकि मैन्युअल खदानों की उत्पादन लागत मात्र 19.00 रुपये है.

मैन्युअल माइंस से ही आज तक 55 प्रतिशत उत्पादन हुआ है जो विदेश भेजा गया है. उसी आधार पर देश को 563 करोड़ रुपये प्राप्त हुआ जिसमें 309 करोड़ की विदेशी मुद्रा है. डिपाजिट नम्बर 5 के मशीनीकरण के पश्चात् ही छटनी का प्रश्न उपस्थित हुआ है एवं इस मशीनीकरण का राक्षस ही सैकड़ों मजदूरों को कच्चा चबा गया-और हजारों मजदूरों ने रोजी रोटी खो दिया. यहां के ठेकेदार एवं बी. आई. ओ. पी. अधिकारी गुन्डा वाहिनी द्वारा समान्तराल सरकार बनाकर निर्मम शोषण एवं अत्याचार का राज चला रहे थे एवं किसी भी प्रकार का ट्रेड यूनियन अधिकार, प्रजातांत्रिक आंदोलन का अधिकार नहीं देता था. यहां श्रम कानून के अनुसार मजदूरों को आज तक कोई सुविधा नहीं है. खदान के मजदूरों के शीत, ग्रीष्म एवं बरसात के तीनों कालों में सबेरे 6 बजे से शाम 6 बजे तक 12 घंटे शिफ्ट में काम करते हैं. आने-जाने के समय को लेकर इन्हे काम के लिये 16 घंटे व्यस्त रहना पड़ता है. यहां आयरन

और वेज बोर्ड वा दूसरी किसी भी प्रकार के वेज बोर्ड की सिफारिश लागू नहीं है. फाल बैक वैजैज को तो प्रश्न ही नहीं उठता. छुट्टी का पैसा, मेटरनिटी बेनिफिट आदि का तमाम पैसा ठेकेदारों की तिजोरी से नहीं निकलता. चिकित्सा का भी कोई बन्दोबस्त सही नहीं है. बोनस जो 200.00 मिलना चाहिये वहां केवल 50.00, 100.00 रुपये मिलता है. जबकि यहां मजदूरों की मजदूरी भी उचित प्राप्त नहीं होती. यहां और दल्ली राजहरा में मिलने वाली मजदूरी की दर में भयानक असमानता . लौह अयस्क का रेजिंग एवं लोडिंग अन लोडिंग मिलाकर दैनिक रोजी वाले मजदूर को बैलाडीला में रुपये 3.20 प्रति टन मिलता है जबकि राजहरा में 6.20 प्रति टन प्राप्त होता है. इसी तरह बैलाडीला में प्रतिदिन रुपये 3.00 मजदूरी मिलती है जबकि राजहरा में प्रतिदिन रुपये 12.42 मजदूरी मिलती है.

6. इस गोली कांड के पीछे सबसे ज्यादा स्वार्थ सिद्ध हुआ है बोरा कम्पनी की जिसने मध्याकालीन ठेकेदारी प्रथा का जाल विछाकर जौर-जुल्म एवं शोषण का राज्य चला रखा है. इस बोरा कम्पनी के मजदूरों को गुलामी की जंजीर में बांध कर रखा है. यह पदवीधारी ठेकेदारी लोग अपने मजदूरों के ऊपर 24 घंटे निगरानी रखते है. ठेकेदारों ने गुंडा वाहिनी बनाकर रखा है जो कि शराब पीकर उत्पात मचाते हैं तथा प्रजातांत्रिक आंदोलन को कुचलते हैं. तथा ये ही समान्तर सरकार को सहायता देते हैं जब अत्याचार बढ़े तब मजदूरों में प्रतिरोध करने की स्वतः स्फूर्ति भावना पैदा हुई. परन्तु प्रजातांत्रिक आंदोलन करने का अनुभव न होने के कारण मजदूरों का प्रतिरोध और आंदोलन अचानक विस्फोट के रूप में परिवर्तित हो गया जिसकी परिणीती में कोमल सिंह की मृत्यु हुई. आज भी उसी प्रकार की स्थिति बरकरार है जिसमें ठेकेदार और मैनेजमेन्ट का हृदय परिवर्तन एवं कर्मनीति में परिवर्तन आवश्यक है.

7. 5 अप्रैल को सुबह करीब साढ़े सात बजे जब श्रीमति इन्दजीत सिंह घटना से वापस लौट रही थी तब उन्हें पुलिस वाले ने बाजार के पास रोका और थाने ले गये. थाने में इन्द्रजीत सिंह की पत्नी को गिरफ्तार किया गया. 9-30 बजे सुबह श्री मेहरा एस. डी. ओ. एवं श्री दीक्षित डिप्टी एस. पी. जो पुलिस एवं अधिकारियों के साथ दो जीपों में सवार थे, बाजार से होते हुए मतलया कैम्प, रेड्डी कैम्प तथा लोडिंग प्लांट की और रवाना हुये. इनके साथ करीब 22 लाठी, टीयर गैस से लैस पुलिस एवं सिक्युरिटी फोर्स के जवान भी थे. श्री मेहरा एस. डी. ओ. के आदेश पर पुलिस के जवान उपरोक्त कैम्पों में जो मजदूर उनके घरों में सपरिवार शांतिपूर्वक बैठे थे, उनके घरों में पुलिस के जवान घसकर इन्द्रजीत सिंह को ढूंढने लगे. इन जवानों ने झोपड़े के अन्दर एवं खड़े हुए मजदूरों के उनके बच्चे एवं महिलाओं को डंडे से मारना शुरू कर दिया और उन के घरों में घुसकर जो भी कीमती सामान हाथ लगा उठा लिया तथा नव-जवान महिलाओं की इज्जत लूटने का प्रयास किया और झोपडी में रहने वाले को गंदी-गंदी गालियां दी. उस फोर्स की कार्यवाही के कारण झोपड़ी में रहने वाले लोग भयभीत हुए और अपनी जान बचाने के लिए वे लोक लोडिंग प्लांट की और जहां रेल्वे लाईन भी है, भागने लगे.

8. इन झोपड़ियों में जब पुलिस घुसकर मारपीट कर रही थी औरतें की इज्जत ले रहे थे तो उससे आगे रहने वाले परिवारों ने भी देखा घटना देखा, और वे भी जान बचाने के लिये उसी ओर भागे. उन झोपड़ी से भागने वाले परिवार के लोगों को भागते हुए देख पुलिस का साहस और बढ़ गया. फोर्स के जवानों ने डंडा लेकर भागते हुए मजदूरों का पीछा किया और जो भी मिला उसे अन्धाधुन्ध डंडे से मारने लगे. मार खाने वालों में महिलाएं बच्चे और पुरुष भी थे लोडिंग प्लांट के पास रेल्वे लाईन पर जो मजदूर बैठे थे जो काफी तादाद में थे उन लौगों ने उपरोक्त जवानों की कार्यवाही, उनके द्वारा अकारण महिलाओं और बच्चों को डंडे से मारना एवं औरतों की इज्जत लेने की प्रयास करना यह सब घटना वहां एकत्र मजदूरों ने देखी, तब रेल्वे लाईन के पास एकत्र मजदूरों ने अपने मजदूर साथियों के परिवारों की प्राणों और महिलाओं की रक्षा के लिए वहां पर समीप ही जो पत्थर के टुकड़े का डेर था और जो लकड़ियां जो पास पड़ी थी, उन्हें लेकर जवानों को मजदूर परिवारों के प्राण बचाने के लिए,क्योंकि वे सभी जवान जो मजदूर परिवारों को बलिष्ठ लाठियों से प्रहार कर रहे थे, और इस प्रहार से इन मजदूरों के मन में यह आशंका हो गई थी कि यदि डंडों से मार-कर भागते हुए परिवार के लोगों को गंभीर चोटें लग रही हैं और उनके जान का भी खतरा है, के आस-पास एकत्र मजदूरों ने पत्थरों से जवाबी कार्यवाही की तथा जब पुलिस के जवानों ने आकर उन पर भी डंडों और पत्थरों से प्रहार करना शुरू किया तब वहां पर एकत्र एक मजदूर ने स्वयं की आत्मरक्षा हेतु पुलिस का डंडा छीनकर डंडे से प्रहार कर मजदूरों के परिवारों को बचाने का प्रयास किया इस घटना में अनेकों मजदूर परिवारों के लोगों को चोटें लगी. अनेकों मजदूर परिवारों के लोगों को गंभीर चोटें आई तथा पुलिस फोर्स के कुछ लोगों को भी चोटें आई. यह घटना करीब 9.30 बजे से 10–30 बजे के बीच सुबह घटित हुई थी. मजदूरों ने आत्मरक्षा या मजदूरों के परिवारों की रक्षा हेतु यह जवाबी कार्यवाही की थी.

9. करीब 10.30 बजे एम. एम. डी. सी. के डाक्टर एम्बुलेन्स की गाड़ी में घायल पुलिस अधिकारियों को अस्पताल ले जाया गया. पुलिस के अन्य घायल को जीप से लाया गया तथा जो जवान साधारण रूप से घायल थे. वे सब भी अस्पताल पहुंच गये, हवलदार कोमलसिंह घायल था उसे बाद में लाया गया जो करीब 10–30 बजे दाखिल हुआ और करीब 16 मिनट बाद उसकी, मृत्यु हो गई इस तरह श्री मेहरा, एस. डी. एम. और श्री दीक्षित डी. एस. पी. के साथ जो पुलिस दल उपरोक्त कैम्पों में घुसा था, वे सब 10.30 बजे तक उपचार हेतु एन. एम. डी. सी. के अस्पताल में भर्ती हो गये. इस घटना में गंभीर रूप से घायल मजदूरों को अस्पताल में नहीं पहुंचने दिया गया.

10. पुलिस व अन्य अधिकारियों के घायल होने के समाचार से एवं हवलदार कोमलसिंह की मृत्यु हो जाने से किरन्दूल में उस समय जो भी एस. ए. एफ. पुलिस एवं सेण्ट्रल सिक्युरिटी पुलिस के जो जवान थे, उनके दिमाग में खून उतर आया और सारी फोर्स एक राय होकर हवलदार कोमलसिंह की मौत का बदला लेने के लिये योजनाबद्ध ढंग से कार्यवाही करने लगी.

11. इसके बाद लगभग 1.00 बजे लाऊड स्पीकर से यह घोषणा की गई की सारे मजदूर अपने झोपड़ों में चले जायें किसी को अगर घर से बाहर देखा जायेगा तो उसे गोली से मार दिया जायेगा. यानि वास्तविक रूप से कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया गया. कर्फ्यू की वैधानिक घोषणा उस समय नहीं की गई. वहां पर रहने वाले मजदूर अपने को इतना अधिक असुरक्षित महसूस कर रहे थे. सब रेलवे लाइन के पास ही बैठे रहे.

12. इसके बाद लगभग 1.30 बजे से सारी फोर्स तीन अलग-अलग हिस्सों में बांटी गई और फोर्स की एक टुकड़ी अस्पताल के नीचे की पहाड़ियों से उनका तथा बंगाली कैम्प से उतर कर प्रभु कैम्प की ओर रवाना हुए. प्रभु कैम्प है जगदलपुर से किरन्दूल शहर में घुसने के दाहिने हाथ की ओर अंतिम छोर पर है. उस कैम्प के दोनों ओर दो सड़के हैं जिससे खदानों की ओर ट्रक जाती हैं. पुलिस के जवानों ने प्रभु कैम्प की दोनों सड़कों और प्रवेश की राहें घेर लिया और वहां पर उपस्थित मजदूरों को डंडों से मारना शुरू कर दिया. पुलिस की डन्डों की मार से बचने के लिये मजदूर नीचे पहाड़ी की ओर भागे तो पुलिस फोर्स ने वहां गोलियां चलायीं और साथ ही झोपड़ियों में आग लगा दी. झोपड़ी में जो मजदूर परिवार थे, वे भी निकल भागे उनमें से मजदूरों को डंडों से मारा और एक व्यक्ति तो डंडों के मार से वहीं मर गया तथा एक हालसिंह नामक मजदूर गोली से घायल होकर मर गया झोपड़ी में आग लगाने के कारण करीब 300 झोपड़े जलकर राख हो गये. वहां पर रहने वाले मजदूर केवल तन पर जो कपड़ा था, वही उनकी संपत्ति बन गयी. बाकी मजदूरों की सारी गृहस्थी, सामान व रकम जलकर राख हो गया. इसके बाद पुलिस के जवानों वहां से लोडिंग प्लांट की ओर रवाना हो गये और सड़क के बाईं ओर जो झोपड़ी से गुजरते हुए आगे बढ़े और झोपड़ी में रहने वाले परिवार के लोगों को गाली गलौच करते हुए एवं डन्डे से मारपीट करते लोडिंग प्लांट की ओर बढ़े. उसी समय बोरा कम्पनी के कार्यालय की ओर से फोर्स के जवानों का एक बड़ा दल भी धीरे-धीरे वैसा ही व्यवहार करता हुआ लोडिंग प्लांट की ओर बढ़ने लगा. लोडिंग प्लांट की ओर भी पुलिस जवानों का एक दल घेरा-बन्दी किये हुए था वह भी आगे बढ़ने लगा उस समय हजारों की तादाद में मजदूर और उनके परिवार के लोग लोडिंग प्लांट की ओर इर्द-गिर्द बैठे थे. पुलिस उन मजदूरों को तीनों ओर से घेरे बैठी थी. जिनके पास रायफलें, टीयर-गैस एवं लाठियां थीं. अधिकारियों का दल जब वहां पहुंचा तब वहां घोषणा की गयी कि सारे मजदूर शांत होकर बैठ जावें अब उनकी गिरफ्तारी होगी क्योंकि उन्होंने धारा 144 को भंग किया है. मजदूरों ने पूछने पर स्वतः गिरफ्तारी देने को सहमति हाथ उठाकर जाहिर किया था. इसी बीच रेलवे लाईन के पास बिजली खम्भे के समीप एक मजदूर खड़ा था. जो पुलिस के जवान ने जाकर डंडा मारना शुरू कर दिया और उसे डन्डा लगते ही पुलिस वालों ने मारो मारो और चिल्लाना शुरू किया और वहां पर एकत्र मजदूर जब रेलवे लाईन की दूसरी ओर खुले मैदान की ओर भागने लगे तब बहादुर जवानों ने रायफल को गोलियां भागते हुए मजदूरों पर दागना शुरू किया. वहां साथ में टीयर गैस वालों ने टीयर गैस छोड़े और लाठी मारो पुलिस ने भागते मजदूरों पर डंडा बरसाना शुरू किया एवं सर्वोपरि युद्ध भूमि जैसे गोली चलती रही. सामूहिक बलात्कार होते रहे. भड़की हुई आग में बच्चों को फेंक दिया गया. हजारों लोग बे घरबार हो गये. बहुत लोग मर गये. पूरा इलाका आतंक के साम्राज्य में घिर गया. सबको मारो, सब जला दो, सब कुछ ध्वंस कर दो की नीति जन-जीवन को अस्त-व्यस्त कर के रख दिया.

13. शासन की ओर से मृतकों की जो सूची प्रसारित की गयी है वह गलत है मृतकों की संख्या अधिक है जिसकी सूची बाद में प्रस्तुत की जायेगी. गवाहों की सूची एवं दस्तावेज बाद में पेश किया जायेगा.

नोट.—श्री नियोगी द्वारा गवाहों की सूची या कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये.

---

7. श्री शेख वहिद कुरेशी पिता—शेख करीम

निवास—भैरम देव वार्ड, जगदलपुर का लिखित कथन.

1. आवेदक जगदलपुर का निवासी है. वह नागरिक अधिकार सुरक्षा समिति की कार्यकारिणी का सदस्य है तथा जिला किसान सभा का संयोजक है.

2. दिनांक 6-4-78 को किरन्दूल में पुलिस तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल द्वारा जो गोलीकांड किया गया वह वर्बर, अमानुषिक और बदले की भावना से किया गया था.

3. यह कि जनता शासन नीति अधिक से अधिक बेरोजगार लोगों को काम पर लगाने की है और उसने 10 वर्षों में बेरोजगारी खत्म करने की घोषणा पत्र में ही नहीं की है बल्कि प्रधान मंत्री श्री मोरार जी देसाई के संसद तथा अपने भाषणों में भी यह उद्घोषणा की है.

4. यह कि, उपरोक्त सत्य का खान तथा इस्पात मंत्री श्री बीजू पटनायक ने खुला उल्लंघन किया है. उन्होंने भारत शासन के श्रम मंत्रालय को बिना सहमति के लौह-अयस्क परियोजना, बैलाडिला में छंटनी की कार्यवाही की है.

5. यह कि बैलाडीला परियोजना के महाप्रबंधक ने अशोक माईनिंग कम्पनी के ठेके को समाप्त कर 1651 मजदूरों को बेकार कर दिया और उन्हें जबरन पुलिस की मदद से बैलाडिला से बाहर खदेड़ दिया. ये छत्तीसगढ़ के मजदूर वर्षों से अपनी रोजी रोटी के लिये यहां कार्यरत थे.

6. इन मजदूरों की छंटनी के विरोध में ही संयुक्त खदान मजदूर संघ ने शांतिपूर्ण भूख हड़ताल और प्रदर्शन मार्च और अप्रैल के प्रथम सप्ताह में किया.

7. इन शांतिपूर्ण प्रदर्शन को जिला प्रशासन बस्तर और बैलाडीला परियोजना के अधिकारियों ने दिनांक 1-4-78 से 4-4-78 तक पोलिस और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल की मदद से बलपूर्वक दबाने की कोशिश की.

8. पोलिस ने प्रदर्शनकारी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया. पुरुषों को लाठियों से पीटा जिसमें अनेकों घायल हुए. कई महिलाओं की उन्होंने इज्जत ली.

9. दिनांक 6-4-78 को सबेरे 9 और 10 बजे के बीच उन्होंने इन्द्रजीतसिंह को पकड़ने के बहाने से मलयखया कैम्प में घुस कर मजदूरों को झोपड़ियों में घुस घुस कर पीटा. पोलिस और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल के जवान और अधिकारी श्री मेहरा अनुविभागीय अधिकारी दन्तेवाड़ा के नेतृत्व में यह अत्याचार कर रहे थे. उन्होंने झोपड़ियों को घसकर महिलाओं की बेइज्जती की और उनके जेवर घड़िया और ट्रांजिस्टर जबरन छीनने लगे छोटी-छोटी पेटियों को तोड़कर उनका जो भी पैसा था उसे भी निकाल लिया.

10. इस पर मजदूरों और पोलिस में मारपीट हुई. अनेक मजदूर घायल हुए. कुछ पोलिस वालों को भी चोटें आई. एक सिपाही की मृत्यु भी हो गई.

11. इस घटना के बाद पोलिस और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल ने मजदूरों से पूरी तरह बदला लेने की साजिश की. बैलाडीला में तीन प्रमुख मजदूर बस्तियां थीं. पहिला प्रभु कैम्प यहां लगभग 300 झोपड़ियां थीं. दूसरे और तीसरा मलयखया तथा रेड्डी कैम्प. ये दोनों कैम्प दो पहाड़ियों को ढालों पर बसे हैं और बीच में नाला पड़ता है. इनमें करीब 1600 झोपड़ियां थीं.

12. पोलिस ने सबसे पहिले करीब 1 बजे प्रभु कैम्प को तीन तरफ से घेरा वहां के मजदूरों को बेरहमी से मारा गोलियां चलाई और सब झोपड़ियों में आग लगा दिया. अनेक मजदूर और औरतें आहत और हताहत हुए. शेष मजदूर औरतें भागकर मलयखया कैम्प की ओर से होते हुए लोडिंग प्लांट की तरफ आये क्योंकि तीन ओर से पोलिस का घेरा था.

13. करीब-करीब इसी समय दूसरी पोलिस की अन्य टुकड़ियों ने मलयखया और रेड्डी कैम्प की झोपड़ियों में घुस घुस कर लोगों को पीटा, सामान को लूटा और झोपड़ियों में आग लगाते गये.

14. इन तीनों कैम्प के जब सब मजदूर रेल पातों के पास आकर रुके तो पोलिस ने उन्हें बैठ जाने को कहा और फिर उन पर गोलियां चलाई.

15 पोलिस द्वारा गोली चालन तीन अलग-अलग समय पर अलग-अलग स्थानों पर किया गया. गोली चालन प्रभु कैम्प मलयखया और रेड्डी कैम्प और लोडिंग साइट पर रेल पातों के चारों ओर किया गया.

16. गोली चालन में मृतकों की संख्या शासन द्वारा 10 बताई गई है यह सही नहीं है इस संख्या से कहीं अधिक लोग मारे गये हैं. इसी प्रकार अनेक लोग जो पोलिस की गोली और लाठियों से घायल हुए थे, वहां के अस्पताल में भरती नहीं किये गये और बहुतों ने अपने गांवों में या अन्य अस्पतालों में इलाज करवाया है.

17 गोली कांड के तुरन्त बाद कर्फ्यू लगाकर लोगों को गायब किया. बाद में साक्ष्य नष्ट किये गये और झोपड़ियों में बचे हुए सामानों को पोलिस वालों ने उठाकर कमाई करन का जरिया बनाया, कर्फ्यू के बहाने पत्रकारों को भी घटना स्थल पर नहीं जाने दिया गया.

18. गोली कांड के बाद संघ के पदाधिकारियों को जान बूझ कर झूठे आरोप पत्र तैयार कर बन्दी बनाया गया जिससे वे कमीशन के सम्मुख सत्य की पूर्ण जानकारी एकत्र न कर सकें. अनेकों निर्दोष लोगों को कत्ल के मामले में मुलजिम बनाया गया और वे आज भी जेल में हैं.

---

8. श्री विलियम रावल- कार्यकर्ता, छत्तीसगढ़ माईन्स श्रमिक संघ—निवासी जगदलपुर का लिखित कथन.

1. छत्तीसगढ़ माईन्स श्रमिक संघ, का प्रमुख कार्यालय दल्ली राजहरा जिला दुर्ग में है. किरन्दूल गोलीकांड के पश्चात् संघ की शाखा किरन्दूल में खोली गई है जो वर्तमान में बैलाडीला माइन्स मजदूरों में कार्यरत है. किरन्दूल गोलीकांड संबंध में आवेदक बृहद् परिपेक्ष में निम्नांकित प्रस्तुत करता है.

2. अंग्रेजों के जमाने में राज्य की ओर से बन्दूक गोली चली. स्वतन्त्रता सेनानी शहीद हुए. 16 अगस्त 1948 के सत्ता-हस्तांतरण के पश्चात् अंग्रेजों के उत्तराधिकारी की हैसियत से कांग्रेस ने राज्य की बागडोर सम्भाली. समाजवादी गांधीवादी कांग्रेस के 30 साल शासन कार्य में राज्य की ओर से गोली चली. कांग्रेस गोली चलाने में अंग्रेज़ी शासन काल में हुए गोली कांडों में भी ज्यादह लोग मारे गये पिछले 1-2 वर्षों से जनता पार्टी शासन में है जिस रफ़्तार से देश में भयानक गोलीकांड हो रहे हैं उससे आभास होता है कि जनता पार्टी सरकार पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार का मानव संहार का 30 साल का कांटा 3 साल में पूरा करन की हड़बड़ी मचा रही है. किरन्दूल गोली कांड इसी मानव संहार के कोंटा एक हिस्सा है.

3. इन सभी गोली कांडों में गरीब हरिजन आदिवासी किसान मजदूर मारे गए, अमीर सवर्ण नहीं.

4. गोलीकांडों के पश्चात् जन-आक्रोश को शांत करन के लिये जांच आयोग बिठाय जा रहे जांच आयोग के सिफारिशों पर सरकार ने कभी अमल नहीं किया. बस्तर में लोहंड़ीगुड़ा गोलीकांड तथा जगदलपुर राजमहल गोलीकांड के लिये जिम्मेदार व्यक्ति तथा अफसरों को सरकार ने दंडित नहीं किया, न ही जांच निष्कर्षों पर अमल किया.

5. इस बार किरन्दूल गोलीकांड जांच आयोग के निष्कर्षों पर सरकार अमल करेगी इस आशा (जो कि आशा न करने के बराबर है) के साथ निम्नांकित प्रस्तुत किया जाता है :—

6. बैलाडीला लौह-खदान में कार्य दो प्रकार से होता है.

पहिला मशीनीकृत माइन्स द्वारा तथा दूसरा ठेकेदारों के मातहत मैन्युअल खदान मजदूरों द्वारा.

7. मालिक दो प्रकार के हैं एक—एन. एम. डी. सी. के सरकारी नौकर शाह मालिक तथा दूसरे ठेकदारी प्रथा के तहत मालिक ठेकेदार, मजदूर दो प्रकार के हैं एन. एम. डी. सी. के विभागीय मजदूर तथा दूसरे मालिक ठेकेदारों के मैन्युअल खदान मजदूर.

8. तीन प्रमुख ठेकेदार1. बोरा कम्पनी, 2. अशोक माइनिंग कम्पनी, 3. मनोज कम्पनी के मातहत 31 मार्च 1978 तक मैन्युअल माईन्स में काम होता रहा.

9. किरन्दूल गोलीकांड का प्रमुख कारण है मैन्युअल माईन्स बन्द होना है. डिपाजिट नं. 5 के मशीनीकरण के पश्चात् ही मैन्युअल माईन्स बन्द करने तथा मजदूरों को छंटनी का प्रश्न उपस्थित हुआ. 31 मार्च, 1978 को अशोक कम्पनी का ठेका खत्म कर दिया गया जिसके कारण हजारों मजदूर बेकार हो गये. दूसरे ठेकेदारों के ठेके भी बन्द करने थे

और उनके हजारों मजदूर बेकार होने वाले थे. तमाम मैन्युअल खदान के मजदूरों के सामने डिपाजिट नं. 5 के मशीनीकरण की वजह से बेकारी की समस्या आ खड़ी हुई. यदि डिपाजिट नं. 5 का मशीनीकरण न होता तो मजदूरों के सामने बेकारी की समस्या उत्पन्न न होती.

10. देश के करोड़ों लोग बेरोजगार हैं और दूसरी ओर कांग्रेस के जमाने से देश में उद्योगों को लगातार मशीनीकरण हो रहा है.

11. डिपाजिट न. 1, 4 व 5 के मशीनीकृत लौह उत्पाद की लागत कि 33.40 रुपये प्रति टन है, मैन्युअल माईन्स के लौह-उत्पाद की लागत मात्र 19 रुपये प्रति टन है. मैन्युअल माईन्स के लौह-उत्पाद की लागत मशीनीकृत माइन्स की तुलना में आधी है फिर डिपाजिट नं. 5 का मशीनीकरण क्यों किया जाता रहा ?

12. इसका कारण है कुछ विदेशी राष्ट्रों के कारखानों में बड़ी भारी मशीनें बन रही हैं जिसकी खपत होनी चाहिये. हमारे देश के नौकरशाही सत्ताधारी राजनीतिज्ञों को घूंस दे विदेशी राष्ट्र हमारे यहां भारी मशीनें तथा कल-पुरजे जबरन थोप रहे हैं और देशद्रोही नौकरशाह देश की अनीति को चौपटकर विदेशियों की सेवा में लगे हुए हैं.

13. रशियन पूंजी का भारत की नौकरशाही दलाल पूंजी के साथ सांठ-गांठ है. खैमका एण्ड कम्पनी भार की 75 दलाल पूंजी घरानों में से एक है. इसी कम्पनी द्वारा सोवियत रूस ने दल्ली-राजहरा के लिये कोण्डे प्लांट तथा डिपाजिट नं. 5 के मशीनीकरण के लिये भारी मशीनें बेची जब कि इनके मशीनीकरण की जरूरत नहीं थी.

14. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाली एटक एस. के. एम. एस. यूनियन के इस मशीनीकरण का विरोध नहीं किया. उल्टे उन्होंने इस मशीनीकरण से उत्पन्न होने वाली मजदूर छटनी के बारे में सरकार से लिखित समझौता कर लिया और जब छटनी होने लगी तो मजदूरों को चौंका देने के लिये भूख हड़ताल, भाषणबाजी करके अपनी निर्दोषिता सिद्ध करने लगे यह मजदूरों के साथ धोखा था.

15. अप्रैल 5 के कि इनके गोलीकांड की उपरोक्त पार्श्वभूमि समझे बगैर गोली कांड के मूल कारणों का पता लगाना संभव नहीं.

16. किरन्दूल गोली कांड का विवरण मृतकों की संख्या, आगजमी बलात्कार आदि के विषय में पृथक रूप से दस्तावेज तथा गवाहों की सूची पेश की जावेगी.

17. किरन्दूल गोलीकांड हो गुजरा. परन्तु गोलीकांड के मूल कारण आज भी मजदूरों के सामने खड़ा है गोलीकांड की पुनरावृति न हो इसलिये क्या किया जा सकता है ?

18. सैद्धांतिक रूप से जनता पार्टी सरकार ने देश के करोड़ों हाथों को काम देने का इरादा जाहिर किया है, इसको अभी रूप देने के लिये जरूरी है कि उत्पादन पद्धति तथा संबंधों में परिवर्तन के साथ-साथ उद्योगों का मशीनीकरण मानवीय श्रम के तुलना में कम किया जावे. तथा जहां उद्योगों का (जैसे डिपाजिट मं. 5) मशीनीकरण हुआ है उसको अर्धमशीनीकरण में बदल दिया जावे. यदि डिपाजिट नं. 5 का अर्ध मशीनीकरण होता है तो.—

(1) मशीनीकरण माईन्स से कम कीमत वाला और क्वालिटी में उतना ही अच्छा लोहा उत्पादन होगा.

(2) प्लांट और अर्धमशीनीकरण का खर्च अल्प समय में वसूल होगा.

(3) हजारों मजदूरों को स्थायी नौकरी मिल कर छटनी का राक्षस मारा जावेगा.

19. इस विषय पर छत्तीसगढ़ माईन्स श्रमिक संघ की ओर से बनाया गया विस्तृत प्लान दस्तावेज के रूप में पेश किया जावेगा.

नोट.—ऐसा कोई प्लान या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया.

अध्याय—तीन

1. साक्ष्य का अभिलेखन मेरे विद्वान पूर्ववर्ती न्यायाधीश द्वारा 14-10-78 को आरम्भ किया गया था और 9-11-79 को पूरा किया गया. कुल मिलाकर आयोग द्वारा 120 गवाहों के साक्ष्य अभिलिखित किए गए. इनमें से 88 गवाहों का परीक्षण स्थानीय प्रशासन द्वारा, 5 गवाहों का परीक्षण राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा, 25 गवाहों का परीक्षण संयुक्त खदान मजदूर संघ (सं. ख. म. सं.) की ओर से तथा दो गवाहों का परीक्षण आयोग द्वारा किया गया था.

2. साक्ष्य के अभिलेखन के पश्चात् मेरे विद्वान पूर्ववर्ती ने दलीलों को सुना और 10-9-80 तक उन पर निष्कर्ष निकाले और कार्रवाई पुलिस के लिए बंद कर दी गई. तथापि प्रतिवेदन नहीं लिखा गया.

3. म. प्र. राजपत्र में 28-7-82 को प्रकाशित सा. प्र. वि. (एक्स सेक्शन) की एक अन्य अधिसूचना द्वारा राज्य शासन ने मुझे आयोग का एक मात्र सदस्य तथा अध्यक्ष नियुक्त किया.

अधिसूचना निम्नानुसार है :—

"(भोपाल तारीख 28 जुलाई 1982) एफ क्र. 8-9-78-दस एक—चूंकि जांच आयोग अधिनियम (क्र. नौ, सन: 1952) की धारा के अधीन इस विभाग की अधिसूचना एफ क्रमांक 8-9-78-क्ष-एक, तारीख 20 अप्रैल 1978 द्वारा नियुक्त जांच आयोग को जिसके एक मात्र सदस्य श्री न्यायमूर्ति एस. जे. सुराणा तत्कालीन न्यायाधीश म. प्र. उच्च न्यायालय थे, तीन माह की कालावधि के भीतर अपना प्रतिवेदत प्रस्तुत करना था,

और चूंकि प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए विनिर्दिष्ट तीन माह की कालावधि समय समय पर बढ़ाई गई और अंततः इस विभाग की अधिसूचना क्र. 8-9-78-क्ष-एक, तारीख 1 जनवरी 1982, द्वारा 28 फरवरी 1982 तक बढ़ा दी गई,

और चूंकि श्री जस्टिस एस. जे. सुराणा की अध्यक्षता वाले आयोग ने बढ़ाई गई कालावधि के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया,

और चूंकि उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबंधों के अनुसार उक्त आयोग, जब तक की उसकी समाप्ति अधिसूचित नहीं की जाती, आज भी विद्यमान हैं,

जबकि उक्त आयोग की अध्यक्षता करने वाले पदधारी की पदावधि समय के बीत जाने के साथ 28 फरवरी 1982 को समाप्त हो गई है,

और चूंकि राज्य शासन ने इस जांच का कारण किसी अन्य न्यायाधीश को सौंपने का विनिश्चय किया है ताकि न्यायमूर्ति श्री सुराणा द्वारा छोड़ा गया अपूर्ण कार्य पूर्ण किया जा सके;

अतएव अब जांच आयोग अधिनियम 1952 (क्र. नौ, सन् 1952) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा :—

(एक) श्री के. एस. वर्मा सेवानिवृत्त जिला तथा सत्र न्यायाधीश इन्दौर को उक्त जांच आयोग के एकल सदस्य के रूप में नियुक्त करता है; और

(दो) उसके प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण की अवधि 27 अक्टूबर 1982 तक बढ़ाता है और उस प्रयोजन के लिए इस विभाग की अधिसूचना क्र. 8-9-78-क्ष-एक, तारीख 20 अप्रैल 1978 में निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में :—

(2) "श्री न्यायमूर्ति एस. जे. सुराणा न्यायाधीश, म. प्र. उच्च न्यायालय" शब्दों के स्थान पर "श्री के. एस. वर्मा सेवानिवृत्त जिला तथा सत्र न्यायाधीश इन्दौर" प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(3) "आयोग अपना प्रतिवेदन 28 फरवरी 1982 तक प्रस्तुत करेगा", शब्दों, अंकों तथा अक्षरों के स्थान पर "आयोग अपना प्रतिवेदन 27 अक्टबर 1982 तक प्रस्तुत करेगा" शब्द, अंक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजकुमार खन्ना, अपर मुख्य सचिव."

4. मेरे कर्मचारियों की नियुक्ति में काफी कुछ महीने गुजर गए. आयोग के अभिलेख मुझे प्राप्त होने में लगभग एक वर्ष का समय लग गया. ये अभिलेख मुझे वास्तव में 25 अगस्त, 1983 को प्राप्त हुए.

5. मेरे समक्ष निम्नलिखित पक्ष उपस्थित हुए :—

पक्ष		अधिवक्ता
(1) जिला प्रशासन बस्तर जिला	..	(1) श्री एल. एस. बघेल (2) श्री आर. बी. कानूनगो
(2) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम	..	(1) श्री वाई. एस. धर्माधिकारी (2) श्री पी. एस. नायर (3) श्री एन. डी. झा
(3) संयुक्त खदान मजदूर संघ	..	(1) श्री पी. एल. दुबे (2) श्री के. सी. बन्सल (3) श्री रुस्ती दाजी

श्री ए. एस. माथुर महाधिवक्ता आयोग की सहायता करने के लिए उपस्थित हुए.

अध्याय——चार

6 सामान्य पृष्ठभूमि

बस्तर जिला "दण्डकारण्य" नामक क्षेत्र के बीचों-बीच स्थित है. इसमें भूतपूर्व बस्तर और कांकेर रियासतों के क्षेत्र सम्मिलित हैं, जो मध्यप्रदेश के धुर दक्षिण-पूर्वी छोर पर हैं. यह एशिया का सबसे बड़ा जिला है. इसका क्षेत्रफल केरल राज्य से भी बड़ा है. इसमें अधिकांशतः आदिवासी रहते हैं. जगदलपुर बस्तर जिले का मुख्यालय है. दक्षिण-पश्चिम में बेलाडीला नामक पहाड़ियां है, जो अपने अत्यन्त समृद्ध लौह अयस्क के विस्तृत निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध हैं, जिन्हें मात्रा तथा किस्म दोनों ही दृष्टियों से सर्वोत्तम माना जाता है. लौह-अयस्क में लोहे का प्रतिशत 60 प्रतिशत से भी अधिक बताया जाता है.

7. किरन्दुल एक छोटी वस्ती है, जिसकी जनसंख्या लगभग 30,000 हैं. यह जगदलपुर से लगभग 80 मील या 128 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण-पश्चिम की ओर बस्तर जिले की दंतेवाड़ा तहसील में स्थित है. यह स्थान जगदलपुर होकर रायपुर से सड़क द्वारा जुड़ा हुआ है, जो वहां से लगभग 264 मील या 424 किलोमीटर दूर है. यह बस्ती पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम सीमित (रा. ख. वि. नि.) द्वारा बैलाडीला पर्वतमालाओं में स्थित निक्षेप क्र. 14, 11-ए तथा 11-बी और 11-सी में खनन संकार्य आरंभ करने के पश्चात बढ़ गई है. किरन्दुल बस्ती में एक छोटा बाजार, एक बस स्टेंड, डाक घर, केन्द्रीय विद्यालय एक उपाधि महाविद्यालय और एक चिकित्सालय है, जिसका संचालन तथा प्रबंध राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा किया जाता है. लगभग 30,000 की आबादी में से केवल लगभग 1100 व्यक्ति निक्षेप क्र. 14 तथा 11-सी पर सीधे खनन संकार्यों से संलग्न हैं. शेष ऐसे व्यक्तियों में से, जो खनन संकार्यों में लगे हुए हैं, आदिवासियों की संख्या बहुत कम है. अधिकारियों तथा मिस्त्रियों के अलावा, काम पर लगाए गए श्रमिक भी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के जिलों के थे.

8 यह बस्ती बैलाडीला पहाड़ियों के निक्षेप क्र. 14 की ढलान पर तराई में स्थित है. अप्रैल, 1978 में हुई दुर्भाग्यपूर्ण वारदात को छोड़कर यह एक शांतिपूर्ण बस्ती रही है.

9. बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना, विशेष रूप से किरन्दुल स्थित निक्षेप क्र. 14 के संबंध में कुछ जानकारी देना आवश्यक है, जहां बचेली स्थित निक्षेप क्र. 5 के साथ-साथ जो किरन्दुल से लगभग 8 किलोमीटर दूर है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा कार्य किया जा रहा है.

10. स्थानीय प्रशासन, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम तथा संयुक्त खदान मजदूर संघ की ओर से (श्री सी. आर. बक्षी) द्वारा फाइल किए गए विवरणों से निर्विवाद रूप से यह सिद्ध हो जाता है कि बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना (निक्षेप क्र. 14) का विकास भारत सरकार तथा जापानीज स्टील मिल्स के बीच दीर्घकालिक आधार पर किए गए एक करार के अन्तर्गत एकमात्र जापान को लौह अयस्क का निर्यात करने के लिये किया गया है. इस खदान का कार्य 1968-69 में आरंभ हुआ था. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा यह बताया गया है कि विभिन्न कारणों से यह खदान अपनी निर्धारित क्षमता प्राप्त न कर सकी. इसके साथ ही पास ही में बचेली में स्थित निक्षेप क्र. 5 का कार्य आरंभ करने में भी विलम्ब हुआ, जिसका विकास भी जापान के साथ किए गए उक्त ठेके के अधीन निर्यात की वचनबद्धता को पूरा करने के लिये किया जाना था, जिसके कारण जापानीज स्टील मिल्स को कम मात्रा में लौह अयस्क की पूर्ति की जा सकी. संभावित सीमा तक संविदात्मक दायित्वों की पूर्ति करने के उद्देश्य से उत्पादन में वृद्धि करने के लिये अत्यावश्यक अल्पकालिक उपाय अपनाने पड़े थे. बैलाडीला कांम्पलेक्स में संविदागत श्रमिकों के जरिए खदान से मुख्यत: इसी पृष्ठभूमि में फ्लोट अयस्क निकालने का निर्णय लिया गया था. इस प्रकार फ्लोट अयस्क का खनन विशुद्धत: एक तदर्थ व्यवस्था थी, जो कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा कठिन स्थिति पर काबू पाने के लिये अस्थायी रूप से अपनायी गयी थी.

11. लौह अयस्क निकालने का कार्य संगत समय अर्थात 1977,1978 में दो तरीकों से किया जा रहा था पहला मशीन संकार्य से और दूसरा ठेकेदारों द्वारा, जो अयस्क को सतह से इकट्ठा कराते थे. दूसरा तरीका फ्लोट अयस्क खनन संकार्य कहलाता है.

12. फ्लोट अयस्क निकालने वाले ठेकेदारों की तथा उनके द्वारा नियोजित श्रमिकों की स्थिति निम्नानुसार है.—

क्रमांक (1)	ठेकेदार का नाम (2)	कामगारों की संख्या (मोटे तौर पर) (3)	संविदागत उत्पादन (4)	ठेका समाप्त होने की तारीख (5)
1	मेसर्स अशोक माईनिंग ..	1653	मई 1975 से मई 1978 के दौरान 22 लाख टन.	31-5-78
2	मेसर्स बी. डी. भानोत एण्ड सन्स	1360	मई, 1975 से सितम्बर, 1978 के दौरान 19.2 लाख टन.	30-9-78
3	मेसर्स उमेदराय बोरा ..	2300	सितम्बर 1975 के दौरान 34.5 लाख टन.	30-9-78
4	मेसर्स एम. पी. आयरन ओर ..	1100	जुलाई, 1975 से मार्च, 1979 तक 22 लाख टन.	31-3-79

ऊपर उल्लिखित 4 फ्लोट अयस्क उत्खनन ठेकों के अलावा, दो और ठेकेदार वैगनों में माल लादने तथा मशीनीकृत खनन अयस्क का समतलन करने के लिए लगाए गए, जिनके ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

क्रमांक (1)	ठेकेदार का नाम (2)	ठेके का स्वरूप (3)	कामगारों की संख्या (4)	शिविर (5)
1	मेसर्स श्री लक्ष्मी नारायण भगवान ट्रस्ट	लदाई तथा समतलन	लगभग 700	किरन्दुल
2	मेसर्स अमरीकसिंह	समतलन ..	लगभग 100	किरन्दुल

12. समस्त ठेकेदारों को लौह अयस्क निकालने या खरीदने के लिए विभिन्न क्षेत्र आवंटित किए गए थे, जिनमें अयस्क निकालने का काम अधिकांशतः श्रमिकों से कराया जाता था. किरन्दुल बचेली में अलग-अलग स्थानों पर उनके कैम्प हैं. अपने कामगारों के रहने के लिए उन्होंने उन स्थानों पर बांसों तथा बांस की चटाईयों की अस्थायी झोंपड़ियां बनाई हैं. मेसर्स अशोक माईनिंग कम्पनी किरन्दुल से 14 कि. मी. दूर मलिगर घाटी नामक स्थान में कार्य करती रही है. मेसर्स बनारसीदास भानोत एण्ड सन्स, निक्षेप क्र. 5 बचेली के पास स्थित निक्षेप क्र. 11-ए में कार्य कर रहे हैं और उनका मजदूर शिविर किरन्दुल/बचेली में हैं. मेसर्स उमेद राय वोरा निक्षेप क्र. 14 के पास 11-बी तथा 11-सी में कार्य करते रहे हैं और उनका मजदूर शिविर किरन्दुल में है.

13. जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, मेसर्स अशोक माइनिंग कम्पनी को 31-5-1978 तक 22 लाख टन लौह अयस्क की पूर्ति करने का ठेका दिया गया था. इस कम्पनी ने 31-3-78 तक लौह अयस्क की इस संविदागत मात्रा की पूर्ति कर दी. रा. ख. वि. नि. के अनुसार लौह अयस्क की इस संविदागत मात्रा की पूर्ति के पश्चात् उनके पास रा. ख. वि. नि. के साथ या क्षेत्र में खनिकर्म संबंधी कोई कार्य नहीं रहा. इसका यह अर्थ है कि जहां तक लौह अयस्क निकालने तथा रा. ख. वि. नि. को लौह अयस्क की पूर्ति करने का प्रश्न था, ठेकेदार द्वारा नियोजित कामगारों के लिये कोई कार्य शेष नहीं था.

14. उपर्युक्त परिस्थितियों में, मेसर्स अशोक माइनिंग कम्पनी ने 22-12-77 को संबंधित प्राधिकारियों को इस आशय की सूचना भेजी कि वे अपना कार्य बन्द करना तथा अपने 1653 कर्मचारियों की सेवायें समाप्त करना चाहते हैं. मेसर्स अशोक माइनिंग कम्पनी में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 27 (ढ) तथा धारा 25 (ण) के उपबंधों के अन्तर्गत कामगारों की सेवायें समाप्त करने संबंधी अपने आशय की सूचना अपने कामगारों को भी दे दी थी और उन्हें 31-3-78 तथा 1-4-78 को अपनी देय राशियां प्राप्त करने के लिये बुलाया था. इससे मेसर्स वोरा एण्ड कं. तथा भानोत एण्ड सन्स के श्रमिकों को, जिनकी छटनी सितम्बर, 1978 तक की जानी थी, यह संकेत मिल गया कि उनका भी यही अंजाम होगा.

15. इस समय बैलाडीला परियोजना में दो श्रमिक यूनियन कार्यरत थीं एक आइटक (आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस) से संबद्ध संयुक्त खदान मजदूर संघ (सं. ख. म. सं.) तथा दूसरी इंटक (इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस) से संबद्ध मेटल मिनरल वर्कर्स यूनियन (मे. मि. व. यू.) का निक्षेप क्र. 14 का यंत्रीकृत खदानों के श्रमिकों पर अधिक प्रभाव था किन्तु ठेकेदारों के जरिए चलाई जा रही फ्लोट अयस्क खदानों के श्रमिकों पर सं. ख. म. संघ का प्रभाव अधिक था.

16. उस समय जापान खनिज तथा धातु व्यापार निगम तथा जापान की निम्नलिखित 8 स्टील मिलों के को आर्डिनेटर के बीच 3 अप्रैल, 1970 को हुए करार के अधीन बैलाडीला का लौह अयस्क खरीद रहा था.

	नाम	पंजीयित कार्यालय
(1)	निप्पान स्टील कारपोरेशन ..	.. 6-3 ओतेमाची 2-चोम चियोदा-कु-टोकियो
(2)	निप्पान कोहन कबुशिकी कैशा	.. 1-3 ओतेमाची 1-चोम चियोदा-कु-टोकियो
(3)	सुमिरोमो मेटल इन्डस्ट्रीज लि.	.. 15 किताहमा 5-चोम हिगाशी-कु-ओस्का
(4)	कावासाकी स्टील करापोरेशन	.. 1, 1-चोम किताहोऊ-चोदोन फुकिआई-कु-कोबे
(5)	योकायामा स्टील वर्क्स लि.	.. 3 फिमानाची, तैशो-कु-ओस्का 36-1
	बोबे स्टील लि.	.. 1-चोम, विकि वाकिन्स हामा फुकुआई कु कोबे.
(6)	ओस्का आयरन एण्ड स्टील कं. लि.	.. 8 उमेदामाची किता कु ओस्का
(7)	निशान स्टील कं. लि. ..	.. 4-1, मारुनाउची 3-चोम, चियोदा कु. टोकियो

17. दि. 3–4–70 को हुए उपर्युक्त करार के अनुच्छेद 3 में लौह अयस्क की सुपुर्दगी की अनुसूची दी गई है. यह अनुच्छेद निम्नानुसार है :—

अनुच्छेद (3) सुपुर्दगी की मात्रा तथा सुपुर्दगी की अवधि:

सुपुर्दगी की अवधि तथा संबंधित सकल मात्रा, जिसके लिये विक्रेता तथा प्रत्येक क्रेता के बीच पृथक् से संविदा की जाती है, निम्नानुसार होगी :—

संविदा वर्ष		सुपुर्दगी मात्रा ड्राय लांग टन्स
प्रथम वर्ष (अप्रैल 1971 से मार्च 1972 तक)	..	4,700,000
द्वितीय वर्ष (अप्रैल, 1972 से मार्च 1973 तक)	..	5,000,000
ततीय वर्ष (अप्रैल, 1973 से मार्च, 1974 तक)	..	5,000,000
चतुर्थ वर्ष (अप्रैल, 1974 से मार्च 1975 तक)	..	7,200,000
पंचम वर्ष (अप्रैल, 1975 से मार्च, 1976 तक)	..	7,700,000
छठा वर्ष (अप्रैल, 1976 से मार्च, 1977 तक)	..	7,700,000
7वां वर्ष (अप्रैल 1977 से मार्च, 1978 तक)	..	7,800,000
8वां वर्ष (अप्रैल 1978 से मार्च, 1979 तक)	..	7,800,000
9वां वर्ष (अप्रैल 1979 से मार्च, 1980 तक)	..	7,800,000
10 वां वर्ष (केवल 1980 से)	..	5,60,000
योग	..	61,260,000 (ड्राई लांग टन)

क्रेता के विकल्प पर न्युनाधिक रूप में दस प्रतिशत की छूट के अध्यधीन विक्रेता को भी नियत मात्रा को 10 प्रतिशत तक कम करने का अधिकार था. यदि 10 प्रतिशत की सीमा के भीतर क्रेता वृद्ध करने के विकल्प का प्रयोग करता है और विक्रेता कम करने के विकल्प का प्रयोग करता है तो सुपुर्दगी की मात्रा पारस्परिक वार्ता के अनुसार तय होगी. तथापि विशिष्ट परिस्थितियों के मामले, यदि आवश्यक प्रतीत हो तो नियत मात्रा से 10 प्रतिशत की वृद्धि या कमी की अनुमति उस स्थिति में दी जा सकेगी जब विक्रेता और क्रेता दोनों ही परस्पर सहमत हों.

18. प्रत्येक वर्ष प्रत्येक क्रेता को सुपुर्द की जाने वाली मात्रा वर्ष प्रारंभ होने के तीन माह पूर्व क्रेता द्वारा विक्रेता को अधिसूचित की जाएगी.

19. इस प्रकार यह बात ध्यान देने योग्य है कि उक्त अनुच्छेद के अन्तर्गत पक्षकारों को बेची या खरीदी जाने वाली मात्रा में वृद्धि या कमी करने का विकल्प दिया गया है.

इस खण्ड का लाभ उठाते हुए जापान मिल्स ने वर्ष 1977-78 के दौरान सुपुर्द की जाने वाली मात्रा में 10 प्रतिशत तक कमी करने के क्रेता-विकल्प का प्रयोग किया था. करार का अनुशेष (एडेंडम) 20 अप्रैल, 1977 को प्रभावी हुआ था. यह अनुशेष निम्नानुसार है :—

बेलाडीला लोह अयस्क के करारपत्र का अनुशेष (एडेंडम).

टोक्यो, 20 अप्रैल, 1977

मिनरल्स एण्ड मेटल ट्रेडिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (जिसे इसमें इसके पश्चात् विक्रेता कहा गया है) और स्टील मिल्स आफ जापान (जिसे इसमें इसके पश्चात् क्रेता कहा गया है) के बीच तथा द्वारा हस्ताक्षरित 3 अप्रैल 1970 को बेलाडीला भारत मूल के लम्फो हेमेटाइज लोह अयस्क के विक्रय तथा क्रय की संविदा के अनुसार, वित्तीय वर्ष 1977 के दौरान सुपुर्द की जाने वाली मात्रा के लिए इसके द्वारा निम्नानुसार परस्पर करार किया जाता है :—

(1) उक्त संविदा के अनुच्छेद (3) के अनुसार क्रेता 7,800,000 डी. आई. एम. में 10 प्रतिशत तक की मात्रा कम करने के विकल्प का प्रयोग करगा.

(2) कुल मात्रा 7,20,000 ड्राईलांग टन होगी और अस्थायी मासिक पोत परिवहन कार्यक्रम निम्नानुसार होगा :—

माह	मात्रा (ड्राई लांग टन में)
अप्रैल	60,000
मई	670,000
जून	570,000
जुलाई	570,000
अगस्त	470,000
सितम्बर	470,000
अक्टूबर	5,00,000
नवम्बर	540,000
दिसम्बर	600,000
जनवरी	700,000
फरवरी	600,000
मार्च	700,000
योग	7,20,000

20· (3) तथापि, दोनों पक्षकार वित्तीय वर्ष 1977 की द्वितीय तिमाही (जुलाई से सितम्बर तक) में वर्ष के उत्तरार्थ (अक्टूबर से मार्च) के दौरान सुपुर्द की जान वाली मात्रा में वृद्धि करन की संभावना पर विचार करने के लिए सहमत हैं, बशर्ते दोनों पक्षकार इस बात को आवश्यकता महसूस करें.

क्रेता

हस्ता.

टी. ईमई
स्टील मिल्स जापान के लिए को आर्डिनेटर.

विक्रेता

हस्ता.

बी. एस. भटनागर
कार्यकारी संचालक
दि मिनरल्स एंड मेटल्स ट्राडग कार्पोरेशन आफ इंडिया.

अनुशेष (एडेंडम) दिनांक 20 अप्रैल, 1977 का उपाबंध (एनेक्सर) टोक्यो,
20 अप्रैल, 1977.

विषय : वित्तीय वर्ष 1977 के दौरान सुपुर्द की जाने वाली बैलाडीला लौह अयस्क की मात्रा.

इस समस्य टोक्यो गए भारतीय प्रतिनिधि मण्डल और स्टील मिल्स आफ जापान के बीच 11 से 20 अप्रैल, 1977 तक हुई चर्चा में—

(1) भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने वित्तीय वर्ष 1977 में सुपुर्दगी के लिए 7.8 मिलि. ड्राई लांग टन का प्रस्ताव किया और उक्त मात्रा के उत्पादन, परिवहन एवं पोत परिवहन के लिए की गई व्यवस्थाओं को स्पष्ट किया.

(2) इसके अतिरिक्त भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने असमान पोत परिवहन में उन्हें होने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को भी स्पष्ट किया.

(3) दि स्टील मिल्स आफ जापान ने जापानी इस्पात उद्योग की वर्तमान स्थिति स्पष्ट की और मात्रा में दस (10 प्रतिशत) की कमी करने के विकल्प के प्रयोग की घोषिणा की.

(4) दि स्टील मिल्स आफ जापान ने यह भी बताया कि वे समान प्रसरण आधार पर जहाज निर्दिष्ट करने के प्रयास करेंगे.

हस्ता.

(टी ईमई)
स्टील मिल्स आफ जापान
के कोआर्डिनेटर के रूप में

हस्ता.

(वी. एस. भटनागर)
कार्यकारी संचालक
दि मिनरल्स एण्ड मेटलस ट्रेडिंग
कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड

21. यहां स्टील मिल्स आफ जापान के कोआर्डिनेटर से प्राप्त पत्र, दिनांक 19 मार्च, 1975 के पैरा 3 का भी उल्लेख किया जा सकता है, जिसमें दि मिनरल एण्ड मेटल्स ट्रेडिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेडद्वारा बेलाडिला लोहा अयस्क के मूल्य के पुनरीक्षण की मांग का हवाला देते हुए खदानों में आधुनिकीकृत संकार्य को आवश्यकता का और इस्पात उद्योग में विद्यमान भारी स्फीति के कारण हुई मंदी का भी उल्लेख किया गया है. पत्र निम्नानुसार है :—

टोक्यो, 19 मार्च 1975

प्रति,

श्री सी. आर. देव,
संचालक, एम.एम.टी.सी. आफ इंडिया.

प्रेषक :—वाई अदाची स्टील मिल्स आफ जापान के लिए कोआर्डिनेटर

विषय :—बैलाडीला लोह अयस्क.

महोदय,

कृपया बैलाडीला लोह अयस्क के मूल्य में 1-8-1975 से ऊर्ध्वगामी पुनरीक्षण करने के लिए किये गये आपके अनुरोध के संबंध में 12 तथा 14 मार्च, 1979 को हमारे साथ आपके अध्यक्ष के नेतृत्व में आपके प्रतिनिधि मण्डल से हुई चर्चा पर ध्यान दें.

आपके प्रतिनिधि मण्डल ने रेल भाड़ा, डाक व्यय तथा अधिप्राप्ति खर्च आदि में हुई उस वृद्धि को विस्तारपूर्वक स्पष्ट किया था, जो अक्टूबर, 1974 के दौरान तयशुदा बैलाडीला लौह अयस्क के मूल्य में किये गये विगत पुनरीक्षण के बाद भारत में हुई है, और जिसका उत्खनन आपके अनुसार अलाभकर हो गया है.

आपके द्वारा स्पष्ट की गई स्थिति का मूल्यांकन करते समय हमने इस्पात उद्योग में विद्यमान भारी स्फीति के कारण आई मंदी के साथ-साथ बैलाडीला लोह अयस्क के आर्थिक दायित्व को बढ़ाने के लिये आधुनिकीकृत संकार्य के महत्व पर जोर दिया था. हमने 11 अक्टूबर, 1974 के पत्र के प्रकाश में इस समय बैलाडीला लोह अयस्क के मूल्य में आगे वृद्धि करने के आपके अनुरोध को पूरा करने की हमारी असमर्थता को भी स्पष्ट किया.

हम इसके द्वारा इस बात की पुष्टि करना चाहेंगे कि हमने आस्ट्रेलिया सहित अन्य स्रोतों से अयस्क के लिए 1-4-1975 से किसी भी मूल्य वृद्धि को मान्य नहीं किया है.

भवदीय,
हस्ता. वाई अदाची
स्टील मिल्स जापान के
लिए कोआर्डिनेटर के रूप में

22. उपर्युक्त दस्तावेज से राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की इस बात को समर्थन प्राप्त होने की बात स्पष्ट हो जाती है कि वह लोह अयस्क के अपर्याप्त उठाव के कारण कठिन स्थिति का सामना कर रहा था. (रा.ख.वि.नि. के लिखित विवरण के पैरा 11 का उप पैरा 4)

23. विवरण के पैरा 2(2) में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने इस बात पर भी विवाद उठाया कि बैलाडीला निक्षेप क्र. 5 (बचैली) पर कार्य आरंभ करने में विलम्ब होने के कारण, जो कि जापानी स्टील मिल्स को लोह अयस्क की कम मात्रा में पूर्ति के कारणों में से एक था, उत्पादन में वृद्धि करने के लिए एक अत्यावश्यक अल्पकालिक उपाय के रूप में श्रमिकों द्वारा फ्लौट अयस्क निकलवाने का निर्णय लिया गया.

24. इस संबंध में जापान से प्राप्त तारीख 27 सितम्बर, 1973 के पत्र का हवाला दिया जा सकता है, जिसमें ठेके को रद्द करने की धमकी दी गई थी. वह पत्र निम्नानुसार था :—

टोक्यो, 27 सितम्बर, 1973.

प्रति,

श्री एस. रंगाचारी,
महाप्रबंधक,
दि मिनरल्स एण्ड मेटल्स ट्रेडिंग
कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड

प्रेषक,

टी. इमई
जापान स्टील मिल्स के लिए
कोआर्डिनेटर के रूप में.

विषय :—वित्तीय वर्ष 1972 के लिए बैलाडीला लोह अयस्क की सुपुर्द न की गई मात्रा.

बैलाडीला इण्डिया ओरीजिन के लम्फी हेमेटाइट लौह अयस्क के क्रय और विक्रय के लिए तारीख 3 अप्रैल, 1970 को निष्पादित की गई संविदा के अधीन वित्तीय वर्ष 1972 के दौरान बैलाडीला लौह अयस्क की सुपुर्दगी के संबंध में, हम आपको यह सूचित करना चाहेंगे कि मार्च 1973 के अन्त तक लगभग 3,630,000 ड्राई लांग टन को सुपुर्दगी हमें प्राप्त हुई है और लगभग 1,37,000 ड्राई लांग टन की मात्रा अभी तक हमारे सुपुर्द नहीं की गई है.

ऊपर उल्लिखित सुपुर्द न की गई मात्रा के संबंध में हम आपको इसके द्वारा यह सूचित करते हैं कि जापान स्टील मिल्स उक्त संविदा में अनुबंधित अनुच्छेद (21) के अनुसार उसे रद्द करने का प्रस्ताव करते हैं.

आपको यह भी परामर्श दिया जाता है कि वित्तीय वर्ष 1972 के दौरान सुपुर्द न की गई इस मात्रा की गणना की विवर्न तथा बैलाडीला लौह अयस्क पर आधारित करार को पूरा करने के संबंध में आपके निगम के भूतपूर्व अध्यक्ष मि. आर. आर. बहल को संबोधित तारीख 3 अप्रैल, 1970 के पत्र में परस्पर करार किये अनुसार कुल 80,000,000 टन की कुल मात्रा (किरन्दुल और बैलाडीला लौह अयस्क) के एक भाग के रूप में की जाएगी.

हस्ता.—

टी. इमई,

जापान स्टील मिल्स के लिए

कोआर्डिनेटर के रूप में

पुष्टिकृत

हस्ता. एस. रंगाचारी,

महाप्रबंधक,

दि मिनरल्स एण्ड मेटल्स
ट्रेडिंग कार्पोरेशन आफ
इंडिया लिमि.

यह उल्लेखनीय है कि इसी प्रकार का एक पत्र पहले 2 जून, 1972 को भी दिया गया था. इस संबंध में 3 अप्रैल, 1970 के पत्र का हवाला दिया जा सकता है, जिसमें जापान ने बेलाडीला निक्षेप परियोजना को पूरा करने की आवश्यकता पर जोर दिया था. यह पत्र निम्नानुसार है :—

टोक्यो, 3 अप्रैल, 1970

प्रति,

श्री आर. आर. बहल,

अध्यक्ष,

दि मिनरल्स एण्ड मेटल्स
ट्रेडिंग कार्पोरेशन आफ
इण्डिया लिमि.

प्रेषक,

एम. मत्सुदा,
जापान स्टील मिल्स
के लिए कोआर्डिनेटर के रूप में

विषय :—बी. ओ. एच. तथा बैलाडीला निक्षेप क्र. 5 की विकास परियोजनाओं की प्रगति के संबंध में प्रतिवेदन.

25. स्टील मिल्स आफ जापान और दि मिनरल्स एण्ड मेटल्स ट्रेडिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड ने बैलाडीला के लम्पो हेमेटाइट लोह अयस्क की बिक्री और खरीद के लिए 3 अप्रैल, 1970 को एक दीर्घावधि संविदा की थी.

चूंकि उपर्युक्त संविधा बी. ओ. एच. तथा बैलाडीला के निक्षेप क्र. 5 की विकास परियोजना के समापन पर निर्भर है, इसलिये हम अपनी परस्पर सुविधा के लिये यह अनुरोध करते हैं कि आप हमें उपर्युक्त संविदा की तारीख से बी. ओ. एच. से प्रथम पोत परिवहन के समय तक बी. ओ. एच. तथा बेलाडीला निक्षेप क्र. 5 की विकास परियोजनाओं की प्रगति की सूचना प्रत्येक छहमाही में देते रहें.

हस्ता. एम. मत्सुदा,

स्टील मिल्स ऑफ जापान के लिये कोऑर्डिनेटर
के रूप में.

प्राप्ति अभिस्वीकृति

हस्ता. आर. आर. वहल,

अध्यक्ष,

दि. मिनरल्स एन्ड मेटल्स,

ट्रेडिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लि.

26. इस बात का उल्लेख पहले हो किया जा चुका है कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अनुसार उन्होंने कठिन परिस्थिति को देखते हुये आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये विशुद्धतः तदर्थ आधार पर ठेके पर नियोजित श्रमिकों से फ्लोट अयस्क निकलवाने का निर्णय लिया था. उन्होंने चार ठेके दिये थे, जिनके ब्यौरे का उल्लेख इस अध्याय के पैरा 12 में पहले ही किया जा चुका है. उनमें से मेसर्स अशोक माइनिंग कम्पनी की अवधि सबसे पहले समाप्त हो गई और इस कम्पनी का ठेका पूर्ण हो जाने पर, उसने उसके द्वारा नियोजित श्रमिकों को, औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन 22-12-77 को नोटिस देकर उनकी छटनी करने की कार्रवाही की. मेसर्स अशोक माइनिंग कम्पनी के साथ किये गये ठेके के अंशों का हवाला देना उपयोगी होगा. दिनांक 21-4-75 के पत्र के अनुसार बैलाडीला लोह अयस्क परियोजना के महाप्रबंधक ने, फ्लोट लोह अयस्क खदानों के निक्षेप क्र. 14 से 22 लाख ड्राइ मीट्रिक टन लोह अयस्क की सुपुर्दगी का मेसर्स अशोक माइनिंग कंपनी की निविदा 19 रु. प्रति ड्राईमीट्रिक टन की दर पर स्वीकार की. बाद में तारीख 14-11-75 को एक औपचारिक करार निष्पादित किया गया. इस करार की मद क्र. 3 निम्नानुसार है:--

3. इस कार्य में निम्नलिखित शामिल हैं:--

संबद्ध नक्शे में चिह्नित क्षेत्र से --6" से + --3/8" के आकार में 65 प्रतिशत लोह युक्त 22--00 लाख डी. एम. टी. (ड्राय मीट्रिक टन) लोह अयस्क का खनन तथा आकरण, किरन्दुल स्थित मशीनीकृत / श्रम चालित लदान संयंत्र पुंज तक परिवहन और सुपुर्दगी.

करार की मद 4 निम्नानुसार है:--

4. ठेकेदार के पत्र क्र. ए. एम. सी. आर. एम. (एफ. ओ.)।12002।क्यू., ता. 14-4-75 तथा निगम के पत्र क्र. पी. एम. (एफ. ओ.)।पी. ए.।डब्ल्यू. ओ.।758।75, ता. 21-4-75 के अनुसार सुपुर्दगी अनुसूची 4 निम्नानुसार है:--

सुपुर्दगी अनुसूची

माह		1975-76	1976-77	1977-78	1978-79
अप्रैल	..	..	50,000	60,000	60,000
मई	..	50,000	60,000	60,000	40,000
जून	..	40,000	50,000	50,000	..
जुलाई	..	35,000	35,000	35,000	..
अगस्त	..	30,000	35,000	35,000	..
सितम्बर	..	35,000	45,000	45,000	..
अक्टूबर	..	45,000	55,000	55,000	..
नवम्बर	..	70,000	80,000	80,000	..
दिसम्बर	..	75,000	80,000	80,000	..
जनवरी	..	75,000	85,000	85,000	..
फरवरी	..	70,000	80,000	80,000	..
मार्च	..	75,000	85,000	85,000	..
योग	..	6,00,000	7,50,000	7,50,000	1,00,000

कुल योग 22,00,000 ड्राय मैट्रिक टन (डी. एम. टी.).

निगम ने एक माह का नोटिस देने के बाद किसी भी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये मासिक अनुसूची में क. 5 प्रतिशत माह की सीमा तक परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखा था.

सुपुर्दगी की उपर्युक्त मासिक अनुसूची संविदा की अत्यावश्यक शर्त होगी तथा दर्शायी गयी मात्रायें पूर्ति की जाने वाली न्यूनतम मात्रायें हैं. कम पूर्ति की अनुमति नहीं दी जायेगी. तथापि, अनुसूची में दी गई मात्राओं से अधिक सुपुर्दगी निगम द्वारा अपने स्वविवेक से स्वीकृत की जा सकेगी.

27. करार के अनुच्छेद 48 के अधीन कम पूर्ति के लिये करार में 2 रु. प्रतिदिन डी. एम. टी. के हिसाब से शास्ति की व्यवस्था है. करार के अनुच्छेद 49 में मानक से घटिया अयस्क की पूर्ति के लिये शास्ति की व्यवस्था है. करार के अनुच्छेद 3 में मानक विनिर्दिष्ट किया गया है जिसे उदधृत नहीं किया गया है क्योंकि यह आवश्यक नहीं है.

28. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मेसर्स अशोक माइनिंग कार्पोरेशन का ठेका 31-5-1978 तक 22 लाख टन अयस्क की पूर्ति करने का था किन्तु ठेकेदार अनुच्छेद 4 के अधीन विहित अनुसूची से अधिक मात्राओं की सुपुर्दगी करके ठेके की अवधि घटा सकता था. जैसा कि इस मामले में हुआ, उक्त ठेकेदार ने संविदाकृत मात्रा अर्थात 22 लाख टन लोह अयस्क की सुपुर्दगी 31-3-1978 तक कर ली और इसलिये अशोक माइनिंग कम्पनी के साथ किया गया ठेका दि. 31-3-1978 को अर्थात 31-5-1978 की अनुसूचित अवधि के दो माह पूर्व समाप्त हो गया. इस स्थिति को मेसर्स अशोक माइनिंग कार्पोरेशन ने अयस्क की संविदाकृत मात्रा की सुपुर्दगी कर दी और इसलिये उनका ठेका 31-3-78 तक समाप्त हो गया. न तो विचरणों (प्रविवरण) में और न ही आयोग के समक्ष प्रस्तुत किये गये मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य में चुनौती दी गई है.

29. जैसा कि इसके पहले कहा गया है, फ्लोट लोह अयस्क निकालने तथा उसकी सुपुर्दगी के लिये तीन अन्य ठेकेदार और उनकी अवधियां, मेसर्स बी. डी. भानोत एण्ड सन्स तथा मेसर्स उमेदराय वोहरा के संबंध में 30-9-78 को समाप्त होने वाली थीं. मेसर्स एम. पी. आयरन ओर माइनिंग कार्पोरेशन का ठेका 31-3-79 को समाप्त होने वाला था.

30. उक्त कम्पनियों के करार उदधृत नहीं किये जा रहे हैं क्योंकि यह आवश्यक नहीं है. यह कहना पर्याप्त होगा कि उनके करार में भी नूनाधिक रूप में वहीं शर्तें अंतर्विष्ट थीं जो कि मेसर्स अशोक माइनिंग कम्पनी के मामले में थीं.

अध्याय पांच

प्रारंभिक आक्षेप

31. मेरे समक्ष दलील देते हुए एन. एम. डी. सी. के विद्वान वकील श्री वाई. एस. धर्माधिकारी ने श्री अमरीकसिंह द्वारा फाइल किये गये बयान, जिसे इस प्रतिवेदन के अध्याय दो, मद एक में उद्धृत किया गया है, का हवाला दिया, जिसे उन्होंने प्रारंभिक आक्षेप कहा और दलील दी कि खनन कर्मकारों के प्रदर्शनों के कारणों तथा घटना क्रम की जांच करने के लिये राज्य शासन द्वारा की गई नियुक्ति एक ऐसा विषय है, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 (2) के अधीन यथा परिभाषित औद्योगिक विवाद की श्रेणी में आता है. लोह अयस्क खदानों संबंधी औद्योगिक विवाद के संबंध में औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2 (क) के अधीन समुचित शासन केन्द्रीय शासन होगा. जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 2 (क) के अधीन भी ऐसे विवाद की जांच कराने के लिये आयोग नियुक्त करने के लिये भी समुचित शासन केन्द्रीय शासन ही होगा.

32. यहां यह उल्लेखनीय है कि श्री अमरीक सिंह, जिन्होंने बयान फाइल किया था, जिसमें केवल पूर्वोक्त आक्षेप उठाया गया था, न तो मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी के समक्ष और न मेरे समक्ष उपस्थित हुये और न ही उन्होंने आक्षेप की पैरवी की. तथापि उक्त आक्षेप पर पक्षों की सुनवाई करने के पश्चात मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी ने अपने आदेश, दिनांक 24-7-78 के पैरा 7 के अनुसार उक्त आक्षेप को अस्वीकृत कर दिया.

33. इसलिये उसी आक्षेप पर फिर से विचार करने की आवश्यकता नहीं है. इसके अलावा मैं यहां इस बात का भी उल्लेख करना चाहूंगा कि राज्य शासन द्वारा इस आयोग की नियुक्ति औद्योगिक विवाद की जांच करने के लिये नहीं की गई है. मेरी राय में यह आयोग निश्चित रूप से खनन कर्मकारों द्वारा किये गये प्रदर्शनों के कारणों तथा घटना क्रम की, जिनके परिणामस्वरूप विधि तथा व्यवस्था की समस्या पैदा हो गई थी तथा पुलिस को 5-4-78 को गोली चलानी पड़ी थी, जांच कर सकता है.

34. जैसा कि इसके बाद स्पष्ट होगा, संयुक्त खदान मजदूर संघ ने दिनांक 10-2-78 को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) रायपुर के समक्ष एक औद्योगिक विवाद उठाया था. 23-3-78 को सुलह की कार्यवाहियां असफल हो गई और सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), रायपुर ने 1-4-78 को इस आशय का प्रतिवेदन केन्द्रीय शासन को भेज दिया.

35. केन्द्रीय शासन ने अपने पत्र दिनांक 27-5-78 के अनुसार (पत्र इसके पश्चात पृष्ठ 137 पैरा 24 में उद्धृत किया गया है) औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10 के अधीन विवाद को निर्दिष्ट करने से इन्कार कर दिया.

36. जैसा कि विद्वान महाधिवक्ता ने कहा, यदि एस. के. एम. एस. या एन. एम. डी. सी. केन्द्रीय शासन के निर्णय से असंतुष्ट थे, तो वे इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दे सकते थे.

37. अतः मेरा यह विचार है कि राज्य शासन खनन कर्मकारों द्वारा किये गये प्रदर्शनों के कारणों तथा घटना क्रम की जांच करने के लिये आयोग नियुक्त करने के लिये पूर्णतः सक्षम है और आयोग औद्योगिक विवाद की मौजूदगी तथा खनन कर्मकारों द्वारा किये गये प्रदर्शनों पर विचार कर सकता है, क्योंकि इनसे विधि तथा व्यवस्था की समस्या पैदा हो गयी थी.

अध्याय छह

स्थल निरीक्षण

38. मैंने अपनी नियुक्ति के पश्चात सभी संबंधित व्यक्तियों की उपस्थिति में 22-12-83 तथा 23-12-83 को स्थल का निरीक्षण किया. मेरे द्वारा तैयार की गई निरीक्षण-टीप और सहमत स्थल साक्ष्य को समझने तथा आंकने में उपयोगी सिद्ध हो सकता है. नक्शा प्रतिवेदन के साथ परिशिष्ट अ के रूप में संलग्न किया गया है. स्थल का यह नक्शा दो प्रतियों में है और मेरे द्वारा 148 के रूप में अंकित किया गया है. नक्शे की एक प्रति दस्तावेजों के साथ-साथ अन्य स्थल-नक्शों के साथ रखी गई है. स्थल के इस नक्शे पर सभी पक्ष सहमत थे तथा मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा तथा स्थानीय प्रशासन, एन. एम. डी. सी. तथा एस. के. एम. एस. द्वारा 23-8-79 को हस्ताक्षर किये गये थे. और आयोग के समक्ष प्रस्तुत यह नक्शा तथा अन्य नक्शे ए. सी. भट्टाचार्य (आ. ग. 82) द्वारा तैयार किये गये थे और यह तथ्य मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा 23-8-79 के आदेश पत्रक पर अभिलिखित किया गया था.

39. स्थल-निरीक्षण की मेरी टीप नीचे उद्धृत की गई है:—

आयोग की सहायता महाधिवक्ता श्री ए. एम. माथुर ने की तथा उप-महाधिवक्ता श्री आर. के. वर्मा तथा श्री एल. एस. बघेल और श्री आर. सी. कानूनगो स्थानीय प्रशासन की ओर से उपस्थित थे.

एन. एम. डी. सी. की ओर से अधिवक्ता श्री एन. डी. झा तथा श्री ओ. डी. शर्मा और एस. के. एम. एस. की ओर से अधिवक्ता श्री रुसी दाजी तथा व्यक्तिगत रूप से श्री इन्द्रजीत सिंह उपस्थित हुये.

किरन्दुल के पूर्व थानेदार श्री आर. पी. शर्मा और जगदलपुर के तत्कालीन और मंडला के वर्तमान पुलिस अधीक्षक श्री ओ. पी. गर्ग, आई. पी. एस., दन्तेवाड़ा के तत्कालीन उप संभागीय अधिकारी तथा अब कृषि उपसचिव, भोपाल श्री दिलीप मेहरा भी उपस्थित हुये.

दिशायें इस प्रकार हैं :—

पू.

उ   द.

प.

पू.—पूर्व, प—पश्चिम
उ—उत्तर, द—दक्षिण.

आयोग चौक पहुंचा, जहां यह बारदात हुई थी. वह 20′ × 25′ आकार का है. कहा जाता है कि थोड़ी दूरी पर रामसिंह की झोपड़ी थी और कथित झोपड़ी तक पहुंचने के लिये एक संकरी गली पार करना पड़ती थी.

उत्तर-पूर्व की ओर एक स्टाक फाइल है. बताया गया कि उत्तर दक्षिण की ओर एक नाला बहता था. कथित पोखर बेशरम के पौधों से घिरा है. झुग्गियां बेशरम के घने पौधों से घिरी हुई थीं. बताया गया कि स्टाक पाइल पर खड़े लोगों ने पुलिस-दल पर पथराव किया था. कहा जाता है कि ढेर ढाकू से उत्तर पश्चिम की तरफ बोरा-शिविर था. ढेर टाल था और बताया गया कि वह 15 से 20 तक ऊंचा था, जो अब वहां नहीं है. इस्पात का पुल घटना-स्थल से पश्चिम की ओर है और प्रभु शिविर इस्पात के पुल से उत्तर की ओर है. प्रभु शिविर 11 सी. बी. मैन्युअल माइन के पहाड़ की तलहटी में है और प्रभु शिविर के पीछे उत्तर दक्षिण फैली हुई पर्वत-श्रृंखला है पोखर के पास हुये कथित गोली—चालन के स्थान से बिलकुल सीधे नापा जाये तो प्रभु शिविर लगभग 1 कि. मी. दूर है.

झुग्गियों के बीच की गलियां लगभग 6' चौड़ी हैं और बताया गया कि घटना के समय वे और भी, संकरी अर्थात 2' से 3' चौड़ी थी. बताया गया कि विद्यमान एक झुग्गी को छोड़ सभी झुग्गियां जला दी गई है और पुरानी झुग्गियों का आकार लगभग 7' से 8' तक का था.

कथित घटना-स्थल पर या उसके आस-पास पड़े औसत पत्थरों का व्यास 2". 3" था और वे अन्यत्र पाये जाने वाले उसी आकार के औसत पत्थरों से भारी थे.

उस समय मौजूद झुग्गियां बेशरम की झाड़ियों से घिरी हुई थीं. कथित घटना के समय झुग्गियों की छतें सूखी घास और लकड़ी तथा बांस की खपच्चियों से बनी थीं.

बताया गया कि मजदूरों के दो शव प्रभु शिविर से निकाले गये थे. श्री दाजी ने बताया कि कुछ मजदूर घायल हो गये थे तथा यहां से हटाये गये थे.

बताया गया कि डाक घर तथा बस स्टेण्ड के पास, मेरे द्वारा बी. एस. से अंकित स्थान पर, पुलिस दल तीन भागों में विभाजित हो गया था.

वहां मध्यप्रदेश रा. स. प. नि. का एक छोटा कमरा है. उसमें कथित घटना के समय एक कन्डक्टर ठहरा हुआ था और बताया गया कि वह घायल लोगों के पास और अस्पताल गया था.

अध्याय——सात

वे कारण, जिसके परिणामस्वरूप खनन कर्मकारों को प्रदर्शन करना पड़ा.

40. आयोग के समक्ष प्रस्तुत किये गये विवरणों (प्रविवरणों) से स्पष्ट है कि अशोक माईनिंग कंपनी को फ्लोट अयस्क निकालने के लिए दिये गये ठेके की अवधि में वृद्धि न करने के संबंधित प्राधिकारियों के निर्णय के परिणामस्वरूप खनन कर्मकारों ने आन्दोलन शुरू किया. अपने प्रविवरण के पैरा 14 में एम. एम. डी. सी. ने उल्लेख किया कि यह कहा जा सकता है कि ठेकेदार अर्थात अशोक माईनिंग कम्पनी द्वारा की गई छटनी के परिणामस्वरूप ही खनन कर्मकारों के द्वारा प्रदर्शन किये गये और यह घटना क्रम सामने आया. एस. के. एम. एस. की ओर से श्री सी. आर. बख्शी द्वारा प्रस्तुत किये गये विवरण (प्रविवरण) के पैरा 4 से 10 तक से यह स्पष्ट हो जाएगा कि मेसर्स अशोक माईनिंग कम्पनी द्वारा छटनी का नोटिस देने के विरोध में आन्दोलन शुरू हुआ तथा प्रदर्शन हुए.

41. दिनांक 1-1-78 के सामने एन. एम. डी. सी. द्वारा दिए गए पैरा 9 के उप पैरा 2 में दिए गए प्रविवरण में एस. के. एम. एस. द्वारा भारत सरकार से किए गए अनुरोध का उल्लेख किया गया है, जिसमें भारत सरकार से मेसर्स अशोक माईनिंग कम्पनी द्वारा दिये गये छटनी नोटिस को इस आधार पर अवैध तथा गैर कानूनी घोषित करने के लिए कहा गया था क्योंकि ठेका मजदूरों की मजदूरी में बढ़ोत्तरी करने संबंधी विवाद अनिर्णित था. यह दलील एस. के. एम एस. द्वारा नहीं दी गई थी. ठेका मजदूरों की मजदूरी में बढ़ोत्तरी करने संबंधी किसी विवाद के सम्बन्ध में किसी संघ द्वारा कोई आन्दोलन या अभियान चलाए जाने के संबंध में कोई भी मौखिक या दस्तावजी साक्ष्य नहीं है. प्रस्तुत किन्तु सिद्ध न किये गये दस्तावेजों में से एक दस्तावेज किरन्दुल (एम. एम. डब्ल्यु. यू.) के धातु खदान मजदूर संघ द्वारा दिनांक 10-2-78 को दिया गया हड़ताल का नोटिस है. यह नोटिस मेसर्स अशोक माईनिंग कम्पनी को नहीं किन्तु मेसर्स उमेदराय बोहरा, मेसर्स एम. पी. आई. ओ. एम. कारपोरेशन तथा मेसर्स लक्ष्मी नारायण भगवानदास को दिया गया था. तथापि अभिलेख में ऐसी कोई बात नहीं है जो यह दर्शाती हो कि नोटिस या मजदूरी की बढ़ोत्तरी के अनुसरण में उक्त एम. एम. डब्ल्यू. यू. या किसी और संघ द्वारा कोई हड़ताल हुई थी या कोई आन्दोलन छेड़ा गया था.

42. एस. के. एम. एस. के. विद्वान कांउसेल श्री पी. एल. दुबे द्वारा मेरे समक्ष यह दलील पेश की गई कि अभिलेख की साक्ष्य से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ठेकेदारों द्वारा फ्लोट अयस्क निकालने के लिए नियोजित किये गये मजदूरों को लगभग 3 रु. प्रति टन के हिसाब से बहुत ही कम मजदूरी दी जाती थी, जबकि ठेकेदार एन. एम. डी. सी. से 19 रु. प्रति टन प्राप्त कर रहे थे. अतः कम मजदूरी के कारण मजदूर असंतुष्ट थे और यही उस आन्दोलन की पृष्ठ-भूमि थी जो छटनी का नोटिस देने के बाद शुरू हो गया.

43. कनक जे. शाह (आ. ग. 115) एक गवाह है जिसका आयोग द्वारा परीक्षण किया गया, मार्च या अप्रैल 1975 से 1978 तक वह अशोक माईनिंग कम्पनी में प्रबन्धक के रूप में कार्य कर रहा था. उसने पैरा एक के अन्त में बताया कि एन. एम. डी. सी. के अनुरोध पर अशोक माईनिंग कम्पनी ने करार के अधीन अयस्क की पूरी मात्रा की पूर्ति नियत तारीख जो 31-5-78 थी से दो माह पूर्व कर दी. इस प्रकार, उसके अनुसार ठेके के अधीन अयस्क की पूरी मात्रा की पूर्ति 31-3-78 तक कर दी गई थी. अतः इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि मेसर्स अशोक माईनिंग कम्पनी का ठेका 31-3-78 को पूरा हो गया था. पैरा 5 में गवाह ने बताया है कि दिसम्बर 1977 में सभी मजदूरों को, जो उसकी कम्पनी में काम कर रहे थे, 3 माह का नोटिस दे दिया गया था कि 31-3-78 को उनकी छटनी कर दी जाएगी. इस मुद्दे पर मैं कुछ समय बाद में विचार करूंगा.

44. पैरा 12 में कनक जे. शाह (आ. ग. 115) ने बताया कि वे अपने मजदूरों को उप-ठेकेदार के माध्यम से, जिसे कमीशन दिया जाता था, नियोजित किया करते थे.

45. एन. एम. डी. सी. द्वारा कम्पनी को 19 रु. प्रति टन के हिसाब से भुगतान किया जाता था जोकि संविदाकृत दर थी. साधारणतया एक मजदूर एक दिन में 1½ से 2 टन माल निकाल सकता था. मजदूर को 2.90 रु. प्रति टन के हिसाब से मजदूरी दी जाती थी तथा मजदूर को लाने वाले उप-ठेकेदार को 50 या 60 पै. प्रति टन भुगतान किया जाता था. इस प्रकार, गवाह के अनुसार एक मजदूर को औसतन रु. 4.35 से रु. 5.80 प्रतिदिन मिलता था.

46. इस मुद्दे का दूसरा गवाह उपेन्द्र कुमार चंचामी (आ. ग. 116) है. उस समय वह वोरा एण्ड कम्पनी के कार्य की देखरेख किया करता था. पैरा 6 में उसने बताया कि मजदूरों को रु. 3.20 प्रति टन का भुगतान किया जाता था. दूसरी दर रु. 3.60 प्रति टन थी जो न्यूनतम विस्फोट द्वारा छोटी मशीनों से अयस्क निकालने के लिए थी गवाह के अनुसार मजदूर अनुकूल मौसम में लगभग 2 टन अयस्क निकाल सकता था. एन. एम. डी. सी. द्वारा कम्पनी को रु. 18 से रु. 22.50 की दर से भुगतान किया जाता था. इस प्रकार, वोरा एण्ड कम्पनी द्वारा नियोजित मजदूर औसतन 6.40 रु. प्रतिदिन कमा सकता था बशर्ते वह दो टन अयस्क निकाल पाता.

47. एस. के. एम. एस. के विद्वान कांउसल श्री पी. एल. दुबे की दलील थी कि यह मजदूर का स्पष्ट रूप से शोषण था क्योंकि दो टन अयस्क की पूर्ति करने पर ठेकेदार को 38 रु. प्राप्त होते थे. यहां यह बात ध्यान देने योग्य है कि ठेकेदारों में से किसी ने भी न तो प्रविवरण ही प्रस्तुत किया और न ही आयोग के समक्ष उपस्थित हुए. वैसे इस मुद्दे का घटना से सीधा संबंध भी नहीं था. एन. एम. डी. सी. के विद्वान कांउसल श्री वाई. एस. धर्माधिकारी द्वारा यह सुझाव दिया गया कि कानून के मुताबिक एक मजदूर के लिए न्यूनतम मजदूरी 5 रु. प्रतिदिन थी. इसके अतिरिक्त करार के अनुच्छेद 7 के अधीन ठेकेदार को स्थापना, मशीन, वाहनों तथा अन्य संयंत्रों पर भी व्यय करना पड़ता था.

48. इस संबंध में सुरेन्द्र प्रसाद, कार्मिक प्रबंधक बैलाडीला परियोजना (117) के बयान के पैरा 7 का हवाला दिया जा सकता है, जिसमें उसने कहा है कि एन. एम. डी. सी. द्वारा नियोजित निम्नतम ग्रेड के एक मजदूर को 500 रु से 1000 रु प्रतिमाह के बीच मिलता था एन. एम. डी. सी. ने उन्हें पक्के आवास गृह भी दिए हैं

49. इस प्रकार यह पता चलता है कि फ्लोट अयस्क निकालने के लिए ठेकेदारों द्वारा नियोजित तथा एन. एम. डी. सी. द्वारा नियोजित मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी में बहुत अन्तर था तथापि यह बात ध्यान देने योग्य है कि एन. एम. डी. सी. द्वारा नियोजित मजदूर मशीनों से अयस्क निकालते थे जबकि ठेकेदारों द्वारा नियोजित मजदूर खोद कर अयस्क निकालते थे. अतएव, ठेकेदारों के अधीन कार्यरत अकुशल श्रमिकों तथा एन. एम. डी. सी. के अधीन मशीनों से अयस्क निकालने वाले श्रमिकों को मिलने वाली मजदूरी में अन्तर होना अनिवार्य था.

50. एस. के. एम. एस. के विद्वान काउन्सेल श्री आर. एल. दुबे ने यह दलील पेश की कि ठेका मजदूर (विनियमन तथा उत्पादन) अधिनियम, 1970 की धारा 16 से 21 तथा ठेका मजदूर (विनियम तथा उत्पादन) केन्द्रीय नियम, 1971 के नियम 40 के 59 के अधीन एक ठेकेदार को आवाह गृह, विश्राम स्थान, जलपूर्ति, पर्याप्त संख्या में संडास तथा पेशाबघर और प्राथमिक उपचार सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए. यदि ठेकेदार ऐसा करने में असफल रहता है तथा श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान भी नहीं करता, तो प्रमुख नियोजक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उत्तर-दायी है और ठेकेदार को भुगतान की जाने वाली राशि में से इस प्रकार खर्च की गई राशि की कटौती कर सकता है. विद्वान काउन्सेल के अनुसार ठेकेदार तथा एन. एम. डी. सी. इस उत्तरदायित्व का पालन करने में असफल रहे.

51. एन. एम. डी. सी. के विद्वान काउंसेल श्री वाई. एस. धर्माधिकारी ने दलील दी कि न तो यह खनन कर्मकारों की शिकायत थी और न ही यह उनके आन्दोलन का कारण था, इसलिए इस मुद्दे पर साक्ष्य पेश करना उपयुक्त नहीं था. एन. एम. डी. सी. ने उनके द्वारा प्रस्तुत किए गये विवरण (प्रविवरण) के पैरा 8 में अपने मुख्य नियोजक होने की स्थिति स्वीकार की है. इसके साथ ही अभिलेख में यह दर्शाने वाली सामग्री है कि ठेकेदार तथा एन. एम. डी. सी. द्वारा उन वैधानिक कर्त्तव्यों का पालन किया जाता था.

52. यहां इस बात का उल्लेख किया जा सकता है कि मेसर्स अशोक माइनिंग कंपनी के साथ 14-11-75 को किये गये करार के अनुच्छेद 9 के अनुसार अधिकतम मजदूरी अधिनियम, मजदूरी संदाय अधिनियम, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, मजदूरी मंडल पंचाट, (वेज बोर्ड एवार्ड) ठेका श्रमिक (उत्पादन तथा विनियमन) अधिनियम, खान अधिनियम, भारतीय विस्फोटक अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, प्रसूति लाभ अधिनियम, बोनस अधिनियम तथा अन्य सांविधिक उपबंधों के साथ जो उस समय विद्यमान हैं या यथास्थिति बाद में लागू किये जाएं निगम द्वारा स्वीकार किए गए भारत सरकार या राज्य के वे आदेश और इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम तथा विनियमों के अधीन सभी वैधानिक कर्त्तव्यों का पालन करने का दायित्व ठेकेदार का था. करार के अनुच्छेद 10 के अधीन यदि निगम उक्त अधिनियमों तथा नियमों एवं उसके अधीन बनाए गए विनियमों तथा आदेशों के उपबंध के उपयोजन के फलस्वरूप किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के किन्हीं दावों के भुगतान के लिए दायी हो जाए तो निगम (राष्ट्रीय खनिज विकास निगम) को यह अधिकार होगा कि ठेकेदार के बिलों की देय रकमों से या उसकी प्रतिभूति जमा से उक्त रकम की कटौती कर ले.

53. कनक जे. शाह (अ्रा. ग. 115) ने पैरा 2 में बताया कि लगभग 900 से 1000 मजदूर उड़ीसा, रांची तथा मध्यप्रदेश के पड़ोसी जिलों से अर्थात राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर तथा बिलासपुर से आए थे. इन्होंने पैरा 3 में बताया कि अशोक माइनिंग कंपनी ने लगभग 900 से 1000 तक झोपड़ियों का निर्माण किया था और जो मजदूरों को रहने के लिए दी गई थी. बोरा एण्ड कंपनी के उपेन्द्र कुमार चंगानी (अ्रा. ग. 116) ने भी पैरा 16 में यह बताया कि बोरा एण्ड कंपनी ने भी अपने खर्च से झोपड़ियां बनवाई थीं और रहने के लिए मजदूरों को दे दी थीं. जगनदास (अ्रा. ग. 9) ने बताया कि वह बोरा एण्ड कंपनी का मजदूर था और गजराज शिविर में रहता था. उस शिविर में जल प्रदाय की पाइप लाइनें बिछाई गई थीं. किसी भी गवाह से अन्य सुविधाओं के संबंध में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया तथापि यह निर्विवाद सत्य है कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एन. एम. डी. सी.) द्वारा प्रस्तुत विवरण (प्रविवरण) के पैरा 15 में बताए अनुसार किरन्दुल में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एन. एम. डी. सी.) का अपना एक अस्पताल था जिसमें अर्हता प्राप्त नर्सें तथा चिकित्सक काम करते थे.

54. विधि के अधीन अपेक्षित कोई सुविधा की अनुपलब्धता या तथाकथित अपर्याप्त मजदूरी के कारण मजदूरों में व्याप्त किसी असंतोष या परेशानी के संबंध में एस. के. एम. एस. के विद्वान वकील श्री पी. एल. दुबे की दलील को दो कारणों से स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि न तो एस के एम एस द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस विषयों में कोई आपत्ति नहीं उठाई गई है, और ऐसी किसी आपत्ति की पुष्टि में कोई साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं है. इसके विपरीत अपने (प्रविवरण) के पैरा 3 के अनुसार एस. के. एम. एस. ने यह तर्क दिया है कि उसने ठेकेदारों के अधीन काम करने वाले मजदूरों के लिए आन्दोलन करके उन्हें अनेक लाभ दिलवाए थे और इसलिये ये मजदूर एस. के. एम. एस. को अपनी एकमात्र प्रतिनिधि संस्था मानते थे. विवरण निम्नानुसार है :—

> (3) ठेकेदारों के यहां काम करने वाले श्रमिकों को यह ठेकेदार बहुत कम मजदूरी देते थे. संयुक्त खदान मजदूर संघ ने इन श्रमिकों की मांगों को लेकर पिछले तीन-चार वर्षों में कई बार शांतिपूर्ण आन्दोलन करके इनकी मजदूरी में वृद्धि करवाई है. साथ ही इन मजदूरों को रहने के लिए झोपड़ी की व्यवस्था, बोनस, दुर्घटना लाभ इत्यादि सुविधाएं भी दिलवाई हैं. इसी कारण से इस परियोजना में कार्यरत श्रमिक मजदूर का करीब शत प्रतिशत भाग संयुक्त खदान मजदूर संघ को ही अपना एकमात्र संघ मानते हैं.

55. पूर्ववर्ती पैराओं में की गई चर्चा से स्पष्ट हो जाता है और मेरी भी अपनी राय यही है कि उस समय अर्थात् 1978 में खनन कर्मकारों द्वारा किए गए प्रदर्शन का एकमात्र कारण ठेकेदार मैसर्स अशोक माइनिंग कंपनी द्वारा मजदूरों की छटनी की जाना था. तथापि यहां बात का उल्लेख किया जा सकता है कि अशोक माइनिंग कंपनी द्वारा नियोजित अधिकांश मजदूरों को उनका वध भुगतान प्राप्त हो गया था और आन्दोलन के हिंसक रूप धारण करने से पहले ही अर्थात् 3-4-78 तक व किरन्दुल छोड़कर चले गये थे.

56. एस. के. एम. एस. के विद्वान काउन्सल श्री पी. एल. दुबे ने भी यह दलील दी कि दी गई छटनी की सूचना नियमानुसार नहीं थी. उन्होंने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 (एन) का उल्लेख किया जिसमें यह व्यवस्था है कि किसी औद्योगिक स्थापना में नियोजित किसी भी कामगार की तब तक नियोजक द्वारा छंटनी नहीं की जाएगी जब तक कि कामगार के तीन माह को लिखित

में सूचना नहीं दे दी गई हो और समुचित शासन को भी इसकी सूचना दी जाती है तथा अनुमति प्राप्त की जाती है. यदि ऐसा नहीं किया जाता है या जहां अनुमति देने से इन्कार कर दिया जाता है, वहां छटनी को अवैध समझा जाएगा उन्होंने उल्लेख किया कि उक्त अधिनियम की धारा 2 (ओ-ओ) के अधीन 'छटनी' से तात्पर्य नियोजक द्वारा किसी भी कारण से कामगार की सेवाए समाप्त करने से है. धारा 2(जो) के अधीन 'नियोजक' से तात्पर्य है;—

(एक) केन्द्रीय शासन या राज्य शासन के किसी विभाग के प्राधिकार से या उसके अधीन चलाए जा रहे किसी उद्योग के संबंध में इस संबंध में विहित प्राधिकारी या जहां कोई प्राधिकारी विहित न किया गया हो वहां विभागाध्यक्ष से है. औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2 (ए) के अधीन केन्द्रीय शासन के प्राधिकार से या के अधीन चलाये जा रहे किसी उद्योग से संबंधित किसी औद्योगिक विवाद के संबंध में उपयुक्त शासन से तात्पर्य केन्द्रीय शासन से है, धारा 2 (ज) के अधीन 'उद्योग' से तात्पर्य किसी कारोबार, व्यापार, उपक्रम आदि से है.

57. इन परिभाषाओं को दृष्टिगत रखते हुए एस के एम. एस. के विद्वान काउन्सेल श्री पी. एल. दुबे के कथनानुसार बैलाडीला खदानों के मजदूरों को, यद्यपि वे ठेकेदारों के अधीन कार्य कर रहे थे. नियोजक एन. एम. डी. सी. होगा और अधिनियम की धारा 25 (एफ) के अधीन नोटिस एन. एम. डी. सी द्वारा दिया जाना चाहिये था न कि मेसर्स अशोक माइनिंग कम्पनी द्वारा.

58. एन. एम. डी. सी के विद्वान काउन्सेल श्री वाई. एन. धर्माधिकारी की दलील थी कि यह मामला किसी कामगार या कामगार वर्ग को छटनी का नहीं बल्कि ठेके की अवधि समाप्त हो जाने के कारण मेसर्स अशोक माइनिंग कम्पनी उपक्रम को बन्द कर दिए जाने का मामला था अतः इस पर औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 (एफ) या धारा 25(एन) लागू नहीं होगी बल्कि उसकी धारा 25(ओ) लागू होगी और नोटिस उस नियोजक द्वारा दिया जाना चाहिए जो अपना उपक्रम बन्द करने का इरादा रखता है. धारा 2 (जो) में दी गई 'उद्योग' को परिभाषा को देखते हुए मेसर्स अशोक माइनिंग कम्पनी और उसके उपक्रम द्वारा चलाया जाने वाला कारोबार औद्योगिक स्थापना की श्रेणी में आता है और इसलिये मेसर्स अशोक माइनिंग कम्पनी द्वारा दिया गया नोटिस नियमानुसार है. उन्होंने यह भी तर्क दिया कि खनन कार्य ठेकेदारों के जरिए कराया जा रहा था, इसलिये कामगारों को 'ठेकामजदूर' माना जाएगा और ठेका कामगार [विनियमनतथा उत्सादन अधिनियम 1970 को धारा 2 (बो) तथा (2) (जी)] में दी गई परिभाषा के अनुसार एन. एम. डी. सी प्रमुख नियोजक होगा और इसलिये मेसर्स अशोक माइनिंग कम्पनी द्वारा दिया गया नोटिस, भले ही मेसर्स अशोक माइनिंग कम्पनी द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25(एन) के अधीन उपयुक्त शासन को दिया गया समझा जाएगा जो निर्विवाद रूप से इस मामले में केन्द्रीय शासन ही होगा और वह विधिसम्मत है.

59. विचारणीय विषयों को देखते हुए इस आयोग से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह औद्योगिक विवाद, जो निसंदेह विद्यमान हैं, के गुणावगुण या अशोक माइनिंग कम्पनी द्वारा दिए गए नोटिस की वैधता पर विचार करे, किन्तु जैसा कि पैरा 37 में पहले बताया गया है, आयोग विवाद को विद्यमानता को मजदूरों के प्रदर्शन के कारण या परिस्थिति के रूप में स्वीकार करता है.

60. मेरी राय में यह एक ऐसा मामला है, जिसमें राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एन. एम. डी. सी.) द्वारा ठेकेदारों के जरिये फ्लोट लौह अयस्क निकाला जा रहा था, जो उनके साथ हुए करार के अन्तर्गत अपने स्वयं के मजदूरों को नियोजित करने के लिये स्वतंत्र थे, इसलिये औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबन्ध ठेका मजदूर (विनियमन तथा उत्सादन) अधिनियम 1970 के साथ पढ़े जाने चाहिये. जैसा कि खान अधिनियम, 1952 की क्रमशः धारा 2(बी) तथा 2 (सी) में परिभाषित है, उसके अनुसार मेसर्स अशोक माइनिंग कम्पनी एक 'स्वामी' या 'एजेन्ट' होगी. इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि मेसर्स अशोक माइनिंग कम्पनी का व्यवसाय या उपक्रम औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रयोजनों के लिये भी एक औद्योगिक उपक्रम होगा, मेसर्स अशोक माइनिंग कम्पनी, औद्योगिक उपक्रम के नियोजक द्वारा दिया गया नोटिस नियमानुसार होगा.

फ्लोट लौह अयस्क निकालने के लिये उनके द्वारा नियोजित मजदूरों के लिये अशोक माइनिंग कम्पनी ही सभी व्यावहारिक प्रयोजनों को दृष्टि से एन. एम. डी. सी. के स्थान पर उनकी नियोजक थी. अभिलेख में ऐसी कोई बात नहीं दर्शाई गई है कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एन. एम. डी. सी.) का इस बात से कोई सम्बन्ध था कि ठेकेदार द्वारा किस प्रकार से मजदूर भरती किए गए थे या उन पर कोई नियंत्रण रखा जाता था. आगे इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि अभिलेख में ऐसा कुछ भी उपलब्ध नहीं है कि तीन माह के भीतर चाही गई अनुमति देने से इन्कार किया गया था, और इस स्थिति में यही माना जाएगा कि उपयुक्त शासन अर्थात केन्द्रीय शासन ने अनुमति प्रदान कर दी थी.

61. जैसा कि कनक जे. शाह (श्रा. ग. 115) ने अपने बयान के पैरा 13 में बताया है, यह बात विवादास्पद नहीं है कि 22-12-77 को मेसर्स अशोक माइनिंग कम्पनी ने नोटिस दिया था. एस. के. एम. एस. बैलाडीला के तत्कालीन अध्यक्ष इन्दरजीतसिंह द्वारा प्रस्तुत विवरण (प्रविवरण) के पैरा 2 में यह बताया गया है कि अशोक माइनिंग कम्पनी द्वारा 22-12-77 को दिए गए नोटिस की एक प्रति एस. के. एम. एस. को भी प्राप्त हुई थी और एस. के. एम. एस. की ओर से 1-1-78 को श्रम मंत्रालय के सचिव को इस नोटिस को अवैध तथा निष्प्रभावी घोषित करने के लिये एक लिखित अभ्यावेदन किया गया. था. गंगा चौबे (श्रा. ग. 103) ने पैरा 10. में यह बताया कि मेसर्स अशोक माइनिंग कम्पनी ने दिसम्बर, 1977 में अपने मजदूरों को नोटिस दिया था कि 31-3-78 से उनकी छंटनी कर दी जाएगी. सुरजीत मुंशी (श्रा. ग. 89) ने भी अपने अभिसाक्ष्य के पैरा 3 में इसी तरह का बयान दिया है.

62. यहां तक कि मेसर्स अशोक माइनिंग कम्पनी द्वारा दिया गया नोटिस उचित नहीं होता, तो भी उचित तरीका यहीं होता कि सम्बन्धित प्राधिकारी से निवेदन किया जाता कि नोटिस को प्रभावित होने दिया जाए. वस्तुतः जैसा कि अभी-अभी उल्लेख कियागया है, एस. के. एम. एस. ने 1-1-78 को केन्द्रीय शासन को लिखा था. इसके अलावा विवरण (एस. एन. एस. के अध्यक्ष श्री इन्दरसिंह द्वारा प्रस्तुत प्रविवरण) के पैरा 4 में किए गए उल्लेख के अनुसार 10-2-78 को एस. के. एम. एस. ने क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय) को भी एक आवेदन दिया था और जैसा कि पहले पैरा 34 में बताया जा चुका है कि ये कार्रवाईयां असफल हो गयी थी और अन्ततः केन्द्रीय शासन ने औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10 के अधीन इस मामलें को निर्दिष्ट करने सेइन्कार कर दिया था. केन्द्रीय शासन के इस निर्णय को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई.

63. एस. के. एम. एस. के विद्वान वकील श्री टी. एल. दुबे ने यह दलील भी दी कि छंटनी के प्रश्न तथा परिणामस्वरूप मजदूरों के सामने उपस्थित समस्याओं पर उचित ध्यान नहीं दिया गया था और उन समस्याओं को हल करने के कोई प्रयास नहीं किए गए थे. इससे अप्रिय स्थिति भी पैदा हो गई जो बाद में बढ गई थी. हड़ताल करना मजदूरों का महत्वपूर्ण अधिकार है. छटनी के बजाय या तो ठेके को नवीकृत किया जाना चाहिये था. या उसकी सीमा बढ़ाई जानी चाहिय थी या मजदूरों को पूरा भुगतान कर कार्य से अलग किया जाना चाहिये था.

64. विवरण (प्रविवरण) के पैरा 9 के अनुसार बस्तर के जिला प्रशासन को भी यह शिकायत है कि लगभग तीन माह तक राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एन. एम. डी. सी.) के प्राधिकारियों ने मजदूरों के किसी आन्दोलन का जो जनवरी, 1978 से ही प्रारम्भ हो गया था पूर्वानुमान कर उसे हल करने के कोई कारगर उपाय नहीं किए.

65. विद्वान महाधिवक्ता ए. एम. माथुर ने यह भी बताया कि केन्द्रीय शासन तथा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एन. एम. डी. सी.) ने समस्या को उचित समय पर तथा सही तरीके से सुलझाने की अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई. उन्होंने बताया कि काम पर रखने तथा काम से निकाल दिए जाने के सिद्धान्त के स्थान पर अब कमजोर तथा गरीब वर्ग को सामाजिक तथा आर्थिक न्याय दिलाने का सिद्धान्त लागू हो गया है.

66. मजदूरों को अपनी जीविका से वंचित किये जाने पर आन्दोलन करने का अधिकार प्राप्त था. साथ ही उन्होंने यह दलील भी दी कि ठेका मजदूर पद्धति समाप्त कर दी जानी चाहिए और मजदूरों को वैकल्पिक नियोजन प्रदान किया जाना चाहिए. राज्य को एक आदर्श नियोजक के रूप में काम करना चाहिए.

67. ऊपर दिए गए तर्क यद्यपि ठोस हैं फिर भी जहां तक उनका सम्बन्ध समाज के गरीब तथा कमजोर वर्ग की समस्या से है कुछ सीमा तक उनको प्रत्येक मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों से संगत होना चाहिए. यह पहले ही बताया जा चुका है कि ठेका मजदूरों के जरिए बैलाडिला काम्पलेक्स में प्लांटअयस्क की खुदाई का निर्णय, राष्ट्रीय खनिज विकास आयोग (एन. एम. डी. सी.) द्वारा प्रस्तुत विवरण (प्रविवरण) के पैरा 2 (दो) के अनुसार पास की खदान क्र. 5 (बचेली) को प्रारम्भ होने तक उत्पादन में वृद्धि करने के लिए एक तात्कालिक अल्पावधि उपाय के रूप में एक नदर्थ व्यवस्था थी. निक्षेप क्र. 14 बैलाडीला के तत्कालीन महाप्रबन्धक श्री जी. के. सरीन. (अ ग 120) ने अपने बयान के पैरा 2 में बताया है कि निक्षेप क्र. 5 (बचेली) में मशीन से खुदाई का कार्य 1-1-77 से प्रारम्भ हो गया था. ऐसा ही बयान श्री पी. के. बनर्जी (श्रा. ग. 119) ने अपने अभिसाक्ष्य के पैरा 4 में दिया है. इस प्रकार निक्षेप 5 में उत्पादन प्रारम्भ होने से श्रमिकों द्वारा प्लांट अयस्क की खुदाई की आवश्यकता समाप्त हो गई. यह बात पैरा 20 में पहले भी बताई जा चुकी है कि जापान ने अपने पत्र दि. 10-7-77 द्वारा लोह अयस्क की अपनी मांग घटा दी थी. यह बात राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एन. एम. डी. सी.) ने अपने विवरण के पैरा 3 तथा 4 तथा 5 में बताई है, जो निम्नानुसार है :—

(3) वर्ष 1977 में इस्पात उद्योग में विश्वव्यापी मन्दी के कारण जापानी इस्पात मिलों को लोह अयस्क के उठाव की मात्रा संविदा की गई मात्रा से बहुत कम थी. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एन. एम. डी. सी.) द्वारा 1977-78 में किए गए 80 लाख टन के प्रस्ताव में से जापानी इस्पात मिलों ने वस्तुतः केवल 59.60 लाख टन का ही उठाव किया. इसका परिणाम यह हुआ कि बन्दरगाहों तथा खदानों पर भारी मात्रा में माल इकट्ठा हो गया और मशीनीकृत खदान उत्पादन बीच-बीच में रोक देना पड़ा. जिससे कि श्रमिकों की पलोट अयस्क खदानों से संविदाकृत पूरा-पूरा माल उठाया जा सके.

"(4) वर्ष 1978-79 में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एन. एम. डी. सी.) तथा राष्ट्रीय खनिज परिवहन निगम (एन. एम. टी. सी.) द्वारा किये गये भरसक प्रयासों के बावजूद भी जापानी इस्पात मिलें 60 लाख टन से अधिक माल उठाने के लिए सहमत नहीं हुई जबकि संविदाकृत मात्रा लगभग 80 लाख टन की थी. इस प्रकार आश्वासन क अनुसार उठाव तथा खदान पर अधिकतम माल रख पाने की संभावनाओं को देखते हुए उत्पादन को विनियमित करना पड़ा. शारीरिक श्रम करने वाले मजदूरों को कोई कठिनाई न हो इस बात का ध्यान रखत हुए श्रमिक खदानों की तयशुदा मात्रा कम नहीं की गई और उत्पादन में जो भी कमी आवश्यक समझी गई वह केवल मशीनीकृत खदानों से की गई.

(5) निगम का यह उद्देश्य कभी नहीं रहा कि हाथ से की जाने वाली खुदाई एक निश्चित कालावधि से अधिक समय तक की जाए और श्रमिक खदानों को क्रम से बन्द करने का प्रावस्थित कार्यक्रम काफी पहले तैयार कर लिया गया था."

68. पैरा 21 में पहले यह उल्लेख किया गया है कि पत्र क्र. दि. 3-4-70 द्वारा जापान बैलाडीला क्र. 5 की परियोजना के विकास के सम्बन्ध में पूछताछ कर रहा था और आवधिक रिपोर्ट मांग रहा था.

69. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जापान को लोह अयस्क के निर्यात के लिए ही बैलाडीला खदानों में खुदाई का काम हो रहा था, भारत सरकार या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एन. एम. डी. सी.) या राष्ट्रीय खनिज व्यापार निगम (एन. एम. टी. सी.) परियोजना के कार्यकरण में जापान केहित को नजर अन्दाज नहीं कर सकता था, अन्यथा इसका परिणाम परियोजना के कार्यकरण तथा उसको चालू रखने के लिए या संकट का कारण बन सकता था.

70. पैरा 24 में पहले यह उल्लेख किया जा चुका है कि जापान कम से कम दो बार अर्थात् 2-6-72 तथा 27-9-73 को ठेका निरस्त करने की धौंस दे चुका था.

71. पी. के. बनर्जी (आ. ग. 119) पैरा 4 तथा 5 में यह बयान दिया गया है कि राजकोषीय वर्ष 1977-1978 में उत्पादन 73 लाख टन तक ही सीमित था. इसके अतिरिक्त उनके पास पहले से ही 11 लाख टन माल मौजूद था. वे प्रति वर्ष सामान्यतया 74 से 76 लाख टन अयस्क का उत्पादन करते रहे. इसमें से 41 से 43 लाख टन मशीनीकृत खनिकर्म से प्राप्त होता था. तथा शेष फ्लोट अयस्क के उत्खनन से प्राप्त होता था. पैरा 7 में इस साक्षी ने, जो किरन्दुल प्लांट अयस्क का उत्पादन प्रबन्धक था, बताया कि उनके पास पहले से जितना माल था, उससे अधिक माल संग्रहण करने के लिए पर्याप्त प्रबन्ध नहीं था. पैरा 8 में उन्होंने बताया कि दि. 31-3-78 को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एन. एम. डी. सी.) के पास 20 लाख टन अयस्क था. जबकि भण्डारण क्षमता केवल 17 लाख टन थी.

41 से 43 लाख टन मशीनीकृत खनिकर्म से तथा शेष फ्लोट अयस्क के उत्खनन से प्राप्त होता था. पैरा 7 में इस साक्षी ने जो किरन्दुल फ्लोट अयस्क का उत्पादन प्रबन्धक था, बताया कि उनके पास पहले से जितना माल था, उससे अधिक माल संग्रहण करने के लिये पर्याप्त प्रबन्ध नहीं था. पैरा 8 में उन्होंने बताया कि दिनांक 31-3-78 को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एन. एम. डी. सी.) के पास 20 लाख टन अयस्क था जबकि भण्डारण क्षमता केवल 17 लाख टन थी.

72. साक्षी के उपर्युक्त बयान की पुष्टि जी. के. सरीन (आ. ग. 120) के बयान से भी होती है, जो कि उस समय महाप्रबन्धक थे उन्होंने 8-1-78 को कार्यभार ग्रहण किया था. उन्होंने पैरा 2 में बताया कि लोह अयस्क के विश्व बाजार में गिरावट के कारण जापान ने अपनी मांग घटाकर 60 लाख टन कर दी थी. ऐसा 1978-79 के लिये किया गया था. यद्यपि करार के अनुसार 78 लाख टन की पूर्ति की जानी थी. (साक्ष्य का पैरा 25 देखिये) पहले पैरा 20 में इस बात का उल्लेख किया जा चुका है कि जापान ने वर्ष 1977-78 में भी अपनी मांग घटाकर 70 लाख टन कर दी थी जबकि उसे उस वर्ष करार के अनुसार 78 लाख टन माल लेना था. श्री सरीन (आ. ग. 116) ने पैरा 4 में यह भी

बताया कि जापान को 60 लाख टन निर्यात करने के पश्चात् उनके पास 20 लाख टन माल बचा था जापान उनका एक मात्र ग्राहक था. उन्होंने पैरा 2 में यह भी बताया कि जापान की मांगे तथा उत्पादन का लक्ष्य निक्षेप क्र. 14 तथा 5 की मशीनी खुदाई से प्राप्त किया जा सकता था.

73. उपर्युक्त साक्ष्य यह दर्शाता है कि निक्षेप क्र. 5 की मशीनीकृत खुदाई का कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात् फ्लोट अयस्क खुदाई की कोई आवश्यकता नहीं रही थी. एस. के. एम. एस. ने अपने विवरणों (प्रविवरणों) में यह आपत्ति उठाई थी कि जापान ने अपनी मांग कभी नहीं घटाई थी. तथापि उन्होंने राष्ट्रीय खनिज विकासनिगम (एन. एम. डी. सी.) द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त साक्ष्य के विरोध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया.

74. फ्लोट अयस्क की श्रमिकों द्वारा की जाने वाली खुदाई के ठेके को नवीकृत करने से इन्कार करने की बात को न्यायोचित सिद्ध करने के लिये राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा प्रस्तुत उक्त साक्ष्य के अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि यह मामला शुद्धतः नीति संबंधी निर्णय का था, जो श्री जी. के. सरीन (श्रा.ग. 120) द्वारा पैरा 23 में बताये गये अनुसार या तो केन्द्रीय सरकार को या हैदराबाद में स्थित राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के मुख्य कार्यालय द्वारा किया जाना था. भारत सरकार का निर्णय ठेके के न वीकरण के विरुद्ध था जिसकी पुष्टि दिनांक 27-5-78 के पत्र से होती है. इसके द्वारा शासन ने विवाद को औद्योगिक प्राधिकरण को निर्दिष्ट करने से इनकार कर दिया था. पत्र निम्नानुसार है :—

(क्र. एल-26011।4।78 डी. तीन . बी.)

भारत सरकार श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 मई 1978.

प्रति,

1. संगठन सचिव,
संयुक्त खदान मजदूर संघ
(ए. आई. टी. यू. सी.) बैलाडीला शाखा,
डाकघर किन्दुल,
जिला बस्तर म. प्र.

2. महाप्रबन्धक,
बैलाडीला लौह अयस्क
परियोजना निक्षेप 14, डाकघर किरन्दुल,
बस्तर, म. प्र.

3. मेसर्स अशोक माइनिंग कम्पनी,
ठेकेदार, बैलाडीला लौह अयस्क, परियोजना,
डाक घर किरन्दुल, जिला बस्तर म. प्र.

विषयः—मेसर्स अशोक माइनिंग कम्पनी तथा उनके कामगारों के बीच औद्योगिक विवाद जिसका प्रतिनिधित्व कामगारों की छटनी पर संयुक्त खदान मजदूर संघ द्वारा किया गया था.

महोदय,

उक्त विषय से संबंधित इस मंत्रालय के दिनांक 1-3 अप्रैल 1978 को समसंख्या के पत्र के अनुसरण में मुझे यह सूचित करने का निदेश दिया गया है कि भारत सरकार ने उक्त विवाद को औद्योगिक न्याय अधिकरण को निर्दिष्ट न करने का निर्णय लिया, क्योंकि यह छटनी ठेकेदारों की उनके मुख्य नियोजक से हुए ठेका करार की समाप्ति के परिणामस्वरूप और उनके ठेकों की कालावधि में और अधिक वृद्धि न करने या मुख्य नियोजक द्वारा उन्हें वैकल्पिक ठेके न देने के कारण हुई है.

भवदीय

हस्ता./-
(जगदीश प्रसाद)
अवर सचिव.

75. यह सुझाव कि छटनी के स्थान पर जबरी छुट्टी दी जानी चाहिए थी, वहां लागू नहीं होता जहां ठेका ही समाप्त होने वाला था. जबरी छुट्टी जैसा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 (के. के. के.) में परिभाषित है, ईन्धन विद्युत, कच्ची सामग्री, मशीन की टूट-फूट या ऐसे ही अन्य कारणों से अस्थाई रूप से पंजी में बर्ज किसी कामगार को रोजगार देने की नियोजक की विफलता या इससे इंकार करना या असमर्थता दर्शाती है. यह ऐसे मामलों में लागू नहीं होती जहां स्वयं नियोजक की अवधि समाप्त होने या औद्योगिक उपक्रम बन्द होने की स्थिति हो, इस मामले में जब 31-3-78 के पश्चात मेसर्स अशोक माइनिंग कम्पनी ने स्वयं ही कार्य बन्द कर दिया था, उस समय किसी कामगार को जबरी छुट्टी देने का प्रश्न ही नहीं उठता था.

76. यह एक ऐसा मामला है, जहां वस्तुस्थिति यह थी कि मेसर्स अशोक माइनिंग कम्पनी के कामगारों तथा उस कार्य के लिये फ्लोट अयस्क खदानों के अन्य ठेकेदारों की छटनी की जाएगी, यह बात कमसे कम अक्टूबर, 1977 से ही उन कामगारों तथा उसके संघ अर्थात एस. के. एम. एस. को भी मालूम थी. यह खबर उन्हें एकाएक या अप्रत्याशित रूप में नहीं मिली. श्री सी. आर. बक्षी द्वारा एस. के. एम. एस. की ओर से प्रस्तुत (प्रविवरण) विवरण के पैरा 4 तथा 5 में निम्नानुसार बताया गया है.—

4. लेकिन इसके विपरीत खान मंत्रालय, भारत शासन, पिछले वर्ष से ही यह सूचित करती रही है कि भविष्य में फ्लोट ओर इकट्ठा करने के लिये नये अनुबंध नहीं किये जायेंगे.

5. विगत अक्टूबर, 1977 को केन्द्रीय इस्पात एवं खान मंत्री श्री बीजू पटनायक ने किरन्दुल का भ्रमण किया था. इस समय संयुक्त खदान मजदूर संघ की ओर से भविष्य में ठेके न दिये जाने के कारण श्रमिकों की छटनी की ओर उनका ध्यान आकर्षित करवाया था. उस समय केन्द्रीय मंत्री जी ने यह उपेक्षा पूर्ण उत्तर दिया था कि "क्या मैं तुम्हारे लिए यहां चल रहे लोह अयस्क संयंत्र बंद कर दूं." यह एक विचारणीय प्रश्न है कि विशेषज्ञों की राय में फ्लोट ओर श्रमिक मजदूरों द्वारा जमा करवाना कम खर्चीला है और इसके विपरीत संयंत्र और मशीनीकरण के द्वारा लोह अयस्क खुदवाना अधिक महंगा है."

77. इस मामले का एक दूसरा पहलू भी है जो एन. एम. डी. सी. के विद्वान काउन्सेल श्री वाई. एस. धर्माधिकारी द्वारा बहस के दौरान सामने लाया गया. उनके अनुसार फ्लोट अयस्क एक आवरण के समान होता है. जो मुख्य निक्षेप (डिपाजिट) को ढके रखता है. यह सब खदानों में पाया नहीं जाता है. यह बचेली में निक्षेप (डिपाजिट) क्रमांक 5 में उपलब्ध नहीं है. यह केवल निक्षेप (डिपाजिट) क्रमांक 14, 12 ए तथा 11 बी तथा 11 सी में उपलब्ध था. उस समय के लगभग इन खदानों में फ्लोट अयस्क समाप्त होता जा रहा था. किसी भी हालत में फ्लोट अयस्क (ओर) का निकाला जाना चाहे वह श्रमिकों द्वारा हो या किसी अन्य तरीके से हो अनिश्चित काल तक जारी नहीं रखा जा सकता था. ऐसा कोई संकेत प्राप्त नहीं है कि एन. एम. डी. सी. की उस इलाके में ऐसी कोई दूसरी खदान थी जहां हाथ से खुदाई कर खनिज निकाला जाता हो. उनके अनुसार श्रमिकों की छटनी के विरोध में किया गया आन्दोलन वस्तुतः मेसर्स अशोक माइनिंग कम्पनी तथा अन्यों की ठेके की अवधि बढ़ाए जाने के लिए था जिनके बारे में यह कहा जाता था कि वे श्रमिकों का शोषण कर रहे थे और श्रमिकों को केवल 3 रुपये प्रति टन का भुगतान कर एन. एम. डी. सी. से 19 रुपये प्रति टन लेकर भारी मुनाफा कमा रहे थे.

78. उत्पादन की लागत के संबंध में परियोजना के महाप्रबन्धक श्री जी. के. सरीन (अ. ग. 120) ने पैरा 5 में बताया कि मशीनीकृत तरीके से एक टन अयस्क निकालने की लागत 37 रुपये प्रति टन थी. जबकि एक टन फ्लोट अयस्क निकालने के लिए 27 रुपये प्रति टन लागत आती है. 10 रुपये का अन्तर स्थापना पर होने वाले खर्च पूंजी निवेश पर ब्याज और मशीनों से कार्य करने पर उनके मूल्य ह्रास के कारण है. उसी पैरा में उन्होंने आगे यह भी बताया कि फ्लोट अयस्क निकालने को चालू रखने के लिए मशीनीकृत प्रचालन को नहीं रोका जा सकता था. उसके अनेक कारण थे जो निम्नानुसार हैं.—

"क्योंकि प्रथमतः मशीनीकृत उत्पादन की योजना एक लम्बे समय की थी जबकि फ्लोट ओर उत्पादन की योजना अस्थायी स्वरूप की थी. दूसरी बात है कि मशीनीकृत उत्पादन में माल के अपव्यय की गुंजाइश नहीं रहती, माल आवश्यक क्वालिटी का मिलता है और किस स्पेसिफिकेशन का चाहिए वैसा उत्पादित किया जा सकता है जो मजदूरों द्वारा उत्पादन किए माल के तरीके से संभव नहीं है. इसके अलावा महत्व की एक और बात यह है कि फ्लोट ओर सतह पर उपलब्ध है जिसे मजदूरों द्वारा इकट्ठा कराया जा सकता है. मशीनीकृत खदानों में मशीनों के जरिये काफी गहराई तक जाकर माल निकाला जाता है और फिर फ्लोट ओर बड़ी मात्रा में सतह पर उपलब्ध न होने से मजदूरों के जरिए ज्यादा दिनों तक उत्पादन करवाना संभव नहीं है."

79. श्री जी. के. सरीन के उपर्युक्त कथन की सत्यता पर संदेह करने का न तो कोई कारण है और न ही कोई अभिलिखित सामग्री. वास्तविकता यह है कि केन्द्रीय शासन या संबंधित प्राधिकारियों ने फ्लोट लौह अयस्क की हाथ से खुदाई के ठेके में वृद्धि न करने का निश्चय कर लिया था.

80. उपर्युक्त परिस्थितियों में विवाद को निपटाने का एक मात्र रास्ता यह हो सकता था कि इस बात पर निगाह रखी जाती कि छंटनी किए गए श्रमिकों को 31-3-78 को या उसके आसपास की तारीख को उनकी समस्त वैध देय राशि प्राप्त हो जाती अथवा यदि संभव और सुलभ होता तो नियोजित रखने के लिए उनको वैकल्पिक कार्य देने की व्यवस्था की जाती. जैसा कि अब स्पष्ट हो जाएगा कि यह सही नहीं है कि एन. एम. डी. सी. प्राधिकारियों न इस संबंध में कोई प्रयत्न नहीं किए. दूसरी तरफ ऐसा प्रतीत होता है कि श्रमिक संघ एस. के. एम. एस सदैव इस बात पर जोर देता रहा कि किसी भी रूप में छंटनी नहीं की जानी चाहिए और ठेके को चालू रखा जाना चाहिए. एस. के. एम. एस. की ओर से श्री सी. आर. बख्शी तथा श्री इन्द्रजीत सिंह द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरण (प्रविवरणों) से यह बात स्पष्ट होती है.

81. एन. एम. डी. सी. ने अपने विवरण (प्रविवरण) के पैरा 11 में उनके द्वारा किए गए प्रयासों तथा विभिन्न अवसरों पर एस. के. एम. एस., एम. एच. डब्ल्यू. यू. के प्रतिनिधियों तथा अन्य लोगों से हुई चर्चा का विस्तार से उल्लेख किया है. 4 जनवरी 1978 से बैठकें शुरू हुई और बाद में समय-समय पर होती रहीं. पैरा 11 में दिए अनुसार बैलाडिला निक्षेप (डिपाजिट) क्र. 5 परियोजना (बचेली) में उत्पादन चालू होने के बाद प्रबंध वर्ग ने हाथ की खुदाई के काम को जारी रखने में अपनी असमर्थता प्रगट की थी. उन परिस्थितियों को, जिनमें मेसर्स अशोक माइनिंग कम्पनी का ठेका चालू नहीं रखा जा सकता था, स्पष्ट कर दिया गया था और यह समझाया गया था कि ठेके को समाप्त करना राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हित में जरूरी था. तत्पश्चात एम. एन. एस. यू. के प्रतिनिधि स्थिति से संतुष्ट हो गए थे और उन्होंने आन्दोलन बंद कर दिया था. तथापि, एस. के. एम. एस. के प्रतिनिधियों ने अपना आन्दोलन जारी रखा था.

82. इस संबंध में एन. एम. डी. सी. द्वारा साक्ष्य भी प्रस्तुत किया गया जो अभिलेखों द्वारा समर्थित था. श्री प्रसाद (ग्रा. ग. 117) और श्री ओमदत्त शर्मा (ग्रा. ग. 118) ने समय-समय पर हुई विभिन्न बैठकों के बारे में शपथ-पत्र और संगत अभिलेख प्रस्तुत किए. एस. के. एम. एस. की ओर से श्री आर. एल. दुबे द्वारा उनका प्रति-परीक्षण किया गया. श्री ओमदत्त शर्मा (ग्रा. ग. 118) एन. एम. डी. सी. के हैदराबाद स्थित मुख्यालय में प्रबंधक (औद्योगिक संबंध) है. उन्होंने 4 मार्च को हैदराबाद में, 5 तथा 6 मार्च 1978 को किरन्दुल तथा बचैली में हुई बैठकों के बारे में बताया उनके अनुसार 9 तथा 10 मार्च को वह नागपुर गये और वहां उन्होंने आल इंडिया एन.एम.डी.सी. कामगार संघ के अध्यक्ष श्री एस. के. सान्याल से चर्चा की. पुनः दिनांक 22 मार्च 1978 को हैदराबाद में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें एस. के. एम. एस. तथा एन. एम. डी. सी. के पदाधिकारियों ने भाग लिया. इसलिए 3-4-78 को वह फिर नागपुर गये और वहां उन्होंने श्री एस. के. सान्याल से इस विषय में विस्तार से चर्चा की जिन्होंने समस्या को समझते हुए कहा कि जहां तक नीति का प्रश्न है उनका संगठन किसी भी रूप में छटनी का समर्थन नहीं कर सकता और ऐसी किसी भी नीति का विरोध करेगा जिसके परिणामस्वरूप बेरोजगारी उत्पन्न हो. प्रति-परीक्षण का भी श्री शर्मा के बयान की सच्चाई पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ा.

83. उसी प्रकार से बैलाडीला निक्षेप (डिपोजिट) क्र. 14 के श्री एस. प्रसाद (कार्मिक प्रबंधक) ने ठेकेदार मेसर्स अशोक माइनिंग कम्पनी द्वारा दिनांक 22-12-77 को दिए गए नोटिस तथा एस. के. एम. एस. के संगठन सचिव श्री एम. पी. पाण्डे (शपथ पत्र का परिशिष्ट एक) के दिनांक 16-1-78 के पत्र के बारे में बताया. दिनांक 16-2-78 (शपथ पत्र का परिशिष्ट दो) को एक उत्तर भेजा गया जिसमें ठेकेदार के कामगारों की छटनी की अपरिहार्यता को स्पष्ट किया गया था. उसने एस. के. एम. एस. द्वारा दिनांक 20-2-78 को उठाए गए औद्योगिक विवाद के संबंध में भी बताया था.

84. सब गवाह ने उस बैठक का हवाला दिया, जो 14-2-78 को निक्षेप (डिपाजिट) क्र. 14 के महाप्रबंधक के कार्यालय में एस. के. एम. एस., एम. एम. डब्ल्यू. यू. के प्रतिनिधियों तथा अन्य लोगों के बीच हुई थी. परिशिष्ट तीन बैठक की कार्यवाहियों का अभिलेख है. गवाह ने दिनांक 15-3-78 को एक पत्र (परिशिष्ट-चार) एस. के. एम. एस. के अध्यक्ष को भेजा था. 22-3-78 को वह एस. के. एम. एस. तथा एम. एम. डब्ल्यू. यू. के प्रतिनिधियों को छंटनी के मामले पर चर्चा करने के लिए हैदराबाद स्थित एन. एम. डी. सी. के प्रधान कार्यालय ले गया, और प्रतिनिधियों के आने-जाने का खर्च प्रबंधक वर्ग ने दिया. प्रबंधकों ने प्रतिनिधियों को बताया कि समस्या का कोई न कोई हल ढूंढने के प्रयास प्रबन्धक वर्ग की ओर से किये गये जिनमें भोपाल राज्य शासन के प्राधिकारियों से फ्लोट अयस्क के मजदूरों को वैकल्पिक नियोजन देने की संभावनाओं का पता लगाने पर हुई उनकी चर्चा भी शामिल थी किन्तु ये सब प्रयास असफल रहे थे. तथापि, संघों को यह सूचित किया गया कि मैसर्स अशोक माइनिंग कम्पनी अपने दो अन्य कार्य स्थलों पर कुछ मजदूरों को वैकल्पिक रोजगार देने के लिए सहमत थी (चर्चा के अभिलेख की प्रति परिशिष्ट पांच के रूप में संलग्न है) 22-3-78

को हैदराबाद में हुई चर्चा के अनुसरण में दिनांक 27-3-78 को बैलाडीला निक्षेप (डिपाजिट) क्र. 14 पर दूसरी बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में एस. के. एम. एस. की ओर से श्री एम. पी. पाण्डेय और श्री एन. आई. थामस और मेसर्स अशोक माइनिंग कम्पनी की ओर से श्री सोहनलाल जैन और श्री पुखराज जैन उपस्थित थे. इस बैठक में मेसर्स अशोक माइनिंग कम्पनी के प्रतिनिधियों ने बताया कि वे प्लांट अयस्क के प्रस्तावित छटनी किए जाने वाले मजदूरों में से 100 मजदूरों को बिहार के भवन्तपुर में अपने कार्य स्थल पर लगभग 9 माह के लिए और जबलपुर के पास बरगी में लगभग 700 मजदूरों को वैकल्पिक कार्य दे सकते हैं. मेसर्स अशोक माइनिंग कम्पनी ने संघों के प्रतिनिधियों को यह आश्वासन दिया कि वे ऊपर बताए अनुसार नए स्थलों पर मजदूरों को काम पर ले लेंगे. परिशिष्ट छह 27-3-78 को बुलाई गई बैठक में हुई चर्चा की टीप है.

85. 27-3-78 को महाप्रबंधक ने एक अन्य बैठक बुलाई जिसमें एस. के. एम. एस. के अध्यक्ष श्री इन्द्रजीत सिंह उपस्थित थे. दिनांक 30-3-78 को महाप्रबंधक तथा इन्द्रजीत सिंह के बीच एक बैठक हुई. 1-4-78 के बाद प्रबंधक वर्ग ने श्री इन्द्रजीत सिंह तथा एन. एम. पाण्डेय से सम्पर्क करना चाहा किन्तु वे इसे टाल गए.

86. एस. के. एम. एस. की ओर से श्री पी. एल. दुबे द्वारा किए गए श्री एस. प्रसाद के प्रतिपरीक्षण से भी गवाह की सचाई पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता. प्रतिपरीक्षण के पैरा तीन में उन्होंने बताया कि सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) रायपुर के समक्ष विचाराधीन समझौता कार्रवाई 23-3-78 को विफल हो गई. इस की सूचना केन्द्रीय शासन को 1-4-78 को दे दी गई. पैरा चार में उन्होंने बताया कि केन्द्रीय शासन ने दिनांक 27-5-78 के पत्र द्वारा मामले को निर्दिष्ट करने से इन्कार कर दिया. इस पत्र को ऊपर पैरा 74 में उदधृत किया जा चुका है. पैरा छह में गवाह ने बताया कि मेसर्स अशोक माइनिंग कम्पनी ने केवल 800 मजदूरों को वैकल्पिक कार्य देने की बात की थी. पैरा आठ में उन्होंने बताया कि 1-4-78 के बाद श्री इन्द्रजीत सिंह तथा एम. पी. पाण्डेय से सम्पर्क स्थापित करने के प्रयास किये गये, पर वे सम्पर्क के लिए उपलब्ध नहीं हुए.

87. अशोक माइनिंग कम्पनी के श्री कनक जे. शाह (अ. ग. 115) ने पैरा 4 में बताया कि नवम्बर 1977 में उसने कामगारों के साथ छटनी के बारे में चर्चा की और उन्हें बताया कि मार्च 1978 के पश्चात उनकी कम्पनी सात सौ कामगारों को फिर से काम दे सकती थी, किन्तु मजदूर राजी नहीं हुए. जनवरी या फरवरी 1978 में एन. एम. डी. सी. की मार्फत यह प्रस्ताव फिर से रखा गया, किन्तु श्रमिक राजी नहीं हुए. पैरा 6 में उसने बताया कि पहली या दूसरी अप्रैल 1978 को उसकी कम्पनी द्वारा नियोजित सभी मजदूरों को अन्तिम भुगतान कर दिया गया था, उन्होंने अपनी झोपड़ियां खाली कर दी तथा वे अपने घरों को चले गये थे. पैरा 9 में उसने इस बात से इन्कार किया कि मजदूरों को किरन्दुल से ट्रकों में भरकर जबरदस्ती बाहर भेजा गया था. एस. के. एम. एस. की ओर से श्री पी. एल. दुबे द्वारा किए गए उसके प्रतिपरीक्षण में गवाहों के इस बयान को चुनौती नहीं दी गई.

88. उपर्युक्त साक्ष्य का खंडन करने या उसको चुनौती देने के लिये न तो श्री इन्द्रजीत सिंह न ही श्री एम. पी. पांडे न ही श्री एन. आई. थामस और न ही श्री जी. आर. बक्शी गवाही देने के लिए सामने आए. न ही मेसर्स अशोक माइनिंग कंपनी का कोई कामगार यह बयान देने के लिये आया कि उसे छटनी मुआवजा लेने तथा किरन्दूल से कामगारों के कार्य स्थल मांलुनोर घाटी के बलात बाहर जाने के लिये बाध्य किया गया था. एस. के. एम. एस. ने केवल एक गवाह भगतराम (अ. ग. 90) का परीक्षण किया जिसने बताया कि वह मेसर्स अशोक माइनिंग कंपनी के श्रमिक के रूप में कार्य कर रहा था. 31-3-78 को एन. एम. डी. सी. के कुछ व्यक्ति लगभग 50 पुलिस वाले तथा अशोक कंपनी के 10 से 12 लोग आए और उससे भुगतान स्वीकार करने तथा चले जाने को कहा. भुगतान लेने से इन्कार करने पर मारपीट की धमकी दी गई. एस. के. एम. एस. द्वारा प्रस्तुत किये गये विवरण (प्रतिवरण) अपने आप में यह दर्शाते है कि अक्टूबर 1977 में केन्द्रीय मंत्री ने हाथ से खुदाई के ठेके में बृद्धि की संभावनाओं से इन्कार किया था. इसके बावजूद एस. के. एम. एस. के पदाधिकारियों ने मेसर्स अशोक मइनिंग कंपनी के कामगारों की छटनी के विरोध में अपना आंदोलन शुरु कर दिया था. लगभग 800 कामगारों (उनके द्वारा नियोजित कुल 1653 के लगभग में से आधे के करीब) को वैकल्पिक कार्य उपलब्ध कराने की कंपनी की पेशकश को ठुकरा दिया गया था. एस. के. एम. एस. के आन्दोलन तथा रवैये के बावजूद मेसर्स अशोक माइनिंग कंपनी द्वारा नियोजित सभी कामगारों ने छटनी के लाभों को स्वीकार कर लिया था और वे 2-4-1978 को अपने अपने घरों को चले गये थे.

89. पैरा 2 में उसने बताया कि वह उनमें से किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं जानता जो 31-3-78 को आये थे उसने उन्हें न तो पहले और न ही उसके बाद कभी देखा था. पैरा 4 में उसने बताया कि 31-3-78 की घटना के संबंध में उस पर अभियोग चलाया जा रहा है. किसी अन्य साक्ष्य द्वारा परिपुष्टि के अभाव में भगतराम का एकाकी अभिसाक्ष्य विश्वसनीय नहीं है.

89-अ. साक्ष्य के उपर्युक्त विश्लेषण से पता चलता है कि अक्टूबर 1977 से, एस. के. एम.एस. तथा ठेकेदार इस तथ्य से परिचित थे कि 31-3-78 के बाद मेसर्स अशोक माइनिंग कंपनी के कामगारों की छटनी कर दी जाएगी. यह कि 31-3-78 से मेसर्स अशोक माइनिंग कंपनी के कामगारों की छटनी और 22-12-77 को मेसर्स अशोक माईनिंग कंपनी द्वारा दिए गए नोटिस को संयुक्त खदान मजदूर संघ (एस. के. एम.एस. द्वारा शुरू किए गए आन्दोलन तथा खनन कर्मकारों द्वारा किए गए प्रदर्शनों का आधार बनाया गया था.

90. संक्षेप में पूर्ववर्ती पैराओं में की गई चर्चा के परिणाम स्वरूप जो स्थिति सामने आती है वह प्रतिपरीक्षण में उसने बताया कि वह एस. के. एम. एस. का सदस्य रहा है श्रमिक को 31-3-78 से छटनी का नोटिस मिला है.

अध्याय आठ

घटनाक्रम जिसके परिणाम स्वरूप खनन कर्मकारों द्वारा प्रदर्शन किये गये उनके और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई

91. पिछली चर्चाओं के परिपेक्ष्य में किरंदुल में खनन कर्मकारों द्वारा किये गये प्रदर्शनों के घटनाक्रम का कारण श्रमिक संघों विशेष कर संयुक्त खदान मजदूर संघ में व्याप्त असंतोष, जिसका कारण संबंधित प्राधिकारियों द्वारा फ्लोट लोह अयस्क के हाथ से निकालने के विशेष रूप से अशोक माइनिंग कंपनी के ठेके की अवधि में वृद्धि करने से इनकार किया जाना तथा इसके परिणामस्वरूप उक्त कंपनी द्वारा दिनांक 22-12-77 के नोटिस के अनुसार दिनांक 31-3-78 से कर्मचारियों की छटनी करना कहा जा सकता है. यह बात सामने आ चुकी है कि प्राधिकारियों तथा श्रमिक संघ के नेताओं के बीच हुई विभिन्न बैठकें भी श्रमिक संघ के नेताओं को आन्दोलन आरम्भ करने से नहीं रोक सकी. वस्तुत: रा. ख. वि. नि. द्वारा फाइल किए गए विवरण (प्रविवरण) से यह स्पष्ट हो जाता है कि पहला जुलूस दिनांक 15-1-78 को सं. ख. म. सं. के तत्वावधान में निकाला गया था. दूसरा जुलूस दिनांक 22-1-78 को, तीसरा दिनांक 27-2-78 को तथा चौथा जुलूस 28-2-78 को निकाला गया था जिस दिन उन्होंने महाप्रबंधक का उस समय जब वह दोपहर के भोजन के लिये अपने कार्यालय से निकल रहे थे घेराव किया था और उन्हें वापस अपने कार्यालय लौटने पर बाध्य कर दिया गया था. दूसरा जुलूस दिनांक 2-3-78 को सं. ख. म. सं. द्वारा निकाला गया था.

92. रा. ख. वि. नि. तथा स्थानीय प्राधिकारियों दोनों के द्वारा फाइल किये गये विवरण (प्रविवरण) के अनुसार इसके पश्चात दिनांक 10-3-78 के बाद जुलूस निकालना रोजमर्रा की बात हो गई थी.

93. इन मुद्दों पर साक्ष्य के संबंध में पववर्ती विद्वान प्रशासकों द्वारा आदेश शीट दिनांक 11-9-78 के पैरा 9 के अनुसार निर्णय लिया गया जो निम्नानुसार है:—

"दिनांक 27-3-1978 के पूर्व बाद विषय के संबंध में समस्त उपस्थित व्यक्ति उस घटना क्रम के तथ्यात्मक पहलुओं पर एक दूसरे के बयानों को स्वीकार करते हैं. जिसके परिणाम स्वरूप 26 मार्च 1978 तक खनन कर्मकारों द्वारा प्रदर्शन किए गए. तथापि पक्षकार दिनांक 27 तथा 28 मार्च 1978 की घटनाओं के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं. यह उल्लेख करना अनावश्यक है कि स्थानीय प्रशासन यदि चाहे तो दिनांक 27 तथा 28 मार्च 1978 की घटनाओं के संबंध में भी साक्ष्य प्रस्तुत करे."

94. उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार पक्षकारों ने साक्ष्य प्रस्तुत किये और जैसा कि पहले बताया गया है स्थानीय प्रशासन ने 88 गवाहों का परीक्षण किया. आयोग द्वारा संयुक्त खदान मजदूर संघ के 25 गवाहों, राष्ट्रीय खनिक विकास निगम के पांच (5) गवाहों तथा दो (2) गवाहों का परीक्षण किया गया.

95. नरसिंहदेव सिंह (आ. ग. 1) सितम्बर 1973 से 11 जुलाई 1978 तक दंतेवाडा के वृत्त निरीक्षक थे. उनके कथनानुसार दिनांक 14-3-78 को उन्हें पुलिस अधिक्षक द्वारा बेलाडीला जाने का निर्देश दिया गया था. वे 14-3-78 को किरन्दुल के लिए रवाना हुए. उस समय श्री आर पी. शर्मा बचेली में थानाअधिकारी थे. उन्होंने श्री सिंह (गवाह) को सूचना दी कि सं. ख. म. सं. के अधीन श्रमिकों की हड़ताल दिनांक 10-3-78 से जारी थी और वे भूख हड़ताल भी कर रहे थे. वे सं.ख.म.सं. के कार्यालय के पीछे गये जहां लगभग 20 श्रमिक हड़ताल पर पैठे थे और छटनी के विरुद्ध नारे लगा रहे थे.

तपश्चात् 15-3-78 से दिनांक 22-3-78 तक प्रतिदिन सं. ख. मं. स. के कार्यालय से एक जुलूस निकाला जाता था जो पूरे शहर स होता हुआ महाप्रबंधक के प्रशासनिक कार्यालय तक जाता था उसके बाद वे सं. ख. म. सं. के कार्यालय वापस आ जाते थे जहां लगभग 20 व्यक्ति भूख हड़ताल पर बैठ जाते थे.

96. गवाह दिनांक 22-3-78 को दंतेवाडा वापस लौटा और 26-3-78 को पुनः किरन्दुल पहुंचा. उन्हें थाना प्रभारी अधिकारी श्री शर्मा द्वारा सूचना दी गई कि सं. ख. मं. सं. के अध्यक्ष इन्द्रजीत सिंह का निमंत्रण पाकर दुर्ग के मजदूर नेता श्री गंगा चौबे भी आ ये हुए थे. गवाह और थाना अधिकारी आर. पी. शर्मा साथ साथ शाम के लगभग 4 बजे सं. ख. म. सं. के कार्यालय पहुंचे. उन्होंने देखा कि गंगा चौबे एकत्र श्रमिकों को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने छटनी और श्रमिक ठेका पद्धति का भी विरोध किया. यह स्थिति दि. 27 तथा 28 मार्च को भी बनी रही किन्तु दिनांक 28-3-78 तक आन्दोलन शांति पूर्ण था और उससे विधि तथा व्यवस्था की स्थिति में कोई बाधा नहीं पड़ी थी.

97. गवाह के उपर्युक्त बयान की पुष्टि श्री आर. पी. शर्मा (आ. ग. 80) तथा दिलीप मेहरा (आ. ग. 76), जो उस समय उ. सं. म. दंतेवाड़ा थे, के साक्ष्य से हो जाती है. आ. ग. 1 एन. डी. सिंह ने पैरा 4 में बताया कि दिनांक 29-3-78 को गंगा चौबे ने प्रातःकाल 9 बजकर 30 मिनट पर कामगारों की भूख हड़ताल और धरना समाप्त करा दिया. उसके बाद दोहपर 12 बजे एक जुलूस निकाला गया और रात में लगभग तीन चार हजार कामगारों की भीड़ को इन्द्रजीत सिंह, गंगा चौबे तथा एम. पी. पांडे ने संबोधित किया. इन नेताओं ने कामगारों को उकसाया कि अगले दिन से कोई भी कामगार काम पर नहीं जाएगा और जो जाएंगे उन्हें रोका जाएगा. इस कथन की पुष्टि भी थाना अधिकारी आर. पी. शर्मा (आ. ग. 80) तथा उ.सं. म. दिलीप मेहरा (आ. ग. 76) के साक्ष्य से होती है जिनके अनुसार वे 27 या 28 मार्च 1978 से लगातार पन्द्रह दिन तक किरन्दूल में रहे. श्री मेहरा ने कामगारों द्वारा रेल लाईन पर धरना दिये जाने और वैगनों की लदान में और मालगाड़ियों के आने जाने में बाधा डालने की बात भी बताई. ये सभी गवाह इस बात पर भी सहमत है कि उपर्युक्त के अलावा कोई और घटना नहीं घटी और तथा दिनांक 29-3-78 को विधि तथा व्यवस्था की स्थिति में कोई विघ्न नहीं पड़ा. दिनांक 29-3-78 के जुलूस तथा सभा के संबंध में जगदीश मोहन सेठी (आ. ग. 36) सहायक कमान्डेन्ट केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल किरन्दूल ने भी ऊपर उल्लिखित इन गवाहों के साक्ष्य की पुष्टि की है.

98. दिनांक 29-3-78 की रात को श्री नन्हें सिंह कलेक्टर, जगदलपुर (आ. ग. 88) श्री श्री ओंकार प्रसाद गर्ग, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जगदलपुर (आ. ग. 75) के साथ किरन्दूल पहुंचे. श्री नन्हें सिंह (आ. ग. 88) ने बताया कि दिनांक 30-3-78 को प्रातः काल लगभग 9 बजे उन्होंने एक बैठक बुलाई जिसमें सं. ख. म. सं. के इन्द्रजीतसिंह, एम. पी. पांडे, बारसा दुलाराम तथा श्री गंगा चौबे उपस्थित थे. बैठक में श्री सरीन, महाप्रबंधक रा. ख. वि. नि. तथा श्री प्रसाद कानून प्रबंधक भी उपस्थित थे. कलेक्टर श्री नन्हें सिंह ने सं. ख. म. सं. के नेताओं से आन्दोलन समाप्त करने को कहा किन्तु वे सहमत नहीं हुए. बाद में उसी दिन लगभग 2000 कामगारों का एक जुलूस निकाला गया, जिसमें महिलाए भी शामिल थीं. यह जुलूस नारे लगाता हुआ महाप्रबंधक के कार्यालय पहुंचा. दो घंटे बाद लोग तितर बितर हो गये. इसके अतिरिक्त पु. अ. ओ. ज. प्र. गर्ग (आ. ग. 75) तथा दिलीप मेहरा (आ. ग. 76) जे. एम. सेठी (आ. ग. 36) तथा आर. पी. शर्मा (आ. ग. 80) के साक्ष्य की पुष्टि होती है जिन्होंने बताया है कि बचत स्तम्भ के निकट गंगा चौबे ने कामगारों को महाप्रबंधक के कार्यालय के परिसर में बलात प्रवेश करने के लिये उकसाया था. कुछ कामगार अहाते में घुस गये किन्तु उन्हें पुलिस बल और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों द्वारा जो वहां तैनात थे रोकने का असफल प्रयास किया गया. यह कथन सारभूत रूप से वैसा ही है जैसाकि मजदूर नेता गंगा चौबे (आ. ग. 103) ने बताया है. (देखिये उनके अभिसाक्ष्य का पैरा 4) गंगा चौबे ने केवल इतना और जोड़ा है कि उन्हें और अन्य लोगों को इस तथ्य के बावजूद गिरफतार नहीं किया गया है कि श्री मेहरा ने यह घोषणा की थी कि उन्हें गिरफतार किया जाएगा. यहां यह उल्लेखनीय है कि श्री दिलीप मेहरा (आ. ग. 76) से श्री गंगा चौबे के इस कथन के संबंध में कि श्री मेहरा ने यह घोषणा की थी कि उन्हें गिरफतार किया जाएगा और इस तथ्य के बावजूद भी उन्हें गिरफतार नहीं किया गया था, कोई प्रश्न नहीं पूछे गये. ओमप्रकाश कपूर (आ. ग. 73) ने यह बताया है कि गंगा चौबे ने गवाह से उन्हें गिरफतार करने के लिये कहा था किन्तु श्री कपूर ने इन्कार कर दिया था. श्री दिलीप मेहरा (आ. ग. 76) ने पैरा चार के अंत में यह बताया है कि दिनांक 30-3-78 को भी रेल्वे लाइन पर धरना देना तथा मालगाडी के आने जाने में बाधा डालना जारी रहा था. इसके बावजूद स्थिति ऐसी नहीं थी कि पुलिस हस्तक्षेप की जरूरत पडती. छितेश्वरनाथ चौबे (आ. ग. 12) तथा ओमप्रकाश कपूर, पुलिस उप अधीक्षक, जगदलपुर (आ ग. 3) ने दिनांक 30-3-78 के जुलूस के संबंध में न्यूनाधिक रूप में वही बात कही है जो श्री आर. पी. शर्मा (आ. ग. 80) ने कही थी. कलेक्टर श्री नन्हेंसिंह (आ. ग. 38) दिनांक 30-3-78 को दोपहर बाद जगदलपुर लौट गये अतएव 30-3-78 तक स्थिति यही थी कि यद्यपि आन्दोलन जोर पकड़ता जा रहा था किन्तु कामगारों और पुलिस के बीच कोई सीधी मुठभेड़ नहीं हुई थी.

99. दिनांक 31-3-78 को पुनः श्री गंगा चौबे के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला गया और जुलूस दोपहर के लगभग 12 बजे महाप्रबंधक के कार्यालय पहुंचा. पुलिस, जिसे जुलूस के बारे में मालूम था, के औ. सु. ब. के कर्मचारियों के साथ

वहां पहले से मौजूद थी. अहाते के मुख्य फाटक (गेट) पर ताला लगा था. फाटक तक पहुंचने पर गंगा चौबे के आह्वान पर कामगार पुलिस बल को धकेलते हुए और गेट के ऊपर से कूद कर बलपूर्वक अहाते में प्रवेश कर गये. भीड़ ने नगदी कार्यालय के मुख्य फाटक से प्रवेश करने का भी प्रयास किया किन्तु उसे पुलिस बल द्वारा रोक दिया गया. भीड में महिलाएं भी शामिल थीं. कामगारों को गंगा चौबे द्वारा संबोधित किया गया. अपरान्ह लगभग 2 बजकर 30 मिनट पर जब महाप्रबंधक श्री सरीन भोजन अवकाश पर घर जाने के लिये कार्यालय के बाहर आए तो कामगारों ने उनका घेराव किया उ. सं. म. श्री दिलीप मेहरा पु. उप अधीक्षक श्री कपूर तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्तक्षेप किये जाने के बावजूद यह घेराव आधे घंटे तक जारी रहा. बाद में उसी दिन इकतीस व्यक्तियों को, जिनमें गंगा चौबे और दस महिलाएं भी शामिल थी. गिरफ्तार किया गया. इसके बाद जुलूस तितरबितर हो गया. नगर निरीक्षक एन. डी. सिंह. (आ. ग. 1) थाना अधिकारी आर. पी. शर्मा (आ. ग. 80) दिलीप मेहरा उपसंभागीय मजिस्ट्रेट (आ.ग. 76) जे. एम. सेठी (आ. ग. 36) तथा ओमप्रकाश कपूर (आ. ग. 73), सत्यनारायण (स. ग. 13) तथा हरिसिंह (स. ग. 19) ने भी यही बताया था. आर. पी. शर्मा (स. ग. 80) ने यह भी बताया कि मालगाड़ियों में लदान तथा उनका आना जाना भी रोका गया था. कुछ कामगार रेल लाइन पर जमकर बैठ गये थे और उन्होंने रेल इंजन के सामने बडे बडे पत्थर डाल दिये थे. उन्होंने पैरा 8 में यह भी बताया कि हड़ताली कामगारों ने रा. ख. वि. नि. के कामगारों को भी नहीं जाने दिया जो दो बसों में काम पर जा रहे थे. पैरा 9 में आर. पी. शर्मा (आ. ग. 80) ने यह भी बताया कि 31-3-78 को अपरान्ह लगभग 5 बजे कांस्टेबल जगत नारायण ने उन्हें सूचना दी कि इंद्रजीतसिंह और एम. पी. पांडे को यह कहते हुए सुना गया है कि कल से वे जुलूस में महिलाओं को सामने रखेंगे और यदि कुछ होता है तो वे यह अफवाह फैला देंगे कि पुलिस ने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया और उनके साथ छेडछाड करने का प्रयास किया है. इस कथन की पुष्टि जगतनारायण (आ.ग. 78) के बयान से हो जाती है. देखिये उसके अभिकथन का पैरा 1, पैरा 3 में किये गये उसके प्रतिपरीक्षण से भी उसको विचलित नहीं किया जा सका.

100. बैजनाथ सोराज (आ. ग. 69) किरन्दूल में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के लदान (लोडिंग) एवं प्रेषण अनुभाग सहायक प्रबन्धक है. उन्होंने बताया कि 31-3-78 को लगभग 8 बजे प्रातः जब वे लदान (लोडिंग) संयंत्र की ओर गये तब मालगाड़ी में लदान का कार्य चल रहा था. 9 बजने के 5 मिनट पहले लगभग 20 से 25 कामगार मालगाड़ी के इंजन के सामने आकर खड़े हो गये और उन्होंने गाड़ी को आगे बढ़ने से रोका. प्रातः 9.30 बजे के आस-पास 250 कामगार वहां इकट्ठे हो गये और उन्होंने इंजन को घेर लिया तथा नारे लगाये. कुछ कामगार लाठियां लिये थे. भीड़ में से वे दो व्यक्तियों निर्भयराम और रामसिंह को पहचान सके. गवाह ने उसी दिन उत्पादन प्रबन्धक को एक लिखित प्रतिवेदन भेजा, जो प्रदर्श 56 है. प्रतिपरीक्षण में ऐसी कोई बात नहीं है, जिससे उसके अभिसाक्ष्य में कोई अन्तर आता हो. इस प्रकार उसके बयान की इस संबंध में आर. पी. शर्मा (आ. ग. 80) के बयान की पुष्टि होती है (आ. ग. 1) एन डी. सिंह ने भी पैरा 9 में कहा कि 31-3-78 की शाम को वह भी रेलवे स्टेशन की तरफ गया, जहां उसने पाया कि लगभग 400 व्यक्ति दो मालगाड़ियों के इंजनों के सामने और दोनों तरफ धरना दिये बैठे हुए थे.

101. (आ.ग. 2) रामदीन बोरा कम्पनी द्वारा नियोजित श्रमिक था. उसके अनुसार 31-3-78 को प्रातः लगभग 11 बजे संयुक्त खदान मजदूर संघ के लगभग 200 श्रमिक जुलूस बनाकर तथा लाठियों से लैस होकर उसके घर के पास आये तथा गवाह के जलूस में शामिल होने को कहा. जब गवाह ने मना किया तो उसे चैतराम और तुलसीराम ने जो जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे, जबरदस्ती घर से बाहर खींच लिया. सीताराम और सीतालखन ने हस्तक्षेप करने का प्रयत्न किया किन्तु उन पर भी हमला किया गया. इसके बाद सीताराम और शंकर उसे पुलिस थाना ले गये. उसने पैरा 2 में बताया कि उसने रिपोर्ट लिखाई थी, किन्तु पैरा 4 में उसने बताया कि उसने ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई थी. इस गवाह के साक्ष्य से यह पता चलता है कि संयुक्त खदान मजदूर संघ ने उन कर्मकारों से मारपीट की थी, जो उनके आन्दोलन में शामिल नहीं होते थे.

102. गंगा चौबे (आ. ग. 103) ने पैरा 5 में बताया कि 31-3-78 को प्रातः लगभग 9 बजे श्री मेहरा और श्री कपूर उससे मिले और उन्होंने उससे कहा कि वह 30 या 35 व्यक्तियों को गिरफ्तार करवा दे किन्तु गवाह ने यह कहकर मना कर दिया कि वह आन्दोलन को अपने तरीके से चलायेगा. उसके बाद सुबह लगभग 11 बजे वह इन्द्रजीत सिंह के साथ राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के महाप्रबन्धक से मिलने उनके कार्यालय गया. महाप्रबन्धक ने उससे आन्दोलन को शान्तिपूर्वक चलाने के लिये कहा और साथ ही उन्होंने इन्द्रजीतसिंह को निलम्बित कर देने की धमकी दी. इस पर गवाह ने उत्तर दिया कि वे स्थिति का सामना करेंगे तथा वे बाहर आ गये. जी. के. सरीन (आ. ग. 120) के बयान से इसकी पुष्टि होती है, देखिये उसका बयान पैरा 15.

103. तब गंगा चौबे ने संयुक्त खदान मजदूर संघ कार्यालय की ओर से आते हुए और महाप्रबन्धक के कार्यालय की ओर जाने वाले दो से तीन हजार व्यक्तियों के जुलूस का उल्लेख किया (पैरा 6). गवाह जुलूस में शामिल हुआ तथा

उसे लेकर महाप्रबन्धक के कार्यालय पहुंचा. उसने यह भी बताया कि उसने कामगारों को सम्बोधित किया और पुलिस द्वारा रोके जाने के बावजूद वह जबरदस्ती अहाते में घुस गया. कुछ और हड़ताली कामगार भी फाटक को फांदकर या किसी अन्य तरीके से अहाते में घुस गये. तब उसने श्री मेहरा (आ.ग. 76) से कहा कि वह जितनों को भी चाहें गिरफ्तार कर लें. श्री मेहरा के कहने पर उसने 30 व्यक्तियों की एक सूची तैयार की और गवाह को मिलाकर कुल 31 व्यक्तियों को श्री मेहरा (आ. ग. 76) द्वारा गिरफ्तार किया गया. गवाह का यह कथन सारभूत रूप से वैसा ही है, जैसा कि श्री दिलीप मेहरा (आ. ग. 76) ने अपने अभिसाक्ष्य के पैरा 5 में बताया है.

104. पैरा 14 में गंगा चौबे (आ.ग.103) का यह दावा है कि वह 31-3-78 को सुबह इन्द्रजीत सिंह के साथ अतिथि गृह में कलेक्टर से मिला था. यह सही नहीं मालूम पड़ता क्योंकि कलेक्टर नन्हेंसिंह (आ. ग. 88) 30-3-78 की शाम जगदलपुर लौट गये थे तथा उन्होंने पैरा 4 में बताया कि 31-3-78 की घटनाओं के बारे में उन्हें 31-3-78 को वायरलेस द्वारा सन्देश प्राप्त हुआ था. पैरा 5 में उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि वह 1-4-78 को किरन्दूल गये और वहां दोपहर लगभग 1 बजे पहुंचे.

105. इस प्रकार 31-3-78 को लदान कार्य रोक दिया गया. काम पर जाने वाले कामगारों को रोका गया और आन्दोलन में शामिल न होने वालों के विरुद्ध कुछ हिंसा का सहारा भी लिया गया. गंगा चौबे (आ. ग. 103) ने बताया कि 31-3-78 को जुलूस में शामिल व्यक्तियों को सम्बोधित करते समय उसने उनसे कहाकि यदि इन्द्रजीत सिंह को निलम्बित किया जाता है तो वे बसों का चलना बन्द कर दें. उसने उनसे यह भी कहा कि यदि बसें उनके शरीरों के ऊपर से गुजर जायें तो वे मरने के लिये भी तैयार रहें. किरन्दूल के एक फोटोग्राफर ओमप्रकाश (आ. ग. 6) ने उस जुलूस के पांच फोटो लिये थे (ए से ई तक), जो 31-3-78 को महाप्रबन्धक के कार्यालय पहुंचा था. यह उल्लेखनीय है कि 31-3-78 मेसर्स अशोक माइनिंग कम्पनी के श्रमिकों का अन्तिम कार्य दिवस था.

106. 1-4-78 के बारे में पैरा 10 में एन. डी. सिंह (आ. ग. 1) ने बताया कि प्रातः लगभग 9 बजे जब वह और श्री शर्मा (आ. ग. 80) पुलिस थाने में बैठे हुए थे, तब राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की एक बस जो लगभग 40 कामगारों को लेकर कार्यस्थल जा रही थी, कुरुप के नेतृत्व में लगभग 40 व्यक्तियों द्वारा रोकली गई थी. जब वे व्यक्ति वहां से नहीं हटे, तो कुरुप और उसके तीन सहायकों को गिरफ्तार कर लिया गया था. लीलाराम मुकर्जी (आ. ग. 56) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के एक सहायक इंजीनियर मैकेनिक है, ने पैरा 2 में बताया कि 1-4-78 को प्रातः लगभग 7.30 बजे जब वह 59 कामगारों के साथ बस में पहाड़ी पर जा रहा था, तो लगभग 25 महिलायें और लगभग 200 कामगार महाप्रबन्धक के कार्यालय से लगी जांच चौकी के पास सड़क पर धरना दिये बैठे थे. वहां केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के लगभग 30-40 लोग थे, जिन्होंने समझा बुझाकर कामगारों को इससे रोकना चाहा था किन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली इसलिये गवाह तथा अन्य कामगार काम पर नहीं जा सके थे. एक रिपोर्ट पुलिस थाने में भेजी गई थी. अभिसाक्ष्य में इस बात का उल्लेख है कि रिपोर्ट गवाह को दिखाई गयी थी किन्तु इसे प्रदर्शित नहीं किया गया और वह मुझे भी नहीं मिल सकी. इस गवाह का कोई प्रतिपरीक्षण भी नहीं किया गया. इस गवाह के बयान का मनोहरलाल (आ. ग. 57) और ए. एस. थामस (आ. ग. 58) द्वारा समर्थन किया गया. उनके बयानों को प्रतिपरीक्षण में चुनौती नहीं दी गई है.

107. एन. डी. सिंह (आ. ग. 1) ने पैरा 11 में बताया कि एस. के. एम. एस. द्वारा सुजीत मुन्शी (आ. ग. 89) और एम. पी. पांडे के नेतृत्व में लगभग 1500 कामगारों का एक जुलूस निकाला गया, जो 1-4-78 को दोपहर के लगभग महाप्रबन्धक के कार्यालय पहुंचा था. लगभग 1000 व्यक्ति फाटक फांदकर या बाड़ी को लांघकर अहाते में जा घुसे. जुलूस के लोगों का कार्यालय में घुसने से रोकने के लिये वहां लगभग 400 व्यक्तियों का पुलिस बल तैनात था. जुलूस के लोगों ने पुलिस का घेरा तोड़कर कार्यालय में घुसने की कोशिश की और उसी समय फाटक के बाहर जमा भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया. पुलिस दल के अन्य लोगों के साथ यह गवाह भी घायल हो गया था. जुलूस में शामिल कुछ व्यक्ति भी घायल हुए. मुख्य कार्यालय की खिड़कियों के शीशे तोड़ दिये गये. उ. सं. म. श्री मेहरा (आ. ग. 76) ने भीड़ से पथराव बन्द करने और तितर-बितर होने के लिये कहा किन्तु इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ. श्री मेहरा ने यह घोषणा भी की कि यदि भीड़ तितर बितर नहीं हुई तो अश्रु गैस के गोले फोड़े जायेंगे. इसका भी कोई असर नहीं हुआ. तत्पश्चात श्री मेहरा ने अश्रु गैस छोड़ने का आदेश दिया. इसके परिणामस्वरूप भीड़ ने तितर बितर होना और भागना शुरू कर दिया. इस भगदड़ में कुछ लोग बागड़ फांदते हुए गिर पड़े और उन्हें चोट लगी. सुजीत मुन्शी और सीताराम सहित 11 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया. श्री एन. डी. सिंह के इस कथन की पुष्टि श्री दिलीप मेहरा (आ. ग. 76) के साक्ष्य, देखिये उनके अभिसाक्ष्य का पैरा 11, सत्यनारायण (आ. ग. 13), देखिये उनके अभिसाक्ष्य का पैरा 4 जे. एम. सेठी (आ. ग. 36) देखिये उनके अभिसाक्ष्य का पैरा 5 तथा 6, उ. स. अ. पुलिस योगेशचन्द्र दीक्षित (आ. ग. 38) ओमप्रकाश कपूर (आ. ग. 73) देखिये पैरा 6 तथा 7 से हो जाती है. घटना की सूचना कलेक्टर नन्हेंसिंह (आ. ग. 88) को दी गई, जो दिनांक 1-4-78 को दोपहर 1 बजे किरन्दूल पहुंचे थे. श्री नन्हें सिंह ने इस तथ्य की पुष्टि की है, देखिये उनके अभिसाक्ष्य का पैरा 5.

108. एन. डी. सिंह (आ. ग. 1) को इशारा किया गया था, देखिये उनके अभिसाक्ष्य का पैरा क्र. 20, कि एक कांस्टेबल ने जुलूस की एक महिला प्रदर्शनकारी को निर्वस्त्र करने की कोशिश की थी किन्तु गवाह ने इस बात से इनकार किया, ऐसा ही प्रश्न ओ. पी. कपूर (आ. ग. 76) से पैरा 20 और दिलीप मेहरा (आ. ग. 76 से पैरा 18 में भी किया गया था किन्तु उन्होंने भी इससे इनकार कर दिया. यह उल्लेखनीय है जैसे कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है (उपर्युक्त पैरा 99) कि दिनांक 31-3-78 को आर. पी. शर्मा (आ. ग. 80) तथा जगतनारायण (आ. ग. 78) के अनुसार इन्द्रजीत सिंह, एम.पी. पांडे तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि यदि पुलिस महिलाओं को रोकेगी तो वे यह अफवाह फैला देंगे कि पुलिस ने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया और उनको अपमानित करने का प्रयास किया.

109. सं. ख. म. सं. की ओर से सुजीत मुंशी (आ. ग. 89) ने, जो दिनांक 1-4-78 जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे, न्यूनाधिक रूप में वही कहानी बताई है, जो एन. डी. सिंह ('आ. ग. 1) तथा अन्य व्यक्तियों ने बताई थी. इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी कहा कि औ. स. बल के एक कांस्टेबल ने जुलूस की एक महिला प्रदर्शनकारी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया था, जिसका उन लोगों ने विरोध किया. परिणामस्वरूप पुलिस ने उसे बेंतों से मारा था. उन्होंने यह भी बताया है कि अश्रु गैस के गोले फोड़ने के बाद केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कर्मचारियों ने रा. ख. वि. नि. के कार्यालय की खिड़कियों के कांच तोड़ दिये. यह पहले ही उल्लिखित किया जा चुका है कि के. औ. स. सु. ब. के कांस्टेबल द्वारा किए गये प्रयास से संबंधित बात से ओ. पी. कपूर (आ. ग. 73) तथा दिलीप मेहरा (आ. ग. 70) द्वारा इन्कार किया गया है और आर. पी. शर्मा (आ. ग. 80) तथा जगतनारायण (आ. ग. 78) द्वारा यह बताया जा चुका है कि यह योजना दिनांक 31-3-78 को पहले ही बनाई जा चुकी थी कि यदि पुलिस ने जुलूस को छेड़ा और उसे रोका तो ऐसी अफवाह फैला दी जायेगी. यह बात वैसे भी संभाव्य नहीं है कि के. औ. सु. ब. का कोई कांस्टेबल एक हजार से अधिक व्यक्तियों की भीड़ तथा जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में इस प्रकार का आचरण करने की हिम्मत करे. सुजीत मुंशी (आ. ग. 89) पर हमले के संबंध में दिलीप मेहरा (आ. ग. 70) ने इस सुझाव से इनकार किया है. (देखिये उनके अभिसाक्ष्य का पैरा 18) सुजीत मुंशी का यह बयान भी कि के. औ. सु. ब. के कर्मचारी ने महाप्रबंधक के कार्यालय की खिड़की के कांच तोड़े, किसी भी प्रकार की पुष्टि के अभाव में तथा एन. डी. सिंह और अन्य व्यक्तियों के स्पष्ट बयानों को दृष्टि में रखते हुए स्वीकार नहीं किया जा सकता.

110. ईश्वरलाल (आ. ग. 8) रा. ख. वि. नि. में वरिष्ठ लेखा अधिकारी हैं. उन्होंने सहायक कार्मिक प्रबंधक श्री भटनागर के अनुरोध पर दिनांक 1-4-78 को महाप्रबंधक के कार्यालय के अहाते के तीन फोटो डी 1 से डी 3 तक लिये. प्रतिपरीक्षण में उनके इस बयान को कोई चुनौती नहीं दी गई. ये फोटो जुलूस के लोगों द्वारा पथराव करने और महा प्रबंधक के कार्यालय की खिड़कियों के शीशों की थोड़फोड़ के संबंध में श्री एन. डी. सिंह तथा अन्य व्यक्तियों के कथन की पुष्टि करते हैं.

111. दिलीप मेहरा (आ. ग. 76) ने आगे यह बताया कि मालगाड़ियों में लदान तथा उनके आने में बाधा डालना दिनांक 1-4-78 को भी जारी रहा.

112. डा. एस. एम. राय (आ. ग. 79) ने पैरा 8 में बताया कि दि. 1-4-78 को उन्होंने वृत निरीक्षक एन. डी. सिंह का परीक्षण किया था और खरोंचें तथा नीले के निशान देखे थे. इसी प्रकार उन्होंने थानेदार आर. पी. शर्मा का भी परीक्षण किया था और उनकी बाईं बांह में गहरी चोट पाई थी. पैरा 11 में उन्होंने बताया कि उनके द्वारा दि. 1-4-78 को 13 मामलों में परीक्षण किया गया.

113. साक्ष्य संबंधी में उपर्युक्त चर्चा से यह स्पष्ट हो जायेगा कि सं. ख. म. सं. के आन्दोलन में दिनांक 1-4-78 से हिंसा का सहारा लिया जाने लगा था.

114. सं. ख. म. सं. ने सूर्यनारायण (आ. ग. 100) का परीक्षण किया, जिसने बताया कि दिनांक 1-4-78 को रात में लगभग 8 बजे इन्द्रजीतसिंह ने फोन पर श्री दिलीप मेहरा से सम्पर्क किया था और इसके बाद इन्द्रजीत सिंह अतिथि गृह पहुंचे थे. इंद्रजीत सिंह लगभग 1 घंटा बीस मिनट बाद सं. ख. म. सं. कार्यालय वापस लौटे. लगभग 10 मिनट बाद इन्द्रजीत सिंह एक बैठक में भाग लेने चले गये थे. उसके बाद वहां दो जीपों और एक ट्रक में भरकर पुलिस जवान आये और उन्होंने वहां सो रहे कामगारों को, छड़ी से पीटने और गालियां देने लगे थे. अपने प्रतिपरीक्षण में उन्होंने बताया कि वह सं. ख. म. सं. का एक सदस्य है किन्तु उसे वहां उपस्थित कामगारों में से किसी का भी नाम नहीं मालूम था. पैरा 5 में उसने बताया कि दि. 1-4-78 के पहले या बाद में वह कभी रात में सं. ख. मं. सं. के कार्यालय नहीं गया. यह पहले ही लिखा जा चुका है कि इंद्रजीत सिंह गवाही देने नहीं आये. इंद्रजीत सिंह की दिलीप मेहरा से टेलीफोन पर बातचीत होने या उनके पास

जाकर बातचीत करने के बारे में स्वयं श्री मेहरा से कोई प्रश्न नहीं किया गया था. इस संबंध में ओ. पी. कपूर (आ. ग. 73) ने पैरा 8 में अशोक माइनिंग कम्पनी के छंटनी किये कये कर्मचारियों को भुगतान के संबंध में बताया है तथा यह आशंका व्यक्त की है कि सं. ख. म. सं. के सदस्यों द्वारा उन्हें जाने से रोका जायेगा. अतएव गवाह किरन्दूल से लगभग 12 कि. मी. दूर स्थित घटना स्थल पर पहुंचा और उसने कुछ पुलिस जवानों का इन्तजाम किया. पैरा 9 में उन्होंने बताया कि कामगारों ने यह भी शिकायत की सं. ख. म. सं. के सदस्य उन्हें जाने नहीं देंगे. अतएव गवाह ने ऐसे लगभग 600 कामगारों को, जिन्हें भुगतान प्राप्त हुआ था, पुलिस के संरक्षण में किरन्दूल बस्ती की सीमा के बाहर पहुंचाने की व्यवस्था की.

115. पैरा 10 में ओ. पी. कपूर (आ. ग. 73) ने बताया कि थानेदार आर. पी. शर्मा ने सायं लगभग 8 बजे सूचना दी कि मेसर्स अशोक माइनिंग कंपनी के कुछ कामगारों को जो भुगतान प्राप्त करने के बाद घर जाना चाहते थे, इंद्रजीत सिंह, एम. पी. पांडे तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा सं. ख. म. सं. के कार्यालय में रोक लिया गया अतएव कलेक्टर के अनुदेशों पर गवाह कुछ पुलिस जवानों के साथ सं. ख. म. सं. के कार्यालय पहुंचा. उन्होंने देखा कि संयुक्त खदान मजदूर संघ के कार्यालय की सीमा में लगभग 50 व्यक्ति धरने पर बैठे थे या सो रहे थे. उनमें से कुछ तो पुलिस जवानों के वहां पहुंचने ही भाग खड़े हुए. इंद्रजीतसिंह और एम. पी. पांडे भी अंधेरे का लाभ उठाकर भाग निकले. जो 27 व्यक्ति वहां सो रहे थे, उन्हें नाम लिख लिये लेने के बाद जाने दिया गया. इसकी पुष्टि आर. पी. शर्मा (आ. ग. 80) पैरा 12 के साक्ष्य से होती है. ओ. पी. कपूर (आ. ग. 73) और आर. पी. शर्मा (आ. ग. 80) ने भी बताया है कि वे उसी रात अर्थात, 1-4-78 को यह सोचकर लोडिंग संयंत्र गये थे कि शायद इन्द्रजीत सिंह और एम. पी. पाण्डे भी उसी ओर गये होंगे. उन्होंने चार पांच सौ व्यक्तियों को हाथों में डण्डे लिये रेलवे लाईन पर बैठे देखा था. पुलिस को देखकर धरने पर बैठे लोगों ने नारे लगाना शुरू कर दिया. इसी दौरान पास की झोपड़ियों से लगभग चार सौ कामगार निकल आये. चूंकि पुलिस बल अपर्याप्त था और उनके पास पर्याप्त हथियार नहीं थे, इसलिये वे बिना कोई कार्यवाही किये लौट गये. इस घटना को रोजनामचा में क्र. 112 तथा 113 में दर्ज किया गया.

116. 2-4-78 के दिन किरन्दूल में तुलनात्मक रूप से शान्ति रही. ऐसा सम्भवतः इसलिये हुआ क्योंकि उस दिन फ्लोट लौह अयस्क की खदानों में अवकाश था. जैसा कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा फाईल किये गये विवरण (प्रविवरण) में बताया गया और गवाह एन. डी. सिंह (आ. ग. 1) द्वारा भी पैरा 12 में बताया गया कि दुकाने बन्द कराने का प्रयास किया गया था क्योंकि उस दिन साप्ताहिक हाट का दिन था. गवाह एक हेड कांस्टेबिल और छह कान्स्टेबलों के साथ हाट गये और उसके बाद कुछ दुकानदारों ने, जिन्होंने अपनी दुकानें बन्द कर दी थीं, उन्हें दुबारा खोल दिया. जे. एम. सेठी (आ. ग. 36) के कथनानुसार देखिये पैरा 7, रेलवे लाईनों पर लदान में बाधा डालना तथा धरना देना 2-4-78 को भी जारी रहा. ओ. पी. कपूर (आ. ग. 73) ने पैरा 12 में बताया कि 2-4-78 को मेसर्स अशोक माईनिंग कम्पनी ने उन 1308 श्रमिकों को भुगतान किया, जिनकी छंटनी कर दी गई थी तथा उन 34 कामगारों को छोड़, जो या तो उपलब्ध नहीं थे या जेल में थे, शेष कामगारों को पुलिस संरक्षण में किरन्दूल के बाहर भेज दिया गया. कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक शाम तक जगदलपुर लौट गये. इस बात की पुष्टि श्री ओ. पी. गर्ग, अतिरिक्त पु. अ. (आ. ग. 75) देखिये पैरा 4 तथा कलेक्टर नन्हें सिंह (आ. ग. 88) देखिये पैरा 6 के बयान से होती है. कनक जे. शाह, (आ. ग. 115) प्रबन्धक अशोक माइनिंग कम्पनी ने पैरा 6 में बताया कि 2-4-78 को उनके द्वारा नियोजित सभी श्रमिकों ने अपना अन्तिम भुगतान प्राप्त कर लिया और अपनी झोपड़ियां खाली कर दीं तथा मेलिजर घाटी से अपने अपने घरों के लिये रवाना हो गये. उप सम्भा. मजि. दिलीप मेहरा (आ. ग. 76) ने पैरा 8 में बताया कि 2-4-78 को लगभग 150—200 लोगों का एक छोटा सा जुलूस निकाला गया, जो शांतिपूर्वक बिखर भी गया था. उस दिन लदान संयंत्र और रेलवे लाईन पर "धरना" जारी रहा. इसके अलावा और कोई वारदात नहीं हुई और इसलिये कलेक्टर तथा पु. अधी. शाम को जगदलपुर लौट गये.

117. आर पी. शर्मा (आ. ग. 80) ने भी रेलवे लाईन पर धरना देने और मेसर्स अशोक माइनिंग कम्पनी के कामगारों को अन्तिम भुगतान किये जाने के बारे में बताया. उन्होंने आगे यह भी बताया कि उसी तारीख अर्थात 2-4-78 को इन्द्रजीत सिंह को गिरफ्तार करने के लिये उन्होंने उसकी तलाश की किन्तु वह नहीं मिला यह एक महत्वपूर्ण बात है क्योंकि महा प्रबन्धक जी. के. सरीन (आ. ग. 120) ने भी पैरा 15 में बताया है कि उन्होंने पहली अप्रैल से तीन अप्रैल के बीच इन्द्रजीत सिंह से सम्पर्क करने का प्रयास किया था. किन्तु उन्हें सूचित किया गया था कि इन्द्रजीत सिंह भूमिगत हो गया है. इन्द्रजीत सिंह घर पर या कार्यालय में कहीं नहीं मिला. श्री सरीन (आ. ग. 120) ने यह भी बताया कि इसी बीच अधिकांश छटनी किये गये कामगारों ने अपना अन्तिम भुगतान ले लिया और अपने अपने घरों को रवाना हो गये.

118. 3-4-78 को आन्दोलन ने नया मोड़ ले लिया और वह अधिक उग्र तथा हिंसक हो गया और रेल्वे लाइन और लदान संयंत्र पर धरना जारी रहा और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के कामगारों को, जो काम पर जा रहे थे, सड़क पर धरने पर बैठे, लगभग 500 आन्दोलनकारियों ने रोका जैसा कि उ. सं. म. दिलीप मेहरा (आ. ग. 76) ने पैरा 9 में बताया है. सम्पूर्ण सिंह खुराना (आ. ग. 74) बोरा कम्पनी के मैनेजर थे. उन्होंने बताया कि 29-3-78 को दोपहर 12 बजे के बाद उनकी तीन कम्पनियों, अर्थात बोरा कम्पनी मध्यप्रदेश लोह तथा खनिकर्म निगम तथा लक्ष्मी नारायण भगवन्त ट्रस्ट में काम करने वाले लगभग 4000 कामगार हड़ताल पर चले गये. उन्होंने पैरा 2 में बताया कि उन्होंने कामगारों से काम पर लौटने की एक अपील जारी की थी जिसके परिणामस्वरूप लगभग 600 कामगार 3-4-78 को सुबह लगभग 6 बजे उनके कार्यालय पहुंचे. तभी उन्हें यह सूचित किया गया कि मजदूरों को काम पर जाने से रोकने के लिये लगभग 400 आन्दोलनकर्ता सड़क पर धरना देकर बैठे थे. 3-4-78 को उन्हें यह भी सूचना मिली कि हड़ताली कामगारों ने पाइप लाइन भी तोड़दी है. इस कथन की पुष्टि सुगिनदास (आ. ग. 9) के, जो बोरा कम्पनी का कामगार है तथा गजराज शिविर में रहता है, बयान से होती है कि 3-4-78 से जलप्रदाय बन्द था. उसके बाद उसने देखा कि पाइप लाइन तोड़ दी गई थी और हाथ में लाल झण्डे लिये हुये लगभग 400 आदमी वहां बैठे थे. ए. पी. नायर (आ. ग. 3) ने, जो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का लोकोचार्ज-मैन है तोड़ फोड़ की एक अन्य घटना का उल्लेख किया है. उनके अनुसार जब वे रात को 8. 30 से 9. 30 के बीच किरन्दुल बाजार से घर लौट रहे थे, तब उन्होंने लोकोशेड के फाटक के सामने लगभग 200 लोगों की भीड़ देखी. ये लोग फ्लैश लाइटों पर पथराव कर रहे थे और उन्होंने उन्हें तोड़ दिया. कैबिन के कांच तथा लोकोशेड को छत को भी क्षति पहुंचाई गई. उन्होंने इसकी सूचना श्री कुरियन को दी. इस बात की पुष्टि श्री कुरियन (आ. ग. 22) ने की है, जो अगले दिन सुबह घटना स्थल पर पहुंचे और जिन्होंने लोको एंजिन के तीन फलड लाइट के कांच तथा लोकोशेड को एसबेसटस की छत टूटी पाई. प्रति-परीक्षण में श्री नायर तथा श्री कुरियन के बयानों को कोई चुनौती नहीं दी गई.

119. केन्द्रीय उद्योग सुरक्षा बल (सी. आई. एस. एफ.) के कान्स्टेबल सर्वेश्वर (आ. ग. 11) ने दिनांक 3-4-78 की एक अन्य घटना का उल्लेख करते हुए बताया है कि उसने 3-4-78 की शाम को लगभग 4बजे दो आदमियों को अपने सिर पर एक-एक पेटी लादे किरन्दुल की ओर जाते देखा था. उसने उन्हें रोका और देखा कि प्रत्येक पेटी के ऊपर "विस्फोटक" शब्द लिखा हुआ था. पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि पेटियों में बारूद भरी थी और यह कि उनके पास न तो पास था न परमिट, और साथ ही यह भी कि वे उन पेटियों को निक्षेप क्रमांक 14 (किरन्दुल) के सलीम सिद्दीकी के घर ले जा रहे थे. गवाह इन दो आदमियों को सहायक कामाण्डेन्ट के पास ले आया. प्रति परीक्षण में गवाह के बयान को चुनौती नहीं दी गई. अनुज प्रसाद तिवारी (आ. ग. 65) के शपथ पत्र से इस बयान की संपुष्टि होती है. इस गवाह का प्रति परीक्षण कदापि नहीं किया गया उसके शपथ पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न हैं.

120. इन्दरजीत सिंह की पत्नी श्रीमती बसन्त रानी के नेतृत्व में 3-4-78 को लगभग 150 महिलाओं का एक जुलूस निकाला गया. यह जुलूस महाप्रबंधक के निवास पर गया और अहाते में घुस गया. उसे एन. डी. सिंह तथा अन्य लोगों ने रोका, किन्तु वे सफल नहीं हुये. महिलाएं रात भर तथा दूसरे दिन भी अहाते में ही रहीं. 5-4-78 की सुबह तक यह चलता रहा. इस घटना के संबंध में एन डी. सिंह (आ. ग. 1) ने पैरा 12 में, सत्यनारायण (आ. ग. 13) ने पैरा 5 में ज. एम. सेठी (आ. ग. 36) ने पैरा 8 में, योगेशचन्द्र दीक्षित (आ. ग. 38) ने पैरा 6 में, ओ. पी. कपूर (आ. ग. 73) ने पैरा 13 में, दिलीप मेहरा (आ. ग. 76) ने पैरा 9 में तथा आर. पी. शर्मा (आ. ग. 80) ने पैरा 15 में अभिसाक्ष्य दिया है. इन गवाहों का बयान सारतः वैसा ही है जैसा कि श्रीमती बसन्त रानी (आ. ग. 97) ने एस. के.- एम. एस. की ओर से किये गये परीक्षण में बताया गया था. उन्होंने बताया है कि इन्हें 5-4-78 की सुबह, जब वे महाप्रबंधक के बंगले से अपने बच्चों की देखभाल करने अपने घर जा रही थी, गिरफ्तार किया गया. पैरा 5 में उन्होंने बताया कि वे महाप्रबंधक से बात करने गई थी किन्तु उसके पास महिलाओं की ओरसे कोई मांग नहीं थी.

121. दिलीप मेहरा (आ. ग. 76) ने 3-4-78 को निकाले गये लगभग 200 लोगो के एक छोटे जुलूस का भी जिक्र किया है, जो महाप्रबंधक के कार्यालय के सामने बिखर गया था. आर. पी. शर्मा (आ. ग. 80) ने पैरा 15 में तथा ओ. पी. कपूर (आ. ग. 73) ने पैरा 13 में इस जुलूस का तथा कुरुप सहित पांच लोगों की गिरफ्तारी का भी जिक्र किया है.

122. जैसा कि पहले बताया गया है महाप्रबंधक के निवास स्थान के अहाते में महिलाओं का धरना 4-4-78 को दिन में तथा रात में जारी रहा. यह बात एन. डी. सिंह (आ. ग. 1) ने कही है और श्रीमती बसन्त रानी (आ. ग. 97) ने स्वीकार की है. कलेक्टर नरेंद्रसिंह (आ. ग. 83) तथा अपर अधीक्षक ओ. पी. मेहरा (आ. ग. 75) को 3-4-78 तथा 4-4-78 की घटनाओं की सूचना दे दी गई थी. ये दोनों अधिकारी शाम तक किरन्दुल पहुंचे और जैसा कि उन्होंने कहा है वे महाप्रबंधक के निवास पर पहुंचे और उन्होंने महिलाओं को धरना समाप्त करने के लिये समझाया, परन्तु वे उसमें सफल नहीं हुये.

123. महिलाओं के उक्त आन्दोलन के अलावा रलवे लाइन पर धरना जारी रहा आन्दोलन कार्य पूरी तरह बन्द रहा. यह भी उल्लेखनीय है कि आर. पी. शर्मा (आ. ग. 80) वी. सी. दीक्षित (आ. ग. 36) के कथनानुसार और श्रीमती वसन्त रानी की स्वीकारोक्ति के अनुसार उन्हें 5-4-78 की सुबह गिरफ्तार कर लिया गया था.

124. 3-4-78 और 4-4-78 की घटनाओं के साक्ष्य का उक्त सारांश यह दर्शाता है कि स्थिति तनावपूर्ण होती जा रही थी तथा हड़ताली मजदूरों ने राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की संपत्ति की तोड़ फोड़ शुरू कर दी थी तथा पाइप लाइनें काट दी थीं और कुछ विस्फोट भी बरामद किय गय थे. इन्द्रजीत सिंह की पत्नी श्रीमती वसन्त रानी ने महाप्रबंधक क निवास पर महिलाओं का धरना आयोजित कर नया मोर्चा खोल दिया था और इस बीच एस. के. एम. एस. के अध्यक्ष तथा आन्दोलन के नेता इन्द्रजीत सिंह भूमिगत हो गये थे. मैंने पहले ही आर. पी. शर्मा (आ. ग. 80) के बयान पैरा 13 और जी. के. सरीन (आ. ग. 120) के बयान पैरा 15 का उल्लेख किया है, जिनमें उन्होंने इन्द्रजीत सिंह क उपलब्ध न होन की बात कही थी. यहां तक कि इन्द्रजीत सिंह की पत्नी श्रीमती बसन्त रानी (आ. ग. 97) ने भी पैरा 5 में यह बताया कि उनके पति 28-3-87 तक घर आते रहे थे, किन्तु उसक बाद 5-4-78 की सुबह उनकी गिरफ्तारी होन तक इन्द्रजीत सिंह घर नहीं लौटे थे. दिलीप मेहरा (आ. ग. 76) ने भी पैरा 9 में हड़ताली मजदूरों द्वारा 4-4-78 को निकाले गये दो जुलूसों का, जिनमें मुश्किल से लगभग 200 व्यक्ति थ, जिक्र किया है. इन प्रदर्शन कारियों ने काम पर ज न क इच्छुक मजदूरों को भी रोका था. वोरा कम्पनी के प्रबंधक सम्पूर्ण सिंह खुरान (आ. ग. 74) ने पैरा 3 में बताया कि 4-4-78 को भी लगभग 1300 मजदूर काम पर जाने के लिये आये थ, किन्तु ओ. पी. कपूर (आ. ग. 73) पैरा 15 के अनुसार) ने खून खराबे को टालने के लिये मजदूरों को उपस्थित अंकित कर घर चले जाने का परामर्श दिया. इससे यह स्पष्ट होता है कि स्थिति तनावपूर्ण होती जा रही थी. एस. के. एम. एस. अपने जुलूस के लिये कुछ सौ से अधिक व्यक्ति नहीं जुटा पा रहा था और इस बीच मेसर्स अशोक माईनिंग कम्पनी के मजदूर जिनकी छटनी की गई थी, भुगतान प्राप्त करने के बाद किरन्दुल छोड़कर चले गये थे. इस प्रकार वह मुख्य मुद्दा अर्थातअशोक माईनिंग कम्पनी के मजदूरों की छटनी, जिसके आधार पर एस. के. एम. एस. ने आन्दोलन शुरू किया था, समाप्त हो गया था. स्वाभाविक रुप से इन्द्रजीत सिंह तथा आन्दोलन के अन्य नेताओं के मन में निराशा की भावना भर गयी होगी. हो सकता है कि इसी वजह से आन्दोलन कर्ता 1-4-78 के बाद तोड़फोड़ के कार्य में संलग्न हो गये. संभवतः सी. आर. बक्शी के जरिये एस. के. एम. एस. द्वारा प्रस्तुत विवरण (प्रविवरण) में—पैरा 11 के अनुसार—जो बात कही गयी है, वह एक है कि 30-3-78 के आगे आन्दोलन एक नई प्रावस्था में पहुंच गया था. यहां तक कि इन्द्रजीत सिंह ने अपने विवरण (प्रविवरण) के पैरा 9 में यह बताया कि यद्यपि एस. के. एम. एस. के नेतृत्व में आन्दोलन शांति पूर्ण रहा था, तथापि वह संबंधित प्राधिकारियों का बयान अपनी ओर आकृष्ट करने में असफल रहा था और इसलिए वे आन्दोलन को तेज करने का निर्णय लेने के लिये बाध्य हो गये थे. उक्त प्रविवरण के पैरा 17 में इन्द्रजीत सिंह ने आगे यह भी बताया कि आंदोलन को असरदार बनाने की दृष्टि से लदान रोकने के लिए रेलवे लाइन पर 1-4-78 से धरना भी प्रारम्भ किया गया था और जैसा कि पहले बताया गया है, उसी तारीख से इन्द्रजीत सिंह भूमिगत हो गये थे.

125. उक्त पृष्ठभूमि में 5-4-78 को किरंदुल में वह निर्णायक दिन आया जब प्राधिकारियों ने सुबह लगभग 7 बजे श्रीमती बसन्त रानी को गिरफ्तार कर लिया.

126. कान्स्टेबल जगतनारायण (आ. ग. 78) ने पैरा 2 में बताया कि सुबह लगभग 5 बजे वह गुप्तचरी के कार्य तथा नगर में कुछ सम्मन तामिल करने के लिये निकले. जब वह मजदूर शिविर क्रमांक 1 पर पहुंचे, तो उन्होंने इन्द्रजीत सिंह को स्टाक पाइल के बगल में लगभग 150 मजदूरों को संबोधित करते देखा. गवाह के अनुसार इन्द्रजीत सिंह ने कहा कि आन्दोलन अंतिम अवस्था में पहुंच गया है. और हमें पुलिस पर ऐसा जोरदार हमला करना है कि खून की नदी बह जाए. गवाह ने इस भाषण की सूचना आर. पी. शर्मा को सुबह लगभग 8 बजे दी आर. पी. शर्मा (आ.ग. 80) ने अपने बयान के पैरा 18 में इसकी संपुष्टि की है. यह बात रोजनामचा सान्हा क्रमांक 118 (प्रदर्श 90) में दर्ज की गई थी. गवाह (आर. पी. शर्मा आ. ग. 80) के अनुसार सुबह लगभग 9.35 बजे उन्हें राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के बी. एल. शुक्ला का एक पत्र (जिसे मैंने प्रदर्श 132 के रुप में चिन्हित किया है) प्राप्त हुआ. इस पत्र में भी इन्द्रजीत सिंह के उत्तेजक भाषण का उल्लेख था. इसे सान्हा क्रमांक 121 में दर्ज किया गया और इसकी सूचना पुलिस अधिकारियों को देदी गई. इस बात की संपुष्टि एन. डी. सिंह (आ. ग. 1) द्वारा पैरा 14 में कही गई बात से होती है.

127. कलेक्टर श्री नन्हें सिंह (आ. ग. 88) को, जो 4-4-78 की शाम तक किरन्दुल पहुंच गये थे उनके अभिसाक्ष्य के पैरा 9 के अनुसार 5-4-78 को श्रीमती इन्द्रजीत सिंह की गिरफ्तारी के संबंध में तथा उसी दिन सुबह इन्द्रजीत सिंह द्वारा दिये गये उत्तेजक भाषण के संबंध में भी जानकारी दी गई. उसके तुरन्त बाद ही उन्हें महाप्रबन्धक श्री सरीन का दिनांक 5-4-78 का पत्र जो प्रदर्श 19 है, प्राप्त हुआ इस पत्र में इन्द्रजीत सिंह के उत्तेजक भाषण का जिक्र है.

महाप्रबंधक जी. के. सरीन (आ. ग. 120) ने पैरा 22 में इन्द्रजीत सिंह के इस भाषण का उल्लेख किया है. उन्होंने उस पत्र –प्रदर्श–19 का भी उल्लेख किया, जो उन्होंने उसी दिन कलेक्टर को लिखा था. कलेक्टर श्री नन्हेंसिंह (आ. ग. 78) ने पैरा 9 में यह भी बताया कि महाप्रबन्धक से पत्र प्राप्त होने पर उन्होंने इस संबंध में श्री गर्ग (अपर-पुलिस अधीक्षक) से चर्चा की और तब यह निर्णय लिया कि चाहे वह इन्द्रजीत सिंह हो या कोई अन्य व्यक्ति, यदि वह कानून तथा व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने का प्रयास करता है, तो उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए. इस बात की संपुष्टि ओ. पी. गर्ग (आ. ग. 75) के अभिसाक्ष्य के पैरा 4 से होती है. श्री गर्ग ने आगे यह बताया कि उन्होंने उप पुलिस अधीक्षक श्री दीक्षित को इन्द्रजीत सिंह को गिरफ्तार करने तथा अपने साथ पर्याप्त पुलिस दल ले जाने के निर्देश दिये अपने अभिसाक्ष्य के पैरा 18 के अनुसार आर. पी. शर्मा (आ. ग. 80) द्वारा दी गई यह जानकारी कि इन्द्रजीत सिंह श्रमिक कालोनी में रामसिंह की झोपड़ी में छिपे हैं श्री दीक्षित को भी दे दी गई थी. इस बात की संपुष्टि वाई. सी. दीक्षित (आ. ग. 38) के साक्ष्य से होती है देखिए उसके अभिसाक्ष्य का पैरा 6. श्री दीक्षित (आ. ग. 38) ने यह भी बताया कि उसके बाद वे उप संभागीय मजिस्ट्रेट श्री मेहरा, वृत्त निरीक्षक श्री एन. डी. सिंह तथा थानेदार आर. पी. शर्मा और साठ कान्स्टेबलों के साथ मजदूर कालोनी गये. वे दो ट्रकों तथा तीन जीपों में गये थे. इस बात की संपुष्टि जे. एम. सेठ' (आ. ग. 36) के बयान तथा दिलीप मेहरा (आ. ग. 76) के बयान के पैरा 11 से भी होती है. श्री मेहरा ने अपने अभिसाक्ष्य में स्पष्ट शब्दों में बताया कि कान्स्टेबलों में अश्रु-गैस दल, बेंत-दल तथा लाठी दल भी शामिल थे श्री आर. पी. शर्मा ने पैरा 18 में और एन. डी. सिंह (आ. ग. 1) ने पैरा 14 में इसी तरह के बयान दिए हैं. एन. डी. सिंह ने स्पष्ट शब्दों में बताया कि रायफल दल को साथ ले जाना आवश्यक नहीं समझा गया था. यह इन्द्रजीत सिंह द्वारा प्रस्तुत अपने बयान (प्रविवरण) के पैरा 17 में दिये गये इस प्रतिविरोध की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि प्राधिकारियों ने कोई निर्णायक कार्यवाही नहीं की और उन मजदूरों को, जो रेलवे ट्रैक पर धरना दिये हुए थे इसलिये गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि उन्होंने 4-4-78 तक धीमी कार्रवाई करने की योजना या षड्यंत्र तैयार कर लिया था, यहां यह बात स्पष्ट होती है कि यदि जिला प्राधिकारियों का कोई विपरीत उद्देश्य होता या वे हड़ताली मजदूरों पर किसी न किसी प्रकार से गोली चलाना चाहते होते तो वे ऐसा 1-4-78 के पश्चात्, जब आन्दोलन ने हिंसक रूप धारण कर लिया था, आसानी से कर सकते थे. यह तथ्य कि 5-4-78 की सुबह उपसंभागीय मजिस्ट्रेट मेहरा, उप पुलिस अधीक्षक दीक्षित तथा अन्य लोग साठ कान्स्टेबलों के साथ मजदूर कालोनी गये, जिनमें रायफल दल शामिल नहीं था, यह दर्शाता है कि प्राधिकारियों ने वस्तुतः पर्याप्त संयम से काम लिया था और वे ऐसी कोई गंभीर या उत्तेजक कार्रवाई तब तक नहीं करना चाहते थे, जब तक कि जैसा कि हम बाद में देखेंगे, वह अपरिहार्य न हो जाए.

128. दिलीप मेहरा (आ. ग. 76) ने यह कहा है कि वे पुलिस थाने से सुबह लगभग 10 बजे चले. वह संभवतः मजदूरों का छुट्टी का दिन था वे बैचलर्स होस्टल के पास रुके, जहां वाई. सी. दीक्षित (आ. ग. 38) के अनुसार देखिए पैरा 6 (अन्त में) वे सुबह लगभग 10–45 बजे पहुंचे. दिलीप मेहरा (आ. ग. 76) के अनुसार, चूंकि गाड़ियां आगे नहीं जा सकती थी, अतः वे गाड़ियों से उतर कर वह पगडण्डी से जो सत्यनारायण (आ. ग.) द्वारा पैरा 12 में बताए गए अनुसार लगभग दो हाथ चौड़ी थी, मजदूर कालोनी पहुंचे. उनके उक्त कालोनी में पहुंचने पर मजदूरों ने, जिनमें से अधिकांश अपनी झोपड़ियों में थे चिल्ला-चिल्ला कर कहना शुरू कर दिया कि पुलिस आ गई–पुलिस आ गई. मुश्किल से दस कदम चलने पर उन्होंने देखा कि लगभग दो सौ लोग हाथ में लोहे की कीलें लगी हुई लाठियां तथा लोहे की छड़ें लिये हुए खड़े हैं. जब उन्होंने इन्द्रजीत सिंह के तथा रामसिंह की झोपड़ी के बारे में पूछताछ शुरू की, तो भीड़ ने चिल्ला कर कहा वापस जाओ. वापस जाओ. श्री मेहरा ने बताया कि वे सरकारी काम से आये हैं. इस बीच सभी ओर से आकर मजदूर इकट्ठा होने लगे. लगभग तभी इन्द्रजीत सिंह और एन. पी. पाण्डे भीड़ के पास आ गये और उन्होंने मजदूरों को पुलिस पर हमला करने के लिये उकसाया और कहा कि कोई भी बचकर जाने न पाये. अपने नेता का आदेश सुनकर मजदूरों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया. इसके तुरन्त पश्चात् श्री मेहरा ने लाउडस्पीकर से यह घोषणा की कि भीड़ गैर कानूनी है और उसे बिखर जाना चाहिए. इस बीच इन्द्रजीत सिंह और एन. पी. पाण्डे दृष्टि से ओझल हो गये. पथराव तेज हो गया और भीड़ ने पुलिस कर्मियों पर लाठियों से प्रहार करना भी प्रारम्भ कर दिया. यह देखकर श्री मेहरा ने भीड़ को पुनः चेतावनी दी और बाद में श्री दीक्षित से अश्रु गैस के गोले फोड़ने के लिये कहा. उन्होंने वैसा ही किया. इसका भीड़ पर कोई असर नहीं हुआ. अतः श्री मेहरा ने भीड़ पर जो उस समय तक लगभग दो हजार लोगों की हो गई थी, बेंत चार्ज तथा लाठी चार्ज करने का आदेश दिया इसका कोई असर नहीं हुआ, बल्कि पथराव अधिक तेज और अधिक आक्रामक हो गया. भीड़ ने लाठियों का प्रयोग भी प्रारम्भ कर दिया. इस आशंका से कि वे आक्रामक भीड़ से घिर जाएंगे, श्री मेहरा और उनका दल बैचलर्स होस्टल की ओर पीछे हटने लगा. फिर भी भीड़ ने उनका पीछा किया और उन पर लाठियों तथा पत्थरों से हमला किया. परिणामतः दल के सदस्य तितर बितर हो गये और उन्होंने भागना शुरू कर दिया. भीड़ ने पथराव करते हुए तथा लाठियों से मारते हुए उनका पीछा किया. श्री मेहरा ने दो तीन कान्स्टेबलों को जमीन पर गिरते देखा. गाड़ियों के पास पहुंचने पर उन्होंने देखा कि गाड़ियों पर पथराव किया गया है और उनके कांच तोड़ दिये गये हैं. वाई. सी. दीक्षित (आ. ग. 38) भी जख्मी हो गये थे. मेहरा, सेठी और दीक्षित जीप में बैठ गये. उसी समय दो कान्स्टेबल एक अन्य जख्मी व्यक्ति को लाये जो प्लाटून कमाण्डर हरिसिंह नेगी (आ.ग.19) थे. ये भी पुलिस दल के साथ थे उसके बाद उन्होंने गेस्ट हाउस जाने के लिये जीप चलायी किन्तु इंजिन बन्द हो गया और

बाद में चालू नहीं हुआ. इसलिये वे जीप छोड़कर बस स्टैण्ड की ओर भागे. मेहरा और दीक्षित तो बस स्टैण्ड की ओर भागे, किन्तु सेठी का पीछा भीड़ ने किया और वे गिर पड़े. उन पर पत्थरों तथा लाठियों से हमला किया गया. मेहरा को बस स्टैण्ड पर चालक सहित एक जीप और एक खाली बस भी मिली. श्री दीक्षित बस में बैठ गये और मेहरा ने जीप ले ली और दोनों गेस्ट हाउस पहुंचे. गेस्ट हाउस में उन्होंने कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक को, जो वहां उपस्थित थे, घटना का ब्यौरा दिया. कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक को यह भी बताया गया कि पुलिस बल के उन सदस्यों की जान खतरे में है जो भाग नहीं सके हैं, इसलिये कलेक्टर ने यह निर्णय लिया कि पुलिस के उन सदस्यों की, जो वापस नहीं लौटे हैं, खोज की जाए तथा उन्हें बचाया जाए. श्री मेहरा के अनुसार श्री वाई. सी. दीक्षित को, जो अधिक गंभीर रूप से जख्मी हो गये थे, अस्पताल भेजा गया. दिलीप मेहरा के बयान की संपुष्टि कलेक्टर नन्हेंसिंह (अ. ग. 88) अपर पुलिस अधीक्षक ओ. पी. गर्ग (अ. ग. 15), वाई. सी. दीक्षित (अ. ग. 38), जे. एम. सेठी (अ. ग. 36), एन. डी. सिंह (अ. ग. 1) आर. पी. शर्मा (अ. ग. 80), हरिसिंह नेगी (अ. ग. 19), तथा सत्य नारायण शर्मा (अ. ग. 13) साक्ष्य से सारभूत रूप से होती है. यहां यह उल्लेखनीय है कि एन. डी. सिंह (अ. ग. 1), हरीसिंह नेगी (अ. ग. 19), आर. पी. शर्मा (अ. ग. 18) तथा सत्यनारायण (अ. ग. 13) गंभीर रूप से जख्मी हुये थे और उन्हें जैसा कि इसके बाद में हम देखेंगे बाद में बचा लिया गया.

129. पापाचंद (अ. ग. 5) किरन्दुल के निवासी तथा दूकानदार हैं. उनके अनुसार वह 5-4-78 को सुबह लगभग 10 बजे मोटर साइकिल से किरन्दुल बाजार गये थे. उनके साथ स्वतन्त्र कुमार भी स्कूटर पर गए थे. लगभग आधे घण्टे बाद वे मोटर स्टैण्ड होते हुए घर लौट रहे थे. उन्होंने लाठियों तथा छड़ों से लैस लगभग 200 मजदूरों को हो-हल्ला करते और बसों को रोकते देखा. उनमें से कुछ लोग मोटर साइकिल की ओर दौड़े, किन्तु उन्होंने रफ्तार तेज कर दी और निकल भागे. उन्होंने पीछे मुड़कर स्वतंत्र कुमार को देखा किन्तु वे दिखाई नहीं दिए. उन्होंने यह बात स्वतन्त्र कुमार के भाई को बतायी. प्रति परीक्षण में उन्होंने बताया कि घर लौटने के बाद वह सुबह आठ बजे तक घर पर रहे. इस बीच वे केवल रिपोर्ट लिखाने थाने गये थे पापाचन्द पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है.

130. अ. ग. 4. हर्षवर्धन एक छात्र है उनके अनुसार लगभग 10.45 बजे वह अपने मित्र के साथ फुटबाल ग्राउन्ड पर बैठे थे. दोपहर के लगभग 11 बजे वह अपने घर पहुंचे. उस समय उनके पड़ोसी रघुनाथ पात्रो ने उन्हें बुलाया. गवाह उसके घर गया. उसने वहां वृत्त निरीक्षक एन. डी. सिंह को बैठे देखा. उनकी कनपटी, हाथ तथा पैरों में चोट लगी थी और वे लगभग बेहोश-से लग रहे थे. रघुनाथ पात्रो के कहने पर वे अपने घर से फर्स्ट एड बाक्स ले आए और उन्होंने वृत्त निरीक्षक की चोटों पर पट्टियां बांधी. उसके बाद गवाह रिपोर्ट लिखाने थाने गया और दोपहर लगभग 1 बजे घर लौटा.

131. उनके बयान की संपुष्टि सारतः रघुनाथ पात्रो (अ. ग. 76) के बयान से होती है. यह गवाह 5-4-76, जो बाजार का दिन था, अपने घर बैठा था. उसका घर बाजार के पास बैचलर्स होस्टल से लगभग 200 फुट पर है. सुबह लगभग 10-45 बजे उसने बैचलर्स होस्टल के पास दो जीपों तथा दो ट्रकों को रुकते तथा उसमें से पुलिस कर्मियों तथा अधिकारियों को उतरते तथा मजदूर कालोनी की ओर जाते देखा. उस समय लगभग 500 मजदूर रेल लाईन के पास बैठे थे. ये मजदूर पुलिस वालों की तरफ बढ़े. लगभग 2-3 मिनट बाद उसने पुलिस कर्मियों को इधर उधर भागते तथा मजदूरों को उनका पीछा करते तथा लाठियों से उन पर हमला करते हुए देखा. रेल लाईन के पास जमा मजदूर जब मजदूर कालोनी की तरफ बढ़े तो लगभग 1000 मजदूर प्रभु शिविर तथा आसपास के क्षेत्रों से दौड़कर आये और उनके साथ होकर पुलिस कर्मियों का पीछा करने लगे उसके बाद गवाह ने वृत्त निरीक्षक श्री सिंह को अपने घर से लगभग 100 फुट की दूरी पर गिरते देखा. भीड़ छंटने के बाद गवाह श्री सिंह के पास गया और श्री सिंह को अपने घर ले आया. श्री सिंह के सिर तथा पीठ आदि से खून बह रहा था. गवाह ने अपने पड़ोसी हर्षवर्धन (अ. ग. 4) को बुलाया. गवाह ने थानेदार श्री शर्मा को भी बैचलर्स होस्टल के पास घायल तथा बेहोशी की हालत में पड़े देखा. उसके बाद वह रिपोर्ट लिखाने थाने गया. दोपहर लगभग 12.30 बजे डा. राय ने श्री सिंह को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया.

132. जगदीश प्रसाद (अ. ग. 68) किरन्दुल में महाप्रबन्धक के कार्यालय के केन्टीन का एक क्लर्क है. वे राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के आवास-गृह में रहते हैं, बैचलर्स होस्टल उनके घर से लगभग 100 या 150 गज दूर है और वहां से दिखाई देता है. 5-4-78 की सुबह वे बाजार गये थे और सुबह लगभग 10 बजे घर लौट आए थे. सुबह लगभग 10.30 पर उन्होंने बैचलर्स होस्टल के पास दो जीपों तथा दो ट्रकों को रुकते देखा. इन सभी चार गाड़ियों में पुलिस कर्मी थे, जो वहां उतर पड़े और बैचलर्स होस्टल के पिछवाड़े चले गये. उसके लगभग आधे घंटे बाद उन्होंने हो हल्ला सुना और देखा कि बैचलर्स होस्टल से लगभग 10 गज की दूरी पर स्थित नाले के किनारे लगभग 100 से 150 व्यक्तियों की भीड़ खड़ी थी. भीड़ वहां खड़ी गाड़ियों पर पथराव कर रही थी. गाड़ियों के कांच

टूट गये थे. उसने वृत निरीक्षक एन. डी. सिंह को, जिनके मुंह पर तथा दाहिने हाथ पर चोटें लगी हुई थी तथा खून बह रहा था, अपने आवासगृह की ओर आते देखा. जगन्नाथ पात्रो, जिनका मकान उसके आवासगृह के सामने था, उन्हें अपने आवास गृह में ले गए. गवाह हर्षवर्धन (आ.ग. 4) के पिता हैं और उनके पुत्र तथा जगन्नाथ पात्रो के बयान से उनके बयान की संपुष्टि होती है. प्रतिपरीक्षण में उन्होंने बताया कि दोपहर 12.30 बजे डा. राय वृत्त निरीक्षक को एम्बलेंस में अस्पताल ले गये.

133. के. प्रभाकर (आ. ग. 14) 5-4-78 को बचेली में थे और रायपुर की बस पकड़ने के लिए वह जीप से किरन्दुल बस स्टैण्ड आये थे. उन्होंने बस का टिकट खरीदा और चालक के पास की आगे की सीट पर जाकर बैठ गये. बस सुबह 10.30 बजे रवाना होने वाली थी और जीप बस के पास में खड़ी थी. उन्होंने उप-संभागीय मजिस्ट्रेट मेहरा और एक पुलिस कर्मी को लंगड़ाते आते और जीप में बैठते देखा. लगभग उसी समय एक पुलिस अधिकारी आया और उसी बस में बैठ गया, जिसमें गवाह बैठा था. इस पुलिस अधिकारी के हाथ से खून बह रहा था. उसके बाद मेहरा के कहने से जीप और बस दोनों को गेस्ट हाउस ले जाया गया. गेस्ट हाउस में डा. राय ने श्री मेहरा की चोटों पर पट्टियां बांधी. गवाह के बयान की संपुष्टि दिलीप कुमार (आ. ग. 60) के बयान से होती है, जो उस जीप का चालक था, जिसमें बैठकर प्रभाकर (आ. ग. 14) बचेली से किरन्दुल आए थे और जो श्री मेहरा को अपनी जीप से गेस्ट हाउस लाया था. गवाह गेस्ट हाउस में दूसरे दिन सुबह तक रहा. प्रतिपरीक्षण में उन्होंने बताया कि वे श्री मेहरा के साथ सुबह लगभग 10.45 पर गेस्ट हाउस पहुंचे. बाद में उन्होंने बताया कि श्री मेहरा गेस्ट हाउस में दोपहर

134. आ. ग. 72 किशनलाल राठौर उच्चतर माध्यमिक शाला, दन्तेवाड़ा में व्याख्याता हैं. वह परीक्षाओं के सिलसिले में किरन्दूल गये थे और वहां 23-3-78 से 8-4-78 तक रहे. वह पुलिस लाईन्स के पास प्रकाश विद्यालय में ठहरे थे. 5-4-78 को सुबह लगभग 11.00 बजे वह दन्तेवाड़ा लौटने के लिये बस स्टैण्ड गये थे. जब वह बस के पास खड़े थे, तब उन्होंने श्री मेहरा और श्री दीक्षित तथा 4–5 पुलिस जवानों को बस स्टैण्ड की ओर आते देखा और लगभग 40–50 ऐसे लोग उनका पीछा कर रहे थे, जिनके हाथ में डण्डे तथा छड़ें थीं और वे पथराव कर रहे थे—ये लोग उन्हें गालियां दे रहे थे और जान से मार डालने की धमकी दे रहे थे. श्री दीक्षित के खून बह रहा था. वे किसी प्रकार बस में घुसे और श्री मेहरा उस जीप में बैठे, जो पास ही में खड़ी थी. जीप और बस को गेस्ट हाउस ले जाया गया. रास्ते में भी लगभग 50 से लेकर 100 मजदूरों की भीड़ ने जीप और बस पर पथराव किया किन्तु दोनों गाड़ियां बिना रुके गेस्ट हाउस पहुंच गई. गेस्ट हाउस से गवाह प्रकाश विद्यालय चला गया क्योंकि बस ड्राइवर ने कहा कि बस दन्तेवाड़ा नहीं जायेगी. इस गवाह ने भी के. प्रभाकर (आ. ग. 14) के कथन की पुष्टि की. प्रति-परीक्षण में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे उसकी विश्वसनीयता पर शक किया जा सके. यह तथ्य कि गवाह ने घटना की रिपोर्ट नहीं लिखाई, उसे अविश्वसनीय ठहराने के लिये पर्याप्त नहीं है.

135. आ. ग. 15 उर्मिला हरिदास नामक मजदूर की पत्नी है. वह अपने घर में थी, जो बैचलर होस्टल से मजदूर कालोनी के रास्ते में पड़ने वाली झोपड़ियों में से एक है. उसने बैचलर होस्टल के पास एक जीप खड़ी देखी और लगभग चार-पांच पुलिस वाले उससे उतरे. वे मजदूर कालोनी की तरफ बढ़ गये. उस समय इन्द्रजीतसिंह मजदूर कालोनी के बाहर खड़ा था. दो हजार लोगों की भीड़ कलेक्टर कार्यालय पर थी. वह स्थल उसके मकान से लगभग 60 फुट दूर था. उसने इन्द्रजीत सिंह को ऊंची आवाज में भीड़ को उदबोधित करते हुये सुना कि कोई भी पुलिस वाला भागने न पाये. फलस्वरूप, भीड़ के लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया और डण्डों तथा छड़ों से हमला भी कर दिया. उसने अपने मकान का दरवाजा बन्द कर लिया किन्तु वह लगातार दरार से देखती रही. कई व्यक्ति घायल हो गए. पुलिस ने आंसुगैस के गोले फोड़े. उसने यह भी देखा कि थाना प्रभारी के साथ भी मारपीट की गई, जिसके फलस्वरूप वह उसके मकान के पास घायल अवस्था में गिर पड़े. उसका पति थाना प्रभारी को बैचलर्स हास्टल ले गया. उर्मिला के प्रति परीक्षण में ऐसी कोई बात नहीं है, जिससे यह प्रकट हो कि वह विश्वसनीय नहीं है अपने प्रति परीक्षण के अन्तिम पैरा में उसने बताया कि वह दरार, जिससे उसने यह घटना देखी थी, 1 फुट लम्बी और चौड़ी है. उसने आगे बताया कि पुलिस ने उसका बयान दर्ज नहीं किया. यह बात उसे अविश्वसनीय ठहराने के लिये पर्याप्त नहीं है. यहां यह उल्लेखनीय है कि थाना प्रभारी आर. पी. शर्मा (आ. ग. 80) ने पैरा 18 में बताया है कि वह उर्मिला के पति हरिप्रसाद बंगाली के मकान के सामने गिर पड़े थे.

136. बलदेव प्रसाद (आ. ग. 61) आदिवासी परियोजना कार्यालय दन्तेवाड़ा में ड्राइवर हैं. वह श्री एस. डी. मेहरा की जीप के ड्राइवर के रूप में काम कर रहा था और वह अप्रैल 1978 में जीप से श्री मेहरा को किरन्दूल ले गया था. वह 5-4-78 को किरन्दूल में था और वह श्री मेहरा को जीप से सुबह लगभग 10 बजे गेस्ट हाउस से थाने ले गया था. महेशराम (आ. ग. 62) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम में जीप ड्राइवर है. 5-4-78 को सुबह लगभग 10.15 बजे वह थाना प्रभारी श्री शर्मा, वृत्त निरीक्षक और 4-5 कान्स्टेबलों को जीप से बैचलर्स हास्टल ले गया था. बलदेव प्रसाद (आ. ग. 61) भी श्री मेहरा को बैचलर्स हास्टल ले गया था. साथ ही दो ट्रकों में पुलिस

बल भी बैचलर्स हास्टल आया था. सभी गाड़ियों में बैठे व्यक्ति नीचे उतरे और मजदूर कालोनी की तरफ चले गये. कुछ समय बाद लगभग 10,12 या 15 कांस्टेबल उस स्थान की तरफ दौड़ते हुए आए, जहां गाड़ियां खड़ी थीं, उसका पीछा उस भीड़ द्वारा किया जा रहा था, जो डण्डों और पत्थरों से लैस थी. भीड़ के लोग पुलिस पर पथराव कर रहे थे. उन्होंने गाड़ियों पर भी पथराव किया, जिसके फलस्वरूप उनके शीशे टूट गये. दोनों ड्राइवर (बलदेव प्रसाद और महेशराम) स्थल पर ही अपनी गाड़ियां छोड़कर भाग खड़े हुये. उनके प्रति परीक्षण में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे उन्हें अविश्वसनीय ठहराया जा सके उनके कथन की राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के ट्रक ड्राइवर दीवान चन्द (आ. ग. 37) द्वारा भी पुष्टि हो जाती है. वह उन दो ट्रकों में से एक ट्रक का ड्राइवर था जो 5-4-78 की सुबह पुलिस बल को बैचलर्स हास्टल ले गया था.

137. हरिसिंह नेगी (आ. ग. 19), प्लाटून कमाण्डर, चूड़ामणि प्रसाद (आ. ग. 24) हेड कान्सटेबल, जगदीश मोहन सेठी (आ. ग. 36) असिस्टेन्ट कमान्डेन्ट, (रे. ओ. पु. ब.) सी. आई. एस. एफ., वाई. सी. दीक्षित (आ. ग. 38) तथा हेड कान्सटेबल सत्यनारायण (आ. ग. 13) भी 5-4-78 की सुबह श्री मेहरा (आ. ग. 76) के साथ इन्द्रजीत सिंह को गिरफ्तार करने गये थे. उन सभी ने अपने साक्ष्य में श्री मेहरा के बयान की पुष्टि की है. उन्होंने यह भी बताया कि जब अश्रु गैस बेअसर रही, तो उन सभी ने भागना शुरू कर दिया और भीड़ ने उनका पीछा किया. एच. एस. नेगी (आ. ग. 19) ने कोमल सिंह और सत्यनारायण पर भीड़ द्वारा हमला किया जाता देखा. साक्षी बैचलर्स हास्टल की तरफ दौड़ा. उसे चूड़ामणि (आ. ग. 24) की सहायता से जीप में बिठाया गया, जो स्वयं भी उस जीप में बैठा था. वह जीप श्री मेहरा की थी (आ. ग. 24 पैरा 2) इन दोनों साक्षियों के अनुसार इसके तुरन्त बाद ही जब वे जीप में बैठे थे भीड़ ने उन पर हमला कर दिया. चूड़ामणि प्रसाद भाग निकला जबकि एच. एस. नेगी जीप में ही रह गये और बेहोश हो गये. चूड़ामणि प्रसाद (आ. ग. 22) किसी तरह बस स्टैण्ड पहुंच गया और वहां से वह श्री मेहरा के साथ गेस्ट हाउस गया.

138. जे. एम. सेठी (आ. ग. 36) भी घायल हो गए. उन्होंने एक कांसटेबल को सिर में चोट लगते और गिरते हुये देखा (पैरा 11/पैरा 12) के अनुसार उन्होंने श्री मेहरा की जीप में एक कांसटेबल (सत्यनारायण आ. ग. 13) के साथ श्री नेगी को जीप में बिठाये जाने के बारे में बताया. जीप पर भी भीड़ द्वारा हमला किया गया. जीप श्री मेहरा द्वारा चालू की गई किन्तु रोक दी गई और फिर साक्षी (जे. एम. सेठी) ने जीप छोड़ दी और भागना शुरू कर दिया. उन पर भीड़ ने पत्थरों और डण्डों से हमला कर दिया और वे बेहोश हो गये. जब उन्हें दुबारा होश आया तब उन्होंने स्वयं को डाकघर के कमरे में पाया. बाद में उन्हें (डा. राय द्वारा) चिकित्सालय ले जाया गया.

139. वाई. सी. दीक्षित (आ. ग. 38) जैसा कि पहले बताया गया है, भी घायल हो गये और वे श्री मेहरा के साथ बस स्टैण्ड की तरफ दौड़े, जहां वे एक बस में चढ़ गये और गेस्ट हाउस पहुंचे. श्री मेहरा जीप में अतिथि गृह गये.

140. पैरा 16 में उन्हें बताया गया कि पुलिस दल ने भरतलाल और मेघनाथ को गिरफ्तार कर लिया. वही प्रश्न पैरा 21 में जे. एम. सेठी (आ. ग. 36) से पूछा गया. दोनों साक्षियों ने इससे इन्कार कर दिया. यहां यह उलेखनीय है कि उक्त दोनों आरोपियों, अर्थात भरतलाल और मेघनाथ का परीक्षण नहीं किया गया है. श्री जे. एम. सेठी को पैरा 22 में यह भी बताया गया कि कुछ पुलिस वालों ने कुछ महिलाओं के हाथ पकड़े और उनके साथ छेड़-छाड़ की. साक्षी ने इस बात से इनकार कर दिया.

141. उक्त तथ्य कि 5-4-78 की सुबह की घटना में उपर्युक्त अधिकारी और पुलिस कर्मी घायल हो गये थे, की पुष्टि म. प्र. रा. स. प. नि. की सुरक्षा गारद के सदस्य त्रिलोकी राम (आ. ग. 59) के साक्ष्य से भी होती है. वह निजी काम से किरन्दूल गया था और वहां सुबह 9.00 बजे पहुंचा था. वह बसस्टेन्ड के पास स्थित म. प्र. रा. स. प. नि. के विश्राम गृह में ठहरा था. लगभग 10-15 पर उसने दो जीपों और ट्रकों में बस स्टेन्ड की तरफ पुलिस बल को आते हुए देखा लगभग 15-20 मिनट बाद उसने 300-400 लोगों की भीड़ देखी और उसके बाद भीड़ और पुलिस वालों के बीच लाठियां चली. लगभग 10 मिनट बाद बसस्टेन्ड की तरफ एक जीप आई किन्तु वहां पहुंचने से पहले ही रुक गई. जीप से एक व्यक्ति (श्री मेहरा) नीचे उतरा तथा बस स्टेन्ड की तरफ भाग गया. जीप पर 25-30 श्रमिकों ने हमला कर दिया. इस पर दो अन्य व्यक्ति (सेठी और दीक्षित) जीप से नीचे उतरे तथा बसस्टेन्ड की तरफ भागने लगे, उनमें से एक (सेठी) व्यक्ति के साथ कुछ श्रमिकों ने हमला कर दिया और वह डाकघर के पास गिर पड़ा तथा बेहोश हो गया. दूसरा व्यक्ति (दीक्षित) बस स्टेन्ड की तरफ भाग गया. चौथा व्यक्ति जीप में ही रहा आया. (श्री नेगी) साक्षी ने डाकघर के पास बेहोश पड़े व्यक्ति को उठाया और डाकघर के कमरे में ले गया. बाद में उसे पता चला कि वह श्री सेठी थे. साक्षी ने आगे बताया कि जीप में बेहोश पड़े श्री नेगी को बाद में डा. राय द्वारा चिकित्सालय ले जाया गया. तीन अन्य पुलिस वाले भी बेशरम की झाड़ियों में बेहोश पड़े पाये गये और उन्हें भी चिकित्सालय ले जाया गया. वे सभी घायल और लहूलुहान थ. पैरा 7 में साक्षी ने बताया कि उसने एक ट्रक और दो जीपों को बस स्टेन्ड की तरफ जाते देखा था न कि दो

ट्रकों और तीन जी पों को. यही वमुश्किल ऐसा कारण हो सकता है जिससे साक्षी को अविश्वसनीय माना जा सके क्योंकि अन्य साक्ष्य से पता चलता है कि पुलिस बल दो ट्रकों और तीन जीपों में आया था.

142. आर. पी. शर्मा (आ. ग. 80) ने भी बताया है कि उसे भीड़ ने घायल कर दिया था और वह हरि प्रसाद बंगाली के जिसकी पत्नी उर्मिला (आ. ग. 15) इस संबंध में पहले ही गवाही दे चुकी है,. मकान के सामने गिर पडा था. श्री शर्मा बेचलर्स होस्टल पहुंचे और एक चारपाई पर गिर पड़े. बाद में उन्हें चिकित्सालय ले जाया गया. जहां वे पन्द्रह दिनों तक रहे.

143. पुलिस कांस्टेवल जगतनारायण (आ. ग. 78) भी, जिसने सुबह श्रमिक कालोनी में इन्द्रजीत सिंह का उत्तेजक भाषण सुना था. उसपुलिस दल के साथ, जो श्री मेहरा के नेतृत्व में इन्द्रजीतसिंह को गिरफतार करने गया था. इस साक्षी ने बताया कि डंडों, पत्थरों और राडों से लैस भीड के हमले के प्रति फलस्वरूप कोमलसिंह जिसने अश्रु छोडी थी, मर गया. अन्य लोग बेशरम की झाडियों की ओर दूसरी तरफ भाग गये. साक्षी स्वयं किसी तरह डाकघर पहुंचा, जहां वह दोपहर 12 बजे तक रहा. वहीं उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू किये जाने की बात सुनी. उसके बाद उसने कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा अन्य अधिकारियों को देखा. इसके बाद उसने 5-4-78 की घटना के दूसरे भाग के बारे में बताया. जब पुलिस को गोली चलानी पडी थी. इस पर आगे चर्चा की जाएगी. दूसरे महत्वपूर्ण गवाह रा. ख. वि. निगम परियोजना बचेली किरन्दूल में कार्यरत वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डा. एम.एम. राय (आर. ग. 79) है, जो 1973 से किरन्दूल में पदस्थ है. पैरा 2 में उन्होंने बताया कि दिन में लगभग 11.00 बजे कोई व्यक्ति उनके पास आया (संकेत त्रिलोकीराम, आ. ग. 59 की ओर था.) उसने सूचित किया कि पुलिस वालों की पिटाई की जा रही है, उनमें से कुछ डाकघर के पास और चिकित्सालय के सामने घायल हो गये हैं. उसने मुझसे अनुरोध किया कि मैं उन्हें उपचार के लिये चिकित्सालय पहुंचाने की व्यवस्था करूं. मैं स्थिति का जायजा लेने चिकित्सालय के बाहरी फाटक तक गया. मैंने यह देखा कि चिकित्सालय के बाहरी फाटक से डाकघर तथा बैचलर की हास्टल तरफ लगभग 100 गज के फासले पर एक जीप खडी थीं और लगभग 50–60 लोग लाठियों से जीप में कुछ पीट रहे थे, जिसे मैं देख सकता था.

144. साथही मैंने जीप से 10.15 गज के फासले पर 50–60 लोगों की भीड देखी जो किसी को लाठियों से पीट रही थी. फाटक के पास मैंने लोगों को यह चर्चा करत सुना कि श्री सेठी डाकघर में घायल पडे है. उसके बाद मैं एम्बुलेंस से डाकघर गया. उनके पैर और सिर में चोट आई थी. मैंने उनसे यह नहीं पूछा कि वे कैसे घायल हुए बल्कि मैंने उन्हें एम्बुलेंस में पहुंचाया. उसके बाद मैं घटना स्थर पर गया. जहां मैंने भीड को एक व्यक्ति को पीलते हुए देखा था. वहां एक कान्टेवल घायल पडा था. मैंने उसे भी एम्बुलेंस में बिठाया. इससे पहले मैं उस व्यक्ति को भी अपने साथ ले जा चुका था, जो जीप में पड़ा हुआ था, वे कंपनी कमान्डेन्ट श्री नेगी थे. वे भी घायल थे. मैंने उन्हें भी एम्बुलेंस में बिठाया और उन तीनों को उपचार के लिये चिकित्सालय ले आया. एम्बुलेंस में मैं स्वयं और एम्बुलेंस का ड्रायवर था, बाद में चिकित्सालय में उनका उपचार किया गया.

145. उसी दिन दोपहर लगभग 12 बजे किसी व्यक्ति द्वारा मुझे सूचना मिली कि श्री एन. डी. सिंह, वृत्त निरीक्षक किसी पेट्रो के मकान में घायल पड़े हैं. इस पर मैं एम्बुलेंस में पेट्रो के घर गया. वे वहां घायल अवस्था में पड़ थे. मैं उन्हें एम्बुलेंस में चिकित्सालय लाया और उनका उपचार किया. लौटते समय मैंने सुना कि शहर में धारा 144 लागू कर दी गई थी. "गवाह ने बाद मेंलगभग 200 पुलिस कर्मचारियों की हलचल के संबंध में बताया", जिसका संबंध उस दिन की घटना के दूसरे भाग से था. पैरा चार में उसने बताया कि "उस दिन दोपहर 1.30 और 2.00 बजे के बीच श्री आर. पी. शर्मा, थानेदार, किरन्दूल को भी घायल अवस्था में चारपाई पर चिकित्सालय लाया गया."

146. पैरा 7 में प्रति परीक्षण के दौरान डा. राय ने बताया कि किरन्दूल के सबसे पास का शासकीय औषधालय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दंतेवाडा है. उसी पैरा में वाद में उन्होंने बताया कि "5 अप्रैल 1978 छुट्टी का दिन होने के कारण वहां थोडे से कर्मचारी थे, जिसमें काल भेजने पर उपलब्ध एक चिकित्सक तथा सामान्य कार्य की देखभाल के लिये वार्ड बाय आयाओं आदि के अलावा एक सिस्टर थी. उस दिन सुबह लगभग 11.00 बजे स्थिति बिगड जाने के कारण मैंने चिकित्सालय के सभी कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलवा भेजा."

147. पैरा 11 में उन्होंने बताया कि 5-4-78 को कर्तव्य पर बुलाये जाने वालों में डा. आर. एल. जोशी. डा. श्रीमती बी. एल. सावत तथा डा. शंकरराव थे. पैरा 12 में उन्होंने बताया कि जीप के पास एक झोपडी के बरामदे में दो कान्सटेबल घायल पडे थे, जिनको वह श्री नेगी के साथ एम्बुलेंस में चिकित्सालय ले गये थे. पैरा 14 में उन्होंने बताया कि वह एन. डी. सिंह को पेट्रो के घर से एम्बुलेंस में लिये थे. बाद में उसी पैरा में उन्होंने बताया कि उन्होंने रणजीतसिंह नामक कान्सटेबल को बाजार क्षेत्र से चिकित्सालय पहुंचाया. उन्होंने आगे बताया कि कुछ पुलिस वाले गंभीर रूप स घायल

आर. पी. शर्मा को ले जाते हुए रास्ते में उनके सामने से गुजर रहे थे और इस तरह उन्होंने उन्हें एम्बुलेंस में चिकित्सालय पहुंचाया. उसके बाद कुछ और घायल पुलिस कांस्टेबल चिकित्सालय लाए गए थे. पैरा 15 में उन्होंने बताया कि जो कांस्टेबल 5-4-78 को मर गया था वह कोमल सिंह था, जो बेहोशी की हालत में मरा था.

148. चूडामणि प्रसाद (अ.ग.24) हेड कान्सटेबल ने जो सुबह की घटना में घायल हुआ था बताया कि उसने भी कान्स्टेबल कंचन सिंह को घायल हालत में देखा था. उसके होंठो में चोट आई थी. इसकी पुष्टि कंचन सिंह (अ.ग. 26) के साक्ष्य से होती है, जिसने बाद में बताया कि भीड ने उसका पीछा किया, उस पर प्रहार किया तथा उसे ट्रक के पास ले गई. उसने भागने की कोशिश की किन्तु उसका पीछा किया गया और डंडों से उसकी पिटाई की गई. कान्स्टेबल चन्द्रिका सिंह (अ. ग. 23) भी सुबह लगभग सवा दस बजे बेचलर्स होस्टल के पास पहुंचने वाले दल के साथ था. उसने पुलिस दल की हलचल और पुलिस पर हमला करने वाली भीड के संबंध में बताया है और उसने अ्. गैस छोडने तथा बाद में श्री मेहरा, वृत्त निरीक्षक ए. डी. सिंह, श्री नेगी और अपनी स्वयं की चोटों के बारे में बताया. उसने बताया कि वह घटना स्थल की तरफ दौडा जहां ट्रक खडा था, किन्तु भीड द्वारा उसका पीछा किया गया और डंडों से उसकी पिटाई की गई, जिससे उसका हेलमेट टूट गया, उसके सिर में चोट आई और उसके दो दांत टूट गये. मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी के प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि उस समय किसी भी कांस्टेबल के पास राइफल नहीं थी. यहां तक कि अधिकारियों के पास भी कोई राइफल या पिस्तौल नहीं थी. कान्स्टेबल लक्ष्मीनारायण (अ.ग. 25) भी पुलिस दल में शामिल था. जो घायल भी हुआ था तथा जिसका नाले तक पीछा किया गया था जहां कि वह गिर पडा था. उसके बाद भी उन्हे डंडों से पीटा गया और वह बेहोश हो गया था. प्रकाशनाथ तिवारी (अ. क. 27) का भी पीछा किया गया और वह घायल हुआ तथा बेहोश हो गया. इस गवाह ने भी उस तथ्य का उल्लेख किया है कि इन्द्रजीत सिंह ने श्रमिकों को इस बात के लिये उकसाया था कि वे पुलिस दल पर हमला करें तथा यह देखें कि कोई भी व्यक्ति बचकर भागने न पाए. रणजीत सिंह (अ. ग. 28) दूसरा पुलिस कान्स्टेबल है, जो सुबह की घटना में घायल हुआ था और जिसके बयान को प्रति परीक्षण में कोई चुनौती नहीं दी गई. कांस्टेबल कालूराम (अ. ग. 29), कान्स्टेबल धनपतराम (अ. ग. 30) कान्स्टेबल पूरनसिंह (अ. ग. 31), कान्स्टेल सुखदयाल (अ.ग. 32), कान्स्टेबल लखनलाल (अ. ग. 33), कान्स्टेबल गोरेलाल (अ.ग. 34), कान्स्टेबल प्रदुनाथ प्रसाद (अ. ग. 40), कान्स्टेबल बोधपुरी (अ. ग. 44), कान्स्टेबल राजेन्द्र प्रसाद सिंह (अ. ग. 47), कान्स्टेबल रामआसरे सिंह (अ. ग. 48), कन्स्टेबल साधूराम (अ. ग. 49), कान्सटेबल नरसिंहपुरी (अ. ग. 50) तथा कान्स्टेबल जूलियस टिर्की (अ. ग. 52) तथा अन्य कान्स्टेबल भी, जो भीड के द्वारा घायल हुए थे और जो बेशरम की झाडियों में छिप गये थे, जैसा कि बाद में पता चलेगा, पुलिस द्वारा गोली चालान के बाद ही बचाये जा सके थे.

149. दीवानचन्द (अ. ग. 37) एक ट्रक ड्रायवर था, जो 5-4-78 की सुबह पुलिस दल को बेचलर्स होस्टल ले गया था. वह लगभग आधे घंटे रुका. उसके बाद श्रमिकों की भीड पुलिस वालों का पीछा करते हुए उस स्थान तक पहुंची. जहां ट्रक और जीपें खडी थी. भीड ने पत्थरों और डंडों से ट्रकों और जीपों को क्षति पहुंचाई. ट्रक के शीशे टूट फूट गये और वह भी घायल हो गया. इसलिये वह ट्रक छोड़कर अपने क्वार्टर भाग गया कान्स्टेबल हम्मेसिंह (अ. ग. 39), कान्स्टेबल बलवन्त सिंह (अ. ग. 41) कान्स्टेबल विद्यानन्द (अ. ग. 42), कान्टेबल लालताप्रसाद (अ. ग. 43), कान्स्टेबल वकील खां (अ. ग. 45), कान्टेबल घासीराम (अ. ग. 46) कान्टेबल जवाहरलाल (अ. ग. 51), कान्स्टेबल काशीराम (अ. ग. 52), कान्स्टेबल अमरकृष्ण (अ.ग. 54), कान्स्टेबल दयाराम (अ. ग. 55), ऐसे अन्य कान्स्टेबल थे जो सुबह की घटना में घायल हुए थे और ये कान्स्टेबल या तो घटना स्थल पर ही पड़े रहे या भाग कर किसी झोपडी या बेशरम के पास या अन्यत्र छिप गये या उनमें से कुछ किसी तरह पुलिस थाने या चिकित्सालय पहुंच गये.

150. 5-4 78 को घटना के दूसरे भाग के संबंध में साक्ष्य की छानबीन करने से पूर्व संयुक्त खदान मजदूर संघ तथा उसके द्वारा दिये गये साक्ष्य के कथन पर ध्यान देना आवश्यक होगा. सी. आर. बख्शी द्वारा फाइल किये गये प्रविवरण में पैरा 21 और 22 तथा 23 सुबह की घटना के संबंध में संगत है. सी. आर. बख्शी ने अपने बयान (प्रविवरण) के पैरा 21, 22, और 23 में घटना का निम्नानुसार उल्लेख किया है :—

"21. 5 अप्रैल को सुबह 7.30 बजे जब श्रीमती इन्द्रजीतसिंह धरना से वापिस लौट रही थी तब उन्हें पुलिस वालों ने बाजार के पास रोका और थाने में ले गये. थाने में इन्द्रजीतसिंह की पत्नी को गिरफतार किया गया. 9.30 बजे सुबह श्री मेहरा एस. डी. ओ. एवं श्री दीक्षित डिप्टी एस. पी. जो पुलिस एवं अधिकारियों के साथ दो जीपों में सवार थे, बाजार से होते हुए मलफा कैम्प, रेड्डी कैम्प तथा लूडिंग प्लांट की ओर रवाना हुए. इनके साथ करीब 22 लाठी टीयर गैस से लैस पुलिस एवं सिक्युरिटी पुलिस के जवान भी थे. श्री मेहरा एस. डी. एम. के आदेश पर पुलिस के जवान उपरोक्त केम्पों में जो मजदूर उनके घरों में सपरिवार शांतिपूर्वक बैठे थे, उनके घरों में पुलिस के जवान घुसकर इन्द्रजीतसिंह को ढूंढने लगे. इन जवानों ने झोपडे के अन्दर व बाहर बैठे एवं खडे हुए मजदूरों की उनके बच्चे एवं महिलाओं को डंड से मारना शुरु कर दिया और उनके घरों में घुसकर जो भी कीमती सामान हाथ लगा उसे

उठा लिया तथा नवजवान महिलाओं की इज्जत लूटने का प्रयास किया व झोपडी में रहने वालों को गंदी गंदी गाली दी. उस फोर्स की कार्यवाही के कारण झोपडी में रहने वाले लोग भयभीत हुए और अपनी जान बचाने के लिये वे लोग लोडिंग प्लान्ट की ओर जहां रेल्वे लाईन भी है, भागने लगे.

22. इन झोपडियों में जब पुलिस घुसकर मारपीट कर रही थी, और तों की इज्जत ले रहे थे तो उससे आगे रहने वाले परिवारों ने भी देखा, सब घटना देखा और वे भी जान बचाने के लिये उसी ओर भागे. उन झोपडी से भागने वाले परिवार के लोगों को भागते हुए देखकर पुलिस का साहस और बढ गया. फोर्स के सभी जवानों ने डंडा लेकर भागते हुए मजदूरों का पीछा किया और जो भी मिला उसे अंधाधुंध डंडे से मारने लगे. मार खाने वालों में महिलाएँ, बच्चे और पुरुष भी थे. लोडिंग प्लांट के पास रेलवे लाइन पर जो मजदूर बैठे थे जो काफी तादाद में थे उन लोगों ने उपरोक्त जवानों की कार्यवाही उनके द्वारा अकारण महिलाओं और बच्चो को डंडे से मारना एवं औरतों की इज्जत लेने की प्रयास करना यह सब घटना एकत्र मजदूरों ने देखा, तब रेल्वे लाइन के पास एकत्र मजदूरो ने अपने मजदूर साथियो के परिवारों की प्राणों और महिलाओं की रक्षा के लिये वहां समीप ही जो पत्थर के टुकड़ों का ढेर था और जो लकड़ियां आस पास पड़ी हुई मिलीं उन्हें लेकर जवानों को मजदूर परिवार के प्राण बचाने के लिये, क्योंकि वे सभी जवान जो मजदूर परिवारों का बलिष्ठ लाठियों से प्रहार कर रहे थे और उस प्रहार से इन मजदूरो के मन में यह आशंका हो गई थी कि यदि डंडों से मार कर भागते हुए परिवार के लोगों को गंभीर चोट लग रही है और उनके जान का भी खतरा है वे आस पास एकत्र मजदूरों ने जवाबी कार्यवाही की तथा जब पुलिस के जवानों ने आकर उन पर भी डंडों से और पत्थरों से प्रहार करना शुरु किया तो वहां पर एक न एक मजदूर ने स्वयं की आत्मरक्षा तथा अन्य मार खाने वाले मजदूरों की प्राणों की रक्षा हेतु पुलिस का डंडा छीन कर डंडे से प्रहार कर मजदूरो के परिवारों को बचाने का प्रयास किया. इस घटना में अनकों मजदूरों के परिवार के लोगो को गंभीर चोटें आई तथा पुलिस फोर्स के लोगों को भी चोटें आईं. यह घटना करीब 9–30 से 10–30 बजे के बीच सुबह घटित हुई थीं. मजदूरो ने आत्मरक्षा या मजदूरों के परिवारों की रक्षा हेतु यह जवाबी कार्यवाही की.

23. करीब 10–30 बजे एन. एम. डी.सी. के डाक्टर एम्बुलेंस की गाडी में घायल पुलिस अधिकारियो को अस्पताल ले जाया गया. पुलिस के अन्य घायलों को जीप से लाया गया तथा जो जवान साधारण रूप से घायल थे वे सबको अस्पताल पहुंच गये. हवलदार कोमलसिंह घायल था उसे बाद में लाया गया जो करीब 10.30 बजे दाखिल हुवा और करीब 15 मिनट बाद उसकी मृत्यु हो गई. इस तरह श्री मेहरा एस. डी. एम. और श्री दीक्षित डी.एस.पी. के साथ जो पुलिस दल उपरोक्त कैम्पों में घुसा था वे सब 10.30 बजे तक उपचार हेतु एन.एम.डी.सी. के अस्पताल में भर्ती हो गये. इस घटना में गंभीर रूप से घायल मजदूरो को अस्पताल नहीं पहुंचने दिया गया."

इन्द्रजीतसिंह द्वारा फाइल किये गये रिटर्न का पैरा 18 यहां उद्धृत किया जा सकता है, जो निम्नानुसार है.—

"यह कि शांति सुरक्षा कायम करने वाले अधिकारियों ने उनकी पूर्व नियोजित योजना के अनुसार 5-4-78 को सुबह मेरी पत्नी श्रीमती इन्द्रजीतसिंह को गिरफ्तार किया क्योंकि करीब 150 महिलाओं ने दिनांक 4-4-78 से लगातार महाप्रबंधक के बंगले में धरना जारी रखा था. जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया. मेरी पत्नी को गिरफ्तार करने के बाद ही उन्होंने गिरफ्तारी के निर्णय के आड में श्री मेहरा एस. डी. एम., एस. डी. ओ. श्री दीक्षित तथा पुलिस की पल्टन ने श्रमिक बस्ती पर हमला बोल दिया. घरों में घुस कर मजदूरों, उनके बच्चों, महिलाओं को मारना खदेडना का काम सुबह 9 बजे से प्रारंभ कर दिया. यह घटना बेचलर होस्टल टाइप 1बी के नीचे बसे हुए मजदूरो की कालोनी में शुरू किया. मजदूरों और उनके परिवारो को निर्ममता पूर्वक डंडों से पीटते हुए पुलिस खदेड़ रही थी और मजदूर परिवार भाग रहे थे. पुलिस की आक्रमणकारी मुद्रा निरीह मजदूरो पर महला करते हुए खदेड रही थी. पुलिस के इस व्यवहार से पूरी कालोनी में भय एवं आतंक व्याप्त हो गया. उक्त कालोनी के मजदूरों को भागने के लिये केवल एक ही रास्ता था वह रेल्वे लोडिंग नं. 7 की ओर ही था जहां धरने में बैठे सैकड़ों मजदूर मौजूद थे. पुलिस ने जब मजदूरों पर हमला करते खदेडते उन्हें भगा रही थी तो मजदूरों ने भी स्वतः की आत्म रक्षा, महिलाओ के शील भंग होने से बचाने के लिये हमलावर पुलिस के साथ मुठभेड में संलग्न हो गई जिसमें सैकड़ों मजदूरों को गंभीर चोटें आई."

शंकर गुहा नियोगी ने अपने प्रतिवेदन के पैरा 6 में ये लिखा है कि प्रजातांत्रिक आन्दोलन करने का अनुभव न होने के कारण मजदूरों का प्रतिरोध और आन्दोलन अचानक विस्फोट के रूप में परिवर्तित हो गया जिस की परिणिती में कोमलसिंह की मृत्यु हुई. पैरा 8 में उन्होने भी यह स्वीकार किया है कि आसपास एकत्र मजदूरों ने पत्थरों से जवाबी कार्यवाही की तथा एक मजदूर ने स्वयं की आत्मरक्षा हेतु पुलिस का डंडा छीन कर डंडे से प्रहार कर मजदूरों के परिवारों को बचाने का प्रयास किया. यह घटना करीब 9–30 से 10–30 के बीच सुबह घटित हुई थी मजदूरों ने आत्मरक्षा या मजदूरों के परिवारों की रक्षा हेतु यह जवाबी कार्यवाही की थी.

151. यह उल्लेखनीय है कि संयुक्त खदान मजदूर संघ की ओर से दाखिल उपर्युक्त प्रविवरणों के अनुसार सुबह की घटना दिन के लगभग 10-30 बजे तक हो चुकी थी. यह भी अन्तर्निहित है कि सुबह की घटना में पुलिसदल पर श्रमिकों द्वारा हमला किया गया था और अनेक पदाधिकारी और कान्स्टेबल घायल हुए थे उन्हें एम्बुलेंस में चिकित्सक द्वारा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम चिकित्सालय ले जाया गया था. श्री सी. आर. बख्शी के प्रविवरण में यह स्वीकार किया गया है कि हेड कान्स्टेबल कोमल सिंह को भी घायल अवस्था में चिकित्सालय ले जाया गया था, जहां पन्द्रह मिनट बाद उसकी मृत्यु हो गई थी. इस दावे के संबंध में कि कामगारों ने आत्मरक्षा के अधिकार और अपने वर्ग की महिलाओं की इज्जत बचाने के लिये प्रतिरोध किया, यह बताना आवश्यक है कि दावे की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं है. निर्भयराम (आ.ग.95) ने पैरा एक में बताया कि इन्द्रजीतसिंह कहां है, इसके बारे में कोई जानकारी न दे पाने पर पुलिस द्वारा उसे गालियां दी गई, उसे रोका गया और लाठियों से उसे पीटा गया और उसके बाद वह रेल्वे साईडिंग की तरफ भागा, जहां पहले से ही लगभग 1000 कामगार जमा थे. अपने बयान की असत्यता को उसने अपने ही अभिसाक्ष्य के पैरा तीन में स्वयं स्वीकार किया है कि किसी भी पुलिस वाले ने न तो उसे पकड़ा और न ही उसके साथ मारपीट की थी.

152. दुरगिन बाई (आ.ग. 105) एक मात्र ऐसी अन्य साक्षी है, जिसका संयुक्त खदान मजदूर संघ ने सुबह की घटना के संबंध में परीक्षण किया. उसने बताया कि वह मालप्पा शिविर में रहती थी. पैरा 2 में उसने बताया कि पुलिस वाले 6.00 बजे सुबह किसी अमरीक बाई की झोपड़ी में घुसे और उसके साथ छेडखानी की और इस पर श्रमिकों ने पुलिस वालों को इतना मारा की एक पुलिस वाला मर गया. प्रति परीक्षण के दौरान पैरा 4 में उसने बताया कि लगभग 1500-2000 कामगार वहां जमा थे और सुबह 6 . 00 बजे से 10.00 बजे तक हाथों में लाल झंडे लिये बैठे रहे. ऐसा किसी ने भी नहीं कहा कि पुलिस दल सुबह 9. 30 से काफी पहले अर्थात् लगभग सुबह 6. 00 बजे पहुच गया था. पैरा चार के अंत में उसने बातया कि उसने स्वयं किसी पुलिस वाले को अमरीक बाई को बेइज्जत करते या उससे छेडखानी करते नहीं देखा था. अन्त में उसने बताया कि उसने यह बात दूसरे दिन कुछ श्रमिकों से सुनी थी. इससे साक्षी के पहले वाले बयान की असत्यता स्पष्ट हो जाती है. अमरीकबाई का परीक्षण नहीं किया गया.

153. अत: यह स्पष्ट है कि अभिलेख में यह दर्शाने के लिये कोई ठोस तथ्य नहीं है कि कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई थी जिसके कारण 5-4-78 की सुबह को घटना के दौरान लेकर कालोनी में रहने वाले कामगारों को निजी बचाव या आत्म रक्षा के अभिकथित अधिकार का प्रयोग करना पड़ा था. यह भी कहा जा सकता है कि पुलिस दल श्री मेहरा उपसभगीय. मजिस्ट्रेट, जो पुलिस दल के साथ थे, की कमान और निर्देशन में इन्द्रजीत सिंह को गिरफ्तार करने गया था. इस तथ्य का उल्लेख पैरा 21 में सी. आर. बख्शी द्वारा दाखिल प्रविवरण में और प्रविवरण के पैरा 18 में श्री इन्द्रजीतसिंह द्वारा भी किया गया है. अत: । यह स्पष्ट है कि श्री मेहरा और पुलिस दल शासकीय सेवक के रूप में सदभावपूर्वक अपने शासकीय कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे. भारतीय दंड संहिता की धारा 99 की दृष्टि से श्रमिकों को निजी बचाव के लिये बल प्रयोग करने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि यह दर्शाने के लिय अभिलेख में कोई बात नहीं है कि जिससे यह पता . चले कि वहां मृत्यु होने गंभीर चोट लगने की कोई उपर्युक्त आशंका थी. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 99 का सुसंगत अर्थ निम्नानुसार है:—

> कार्य जिनकेविरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है.—यदि कोई कार्य, जिससे मृत्यु या घोर उपहति की आशंका युक्ति युक्त रूप से कारित नहीं होती, सदभावपूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक द्वारा किया जाता है या किये जाने का प्रयत्न किया जाता है, तो उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह कार्य विधि अनुसार सर्वथा न्यायानुमत न भी हो.
>
> यदि कोहै कार्य, जिससे मृत्यु का घोर उपहति की आशंका युक्ति युक्त रूप से कारित नहीं होती, सदभाव पूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक के निदेश से किया जाता है, या किये जाने का प्रयत्न किया जाता है तो उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह निदेश विधि अनुसार सर्वथा न्यायानुमत न भी हो."

154. पूर्ववर्ती पैराग्राफों में की गई चर्चा से यह स्पष्ट हो जाएगा कि श्री दिलीप मेहरा और उनके साठ पुलिस कर्मियों पर 5-4-78 की सुबह उस समय घातक हमला किया गया था और वे लोग घायल हो गये थे जब कि वे इन्द्रजीत सिंह को गिरफ्तार करने लेबर कालोनी गये थे, जो पिछले कुछ दिनों से भूमिगत हो गया था और जिसने 5-4-78 की सुबह, कामगारों के बीच खून बहाने के लिये उन्हें उकसाते हुए भाषण दिया था और वह सुबह की घटना के दौरान लगभग उसी समय प्रकट भी हो गया था. जब अश्रु गैस छोडी गई थी. यह भी पता चलता है कि श्री मेहरा और श्री दीक्षित घायल अवस्था में गृह कठिनाई से किसी तरह अतिथि बड़ी पहुंचे और वहां श्री मेहरा ने कलेक्टर श्री नर्न्हेसिंह और अतिरिक्त पु. अ. श्री गर्ग को उस घटना का ब्योरा दिया, जो उस समय घटी थी, जब वे लोग इन्द्रजीत सिंह को गिरफ्तार करने गये थे उन्हें यह भी सूचित किया गया था कि उन्हें दल के दूसरे लोगों के बारे में कोई जानकरी नहीं थी, जो श्री मेहरा के साथ इन्द्रजीतसिंह को गिरफ्तार करने गये थ. उसकी पुष्टि पैरा 10 के अनुसार कलेक्टर श्री नर्न्हेसिंह (आ.ग.88) और पैरा 4

के बाद के अंश के अनुसार श्री ओ. पी. गर्ग (ग्रा. ग. 75) के साक्ष्य से होती है. श्री. गर्ग और श्री नन्हेंसिंह के अनुसार उन्होंने लेबर कालोनी में फंसे पुलिस बल को छुडाने और उनकी जान बचाने के लिये अतिरिक्त पुलिस बल बुलाने का निर्णय लिया था

155. जब पुलिस बल अतिथि गृह में जमा हुआ तब लाठियों से लैस लगभग 200-400 हड़ताली श्रमिकों की भीड़ महाप्रबंधक के निवास पर पथराव करती देखी गई. वह भीड़ अश्रु गैस छोड़ने के बाद तितर बितर कर दी गई जैसा कि श्री मेहरा (ग्रा. ग. 76) द्वारा पैरा 11 के बीच में और श्री नन्हेंसिंह (ग्रा. ग. 88) द्वारा पैरा 11 में और श्री ओ. पी. गर्ग (ग्रा. ग. 75) द्वारा पैरा 5 में उल्लेख किया गया है.

अध्याय—नौ

5 अप्रैल 1978 को किरन्दुल (बस्तर जिले) में पुलिस द्वारा गोली चालन

156. कलेक्टर श्री नन्हे सिंह (ग्रा. ग. 88) ने बताया कि वे श्री गर्ग, श्री मेहरा तथा अन्य अधिकारियों और पुलिस बल के साथ दोपहर के लगभग 11.30 बजे विश्राम गृह से रवाना हुए. जब वे अस्पताल तथा मस्जिद के बीच की सड़क पर पहुंचे तब उन्होंने लोहे के (स्टील) पुल के ऊपर की सड़क पर जमा लगभग 1000 व्यक्तियों की भीड़ देखी जो लाठियां लिए हुए थी और नारे लगा रही थी. ऐसी ही एक भीड़ स्टाक पाइल के पास भी एकत्रित थी. भीड़ को आगे बढ़ने से रोकने के लिए उस स्थान पर लगभग साठ सत्तर कान्स्टेबलों को तैनात कर दिया गया तथा लगभग सत्तर कान्स्टेबलों के शेष बल के साथ वे बेचलर होस्टल की ओर गए तथा वहां उन्होंने थानेदार आर. पी. शर्मा को घायल अवस्था में खाट पर लेटे देखा. उसे अस्पताल भेज दिया गया. उसके बाद कलेक्टर ने तय किया कि उन्हें अस्पताल के निकट रहना चाहिए जबकि श्री मेहरा तथा अन्य लोगों को आगे बढ़ना चाहिए. उस समय बेचलर होस्टल के सामने कोई भीड़ नहीं थी किन्तु उसके आस-पास लगभग 300 से 400 व्यक्तियों की एक भीड़ थी जैसा कि श्री मेहरा (ग्रा. ग. 76) बताया. श्री. गर्ग (ग्रा. ग. 75) के अनुसार भीड़ लगभग 100 कदम दूर थी. लगभग इसी समय कुछ पुलिस कांस्टेबल डाक घर की ओर से आए. वे घायल थे और खून से लतपथ थे. श्री मेहरा के अनुसार उन्होंने बताया कि दूसरे पुलिस कान्स्टेबल भी जिन पर भी हमला किया गया था, इधर उधर पड़े थे. घायल कांस्टेबलों को अस्पताल पहुंचाने के बाद श्री मेहरा तथा उनका दल, जिसमें श्री गर्ग भी थे, आगे बढ़े. इस दल में लगभग 70 कान्स्टेबल थे, जिनमें बन्दूकधारी अश्रुगैस दल, बेंत तथा लाठी दल और कुछ ऐसे लोग भी थे, जिनके पास बेनर लाउड हल्टर थे. चूंकि कुछ कान्स्टेबल कलेक्टर के साथ थे, अतः श्री मेहरा तथा श्री गर्ग के साथ लगभग 50 कान्स्टेबलों का एक दल आगे बढ़ा. श्री गर्ग (ग्रा.ग.75) के अनुसार, पैरा 7 देखिए, उन्हें सूचित किया गया कि भीड़ द्वारा पहले किए गए हमले के दौरान कुछ पुलिस कान्स्टेबल नाले तथा स्टाक पाइल की ओर भागते गए दिखे. लगभग इसी समय स्टाक पाइल तथा रेलवे लाइन की ओर से आते हुए भीड़ उनकी ओर मुड़ गई और उन पर पत्थर फेंकने लगी. तब श्री मेहरा ने लाउड हल्टर पर घोषणा की कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दी गई है, जमाव गैर-कानूनी है तथा उसे तितर बितर हो जाना चाहिए तथापि इसका कोई असर नहीं हुआ और पत्थर फेंकना जारी रहा. अतएव, श्री मेहरा ने अश्रुगैस के गोले फोड़ने का आदेश दिया. श्री गर्ग (ग्रा. ग. 75) ने बताया कि उन्होंने श्री मेहरा से लिखित आदेश प्राप्त कर लिया था और उसके बाद ही कुछ अश्रुगैस के गोले फोड़े गए, जिसका भीड़ पर थोड़ा असर हुआ. तब श्री मेहरा ने भीड़ को पुनः चेतावनी दी तथा लाठी चार्ज का आदेश दिया. श्री मेहरा तथा श्री गर्ग के अनुसार भीड़ के कुछ लोग लाठी चार्ज में घायल हुए किन्तु उसी समय भीड़ ने भी पुलिस दल पर लाठियों से हमला कर दिया और साथ ही पथराव भी जारी रहा. अतएव श्री मेहरा ने लाउड हल्टर पर भीड़ को पुनः चेतावनी दी और घोषणा की कि यदि वे अब भी तितर-बितर नहीं होते तो उनपर गोली चलाई जाएगी. इस चेतावनी के बावजूद भीड़ पत्थर बरसाती रही जिसके परिणामस्वरुप पुलिस दल के कुछ सदस्य घायल हुए. अतएव श्री मेहरा ने हवा में गोली चलाने का आदेश दिया. बाद में नौ चक्र गोली चलाई गई. श्री गर्ग (ग्रा. ग. 75) के अनुसार पेट्रोल कमाण्डर श्री केशर सिंह तथा बाली सिंह ने हवा में गोली चलाई किन्तु इस गोली चालन का भी बहुत कम असर हुआ. भीड़ थोड़ी पीछे हटी तथा स्टॉक पाइल के पास जमा भीड़ में मिल गई. पुलिस बल स्टॉक पाइल की ओर लगभग 20 कदम आगे बढ़ा. तभी उन्होंने पीछे की झोपड़ियों में से आग तथा धुआं उठते देखा. श्री मेहरा (ग्रा. ग. 76) ने बताया कि भीड़ उनके सामने धनुष के आकार में खड़ी थी और एक ओर बोरा कम्पनी और दूसरी ओर बाजार को जाने वाले दोनों मार्गों को रोक रखा गया था. 20 कदम की दूरी पर खड़ी भीड़ ने भारी पथराव शुरु

कर दिया. श्री मेहरा के अनुसार उन्होंने पुनः लाठी चार्ज का आदेश दिया किन्तु भीड़ ने बदले की भावना से पुलिस बल पर लौह अयस्क के टुकड़े फेंकने लगी. भीड़ में लगभग 2,000 व्यक्ति थे, अतएव श्री मेहरा ने भीड़ को पुनः चेतावनी दी कि यदि वे तितर-बितर नहीं होते तो प्रभावी गोली चालन किया जाएगा. इस चेतावनी का भी कोई असर नहीं हुआ तथा इसलिए श्री गर्ग से प्रभावी गोली चालन के लिए कहा गया. तदनुसार श्री गर्ग ने प्लाटून कमाण्डर केशर सिंह तथा वाली सिंह को प्रभावी गोली चालन का आदेश दिया. इस प्रभावी गोली चालन के फलस्वरूप भीड़ तितर-बितर होने लगी और रेलवे लाइन की ओर भागी. भीड़ के कुछ सदस्य गोली लगने से घायल हुए तथा गिर पड़े. तत्काल गोली चालन बन्द कर दिया गया. गोली चालन रुक-रुक कर किया गया और दो-तीन मिनट में ही बन्द कर दिया गया. उसी बीच श्री गर्ग ने श्री मेहरा का लिखित आदेश प्राप्त कर लिया. उसी समय श्री गर्ग ने थानेदार व्ही. डी. शर्मा से कहा कि वे एन. एम. डी. सी. के अस्पताल से डाक्टर तथा एम्बुलेंस ले आएं और इसके साथ ही पिछले घटनाओं में घायल तथा गुम हुए पुलिस कर्मियों की खोज की जाने लगी. लगभग इसी समय जिला मजिस्ट्रेट श्री नन्हें सिंह भी लगभग 15–20 कांस्टेबलों के साथ वहां पहुंच गए. उन्हें स्थिति की सूचना दी गई थी. इसके तुरन्त बाद डा. राय एम्बुलेंस लेकर घटना स्थल पर पहुंचे. श्री गर्ग के अनुसार लगभग 19—21 व्यक्ति घायल हुए थे, जिनमें एक महिला और एक बच्चा शामिल थे. इनमें से किसी की भी हालत गंभीर नहीं थी. चूंकि श्री मेहरा को भी चोट आई थी अतः उन्हें भी अस्पताल भेजा गया था. श्री गर्ग (आ. ग. 75) के अनुसार पुलिस के जवान उन पुलिस कर्मियों का पता लगाते गए थे, जो सुबह की घटना के दौरान जख्मी हो गये थे या उसके बाद से लापता थे, और वे छह से सात कांस्टेबलों को लाए जिनमें से तीन घायल थे और शेष छिपे हुए थे. इसके अतिरिक्त तीन या चार कान्स्टेबल जो बेशरम की झाड़ियों में छिपे थे, वहां आ गए और उन्हें भी चिकित्सालय भेज दिया गया. अतएव उनसे सलाह मशविरा करने के बाद जिला मजिस्ट्रट श्री नन्हें सिंह (आ. ग. 78) ने दिनांक 5-4-78 को दोपहर 3 बजे से लेकर दिनांक 6-4-78 को दोपहर 3 बजे तक कर्फ्यू लगाने का आदेश दे दिया, श्री ओ. पी. गर्ग (आ. ग. 75) ने श्री बी. डी. शर्मा से आदेश की घोषणा कराई.

157. कलेक्टर श्री नन्हें सिंह (आ. ग. 78) ने पैरा 11 में बताया कि जब वे श्री मेहरा तथा श्री गर्ग को बेचलर हॉस्टल से आगे बढ़ने को कह कर वापस लौटे, तो उन्होंने कुछ घायल कांस्टेबलों को अस्पताल ले जाये जाते देखा. अतएव वे अस्पताल गए और डा. राय को उचित हिदायतें दी. उसी समय उन्हें श्रमिक बस्ती में आग लगने की सूचना मिली. अतः उन्होंने तत्काल फायर ब्रिगेड लाने को कहा और वहां मौजूद नागरिकों की मदद से स्वयं आग पर काबू पाने में जुट गए. फायर ब्रिगेड तत्काल आ गया. यह लगभग दोपहर 1.15 बजे की बात थी और इसके तुरंत बाद उन्हें गोली चालन की सूचना मिली और इसलिए एम्बुलेंस तथा चिकित्सा सहायता के लिए हिदायतें देने के बाद, वे स्टाक पाइल की ओर गए जहां श्री मेहरा और श्री गर्ग ने उन्हें स्थिति के बारे में बताया. भीड़ तितर–बितर हो गई थी और वहां डा. राय पहले से ही घायलों की देख भाल में जुटे हुए थे. सभी घायलों को अस्पताल भिजवाने के बाद श्री नन्हें सिंह भी गेस्ट हाउस चले गए जहां वह दोपहर 2.30 बजे पहुंचे. वहां श्री गर्ग से सलाह मशविरा करने के बाद उन्होंने 3 बजे दोपहर से कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया.

158. डा. एम. एम. राय (आ. ग. 79) ने जिन्होंने श्री एन. डी. सिंह को दोपहर लगभग 12 बजे अस्पताल में लाने की बात कही, पैरा 3 में यह बताया कि लौटते समय उन्होंने सुना कि नगर में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दी गई है. उन्होंने महाप्रबंधक कार्यालय के बाजू से लगभग 200 पुलिस जवानों के दल को अस्पताल की ओर जाते देखा. पैरा 4 में उन्होंने जो बताया वह इस प्रकार है "दोपहर 2 बजे के लगभग एक पुलिस कान्स्टेबल अस्पताल में मेरे पास आया और उसने सूचना दी कि गोली चालन के फलस्वरूप कुछ लोग घायल होकर स्टोक पाइल तथा रेलवे लाइन के पास पड़े हुए हैं और कलेक्टर चाहते हैं कि मैं वहां पहुंचू. अतः मैं दो एम्बुलेंस लेकर अपनी जीप से वहां गया. मैं स्टाक पाइल और तालाब के निकट एक स्थल पर पहुंचा. मैंने देखा कि उस क्षेत्र में लगभग 18-20 व्यक्ति इधर-उधर घायल पड़े थे. वहां कुछ पुलिस कान्स्टेबल भी थे. पुलिस कर्मियों की मदद से मैंने घायलों को एम्बुलेंस में अस्पताल भिजवाया. मेरे स्टाफ के कर्मचारियों ने भी मेरी सहायता की, अस्पताल में मैंने उनके उपचार का प्रबंध किया. अस्पताल में भरती लिए गए लोगों में से तीन चोटों से मर गये."

159. दिनांक 5–4–78 की घटना के दूसरे भाग के संबंध में दिए गए अन्य साक्ष्यों का सूक्ष्म परीक्षण करने के पूर्व पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरणों (प्रतिविवरणों) को देखना उचित होगा.

160. स्थानीय प्रशासन की ओर से प्रस्तुत किए गए विवरण का पैरा 51 से 57 निम्नानुसार है :—

"51. उप संभागीय अधिकारी पुलिस श्री दीक्षित तथा उप संभागीय मजिस्ट्रेट श्री मेहरा ने लौटने के पश्चात् पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट को मामले का विवरण दिया. उप पुलिस निरीक्षक वी. डी. शर्मा, कुशवाह तथा प्लाटून कमाण्डर श्री वाली सिंह तथा केशर सिंह की मदद से उपलब्ध बल और पुलिस जवानों तथा के. औ. सु. ब. के कर्मियों को भेजने की तत्काल व्यवस्था की गई. पुलिस दल को गोली बंदूक से लैस कर दिया गया.

52. (1) लगभग 11.30 बजे जिला मजिस्ट्रेट, उप संभागीय मजिस्ट्रेट अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उपलब्ध बल के साथ रवाना हुए और श्री दिलीप मेहरा उप. सं. म. दन्तेवाड़ा कैम्प किरन्दुल ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन पांच से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने, लाठी अस्त्र, पत्थर तथा अन्य हथियार आदि लेकर चलने पर रोक लगादी. श्री मेहरा ने स्वयं जीप में लगे लाउड स्पीकर से इसकी घोषणा की.

(2) उप सं. मजिस्ट्रेट श्री मेहरा तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बल प्रयोग के बारे में जिला मजिस्ट्रेट से सलाह मशविरा किया और जिला मजिस्ट्रेट बस्तर, कैम्प किरन्दुल के अनुमोदन पर यह तय किया गया कि दंगाईयों को बल प्रयोग कर तितर-बितर कर दिया जाए.

(3) उप सं. मजिस्ट्रेट दिलीप मेहरा तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ओ. पी. गर्ग पुलिस बल के साथ आगे बढ़े, जिनके बिलकुल पीछे जिला मजिस्ट्रेट थे ताकि आगे बढ़ते हुए बल पर कोई पीछे से हमला न कर सके. जिला मजिस्ट्रेट बढ़ते हुए बल के पीछे-पीछे चलते रहे. अधिकारियों, पुलिस कर्मियों तथा के. औ. सु. ब. के अग्रिम दस्ते को दंगाई श्रमिकों ने घेर लिया उन पर भारी पथराव किया गया तथा लाठियों और सब्बलों आदि से प्रहार किये गये और उनमें से अनेक घायल हो गए. चेतावनी देने के बाद पहले लाठी चार्ज किया गया और अश्रु गैस का इस्तेमाल किया गया और उसका कोई असर न होने पर उप सं. म. ने हवाई फायर करने के आदेश दिए. नौ राउण्ड हवाई फायर किया गया. इसका भी दंगाईयों पर कोई असर नहीं हुआ और वे विभिन्न स्थानों पर खाली झोपड़ियों में आग लगाने लगे परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र में फंसे घायल पुलिस जवानों तथा अन्य व्यक्तियों को निकालने, आत्म रक्षा तथा जानमाल की रक्षा करने तथा दंगाईयों को, जो पथराव कर रहे थे और झोपड़ियों को आग लगा रहे थे और जो लाठियों तथा सब्बलों आदि से लैस थे, तितर-बितर करने के लिए उप सं. मजिस्ट्रेट ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की सलाह से यह चेतावनी दी कि उनको कारगर गोली चालन का सहारा लेना होगा. जब इसका भी कोई असर नहीं हुआ तब उप. सं. मजिस्ट्रेट ने कारगर गोली चालन का आदेश दिया. जैसे ही दंगाई तितर-बितर होने लगे, गोली चालन तुरंत बन्द कर दिया. श्री एस. पी. गर्ग, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, बस्तर, कैम्प किरन्दुल के निर्देश से इन आदेशों के अधीन 12 चक्र गोली चलाई गई. कुल 21 चक्र गोली चालन किया गया.

53. जैसे ही आग दिखाई पड़ी उसे बुझाने के लिए तत्काल उपाय किए गए. फायर ब्रिगेड बुलाया गया. काफी मेहनत के बाद कुछ झोपड़ियों को बचा या जा सका. फायर ब्रिग्रेड की सहायता से बाजार क्षेत्र को भी बचा लिया गया. आग से कोई जनहानि नहीं हुई. एक व्यक्ति आग से थोड़ा झुलस गया. मजदूरों ने बोरा एण्ड कंपनी की पानी की पाइप लाइन पहले ही काट दी थी. कैम्प में आसानी से पानी उपलब्ध नहीं था.

54. भीड़ के तितर-बितर होने के बाद कुछ उत्पाती लोगों ने शाम को कुछ झोपड़ियों में आग लगा दी और एन. एम. डी. सी. की पाइप लाइन तोड़ दी.

55. पुलिस कार्रवाई तथा गड़बड़ी के परिणामस्वरूप 9 व्यक्तियों की घटना स्थल पर मृत्यु हो गई और चोट लगने के कारण एक व्यक्ति की बाद में अस्पताल में मृत्यु हो गई और 5 लोग गोली लगने से घायल हुए. भीड़ द्वारा हमला करने के कारण पुलिस का एक हेडकांस्टेबल मारा गया और 28 पुलिसकर्मी, 7 के. औ. सु. ब. के कर्मी तथा उप. सं. मजि. घायल हुए.

56. भीड़ के तितर-बितर होने और गोली चालन बन्द हो जाने के पश्चातद्वएन. एम. डी. सी. अस्पताल के कर्मचारियों की सहायता से बचाव कार्य किया गया. घायलों तथा मृतकों को अस्पताल लाया गया.

57 स्थिति को और अधिक बिगड़ने से रोकने के लिये जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 5-4-78 को दोपहर बाद 3.00 बजे से चौबीस घंटे के लिये कर्फ्यु लगा दिया गया जिसे दिनांक 7-4-78 को प्रातः काल 7 बजे तक बढ़ा दिया गया. कर्फ्यू के दौरान पास सीमित मात्रा में जारी किये गये थे

61 किसी गुम या अज्ञात श्रमिक के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई."

161. एन. एम. डी. सी. का उनके लिखित विवरण के अनुसार कथन उसके पैरा 12 तथा 13 में दिया गया है जो निम्नानुसार है:—

"12. यह सूचना दी गई कि प्रातः लगभग 5.30 बजे एस. के. एम. एस. के अध्यक्ष श्री इन्द्रजीत सिंह ने कामगार कालोनी के आसपास बड़ी संख्या में कामगारों को इकट्ठा किया है और श्रमिकों को हिंसा करने के लिय भड़काने वाला उत्तेजनात्मक भाषण दिया है.

प्रातः लगभग 7.30 बजे जब इच्छुक कामगार 11-बी तथा 11-सी खदानों पर काम पर जाने के लिये पुनः इकट्ठे हुए, तब हड़ताली मजदूरों के एक समूह ने उन्हें धमकी दी और उन पर पत्थर फेंके.

श्रमिक कैम्प में पुलिस दल तथा कामगारों के बीच कुछ झड़पें हुईं जिसमें पुलिस कर्मियों को चोटें आईं. एक हेड कांस्टेबल श्री कोमल सिंह की बाद में मृत्यु हो गई. भारी भीड़ लाठियां लेकर दौड़ती हुई महाप्रबंधक के निवास की ओर आई. पुलिस बल तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने उसे रोक दिया तथा अन्ततः उसे तितर-बितर करने के लिये अश्रु गैस छोड़नी पड़ी.

उप संभागीय मजिस्ट्रेट ने दोपहर 11.30 बजे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दी और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के लागू होने के बाद भी पुलिस तथा कामगारों के बीच झड़पें हुई और अन्ततः गोली चलानी पड़ी और दुर्भाग्यवश कुछ लोग मारे गये.

बाद में कर्फ्यू लगा दिया गया.

13. ऐसा प्रतीत होता है कि यह एस. के. एम. एस. के पदाधिकारियों का एक सुनियोजित कार्य था जो शासन को बदनाम करना चाहते थे."

182. दिनांक 5-4-78 को सवेरे की घटना के संबंध में एस. के. एम. एस. का कथन, जो प्रविवरण (श्री सी. आर. बक्शी) के पैरा 21 से 23 में दिया गया है, पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है. घटना के दूसरे भाग के संबंध में उनकी दलीलें पैरा 24 से 29 में निहित हैं, जो निम्नानुसार हैं:—

"24. पुलिस व अन्य अधिकारियों के घायल होने के समाचार से एवं हवलदार कोमल सिंह की मृत्यु हो जाने से किरन्दुल में उस समय जो भी एस. एस. एफ. पुलिस एवं सेन्ट्रल सिक्यूरिटी पुलिस के जो जवान थे उनके विभाग में खूनउतर आया और सारी फोर्स एक राय होकर हवलदार कोमलसिंह की मौत का बदला लेने के लिये योजनाबद्ध ढंग से कार्यवाही करने लगी.

25. इसके बाद लगभग 1.00 बजे लाउड स्पीकर से यह घोषणा की गई कि सारे मजदूर अपने झोपड़ों में चले जायें किसी को अगर घर के बाहर देखा जायगा तो उसे गोली से मार दिया जायेगा. याने वास्तविक रूप में कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया गया. कर्फ्यू की वैधानिक घोषणा उस समय नहीं की गई. वहां पर रहने वाले मजदूरों के मन में इतना अधिक आतंक व भय व्याप्त था और मजदूर अपने को इतना अधिक असुरक्षित महसूस कर रहे थे वे सब रेलवे लाईन के पास ही बैठे रहे.

26. इसके बाद लगभग 1.30 बजे से सारी फोर्स तीन अलग अलग हिस्सों में बंटी गई और एक टुकड़ी अस्पताल के नीचे की पहाड़ियों से उनका तथा बंगाली कम्प से उतर कर प्रभु कैम्प की ओर रवाना हुए. प्रभु कैम्प जगदलपुर से किरन्दल शहर में घुसने के दाहिने हाथ की ओर अंतिम छोर पर है. उस कैम्प के दोनों ओर दो सड़क है जिससे खदानों की ओर ट्रकें जाती है. पुलिस के जवानों ने प्रभु कैम्प के दोनों सड़कों औरप्रवेश की राहों पर घेर लिया और वहां पर उपस्थित मजदूरों को डंडों से मारना शुरू कर दिया. पुलिस की डंडों की मार से बचने के लिये मजदूर नीचे पहाड़ी की ओर भागे तो पुलिस फोर्स ने वहां गोलियां चलाई और साथ ही झोपड़ी में आग लगा दी. झोपड़ी में जो मजदूर परिवार थे वे भी निकल भागे. उनमें से मजदूरों को डंडों से मारा और एक व्यक्ति तो डंडों की मार से यहां मर गया तथा एक हालसिंह नामक मजदूर गोली से घायल होकर मर गया. झोपड़ों में आग लगाने के कारण करीब 300 झोपड़े जल कर राख हो गये. वहां पर रहने वाले मजदूर केवल तन पर जो कपड़ा था वही उनकी सम्पत्ति बन गई. बाकी मजदूरों की सारी गृहस्थी, सामान व रकम जल कर राख होगये इसके बाद पुलिस के जवान वहां से लोडिंग प्लांट की ओर रवाना हो गये और सड़क की बाईं ओर जो झोपडी से गुजरते हुए आगे बढ़े और झोपड़ी में रहने वाले परिवार के लोगों को गाली गलोच करते एवं डंडे से मार-पीट करते लोडिंग प्लांट की ओर बढ़े उसी समय बोरा कम्पनी के आफिस की ओर से फोर्स के जवानों का एक बड़ा दल भी धीरे धीरे वैसा ही व्यवहार करता हुआ लोडिंग प्लांट की ओर बढ़ने लगा. लोडिंग प्लांट की ओर पुलिस जवानों का एक दल घेराबंदी किये हुए थे वह भी आगे बढ़ने लगा. उस समय हजारों की तादाद में मजदूर व उनके परिवार के लोग लोडिंग प्लांट की गिर्द बैठे थे. पुलिस उन मजदूरों को तीनों ओर से घेर बैठी थी, जिनके पास राइफलें, टीयर गैस एवं लाठियां थीं. अधिकारियों का दल जब वहां पहुंचा तब वहां घोषणा की गई कि सारे मजदूर शांत होकर बैठ जाय अब उनकी गिरफ्तारी होगी क्योंकि उन्होंने धारा 144 भंग किया है. मजदूरों के पूछने पर स्वतः गिरफ्तारी देने की सहमति हाथ उठाकर जाहिर किया था.

इसी बीच रेलवे लाईन के पास बिजली खम्बे के समीप एक मजदूर खड़ा था जो पुलिस के जवान ने जाकर डण्डा मारना शुरू कर दिया और उसे डंडा लगते ही पुलिस वालों ने मारो मारो चिल्लाना शुरू कर दिया. वहां पर एकत्र मजदूर जब रेलवे लाईन की दूसरी ओर खुले मैदान की ओर भागने लगे तब बहादुर जवान रायफल की गोलियां भागते मजदूरों पर दागना शुरू कर दिया था साथ में टीयर गैस वालों ने टीयर गैस छोड़े और लाठी धारी पुलिस ने भागते मजदूरों पर डंडा बरसाना शुरू किया. लाठीधारी पुलिस ने बदला लेने की भावना से और मजदूरों को सबक सिखाने के बहाने से धड़ाधड़ गोलियां चलाई जिससे काफी संख्या में मजदूर गोलियों और डंडे की मार से घटनास्थल पर ही हालात हो गये और सैकड़ों की तादाद में लोग घायल हुए जिसमें महिलायें व बच्चे भी शरीक थे.

27. गोली बारी व डंडे की मार से लोगों की हत्या करने और घायल करने के बावजूद पुलिस के जवानों के प्रतिहिंसा की प्यास नहीं बुझी तब श्री एस. डी. एम. मेहरा ने चिल्ला कर कहा कि इन्द्रजीत साला किसी झोपड़ी में छिपा होगा, आग लगा दो. पुलिस वालों ने भी झोपड़ों में आग लगाने का नारा दिया और आग लगा दी गई, ताकि इन्द्रजीत सिंह किसी झोपड़ी में छिपा हो तो जलकर आ जाये और यदि बाहर निकले तो उसे गोली से भून दिया जाये. साथ ही जवान यह चिल्लाते कि झोपड़ी जलाने के बाद मजदूरों को स्वत: यहां से भगाने की हमारी समस्या हल हो जायेगी क्योंकि उसके बाद मजदूरों का स्वत: यहां से भागने के लिये मजबूर होना पड़ेगा इस तरह मलम्पा कैम्प और रेड्डी कैम्प में बहुत बड़े पैमाने पर आगजनी की गई जिससे मजदूरों के हजारों झोपड़े जल कर राख हो गये और झोपड़े के साथ उनकी सारी सम्पत्ति और गृहस्थी भी जल गई और उनके पास केवल बदन का कपड़ा ही बच रहा. दुनिया के..................उल्लेख किया है.

28. रेड्डी और मलम्पा कैम्प में गोली चालन एवं आगजनी दोपहर के 2 बजे से 2.30 बजे तक होती रही और उसके बाद भी तीन बजे तक घुमघुम कर बदला भंजाया जा रहा था अत, 3 बजे दिन से शासकीय तौर पर कर्फ्यू लगाने की घोषणा की पुष्टि पहली बार विधान सभा में पुलिस मंत्री श्री त्रिपाठी द्वारा की गई. इसके पूर्व किरन्दुल के बाहर याने ज़िला मुख्यालय सम्भाग के मुख्यालय रायपुर को भी जानकारी नहीं थी. कर्फ्यू के साथ जबकि किरन्दूल के मजदूर एवं निवासी आतंक से कांप रहे थे तब पुलिस एवं प्रोजेक्ट की ट्रकों एवं जीपों की अन्य वाहनों में लाशों को ढोना शुरू किया गया. लाशों का पंचनामा भी नहीं हुआ और बहुत सी लाशों को साक्ष्य नष्ट करने के इरादे से ढोकर सुदूर पहाड़ी अंचलों में ले जाया गया और बाद में इन्हें नष्ट किया गया.

29. गोलीकांड के बाद बेघरबार श्रमिक भयभीत होकर जंगलों में भाग गये और एक बड़ी संख्या में पैदल ही उनके घरों की ओर रवाना हो गये. आज तक अनेकों मजदूर परिवारों के सदस्यों का कोई पता नहीं जिसकी सूची अलग से दी जावेगी."

यहां इस बात का उल्लेख किया जा सकता है कि किन्हीं भी लापता श्रमिकों या उनके परिवार के सदस्यों के बार में न तो कोई सूची कभी प्रस्तुत की गई थी और न कोई साक्ष्य दिया गया था.

श्री इन्द्रजीत सिंह ने उनके द्वारा फाईल किये गये रिटर्न के पैरा 21 तथा 22 में निम्नलिखित बातें कही हैं :—

21. यह कि बेचलर होस्टल टाईप 1 बी के नीचे कालोनी में मजदूरों व अन्य साथी जो मुठभेड़ पुलिस के बीच हो गई थी उसके बाद दो बजे तक अधिकारियों ने बदला लेने और सबक सिखाने के इरादे से जोरदार तैयारी 2 बजे दिन तक करते रहे. उसके बाद काफी संख्या में पुलिस चर्च व मस्जिद के बीच नाले के पास ट्रकों से उतरी और काफी संख्या में पुलिस का दस्ता प्रभु कैम्प की ओर गया और वहां पर उन्होंने झोपड़ो में आग लगा दी, कुछ गोलियां भी चलाई और मजदूरों को लाठी व डंडों से मारना शुरू किया जो मजदूर कम्पनी की पिकेटिंग कर रहे थे. बंगाली कैम्प की ओर से भी पुलिस का दस्ता प्रभु कैम्प की ओर पहुंचा, वहां से मजदूर और उनके परिवार पहाड़ियों और अन्य दिशा में भागे. कुछ बंगाली कैम्प की ओर भागे. पुलिस उनको मारती व खदेड़ती रही. यहां तक डालसिंह और एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई तथा सैकड़ों झोपड़े जला दिये गये, सामान लूट लिया सारी गृहस्थी जल गई.

22. यह कि उसके बाद सड़क पर जो पुलिस का दस्ता रुक गया था तो उसमें से काफी लोग बोरा कम्पनी की ओर गये और प्रभू कैम्प के झोपड़ी को जलाकर मजदूर व उनके परिवार के लोगों को घायल कर तथा मारकर पुलिस का दस्ता किरन्दुल की नाके के पास से नीचे झोपड़ों की ओर उतरकर लोडिंग प्लांट की ओर झोपड़ों के बीच होता हुआ आगे बढ़ा इस तरह लोडिंग नम्बर की ओर भी पुलिस का दस्ता पहुंचा और पुलिस वालों ने झोपड़े जलाये गोलियां चलाई और फिर रेलवे लाईन के पास वहां पर मौजूद मजदूरों को बैठने को कहा और फिर उन्हें भी मारना शुरू कर दिया जिससे सब रेलवे लाईन की दूसरी ओर भागने लगे तब पुलिस ने भागते

हुए मजदूरों पर बदले की भावना से गोलियां चलाई थी जिससे काफी संख्या में मजदूर व उनके परिवारों के लोग मारे गये और गंभीर रूप से घायल हुए."

163. अपने प्रविवरण के पैरा 12 में श्री इन्द्रजीत सिंह ने कहा कि श्रमिक बस्ती के कुछ श्रमिक महाप्रबंधक श्री सरीन के निवास पर गये थे, जहां लगभग 150 महिलायें धरना दे रही थीं। वहां पुलिस ने श्रमिकों को मारा पीटा और कई को चोटें आई. यह पहले ही बताया जा चुका है कि लगभग कुछ सौ श्रमिक महाप्रबंधक के निवास पर गये थे और उन्हें अश्रु गैस के गोले छोड़ कर तितर-बितर किया गया था. ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह साबित हो कि दिनांक 5-4-78 को महाप्रबंधक के निवास पर श्रमिकों के साथ मारपीट की गयी थी. दिलीप मेहरा (आ. ग. 76) तथा कलेक्टर श्री नन्हेंसिंह (आ. ग. 88) के अलावा छदीलाल कुशवाह (आ. ग. 83) और विष्णुदत्त शर्मा (आ. ग. 87) ने भी बताया कि महाप्रबंधक के निवास पर एकत्रित भीड़ को, जो पथराव कर रही थी, अश्रु गैस के गोले छोड़ कर तितर-बितर किया गया था.

164. इन्द्रजीत सिंह तथा सी. आर. बख्शी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रविवरण में यह बताया गया है कि मस्जिद अस्पताल के पास तैनात पुलिस दल ने लोहे के पुल (स्टील ब्रिज) के पास टीले पर स्थित प्रभु कैम्प में श्रमिकों पर गोली चलाई थी. यहां इस बात का उल्लेख किया जा सकता है कि सुबह की घटना बैचलर्स हास्टल से आगे स्थित श्रमिक बस्ती में घटी थी जो लोहे के पुल (स्टील ब्रिज) तथा प्रभु कैम्प से काफी दूर है. निर्भयराम (आ. ग. 95) जिसका परीक्षण एस. के. एम. एस. द्वारा किया गया) ने पैरा 3 में यह बताया कि मलप्पा कैम्प (जो सुबह की घटना के स्थल के निकट है) प्रभु कैम्प से 1/2 मील दूर है और मलप्पा कैम्प से दिखाई नहीं पड़ता. चन्द्रशेखर सिंह (आ. ग. 86) से जो दि. 5-4-78 को अपनी कम्पनी के लोगों को वेतन बांटने के लिये कैश बाक्स लेकर 12.15 बजे के लगभग किरन्दुल पहुंचा था, पुलिस अधीक्षक ने पुलिस की गारद के साथ तिजोरी थाने भेजने के पश्चात मस्जिद के नजदीक रहने के लिये कहा. उससे यह देखने को भी कहा गया था कि मस्जिद के आगे टीले पर खड़ी भीड़ श्रमिक बस्ती की ओर जाने वाले पुलिस बल का पीछा न करें, तदनुसार वह मस्जिद के नजदीक रहा जहां राइफल दल सहित साठ या सत्तर पुलिस कर्मी बेंत तथा लाठियां लिये मौजूद थे. कलेक्टर, 12.30 या 12.45 बजे के लगभग वहां आये और दोपहर लगभग 1.30 बजे तक रहे. दोपहर 1 तथा 1.30 बजे के बीच गोली चलने की खबर मिली. प्रतिपरीक्षण में पैरा 3 तथा 4 में उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि उनकी कमान के अधीन संपूर्ण बल मस्जिद के पास मौजूद रहा, वहां से न तो कोई हिला और न ही किसी ने गोली चलाई. वे नहीं जानते कि प्रभु कैम्प कहां है. उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि उनकी कमान के किसी भी पुलिस कर्मी ने डालसिंह के साथ मारपीट की या उस पर गोली चलाई थी.

165. श्री ओ. पी. गर्ग (आ. ग. 75) ने बताया, जैसा कि पूर्व में दिया जा चुका है, कि प्लाटून कमांडर श्री केसरसिंह और बालीसिंह के व्यक्ति थे जिन्होंने वास्तव में गोली चालन का निदेश दिया था केसरसिंह (आ. ग. 85) ने बताया कि उसके अधीन चार कांस्टेबिल थे. प्रत्येक कांस्टेबल के पास एक-एक राइफल तथा पचास-पचास कारतूस थे. पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार उसके कान्स्टेबलों ने हवा में छह चक्र गोली चलाई तथा बाद में सात चक्र प्रभावी गोली चालन किया. उसके प्रतिपरीक्षण में कोई विशेष बात नहीं है. बालीसिंह (आ. ग. 84) ने पैरा 2 में बताया कि थानेदार श्री बी. डी. शर्मा के आदेश से दिनांक 5-4-78 को 11 बजे वह एक हेड कांस्टेबल तथा चार कांस्टेबलों के साथ जिनके पास एक-एक राइफल तथा पचास-पचास कारतूस थे, विश्रामगृह गया. वहां जमा हो गये अन्य बल के साथ वह ट्रक में मोटरस्टेंड होते हुये श्रमिक बस्ती गया. कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा उप सं. मजि. भी उसके पीछे-पीछे गये. वे अस्पताल के नीचे डाकखाने के पास उतर गये. वहां पर दल दो टुकड़ियों में बंट गया. एक टुकड़ी को मजिस्द के पास कम्पनी कमांडर चन्द्रशेखर के अधीन स्टील ब्रिज की ओर से आने वाली भीड़ को रोकने के लिये तैनात किया गया. दल के बाकी लोग, जिसमें उसकी टुकड़ी और केसरसिंह की टुकड़ी भी शामिल थी बेचलर हास्टल की ओर बढ़े, वहां बरामदे में उन्होंने पुलिस थानेदार आर. पी. शर्मा को घायल अवस्था में खाट पर लेटे पाया. उन्हें अस्पताल भेज दिया गया. लगभग इसी समय दो या तीन कांस्टेबल नाले की ओर से आये. वे भी घायल थे और उन्होंने पुलिस बल के अन्य सदस्यों के भिन्न-भिन्न दिशाओं में जाने के बारे में बताया. तब गवाह ने पुलिस दल के हरवाल में आने के बारे में बताया और अन्ततः उप. सं. मजि. ने पुलिस अधीक्षक श्री ओ. पी. गर्ग को गोली चलाने के आदेश दिये. उसके कथनानुसार उसकी टुकड़ी ने तीन हवाई फायर किये और पांच चक्र प्रभावी गोली चालन किया. उसने छह या सात व्यक्तियों को गिरते देखा और भीड़ को तितर-बितर होते देखा. उसके अनुसार संपूर्ण गोली चालन दोपहर 1 बजे से 1.30 बजे के बीच किया गया था उसके तुरन्त बाद कलेक्टर, डा. राय और एम्बुलेंस घटना स्थल पर पहुंचे और घायल व्यक्तियों को आधे घंटे के भीतर अस्पताल भेज दिया गया. गवाह ने यह भी बताया कि जब हवाई फायर किया जा रहा था, उसने कुछ झोपड़ियां जलती हुई देखी.

166. थानेदार व्ही. डी. शर्मा (आ. ग. 87) ने दिनांक 5-4-78 को दोपहर 11 बजे के बाद से लेकर उसी दिन हुए गोली चालन के समय तक की पुलिस बल की हलचल के बारे में भी बताया. उसने यह भी बताया कि थानेदार

आर.पी. शर्मा को बेचलर होस्टल के बरामदे में घायल पड़े कुछ कांस्टेबलों को घायल हालत में आते हुए तथा हेड कांस्टेबल कोमलसिंह को घायल पड़े देखा गया. उसने यह भी बताया कि जब पुलिस दल स्टाक पाइल के पास पहुंचा उस समय झोपड़ियों में आग लगाई जा रही थी. गवाह ने यह भी बताया कि गोली चालन के तुरन्त बाद कलेक्टर घटना स्थल पर पहुंचे तथा घायलों को एम्बुलेन्स में अस्पताल ले जाया गया. तत्पश्चात, उसके कथनानुसार वह दोपहर 1.30 से 3 बजे तक कलेक्टर के निर्देश से झोपड़ियों में लगी आग बुझाने में व्यस्त रहा. दोपहर बाद 3 बजे उसने पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कर्फ्यू लगाने के लिए आवेदन तैयार किया और दोपहर बाद 3 बजे से वास्तव में कर्फ्यू लागू कर दिया गया. प्रतिपरीक्षण के दौरान उसने पैरा 4 में बताया कि पुलिस की गोली से घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाने के पूर्व कोई पंचनामा तैयार नहीं किया गया था. उसने यह भी बताया कि उसे इसकी कोई जानकारी नहीं है कि कोई घायल व्यक्ति मरा था या नहीं यहां इस बात पर ध्यान दिया जाए कि यथास्थिति पंचनामा तैयार करने और पंचनामा तैयार किए बिना या तहकीकात किए बिना घायलों को अस्पताल पहुंचाने सम्बंधी यह प्रश्न अन्य गवाहों से भी पूछा गया था, जिनमें डा. राय (आ.ग.79) तथा कलेक्टर नन्हें सिंह (आ.ग. 78) भी शामिल हैं. देखिए पैरा 18, मेरे विचार में गोली चालन के फलस्वरूप घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाने के पूर्व पंचनामा तैयार न करने की चूक महत्वपूर्ण अथवा गंभीर बात नहीं थी. क्योंकि ऐसी स्थिति में स्पष्टतः प्रथम आवश्यकता यह होती है कि समय बर्बाद किए बिना घायलों के लिए प्रथमोपचार तथा चिकित्सा उपचार की व्यवस्था की जाए और पंचों को इकट्ठा करने तथा पंचनामा तैयार करने में कीमती समय बर्बाद करने के बजाय यथासंभव शीघ्र लोगों की जान बचाने का प्रयास किया जाए. संदिग्ध मृत्यु के मामलों को छोड़ जैसा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 में तथा पुलिस विनियम क्र. 500 में उपबंधित है, पंचनामा तैयार करना कानूनन आवश्यक भी नहीं है

167. ऐसा कोई सुझाव या साक्ष्य नहीं है कि कोई भी घायल व्यक्ति स्थल पर मरा था. छेदीलाल कुशवाह (आ. ग. 83) ने एस. के. एम. एस. की कहानी को नकारते हुए पैरा 6 में बताया कि कोई भी घायल व्यक्ति स्थल पर मृत नहीं पड़ा था.

168. रोजमर्रा यह देखने में आता है कि जब कोई व्यक्ति किसी घटना में गंभीर रूप से घायल होता है तब प्रायः उसे सबसे निकटवर्ती अस्पताल में ले जाया जाता है और कई बार इलाज करने वाला डाक्टर पुलिस थाने को सूचना भेज देता है और तत्पश्चात बाद पुलिस प्राधिकारी संज्ञेय मामलों में रिपोर्ट लिखने या क्षति (इंजरी) रिपोर्ट फार्म भेजने संबंधी अपनी औपचारिकताएं पूरी करते हैं.

169. डा. एम. एम. राय (आ. ग. 79) ने पैरा 4 में बताया कि दिनांक 5-4-78 को दोपहर बाद 4.30 बजे तक लगभग 90 घायलों को अस्पताल लाया गया था. उन्होंने यह भी बताया कि अस्पताल में भर्ती किए गए व्यक्तियों में से तीन व्यक्तियों की चोट के कारण मृत्यु हो गई एक अन्य डाक्टर का नाम डाक्टर आर. एल. जोशी (आ.ग.81) है जिसने दिनांक 5-4-78 को एन. एम. डी. सी. के अस्पताल में लाए गए घायलों का इलाज किया था. पैरा 11 में उसने बताया कि दिनांक 5-4-78 को कांस्टेबल कोमल सिंह की दोपहर 1.30 बजे मृत्यु हो गई थी. गोली के घावों के कारण रायपाल की शाम को मृत्यु हो गई थी और एक अज्ञात व्यक्ति 6-4-78 को मर गया था.

170. प्रभु केम्प में गोली चालन और ढालसिंह की मृत्यु के सम्बंध में एस. के. एम. एस. द्वारा प्रस्तुत की गई कहानी को कम्पनी कमान्डेन्ट चन्द्रशेखर सिंह (आ. ग. 86) द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है. जैसा कि पहले बताया गया है एस. के. एम. एस. की ओर से सोमकुंवर (आ. ग. 108) पत्नी ढालसिंह (मृतक) का परीक्षण किया गया है उसने बताया कि दोपहर 2 बजे के लगभग पुलिस ने प्रभु केम्प में गोली चलाई जिसका पहला शिकार उसका पति ढालसिंह बना जो अपनी झोपड़ी से 25 से 30 फुट की दूरी पर गिर पड़ा और करीब एक घंटे बाद उसी स्थल पर उसकी मृत्यु हो गई. तथापि प्रतिपरीक्षण में उसने कहा कि स्टाक पाइल के पास से उसके पति का शव पुलिस द्वारा उठाया गया था जो निश्चित रूप से वही स्थान है जिसके निकट गोली चालन हुआ था. सोमकुंवर ने ऐसा कुछ नहीं बताया कि पुलिस द्वारा उठाये जाने से पहले पुलिस या किसी अन्य व्यक्ति ने ढालसिंह के शव को हटाया या छुआ भी था. इस प्रकार यह कहानी कि किरन्दुल से बचेली की ओर जाते समय लोहा के पुल (स्टील ब्रिज) के दाहिनी ओर स्थित प्रभु केम्प में पुलिस ने गोली चालन किया था, मनगढन्त प्रतीत होती है. जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है निर्भयराम (आ. ग. 95) (जिसका एस के.एम. एस. द्वारा परीक्षण किया गया) के अनुसार प्रभु कैम्प आधा मील की दूरी पर है और मलप्पा कैम्प से दिखाई नहीं पड़ता है.

171. उप नि. देवेन्द्र कुमार भदौरिया (आ. ग. 35) एक हेड कांस्टेबल तथा दस कांस्टेबलों को भीड़ को बस स्टेण्ड से आगे बढ़ने से रोकने के लिये बस स्टेण्ड के पास तैनात किया गया था. उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन ओ. नेहरा द्वारा आदेश की घोषणा के बारे में बताया है, उसके बाद में उसे दोपहर लगभग 1.15 बजे अश्रु गैस के गोले फोड़ने तथा लगभग 20 मिनिट बाद गोली चलने की आवाजें सुनाई दी. यह वह व्यक्ति है जिसने दिनांक 5-4-78

को दोपहर 3 बजे से अगले दिन दोपहर 3 बजे तक के कर्फ्यू लागू होने की घोषणा की और अगले दिन 6-4-78 को कर्फ्यू की अवधि दिनांक 7-4-78 के सुबह 7 बजे तक बढ़ाए जाने की घोषणा की.

172. दोपहर लगभग 11.30 बजे कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक के साथ पुलिस बल के श्रमिक बस्ती में पहुंचने से लेकर दोपहर लगभग 1.30 बजे पुलिस द्वारा गोली चलाने की घटनाओं के बारे में जगत नारायण (आ. ग. 78) तथा छेदीलाल कुशवाह (आ. ग. 83) ने भी न्यूनाधिक रूप में वही बात कही है, जैसा कि श्री दिलीप मेहरा (आ. ग. 76), श्री ओ. पी. गर्ग (आ. ग. 75), एन. डी. शर्मा (आ. ग. 87) तथा अन्य गवाहों द्वारा पूर्व में बताया गया है. अतएव उनके बयानों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है.

173. एस. के. एम. एस. ने भी कुछ गवाहों का परीक्षण किया है. पंचोबाई (आ. ग. 91) ने बताया कि दोपहर लगभग 2 बजे कुछ पुलिस कर्मी बाजार की ओर से आये और उन्होंने उसकी झोपड़ी के पास की झोपड़ियों में आग लगा दी. अतएव वह अपने लड़के को लेकर लोडिंग संयंत्र की ओर चली गई. वहां दो पुलिस कर्मी आए. उनमें से एक ने सीटी बजाई जिसे सुनकर बाजार तथा मलप्पा कैम्प की ओर से पुलिस कर्मी आ गए. इन पुलिस कर्मियों ने श्रमिकों को घेर लिया जो रेल्वे लाइन के पास बैठे हुए थे, और जब वे भागने लगे तो उन्हें लाठियों से मारना शुरू कर दिया. पुलिस ने उन पर गोली चलाई. उसके सिर तथा पैर में चोट लगी और गोली लगने से उसके पुत्र की मृत्यु हो गई. उसके पुत्र की आयु 5 वर्ष थी और उसका नाम मायाराम के. प्रति परीक्षण में उसने बताया कि वह बोरा कम्पनी में काम करती थी और ठेकेदार की अवधि दस दिन पूर्व समाप्त हो जाने के कारण उसे नौकरी से निकाल दिया गया था. इसका यह अर्थ हुआ कि उसके कथनानुसार बोरा कम्पनी का ठेका 31-3-78 के लगभग समाप्त हो गया था, जो स्पष्टतः सही नहीं है. बोरा कम्पनी (मेसर्स उम्मेदराय बोरा) का ठेका 30-9-78 को समाप्त होने वाला था.

174. वास्तव में पैरा 4 में उसमें स्वयं बताया है कि वह बोरा कम्पनी में गोली चालन की घटना के बाद भी काम करती रही है किन्तु वह यह बताने में असमर्थ थी कि उसके दो बयानों में से कौन सा सही है.

175. वस्तु स्थिति यह है कि मायाराम की मृत्यु गोली लगने से नहीं हुई थी. डा. गेंदासिंह राठौर (आ. ग. 67) ने दि. 7-4-78 को प्रातः 8 बजे मायाराम के शव की परीक्षा की (शव परीक्षा प्रतिवेदन (पोस्ट मार्टम रिपोर्ट) प्रदर्श 54-अ है जिसमें बताया गया है कि मायाराम को केवल दो घाव थे :—

(1) पुराने फोड़े का निशान.

(2) छाती की बाईं ओर अन्तःक्षति का निशान. प्रतिवेदन के अनुसार मृत्यु घाव क्रमांक 2 के कारण हुई थी जिसके परिणामस्वरूप पसलियां टूट गई, इन्द्रा थियोरासिक अत्यधिक रक्त स्राव से झटका लगा था और अन्ततः मृत्यु हो गई थी डा. जी. एस. राठौर (आ. ग. 67) के अनुसार घाव क्रमांक 2 का कारण लाठी लगना हो सकता था.

उपर्युक्त तथ्यों से यह पता चलता है पंचो बाई (आ. ग. 91) विश्वसनीय गवाह कतई नहीं है.

176. रामसिंह (आ. ग. 92) एक अन्य गवाह था, जिसका परीक्षण एस. के. एम. एस. द्वारा किया गया था. वह प्रभु शिविर में रहने का दावा करता है. उसके अनुसार 5-4-78 को लगभग सूर्यास्त के समय वह अपनी झुग्गी में था. आवाज सुनकर वह बाहर आया और उन्होंने पुलिस कर्मियों को मस्जिद की ओर आते देखा. प्रभु शिविर में रूपलाल (जिनका परीक्षण नहीं किया गया है) की झुग्गी के सामने पहुंचने पर एक पुलिस कर्मी ने उसमें आग लगा दी और उसके बाद प्रभु शिविर की प्रत्येक झुग्गी में आग लगाता चला गया जब मजदूर अपनी झुग्गियों में से सामान बाहर निकालने लगे, तब पुलिस कर्मियों ने उन पर लाठियों से हमला कर दिया. परिणामतः गवाह सहित सभी मजदूर जंगल की ओर भागने लगे. उस समय पुलिस कर्मियों ने उनपर गोली चलाई. गवाह के पैर में एक गोली लगी, वह गिर पड़ा तथा बेहोश हो गया. उसने स्पष्ट बताया कि अपने अलावा उसने किसी और मजदूर को चोट खाते या गिरते नहीं देखा. यदि इस बयान पर विश्वास कर लिया जाए, तो एस. के. एम. एस. की यह बात कि प्रभु शिविर में गोली लगने से ढोलसिंह की मृत्यु हुई थी, झूठी साबित होती है. इसके अलावा गवाह ने घटना का समय सूर्यास्त बताया है जब कि किसी और गवाह ने नहीं बताया. पैरा 3 में उसने बताया कि घटना के समय वह मल्लप्पा ठेकेदार के अधीन कार्य कर रहा था और बाद में बताया कि मल्लप्पा शिविर तथा श्यामलाल शिविर बैचलर्स होस्टल के पास थे. तथापि, उसने इस बात से इंकार किया कि मल्लप्पा ठेकेदार के अधीन कार्य करने वाले सभी मजदूर मल्लप्पा शिविर में ही रहते थे. पैरा 6 में उसने बताया कि प्रभु शिविर में रहने वाले किसी भी मजदूर की छटनी नहीं की जानी थी. अतः यह स्पष्ट है कि प्रभु शिविर में पुलिस के पहुंचने का कोई कारण ही नहीं था. बाद में उसी पैरा में बताया कि उसने केवल दस झुग्गियों को आग लगाते

देखा था और उसे यह मालूम नहीं था कि दूसरी झुग्गियों में भी आग लगाई गई थी या नहीं. यह पैरा 1 में पहले दिये गए इस बयान के प्रतिकूल है कि शिविर की सभी झुग्गियों में आग लगाई गई थी. पैरा 6 में उसने बताया कि प्रभु शिविर में लगभग 250 झुग्गियां थीं. अतः स्पष्ट है कि यह गवाह भी विश्वसनीय नहीं है उसे अविश्वसनीय मानने के और भी कारण है. रामसिंह ने बतायाकि उसके पांव में बन्दूक की गोली लगी थी. डा. आर. एल. जोशी ने, जिन्होंने रामसिंह का परीक्षण किया था, पैरा 3 में बताया कि रामसिंह को किसी सख्त तथा बोथरी वस्तु से चोट पहुंची थी. चोट प्रतिवेदन (इंजुरी रिपोर्ट) यह दर्शाता है कि उसके दाहिने पेरिएटल रीजन में लीनियर फ्रेक्चर हुआ था तथा दाहिने हाथ, बायीं जांघ तथा दाहिनी जांघ पर नील पड़ गए थे. प्रतिवेदन स्पष्टतः यह दर्शाता है कि चोट सख्त तथा बोथरी चीज से पहुंची थी. इससे भी प्रभु शिविर में गोली चलाई जाने की बात झूठी साबित होती है.

177. इतवारी (आ. ग. 93) ने बताया कि वह बैचलर्स होस्टल के पास श्रमिक कालोनी में रहता था. उसके अनुसार वह अपने गृह नगर से 5-4-78 को सुबह 9 बजे किरन्दुल आया था. उसने अपने घर को अस्त व्यस्त देखा था. अतः वह रेलवे लाइन की ओर चला गया और वहां वह दोपहर तक रहा. उस समय उसने मस्जिद के ऊपर से धुंआ उठते देखा. उसके बाद पुलिस कर्मी आये और उन्होंने मल्लप्पा शिविर की झुग्गियों में आग लगा दी. झुग्गियों में रहने वाले मजदूर भागे और उनमें से कुछ लोग रेलवे लाइन की ओर आये, जहां कि वह बैठा था. उसके बाद दो पुलिस कर्मी वहां आये और उनमें से एक ने सीटी बजाई. थोड़ी ही देर में वहां लगभग 18 पुलिस कर्मी आ गए और उन्होंने मजदूरों पर लाठियों से हमला बोल दिया और जब वे भागने लगे तो उन पर गोलियां चलाईं. गवाह के अनुसार उसके बायें हाथ में गोली लगी थी. पैरा 3 में उसने बताया कि जब वह घटना की तारीख को अपने घर पहुंचा तब आस पास की सभी झुग्गियां खाली पड़ी थीं. उसके बाद उसने बताया कि उसने अपनी पत्नी तथा बच्चों की खोज खबर लेने का कोई प्रयास नहीं किया, जो कि एकदम अस्वाभाविक बात प्रतीत होती है. पैरा चार में उसने बताया कि रेलवे लाइन पर पहुंचने पर उसने वहां उपस्थित लोगों से यह नहीं पूछा कि वे वहां क्यों बैठे थे. उसने यह भी बताया कि उसने लगभग दोपहर 1 बजे धुंआ निकलते देखा था, किन्तु उसने किसी भी पुलिस कर्मी को उस ओर से आते नही देखा. आगे उसने साफ-साफ बताया कि जिस स्थान से धुआं निकल रहा था, वह स्थान उस स्थान से, जहां गवाह तथा अन्य मजदूर बैठे हुये थे, लगभग एक मील दूर था. उसके बाद उसने बताया कि वह स्थान उसे दिखायी नहीं दे रहा था. अतः यह स्पष्ट है कि गवाह द्वारा पहले दिया गया बयान ही नहीं है.

178. आसो बाई (आ. ग. 94) भी दावा करती है कि वह अपने पुत्र मोजी राम के साथ मल्लप्पा शिविर में रहती थी. उसके अनुसार 5-4-8 को दोपहर के लगभग 12 बजे उनका पुत्र घर से बाहर चला गया था तथा वे झुग्गी में अकेली थीं. उस समय उन्होने प्रभु शिविर से धुआं उठते देखा. लगभग उसी समय उन्होंने रेलवे साइडिंग की ओर से भी धुआं उठते देखा. अतः वे रेलवे साईडिंग की ओर गयीं और उन्होने बड़ी संख्या में मजदूरों को वहां जमा देखा. उसके बाद वहां दो पुलिस कर्मी आये और उन्होंने लाठियों से मजदूरों पर हमला किया. उसी समय कुछ और पुलिस कर्मी वहां आ गये और उन्होंने गोली चलाना प्रारंभ कर दिया. उसके दाहिने पैर में गोली लगी और वह बेहोश होकर गिर पड़ी.

179. प्रतिपरीक्षण में उसने स्पष्ट बताया कि उसने न कभी प्रभु शिविर देखा है और न ही वह कभी वहां गई है. इस प्रश्न का कि उसने पहले यह कैसे कहा कि उसने प्रभु शिविर से धुआं उठते देखा था, वह कोई उत्तर नहीं दे पाई. इससे पता चलता है कि गवाह विश्वसनीय नहीं है. उसके बाद उसने पैरा 3 में बताया कि स्टाक पाइल के पास रेलवे साइडिंग के पास उन्हीं पुलिस कर्मियों ने, जिन्होंने पहले लाठियों से हमला किया था, बन्दूक से गोलियां भी चलायी थीं यदि किसी और ने गोली चलायी हो, तो उसे मालूम नहीं. इस प्रकार इस गवाह ने एस. के. एम. एस. द्वारा कही गई बात और पांचो बाई (आ. ग. 91) तथा इतवारी (आ. ग. 93) द्वारा दो पुलिस कर्मियों के आने, उसके बाद सीटी बजाने तथा उसके बाद बाजार या मल्लप्पा शिविर की तरफ से लगभग 70 या 80 पुलिस कर्मियों के आने और इन पुलिस कर्मियों द्वारा मजदूरों पर लाठी से हमला करने और उसके बाद भागते हुये मजदूरों पर गोली चलाने की दोहराई गई कहानी को पूर्णतः झूठ साबित कर दिया है. डॉ. आर. एल. जोशी (आ. ग. 81) के अनुसार देखिए प्रतिपरीक्षण का पैरा 3, आसो बाई को किसी सख्त तथा बोथरी चीज से चोट लगी थी. तथापि यहां यह उल्लेखनीय है कि चोट प्रतिवेदन तथा केस शीट में आसोबाई के पति का नाम नीलकंठ लिखा गया है, जबकि अभिसाक्ष्य में उसके पति का नाम गिरधारी लिखा गया है. उम्र में कुछ अन्तर है. मोजीराम (आ. ग. 98) आसो बाई का पुत्र है. उनके अनुसार वह 5-4-78 को सुबह 6 बजे से ही लगभग 15 से लेकर 200 मजदूरों के साथ रेलवे साइडिंग पर धरने पर बैठा रहा और वे वहां दोपहर 1 बजे तक बने रहे. भोजन करने दोपहर 1. 30 बजे वह घर गया. गवाह का यह बयान उसकी मां आसोबाई (आ. ग. 94) के बयान, जिनके अनुसार मोजीराम दोपहर लगभग 2 बजे घर से बाहर टहलने के लिये निकला था, एकदम प्रतिकूल है.

180. मोजीराम (आ. ग. 98) ने आगे यह भी बताया कि भोजन करने के पश्चात् जब वह लोडिंग साइड की ओर जा रहा था, तब उसने प्रभु शिविर से धुआं उठते हुए देखा और गोली चलने की खबर सुनी. इसलिये वह घर पर

ही रहा और उसके बाद उसने पुलिस कर्मियों को सुन्दर, जिसका परीक्षण भी नहीं किया गया है, की झुग्गी में आग लगाते देखा. उसके पश्चात् उसने 30 पुलिस कर्मियों को श्यामलाल शिविर की झुग्गीयों में आग लगाते देखा. उसके बाद मोजी राम रेलवे साइडिंग गया और अनेक झुग्गियों के निवासी भी रेलवे साइडिंग पहुंचे. इस गवाह ने भी दो पुलिस कर्मियों के आने, फिर उनके सीटी बजाने तथा बाजार तथा मल्लप्पा शिविर की ओर से लगभग साठ पुलिस कर्मियों के आने और इन पुलिस कर्मियों द्वारा लाठियों से मजदूरों पर हमला किये जाने और तत्पश्चात गोली चलाये जाने की कहानी दोहरायी है तथापि, गवाह ने बताया कि वह नहीं भागा, किन्तु उसने पतराम तथा चांदबाई को गोली लगते देखा. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि न तो पतराम और न ही चांदबाई का परीक्षण किया गया है.

181. मोजीराम ने पैरा 4 में बताया कि उसकी पत्नी, बच्चे तथा मां आसोबाई (आ. ग. 94) एक ही झुग्गी में रहते थे. उसने यह भी बताया कि जब वह दोपहर 1 बजे घर आया तब घर में कोई नहीं था. इस बात का पहले भी उल्लेख किया जा चुका है कि आसोबाई (आ. ग. 94) ने इससे भिन्न बयान दिया है. इस प्रकार यह गवाह भी विश्वसनीय नहीं है.

182. निर्भयराम (आ.ग. 95) ने बताया कि कुछ पुलिस कर्मियों ने 5-4-78 को सुबह लगभग 8 या 9 बजे इन्द्रजीत सिंह के संबंध में उससे पूछताछ की थी, जब गवाह ने अनभिज्ञता व्यक्त की, तब उसे गाली दी गई, तमाचा मारा गया तथा उसे लाठियों से पीटा गया. इसलिए वह रेलवे साइडिंग की ओर भागा, जहां पहले ही से 1000 मजदूर एकत्रित थे. गवाह उनमें जाकर मिल गया और उनके साथ दोपहर के लगभग 2 बजे तक रहा. यहां यह उल्लेखनीय है कि पूर्वोल्लिखित इतवारी (आ. ग. 23) ने बताया है कि अपने गृह नगर से किरन्दुल लौटने पर 5-4-78 को सुबह 9 बजे अपने घर को खाली देखकर वह भी रेल्वे लाइन की ओर गया था, जहां दो-चार लोग बैठे हुए थे, जबकि निर्भयराम के अनुसार वहां पहले से ही लगभग 1000 लोग बैठे हुए थे.

183. निर्भयराम ने बताया कि उसने प्रभु-शिविर में गोली चलने की खबर सुनी थी और उस ओर से धुंआ उठते देखा था. पैरा तीन में उसने बताया कि प्रभु शिविर मल्लप्पा शिविर से लगभग 1/2 मील दूर है और वहां से दिखाई नहीं पड़ता. इसलिए यह स्पष्ट है कि उसका प्रभु शिविर से धुंआ उठते देखनेका पहला बयान स्वीकार नहीं किया जा सकता.

184. पैरा 4 में उसने स्पष्ट रूप से बताया कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि प्रभु-शिविर में गोली किसने चलाई. उसी प्रकार पैरा 5 में उसने बताया कि चूंकि वह सुबह 8 या 9 बजे से जब वह रेलवे साइडिंग की ओर गया था, दोपहर लगभग 2.30 बजे तक वहीं रहा था, इसलिए उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि इस अवधि में मल्लप्पा तथा श्यामलाल शिविर में क्या कुछ हुआ था. उसके बाद उसने दृढ़ता पूर्वक यह कहा कि वह रेलवे साइडिंग पर दोपहर के लगभग 3 बजे तक रहा था और यह बात दोपहर 2.30 तथा 3.00 बजे के बीच की ही रही थी कि मल्लप्पा शिविर की झुग्गियों में आग लगी थी. इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उसके द्वारा पहले दिया गया यह बयान सही नहीं है कि पुलिस कर्मियों ने झुग्गियों में आग लगाई थी.

185. यह पहले ही देखा जा चुका है कि सीटी बजने पर पुलिस कर्मियों के इकट्ठे होने तथा उसके बाद भीड़ पर आक्रमण करने तथा गोली चलाने की कहानी आसोबाई (आ. ग. 94) के साक्ष्य से झूठी साबित हो जाती है. निर्भयराम ने बताया कि रामपाल, मनबोध तथा फगीन, जो उसके बाजू में खड़े थे, गोली लगने से घायल हुए थे. यह बात अत्यंत आश्चर्यजनक है कि निर्भयराम को कोई चोट नहीं लगी. डा. आर. एल. जोशी (आ. ग. 86) ने 5-4-78 को मनबोध का भी परीक्षण किया था और उनके अभिसाक्ष्य तथा चोट प्रतिवेदन के पैरा 3 के अनुसार मनबोध को किसी सख्त तथा बोथरी चीज से चोट लगी थी. इससे भी गवाह का परिसाक्ष्य झूठा साबित होता है.

186. ब्रह्मानन्द (आ.ग.96) ने बताया कि वह 5-4-78 को प्रभु शिविर में था. दोपहर के लगभग 1.30 या 2 बजे उसने लगभग 50 या 60 पुलिस कर्मियों को प्रभु शिविर की ओर आते देखा. पुलिस कर्मियों ने रूपलाल की झुग्गी से सूखी घास निकाली और बाद में प्रभु शिविर की झुग्गियों में आग लगा दी. जब मजदूर अपनी झुग्गियों से बाहर निकले तब उन पर पुलिस कर्मियों द्वारा लाठियों से हमला किया गया और गोली भी चलाई गई. उसने भीकम तथा भावासिंह को 10 कदम की दूरी से चली गोली से घायल होते देखा. गवाह 12 मील की दूरी तय कर जंगल में भाग गया और चार दिन बाद लौटा तब उसने देखा कि उसकी झुग्गी जला दी गई थी. यह पहले ही देखा जा चुका है कि सोनकुंवर (आ. ग. 108) ने यह बताया था कि उसके पति ढालसिंह का शव स्टाक पाइल के पास पड़ा देखा गया था जिसे पुलिस ने वहा से हटाया था, न कि प्रभु-शिविर से. यह भी उल्लेखनीय है कि रामसिंह (आ. ग. 92) के अनुसार

प्रभु शिविर की झुग्गियों में आग लगाने तथा गोली चलाने की अभिकथित घटना लगभग सूर्यास्त के समय हुई थी. इस बात का पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि न तो रूपराम और न ही भीकम का परीक्षण किया गया था. पैरा 4 में ब्रह्मानन्द (आ. ग. 96) ने बताया कि जब उसने भागना शुरू किया तो फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा. पैरा 5 में उसने बताया कि उसे यह नहीं मालूम कि ढालसिंह और भीकम को गोली लगी थी अथवा नहीं. स्वयं गवाह को कोई चोट नहीं लगी थी. पैरा 8 में उसने बताया कि प्रभु-शिविर में रहने वाले किसी भी मजदूर की घटना के दिन तक छंटनी नहीं की गई थी. डा. आर. एल. जोशी ने भी काम का परीक्षण किया था तथा उनके प्रतिपरीक्षण तथा चोट प्रतिवेदन के पैरा 3 के अनुसार भीकम को किसी सख्त तथा बोथरी चीज से केवल दो चोटें लगी थीं. इस सबसे यह स्पष्ट है कि गवाह विश्वसनीय नहीं है.

187. घनश्याम (आ. ग. 99) लगभग 13 वर्ष की आयु का एक बालक गवाह है. उसने बताया कि वह अपने पिता के साथ दोपहर के लगभग 2 या 3 बजे रेल्वे साइडिंग गया था. उसके बाद उसने पुलिस कस्टेबल द्वारा सीटी बजाये जाने, तीन दिशाओं से पुलिस कर्मियों के आने, रेलवे साइडिंग के पास बैठे मजदूरों को घेरने, उन्हें लाठियों से मारने तथा गोली चलाने के संबंध में बताया. वह और उसके पिता जंगल की ओर भागे. उसके, कथनानुसार उसे पैर में गोली लगी थी. पैरा 3 में उसने बताया कि गोली उसके पैर को छूते हुई निकल गई थी. उसने यह भी बताया कि पुलिस ने उन्हें सभी ओर से घेर लिया था और गोली चलाई थी. यह उल्लेखनीय है कि इस गवाह का या उसके पिता को चिकित्सा-परीक्षा के लिये नहीं भेजा गया था. गवाह ने यह नहीं कहा कि उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी थी पर वह कहता है कि वह भाग कर किरन्दुल से 20 कि. मी. दूर नकुड़नर जा पहुंचा था. इसलिए स्पष्टतः यह गवाह विश्वसनीय नहीं है.

188. भगवानसिंह (आ. ग. 101) ने बताया कि वह मल्लप्पा शिविर में रहता था. 5-4-78 को दोपहर 1.30 पर वह घर पर ही था. उसने उस समय पुलिस कर्मियों को मस्जिद की ओर से प्रभु-शिविर में आते देखा था. 1.45 तक रहे और पैरा 3 में उन्होंने बताया कि उसकी जानकारी में गेस्टहाउस में पुलिस कर्मियों से लदा हुआ कोई ट्रक या बस नहीं पहुंची थी. स्पष्टतः गवाह का यह बयान सही नहीं है. क्योंकि वह अन्य साक्ष्य से मेल नहीं खाता जैसा कि हम बाद में देखेंगे. मेरे विद्वान पूर्ववर्ती द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर देते हुए गवाह ने अपने उस संपूर्ण बयान को, जो पुलिस द्वारा लेखबद्ध किया गया था, वस्तुतः अस्वीकार कर दिया. उसके कुछ देर बाद उसने प्रभु शिविर की ओर से धुंआ उठते देखा. उसके बाद कुछ पुलिस कर्मी आये और उन्होंने मल्लप्पा शिविर की झुग्गियों में आग लगा दी. इसलिये वह अपने परिवार के साथ झुग्गी से बाहर निकला और रेलवे साइडिंग की ओर भागा, जहां पहले से ही बड़ी संख्या में लोग बैठे थे. उसके बाद उसने बताया कि दो पुलिस कर्मी वहां आये, उनमें से एक ने सीटी बजायी उसके बाद विभिन्न दिशाओं से बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी वहां आये, जिन्होंने उन पर आक्रमण कर दिया और उन लोगों पर, जो भागने का प्रयास कर रहे थे, गोलियां चलायी. गवाह को लाठी की दो या तीन चोटें लगी. कन्हैया और रामपाल को गोलियां लगी. उसके बाद गवाह ने बताया कि पांच या दस मिनट बाद फिर से सीटी बजी और परिणामतः सभी पुलिस कर्मी वहां से चले गये. स्पष्टतः यह एक नई कहानी है, जो गवाह ने बताई. गवाह के प्रतिपरीक्षण से यह पता चलता है कि वह कतई विश्वसनीय नहीं है. पैरा 6 में उसने बताया कि उसे यह भी नहीं मालूम था कि 5-4-78 की सुबह पुलिसकर्मी बैचलर्स होस्टल के पास वाले श्रमिक शिविर में पहुंचे थे. उसके अनुसार पुलिस मल्लप्पा शिविर या श्यामलाल शिविर नहीं गई थी. उसने बताया कि मल्लप्पा शिविर तथा श्यामलाल शिविर के बीच केवल एक नाला है. यह निर्विवाद सत्य है और रामसिंह (आ. ग. 92) ने भी पैरा 3 में बताया है कि मल्लप्पा शिविर तथा श्यामलाल शिविर बैचलर्स होस्टल के पास स्थित हैं और इनके बीच केवल एक नाला है. अतः यह स्पष्ट है कि गवाह ने सुबह की घटनाओं से अनभिज्ञता व्यक्त की है, जो यह दर्शाती है कि घटना की तारीख को या घटना के समय वह श्रमिक शिविर में नहीं रहा होगा. बाद में पैरा 6 में गवाह ने बताया कि उसके घर से इस्पात का पुल नहीं दिखाई देता.

यह तथ्य है कि प्रभु-शिविर इस्पात के पुल के आगे स्थित है. बैचलर्स होस्टल के समीप स्थित श्रमिक शिविर के निवासी इतवारी (आ. ग. 93) ने बताया कि प्रभु-शिविर लगभग एक मील की दूरी पर स्थित है. एस. के. एम. एस. की ओर से जी. आर. बख्शी द्वारा प्रस्तुत लिखित बयान (प्रविवरण) के पैरा 32 में भी इतनी ही दूरी बतायी गई है.

189. निर्भयराम (आ. ग. 95) ने पैरा 3 में स्पष्ट बताया है कि प्रभु-शिविर मल्लप्पा शिविर से दिखाई नहीं पड़ता है. अतः यह स्पष्ट है कि भगवानसिंह (आ. ग. 101) ने अपनी कल्पना के आधार पर ही यह सब-कुछ बताया है. बाद में पैरा 6 में भगवान सिंह ने बताया कि वह उस पुलिस कर्मी को नहीं पहचानता, जिसने मल्लप्पा शिविर की झुग्गियों में आग लगायी थी. पैरा 7 में उसने बताया कि जब वह और उसके परिवार के सदस्य रेलवे साइसिंग पहुंचे, तब वहां केवल 8 या 10 व्यक्ति मौजूद थे, जबकि निर्भयराम (आ. ग. 95) के अनुसार वहां लगभग एक हजार आदमी मौजूद थे. दुर्जन बाई (आ. ग. 105) के अनुसार रेलवे साइडिंग के पास "धरने" पर दो से लेकर चार हजार तक मजदूर बैठे हुए थे.

190. उपर्युक्त स्थितियों में भगवान सिंह बिल्कुल विश्वसनीय नहीं लगता.

रामरतन (आ. ग. 104) ने बताया कि वह 5-4-78 को मल्लप्पा-शिविर में था. उस दिन वह सुबह से ही अपनी झुग्गी में था. रात 2 बजे वह नींद से जागा और पड़ोसियों को आग ! आग! चिल्लाते सुना. बाहर निकलने पर उसने प्रभु शिविर की ओर से धुंआ उठते देखा. इसलिए मल्लप्पा शिविर के निवासियों ने भी अपनी झुग्गियां खाली करना शुरू कर दी. उसने तथा अन्य निवासियों ने अपना सामान कहीं और रख दिया और वे लोको शेड की ओर भागे. उसके बाद उसने पुलिस कर्मियों को मल्लप्पा शिविर में आग लगाते देखा. पैरा 5 में गवाह ने स्वीकार किया कि यह सही नहीं है कि उन्होंने अपनी झुग्गियां खाली की और यह कहते हुए कि प्रभु शिविर से धुंआ उठ रहा है, भागे. इससे पता चलता है कि गवाह झूट बोल सकता है.

191. बाद में रामरतन (आ. ग. 104) ने पैरा 1 में बताया कि पुलिस कर्मी आये, उनमें से एकने सीटी बजायी, उसके बाद और पुलिस कर्मी आये, उन्होंने लाठी-चार्ज किया और उन लोगों पर, जो भागने का प्रयास कर रहे थे, गोलियां चलायी. उसके अनुसार उसे भी भागते समय गोली लगी और मनबोध तथा खेमलाल को भी चोटें लगी. इस बात का पहले भी उल्लेख किया जा चुका है कि मनबोध को गोली से कोई चोट नहीं लगी थी. डा. आर. एल. जोशी (आ. ग. 81) ने 5-4-78 को रामरतन का भी परीक्षण किया और पाया कि किसी सख्त नुकीली चीज से उसे दो सामान्य चोटें लगी हैं. खेमलाल नाम के किसी भी व्यक्ति का चिकित्सा-परीक्षण नहीं किया गया. इन सभी बातों से पता चलता है कि रामरतन भी विश्वसनीय गवाह नहीं है.

192. दुर्जनबाई (आ. ग. 105) अपने पति के साथ मल्लप्पा शिविर की झुग्गियों में से किसी एक झुग्गी में रहती थी. उसके इस बयान पर कि पुलिस कर्मियों ने 5-4-78 को सुबह 6 बजे अमरीकबाई को उत्पीड़ित किया, पहले ही पैरा 178 में विचार किया जा चुका है और उसे अविश्वसनीय मान लिया गया है. इस गवाह ने परा 2 में यह भी बताया कि चूंकि एक पुलिसकर्मी मजदूरों द्वारा किये गये आक्रमण में मारा जा चुका था, अतः अस्पताल के पास सभी पुलिसकर्मी एकत्र हो गये थे. उस समय उसने मात्र प्रभु-शिविर में एक स्थान पर प्रभु शिविर के लगभग 2000 निवासियों को एकत्रित देखा. उसके बाद पुलिस कर्मी अस्पताल के पास से प्रभु शिविर गये और उन्होंने वहां बैठे लोगों पर गोलियाँ चलायी; उसके बाद प्रभु-शिविर की झुग्गियों में आग लगायी और फिर वे सब अस्पताल के पास वापस आ गये. दुर्जनबाई का यह बयान भी अविश्वसनीय प्रतीत होता है, क्योंकि इतवारी (आ. ग. 93) द्वारा पैरा 3 में दिये गये बयान के अनुसार मल्लप्पा शिविर से प्रभु-शिविर दिखाई नहीं पड़ता था.

193. दुर्जन बाई (आ. ग. 105) ने पैरा 2 में यह भी बताया कि मल्लप्पा शिविर के निवासी अपना सामान लेकर रेलवे साइडिंग की ओर भागे. वहां लगभग दो-चार हजार लोग धरने पर बैठे थे. उसके बाद पुलिसकर्मी-अस्पताल के पाससे मल्लप्पा शिविर आये और उन्होंने झुग्गियों में आग लगा दी. इसे देख कर रेलवे साइडिंग में एकत्रित मजदूर इस डर से कि कहीं पुलिस कर्मी उन पर हमला न कर दें, अपना सामान लेकर भागने लगे. उसी समय एक पुलिस कर्मी वहां आया और उसने उनसे शांत बैठने के लिये कहा और कहा कि उनकी मांगें पूरी होंगी और फिर उसी पुलिसकर्मी ने सीटी बजायी जिसके परिणामस्वरूप वे पुलिसकर्मी, जो मल्लप्पा शिविर की झुग्गियों में आग लगा रहे थे, उस स्थान पर आ गये जहां मजदूर एकत्रित थे. यह देख कर एक मजदूर ने लाठी फेंक कर उस पुलिस कर्मी पर प्रहार किया और उसके बाद सभी मजदूर जंगल की ओर भागने लगे, इस पर पुलिस ने गोली चलाई. उसके पति को पेट में गोली लगी. पैरा 2 में उसने बताया कि वह स्वयं घायल नहीं हुई थी.

194. पैरा 3 में उसने स्वीकार किया कि प्रभु-शिविर उसकी झुग्गी से लगभग एक मील दूर है. उसके द्वारा बताई गई उसकी यह कहानी कि एक कान्स्टेबल आया, उसने उनकी मांगें पूरी करने का आश्वासन दिया, उसने सीटी बजायी, अन्त में एक मजदूर ने लाठी फेंककर उस पर प्रहार किया, एक दम नयी कहानी है. इस बात का उल्लेख पहले किया जा चुका है कि गवाह उन घटनाओं के बारे में भी बता सकता है, जो उसने देखी न हो. यह इस बात से साबित होती है कि प्रतिपरीक्षण के अन्त में उसने यह स्वीकार किया था कि उसने पुलिसकर्मी को अमरीक बाई का उत्पीड़न करते नहीं देखा था. इन परिस्थितियों में दुर्जनबाई विश्वसनीय गवाह नहीं रह जाती. फिर भी यह सच है कि उसके पति रायपाल को गोली लगी थी और उसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी, जैसा कि शव-परीक्षा प्रतिवेदन प्रदर्श 54-आ और डा. जी. एस. राठौर (आ. ग. 67) द्वारा 7-4-78 को की गई आटोप्सी से प्रगट होता है.

195. बथकूराम (आ. ग. 106) ने बताया कि वह अपने परिचित के घर से मल्लप्पा स्थित अपनी झुग्गी में दोपहर लगभग 1.30 बजे लौटा. गवाह के अनुसार वह भी उस दिन मल्लप्पा शिविर में हुई पुलिस फायरिंग में घायल हुआ था. उसकी पीठ में गोली लगी थी. गवाह एस. के. एम. एस. के लिए अधिक सहायक नहीं हुआ, क्योंकि यह देखा

जा चुका है कि पुलिस फायरिंग दोपहर लगभग 1.15 पर हुई थी. गवाह द्वारा अपने लौटने का जो समय बताया गया था, उसे अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता. यह सच है कि डा. आर. एल. जोशी (आ. ग. 81) ने 5-4-78 को इस गवाह का परीक्षण किया था और उसकी दाहिनी छाती के पीछे गोली का घाव पाया गया था.

196. विश्राम (आ. ग. 107) ने बताया कि वह अन्य मजदूरों के साथ रेलवे साइडिंग पर सुबह से शाम तक बैठा रहा. इस गवाह के अनुसार पुलिस ने उस दिन दोपहर लगभग 2 या 2.30 बजे गोली चलाई थी. उसने बताया कि उसके बायें हाथ में गोली लगी थी. गवाह द्वारा बताये गये समय को अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता. अभिलेख में ऐसी कोई बात नहीं है, जो यह दर्शाती हो कि यह गवाह सचमुच घटना के दिन ही घायल हुआ था और उसका उपचार किरन्दुल अस्पताल में किया गया था. घासूराम (आ. ग. 109) ने बताया कि वह मिश्रा शिविर में रहता था. गवाह के अनुसार वह अपने भाई बिहारी की खोज में रेलवे लाईन की ओर गया था. उस समय उसने मजदूरों की वस्ती में कुछ झुग्गियां जलते देखी थीं. उसके अनुसार पुलिस ने रेलवे साइडिंग पर इकट्ठा हुए मजदूरों पर गोली चलायी थी. गवाह ने बताया कि उसे गोली लगी थी. उसके बाद वह घर चला गया. दूसरे दिन उसे उसका भाई मिल गया और फिर दोनों अस्पताल में भरती हो गये. अभिलेख में ऐसी कोई बात नहीं है, जो यह दर्शाती हो कि उसे और उसके भाई बिहारी को सचमुच 5-4-78 को पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के दौरान गोली लगी थी. इस गवाह ने बताया कि उसने दल्लीराजहरा अस्पताल में हुए उसके उपचार की उपचार-पर्ची प्रस्तुत की थी, किन्तु वह नस्ती में उपलब्ध नहीं है. यह मान भी लिया जाय कि गवाह 5-4-78 को पुलिस द्वारा गोली चालन में घायल हो गया था, तब भी गवाह ने न तो गोली चालन का समय बताया है और न ही उसने स्थानीय प्रशासन की ओर से परीक्षित गवाहों द्वारा बतायी गई कहानी के विरोध में कुछ कहा है.

197. सुशीला (आ. ग. 110) ने बताया कि वह अपने पति के साथ किरन्दुल में श्रमिक शिविर में रहती थी. उसने बताया कि वह लोडिंग साइड पर इकट्ठा भीड़ में शामिल थीं, जब पुलिस ने पहले लाठी और बाद में गोली चलायी थी. उसने बताया कि उसे कमर तथा हाथ में गोली लगी थी. उसने खेमलाल को गोली लगते देखा था, किन्तु उसे यह नहीं मालूम कि खेमलाल मर गया या जीवित रहा. खेमलाल को गोली लगने की बात पर वह यह नहीं बताती कि खेमलाल को किस अंग में गोली लगी थी. उसके अनुसार वह रेलवे स्टेशन की तरफ ईंट के भट्टे की ओर भागी थी. उस समय दोपहर के लगभग 2 बजे थे. उसने बताया कि उसका उपचार किरन्दुल के अस्पताल में किया गया था. इस गवाह द्वारा बताये गये समय को भी अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता. डा. आर. एल. जोशी (आ. ग. 81) ने 5-4-78 को उसका परीक्षण किया था. प्रतिपरीक्षण से पता चलता है कि उसे गोली नहीं लगी थी. उसका चोट प्रति वेदन यह दर्शाता है कि उसे किसी सख्त और नुकीली चीज से दो मामूली गहरी चोटें लगी थी. यह भी उल्लेखनीय है कि डा. एम. एम. राय (आ. ग. 79) तथा डा. आर. एल. जोशी (आ. ग. 81) के बयानों से स्पष्ट हो जाता है कि खेमलाल उन लोगों में शामिल नहीं था, जिन्हें 5-4-78 को अस्पताल लाया गया था तथा जिनका वहां उपचार किया गया था. इससे पता चलता है कि वह भी विश्वसनीय गवाह नहीं है.

198 गेंदीबाई (आ. ग. 111) का कहना है कि वह 5-4-78 को मल्लप्पा शिविर में रह रही थी. उसका यह भी कहना है कि वह रेलवे साइडिंग के पास उस भीड़ में थी जो कि पुलिस के गोली चालन के समय वहां मौजूद थी. उसने बताया कि उसे पीठ में तथा जंघा में गोली लगी. उस समय दोपहर के 12 बजे तथा 2 बजे के बीच का समय रहा होगा. इस प्रकार जहां तक समय का संबंध है उसका बयान स्थानीय प्रशासन की ओर से परीक्षित साक्ष्यों द्वारा दिए गए बयान के विपरीत नहीं है.

199. गेंदीबाई चोट लगने के पश्चात नकुलनार गई, वहां से जगदलपुर गई और वहां से पांचवे दिन वह दल्ली राजहरा चिकित्सालय में गई. इस प्रकार उसका बयान सं. कि. मं. सं. के लिए उपयोगी नहीं है.

200. चन्दर बाई (आ. ग. 112) मल्लप्पा शिविर में रहती थी, तथा वह कहती है कि 5-4-78 को लगभग 2 बजे दोपहर को वह रेलवे साइडिंग के समीप बैठी थी, जब पुलिस ने गोली चलाना शुरू किया. उसने बताया कि उसे दाहिने हाथ में गोली लगी. वह जंगल की ओर भाग खड़ी हुई और वहां से गीदम गई. वहां से वह जगदलपुर गई और फिर धमतरी बालोद गई और वहां से अपने गांव चली गई. उसने बताया कि वह इलाज के लिये सांकरा चिकित्सालय में गई. उसका बयान भी सं. कि. मं सं. के लिये उपयोगी नहीं है. गवाह द्वारा पुलिस के गोली चालन का जो समय बताया गया है उसे अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता.

200.ए वीरम बाई (आ.ग.113) उस कन्हैयालाल की विधवा है, जिसकी मृत्यु पुलिस द्वारा गोली चालन के दौरान आई चोट से हुई थी. उसके कथनानुसार वह अपने पति के साथ मल्लप्पा शिविर में रहती थी. दोपहर के लगभग 2 बजे कुछ झुग्गियों में आग लगी देखकर वह अपने पति के साथ रेलवे साइडिंग की ओर भागी, जहां पहले से ही कुछ

मजदूर बैठे हुएथे वहां पुलिस वाले पूर्व चेतावनी के बिना उन पर लाठियों से प्रहार करने लगे और उनके भागने से पहले ही उन पर गोलियां चलाने लगे. तब वह जंगल की ओर भागी. बाद में पता चला उसे कि उसके पति पुलिस द्वारा गोली चालन में गोली लगने से मारे गये हैं. उसने स्वयं अपने पति को घायल होते नहीं देखा, बल्कि उसे इसकी जानकारी भगवान- सिंह ने दी इस भगवान सिंह का (आ ग 101) के रूप में परीक्षण किया गया था और जैसा कि पहले बताया गया है, उसने कन्हैया लाल और रायपाल की मृत्यु के बारे में अभिसाक्ष्य दिया था. इस प्रकार बीरम बाई की गवाही एस. के. एम. एस. के लिये विशेष सहायक नहीं है.

201. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सुशीला (आ.ग. 110), गेंदीबाई (आ. ग. 111), चन्दरबाई (आ. ग. 112) तथा बीरमबाई (आ. ग. 113) की गवाही एस. के. एम. एस. द्वारा प्रस्तुत कहानी को और भगवानसिंह सहित अन्य कुछ गवाहों द्वारा अभिसाक्षित कहानी को कि रेलवे साइडिंग पर मजदूर बैठे थे, वहां दो कान्स्टेबल आये, उनमें से एक ने सीटी बजायी और उसके बाद बड़ी तादाद में पुलिस कान्स्टेबल बाजार या मल्लप्पा शिविर की ओर से आये और लाठी बरसाने लगे और जब मजदूर भागने लगे, तो उन पर गोलियां चलाने लगे, झुठला देती है. यदि यह कहानी सच होती, तो ये गवाह उसे बताना भूलते नहीं.

202. एस.के.एम.एस. द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की सूक्ष्म जांच से पता चलता है कि उनके द्वारा कही गई इस बात को कि पुलिस फायरिंग दोपहर 2 बजे से दोपहर 2.30 के बीच हुई थी और यह कि पुलिस कर्मियों ने या तो प्रभु शिविर की झुग्गियों में या बेचलर्स होस्टल के पास के श्रमिक शिविर अर्थात मल्लप्पा या श्यामलाल शिविर की झुग्गियों में आग लगायी थी, किसी स्वीकार्य मौखिक या दस्तावेजी गवाही का समर्थन नहीं मिलता. दूसरी ओर स्थानीय प्रशासन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से यह पता चलता है कि 5-4-78 को सुबह की घटना में उप संभागीय मजिस्ट्रेट श्री दिलीप मेहरा, उप संभागीय अधिकारी (पु.) श्री बाई सी. दीक्षित, प्लाटून कमांडर श्री एच. एस. नेगी घायल हुए थे और उनमें से श्री मेहरा और दीक्षित बड़ी मुश्किल से भागने तथा रेस्ट हाउस पहुंचने में सफल हुए थे. श्री हरिसिंह नेगी, श्री एन. डी. सिंह (वृत्त निरीक्षक), श्री आर. पी. शर्मा (थानेदार), श्री जगदीश मोहन सेठी और अनेक कांस्टेबिल भी सुबह की घटना में घायल हुए थे और विभिन्न स्थानों में या तो डाकघर में या बेचलर्स होस्टल में या किसी झुग्गी में या बेशरम की झाड़ियों में या पास के नाले में पड़े रहे थे. इन परिस्थितियों में यदि संबंधित प्राधिकारियों ने अर्थात कलेक्टर श्री नन्हें सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक श्री ओ. पी. गर्ग, उप संभागीय मजिस्ट्रेट श्री मेहरा तथा अन्य अधिकारियों ने श्रमिक शिविर के विभिन्न स्थानों से पुलिस बल के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को खोजने तथा बचाने का काम, किया तो उनके इस काम को अन्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता जैसा कि पहले बताया जा चुका है, डा. एम. एम. राय (आ.ग. 79), श्री सेठी, नेगी तथा एन डी. सिंह तथा अन्य अधिकारियों को अस्पताल लाये और दोपहर लगभग 4.30 बजे तक लगभग 90 व्यक्ति अस्पताल में लाये जा चुके थे. डा. आर. एल. जोशी (आ. ग. 81) ने बताया कि 5-4-78 को अस्पताल में लगभग 14 शासकीय कर्मचारी तथा 43 अन्य व्यक्ति (मजदूर) भरती किये गये थे. इसके अलावा उस दिन 20 शासकीय कर्मचारियों तथा 4 अशासकीय व्यक्तियों का उनको लगी चोटों के सिलसिले में परीक्षण किया गया था.

अध्याय—दस

क्या गोली चालान के ठीक पूर्व की तथा पश्चात् की स्थिति से निबटने के लिये किये गये उपाय पर्याप्त थे ?

203. इस बात का उल्लेख पहले किया जा चुका है कि 5-4-78 को सुबह श्री दिलीप मेहरा (आ. ग. 76), उप संभागीय अधिकारी श्री बाई. सी. दीक्षित, वृत्त निरीक्षक एन. डी. सिंह, थानेदार आर. पी. शर्मा, सहायक कमाण्डेन्ट श्री सेठी साठ सिपाहियों को साथ लेकर श्रमिक कालोनी गये थे. इस दल में बेंत दल, लाठी दल तथा अश्रुगैस दल शामिल थे, किन्तु उनके साथ कोई रायफल दल नहीं था. जैसा कि एन. डी. सिंह (आ. ग.1) ने पैरा 14 में स्पष्ट रूप से बताया है. एस. के. एम.एस. तथा किसी और ने भी इस बात की ओर संकेत नहीं किया है कि उस पुलिस दल में, जो 5-4-78 को सुबह श्रमिक कालोनी पहुंचा था, रायफल दल था या कि वह साथ में बन्दूकें लाया था. इस बात का भी उल्लेख किया जा चुका है कि वस्तुतः इस दल पर श्री इन्द्रजीतसिंह के कहने पर मजदूरों ने हमला किया और इस विधि विरुद्ध जमाव को लाठी चार्ज कर तथा अश्रु गैस के गोले फोड कर तितर बितर करने के श्री मेहरा के प्रयास असफल रहे और अंत में श्री मेहरा और श्री दीक्षित घायल अवस्था में किसी तरह बच निकलने में सफल हुए और जैसे तैसे गेस्ट हाउस पहुंच गये, जबकि श्री सेठी, नेगी, एन. डी. सिंह तथा आर. पी. शर्मा तथा पुलिस दल के सदस्यघिर गये, घायल हुए तथा किन्हीं झुग्गियों में, बेचलर्स होस्टल में, डाक घर तथा बेशरम की झाडियों में छिप गये और फिर दूसरे अभियान की

अर्थात् गुमे हुए पुलिस कर्मियों को ढूंढने तथा छुड़ाने की शुरुआत हुई. यह बात भी स्पष्ट हो चुकी है कि इस अभियान के दौरान भी आन्दोलनकारी मजदूरों ने शत्रुतापूर्ण रवैया अपना रखा था तथा वे लाठी तथा पत्थर जो असल में लोह अयस्क के टुकड़े थे, लेकर बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गये थे. यह भी देखा जा चुका है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के उपबंधों को लागू करने, बेंत चार्ज करने, लाठी चार्ज करने, अश्रुगैस के गोले फोड़ने तथा यहां तक कि हवाई फायर करने का भी कोई असर नहीं हुआ और भीड़ निरन्तर पुलिस कर्मियों पर हमला करती रही, जिससे कारगर फायरिंग आवश्यक हो गई.

204. विधि विरुद्ध जमाव को तितर-बितर करने के लिये दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 129 तथा 130 में निम्नलिखित उपबंध हैं:—

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 129

(1) कोई भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने का भारसाधक पदाधिकारी या ऐसे भारसाधक पदाधिकारी की अनुपस्थिति में कोई भी पुलिस पदाधिकारी, जो उप निरीक्षक से कम दर्जे का न हो, किसी विधि विरुद्ध जमाव को या पांच या अधिक व्यक्तियों को किसी ऐसे जमाव को, जिससे सार्वजनिक शांति भंग होने की संभाव्यता हो, तितर बितर होने का समादेश दे सकेगा और ऐसा होने पर ऐसे जमाव के सदस्यों का यह कर्त्तव्य होगा कि तदनुकूल तितर बितर हो जाएं.

(2) यदि ऐसे समादिष्ट किये जाने पर कोई ऐसा जमाव तितर बितर नहीं होता है या यदि ऐसे समादिष्ट किये जाने के बिना वह ऐसी रीति में अपना आचरण रखता है, जिसमें कि तितर बितर न होने का उसका अवधारण संदर्शित होता है तो कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या उपधारा (1) में निर्दिष्ट पुलिस पदाधिकारी उस जमाव को बल द्वारा तितर बितर करने के लिये कार्यवाही कर सकेगा और किसी पुरुष व्यक्ति से, जो सशस्त्र सेनाओं का पदाधिकारी या सदस्य न हो, और ऐसे कार्यशील न हो, ऐसे जमाव को तितर बितर करने के लिये और यदि आवश्यक हो तो उन व्यक्तियों को, जो उसके भाग हैं, इसलिये गिरफ्तार करने और परिरुद्ध करने के लिये कि ऐसा जमाव तितर बितर किया जा सके या वे विधि अनुसार दंडित किये जा सकें, मदद की अपेक्षा कर सकेगा.

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 130

(1) यदि कोई ऐसा जमाव अन्यथा तितर बितर नहीं किया जा सकता हो और यदि सार्वजनिक सुरक्षा के लिये यह आवश्यक है कि उसको तितर बितर किया जाए, तो उच्चतम दर्जे का कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो उपस्थित है, सशस्त्र बल द्वारा उसे तितर बितर करवा सकेगा.

(2) ऐसा मजिस्ट्रेट सशस्त्र बल के व्यक्तियों की किसी टुकड़ी के समादेशक पदाधिकारी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसे जमाव को अपने समादेशाधीन सशस्त्र बलों की मदद से तितर बितर कर दे और उसका भाग होने वाले ऐसे व्यक्तियों को, जैसों को कि मजिस्ट्रेट निर्दिष्ट करे, या जिनका जमाव को तितर बितर करने के लिये या उन्हें विधि के अनुसार दंडित करने के लिये गिरफ्तार और परिरुद्ध करना आवश्यक हो, गिरफ्तार और परिरुद्ध करे.

(3) सशस्त्र बल का ऐसा पदाधिकारी ऐसी अभियाचना का ऐसी रीति से, जैसी कि वह ठीक समझे, अनुवर्तन करेगा किन्तु ऐसा करने में, वह इतना कम बल उपयोग में लाएगा और व्यक्ति और संपत्ति को इतनी कम हानि पहुंचाएगा जितना या जितनी कि जमाव को तितर बितर करने और ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार और विरुद्ध करने से संगत हो.

पुलिस विनियम के सुसंगत उपबन्ध विनियम क्रमांक 440 से 445 में दिये गये हैं, जो इस प्रकार हैं:—

बल का प्रयोग और उसकी मात्रा

(440) विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर करने के लिये विस्तृत आदेश निर्धारित करना असंभव है क्योंकि विभिन्न मामलों में परिस्थितियां एकदम भिन्न हो सकती हैं. कोई जमाव ऐसा हो सकता है जो कि मात्र पारिभाषिक रूप से विधिपूर्ण हो तथा उसे युक्ति तथा धैर्य से बिना बल प्रयोग के तितर बितर किया जा सकता है; जबकि कोई दूसरा जमाव ऐसा हो सकता है, जो खतरनाक अस्त्रों से लैस हो और इतना उग्र हो कि शीघ्र बल

प्रयोग की आवश्यकता हो. प्रभारी पुलिस अधिकारी को यह तय करना होगा कि किस विशिष्ट मामले में कौन से कदम उपयुक्त है. जिसके लिये उसे निम्नलिखित सिद्धांतों का उचित ध्यान रखना चाहिये :—

(एक) जब तक नितांत आवश्यक न हो, तब तक बल का प्रयोग न किया जाये.

(दो) बल का काम से कम प्रयोग किया जाए.

(तीन) जैसे ही जमाव तितर बितर होने के लक्षण दर्शाए वैसे ही बल प्रयोग बंद कर दिया जाए.

यदि बल प्रयोग अपरिहार्य हो जाए जो प्रभारी अधिकारी को यह तय करना होगा कि जमाव को किस प्रकार तितर बितर किया जाए. यदि वह बेंत, बैठनों या लाठियों के प्रयोग से ऐसा कर सकता हो, तो उसे विनियम 141 में निर्धारित ढंग से कार्य करना होगा. यदि उसे अग्नेयास्त्रों का प्रयोग करने के लिये बाध्य होना पड़े तो उसे विनियम 442 तथा 443 में दिये गये अनुदेशों का पालन करना चाहिये.

बेंतों, बैठनों या लाठियों का प्रयोग कर तितर बितर करना.

(441) यदि किसी कोई विधिविरुद्ध जमाव को बेंतों, बैटनों या लाठियों के जरिये तितर बितर करना हो, तो जमाव के आकार तथा आचरण को देखते हुए पुलिस बल की व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी, जिससे कि आवश्यक क्षेत्र को कारगर ढंग से घेरा जा सके तथा उसके शस्त्रों का मुक्त रूप से प्रयोग कर सकें. यथासंभव उतने रैंक बनाए जाएंगे जिससे कि भीतर की पंक्ति को पर्याप्त सहारा मिलता रहे. सडकों पर बगली पुलिस कर्मी दोनों ओर की इमारतों के पास होने चाहिये, ताकि जब आगे बढा जाए तो भीड के लोग पुलिस के पीछे न छूट जाएं. लाठी से मारने के बजाय लाठी से (संगीत की तरह) प्रहार करना अधिक अच्छा है क्योंकि यह कारगर होता है और उससे घातक चोट पहुंचने की संभावना कम रहती है. भीड पर पास से जितना अधिक दबाव पडता है भीड के लोग प्रतिरोध करने में उतने ही असमर्थ हो जाते है. खुले स्थान में आक्रमण आवश्यक हो सकता है.

राइफल से गोली चलाकर तितर बितर करना

(442) यदि अग्नेयास्त्र का उपयोग जरूरी हो जाए, तो सशस्त्र दल के प्रति व्यक्ति को 20 राउन्ड दिए जाएंगे. स्थल पर गोलाबारूद की आरक्षित पूर्ति के प्रबंध किये जाएंगे. जब सशस्त्र पुलिस का उपयोग किया जाता है, तब दल के साथ सामान्यतः एक जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा विशेष रूप से चुना हुआ एक मजिस्ट्रेत होता है :—

(क) वस्तुतः गोली चलाना प्रारंभ करने के पूर्व संगीन लगी हुई रायफलों के बीच मजिस्ट्रेट भीड के पास वहां पहुंचकर जहां से उनकी आवाज सुनाई दे जमाव को तितर बितर होने का आदेश देगा, यदि आदेश का पालन नहीं किया गया, तो मजिस्ट्रेट जमाव या भीड़ को स्पष्ट चेतावनी देगा कि गोली चलायी जाएगी. यदि भीड़ इसके बाद भी तितर बितर न हो तो मजिस्ट्रेट पीछे हटकर मुख्य पुलिस दल में जा मिलेगा.

मजिस्ट्रेट के कर्त्तव्य.—

(ख) गोली चलाने का आदेश देने का उत्तरदायित्व मजिस्ट्रेट का होगा और गोली चलाने का आदेश तब तक नहीं दिया जाना चाहिये, जब तक कि भीड हिंसा का कोई स्पष्ट कार्य न करे.

(ग) गोली चलाना उस समय तत्काल बद कर दिया जाना चाहिये, जब उसकी आवश्यकता न रह जाए. मजिस्ट्रेट प्रभारी पुलिस अधिकारी को गोली चलाना रुकवाने के निर्देश उस समय देगा, जब भीड़ के वापस लौटने या तितर बितर होने की थोड़ी भी मंशा दिखने लगे.

टीप (1):—यदि किसी अपरिहार्य कारण से मजिस्ट्रेट उपस्थित न हो तो, मजिस्ट्रेट के कर्त्तव्य उपस्थित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को न्यागत होंगे.

टीप (2):—भीड़ को चेतावनी देने के लिये मजिस्ट्रेट के आगे बढ़ने के पूर्व संपूर्ण दल को अपनी बंदूकें भर कर सुरक्षित रखने के आदेश दिये जाएंगे.

टीप (3):—किसी भी पुलिस अधिकारी को तब तक विधि विरुद्ध जमाव को तितर वितर करने की शक्ति प्राप्त नहीं होगी जब तक कि वह किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी के ओहदे का न हो.

(मध्यप्रदेश शासन पुलिस विभाग, ज्ञाप. क्रमांक 188-172-चार तथा पृष्ठांकन क्रमांक 189-72=चार, दिनांक 6-2-40)

पुलिस अधिकार के कर्तव्य.

(443) पुलिस दल के प्रभारी पुलिस अधिकारी के. कर्त्तव्य तथा दायित्व निम्नानुसार हैं:—

(क) बल की व्यवस्था.—कमानधारी पुलिस अधिकारी बल की व्यवस्था करने के लिये जिम्मेदार होता है. इस बात की हर सावधानी बरती जाएगी कि सशस्त्र बल को बड़ी तथा खतरनाक भीड़ के इतने समीप न लाया जाए कि भीड़ के लोग उस पर हावी हो जाएं या वह बड़ी संख्या में लोगों को हताहत करने के लिये बाध्य हो जाए. गोली चालन तब तक प्रारम्भ नहीं किया जाएगा, जब तक कि मजिस्ट्रेट आदेश न दे और वह पर्याप्त दूरी से किया जाएगा, जिससे कि भीड़ के लोगों के घाव के खतरे से बचा जा सके और गोली चालन पर कारगर नियंत्रण बना रहे. यदि कमानधारी अधिकारी को यह महसूस हो कि उसके बल पर धावा हो सकता है, तो संगीनें लगा ली जाएंगी. यदि पुलिस कर्मियों को भिन्न दिशाओं की ओर रुख करके तैनात करना पड़े, तो उन्हें भिन्न रैंकों में इस प्रकार तनात किया जाएगा कि रैंकों के बीच पर्याप्त स्थान रहे ताकि कमानधारी अधिकारी लाइनों के बीच आ-जा सकें और गोली चालन पर नियंत्रण रख सकें.

ख) गोली चालन पर नियंत्रण.—गोली चालन पर नियंत्रण रखने के लिये पुलिस बल को अधिक से अधिक दस-दस की टुकड़ियों (सेक्शनों) में विभाजित किया जाएगा और प्रत्येक टुकड़ी (सेक्शन) को जिम्मेदार अधिकारी के मातहत रखा जाएगा. गोली चालन का वास्तविक आदेश कमानधारी अधिकारी द्वारा दिया जाएगा. गोली चालन या तो विशिष्ट व्यक्तियों या विशिष्ट टुकड़ियों द्वारा किया जाएगा. जब तक नितांत आवश्यक न हो जाए, तब तक गोली चालन प्रारम्भ नहीं किया जाएगा, किन्तु जब उसका प्रयोग किया जाए तो वह कारगर हो. जहां तक संभव हो गोली नेताओं मुखियाओं या अधिक उग्र लोगों या जमाव के हिस्से पर चलायी जाएगी और इस बात की भी सावधानी बरती जाएगी कि भीड़ से अलग दर्शकों अन्य व्यक्तियों को चोट न लगे. भीड़ के लौट जाने या तितर-बितर होने के पहले संकेत मिलते ही कमानधारी अधिकारी मजिस्ट्रेट से परामर्श कर, यदि वह उपस्थित हो, गोली चालन रोकने के आदेश देगा.

(ग) खाली कारतूस चलाना सर्वथा निषिद्ध है. भीड़ के सिर के ऊपर से गोली चलाने से भीड़ के पीछे के निरपराध लोग ही घायल होते हैं. और इस प्रकार गोली कभी नहीं चलायी जानी चाहिए.

टीप.—मजिस्ट्रेट पुलिस बल की व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करेगा तथा गोली चालन पर नियंत्रण रखने के लिये उपस्थित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के विवेक पर रोक नहीं लगाएगा.

205. साक्ष्य में ऐसी कोई बात नहीं है, जो यह दर्शाती हो कि विधि के उपबन्धों का सारतः पालन नहीं किया गया था. वस्तुतः ऐसा प्रतीत होता है कि उप संभागीय मजिस्ट्रेट श्री मेहरा तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री ओ. पी. गर्ग ने उस समय भी बड़े संयम से काम लिया, जब भीड़ उन पर तथा उनके बल पर पत्थर जैसे लोह अयस्क के टुकड़े बरसा करे, उनको लगातार क्षति पहुंचा रही थी. श्री मेहरा ने उनके द्वारा की गई प्रत्येक कार्रवाई के पूर्व अर्थात बैत चार्ज करते लाठी चार्ज करने, अश्रु गैस के गोले फोड़ने, हवा में गोली चलाने तथा अन्ततः कारगर गोली चालन का आदेश देने के पूर्व भीड़ को चेतावनी दी तथा उससे तितर-बितर होने को कहा. जैसा कि उन्होंने तथा एस. पी. गर्ग (अ. ग. 75) सहित कुछ अन्य गवाहों ने बताया है, पुलिस दल में "झंडा" दल भी था, जो (हाथ में झंडे लिये हुए) बार-बार भीड़ से तितर बितर होने को कह रहा था. श्री ओ. पी. गर्ग और दिलीप मेहरा ने यह भी बताया कि जैसे ही भीड़ ने तितर-बितर होना शुरू किया, वैसे ही गोली चालन बन्द कर दिया गया था. जैसा कि पैरा 8 (ओ. पी. गर्ग) तथा पैरा 11 अंतिम भाग (दिलीप मेहरा) ने बताया गया है. श्री मेहरा ने यह भी बताया है कि गोली मुश्किल से दो से लेकर तीन मिनट तक

चलायी गई थी. श्री गर्ग ने यह भी बताया कि उन्होंने थानेदार वी. डी. शर्मा से तुरन्त डॉक्टर तथा एम्बुलेंस बुलाने के लिये कहा, ताकि लगभग उन 10 व्यक्तियों को, जो गोली चालन के कारण घायल हो गये थे तथा जो जमीन पर गिर पड़े थे, उपचार के लिये चिकित्सालय ले जाया जा सके. लगभग उसी समय जिला मजिस्ट्रेट श्री नन्हें सिंह घटना स्थल पर पहुंचे और उसी बीच डा. राय भी वहां पहुंचे और उन्होंने घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने का प्रबन्ध किया. इस बात की संपुष्टि श्री दिलीप मेहरा, श्री नन्हें सिंह, डॉ. एम. एम. राय तथा वी. डी. शर्मा के साक्ष्य से होती है. जैसा कि पहले बताया गया है, डॉ. एम. एम. राय ने बताया कि शाम 4.30 बजे तक लगभग 90 घायल व्यक्तियों को अस्पताल लाया गया था और पैरा 4 में उन्होंने यह भी बताया कि :—

"दोपहर के लगभग 2 बजे एक पुलिस कांस्टेबल अस्पताल आया और उसने सूचना दी कि गोली-चालन के कारण कुछ व्यक्ति स्टॉक-पाइल तथा रेलवे लाइन के पास घायल अवस्था में पड़े हुए हैं और कलेक्टर चाहते हैं कि डाक्टर वहां पहुंचे. फलतः दो एम्बुलेंस गाड़ियों के साथ अपनी जीप से वहां पहुंचा. मैं एक घटना स्थल पर पहुंचा, जो स्टॉक-पाइल के समीप तथा पोखर के पास था. मैंने लगभग 18 से लेकर 20 व्यक्तियों को घायल अवस्था में उस क्षेत्र में इधर उधर पड़े देखा. वहां पुलिस कर्मी भी थे. पुलिस कर्मियों की सहायता से मैंने घायल व्यक्तियों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया, कर्मचारियों ने भी मेरी सहायता की."

"चिकित्सालय में मैंने उनके उपचार की व्यवस्था की. चिकित्सालय में भरती किए गए व्यक्तियों में से तीन व्यक्ति चोटों के कारण मर गए."

डॉ. आर. एल. जोशी (आ. ग. 81) ने अपने हलफनामें के भाग 4 में उन 14 पुलिस अधिकारियों के नाम दिए हैं जिन्हें 5-4-78 को रा. ख. वि. नि. के चिकित्सालय में भरती किया गया था. पैरा 5 में उन्होंने 43 अन्य व्यक्तियों के नाम बताए हैं जिन्हें चिकित्सालय में भरती किया गया था. इन सभी व्यक्तियों के हिस्ट्री शीट फाइल किए गए हैं. पैरा 7 में डॉ. जोशी ने 20 अन्य पुलिस कर्मचारियों के तथा जनता में से 4 व्यक्तियों के नाम बताए हैं जिनका चिकित्सालय में 5-4-78 को उपचार किया गया था.

प्रति परीक्षण के दौरान डॉ. जोशी ने 5-4-78 को घायल हुए व्यक्तियों से संबंधित एक पंजी प्रस्तुत की. ये समस्त प्रविष्टियां उनके कहने पर एक कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. राव द्वारा दी गई थी. डा. जोशी के कथनानुसार 5-4-78 को चिकित्सालय बन्द था जैसा कि डॉ. राय द्वारा ही पैरा 7 में बताया गया है. डा. जोशी ने आगे यह भी बताया कि 5-4-78 को कोई भी आउट डोर कार्य नहीं किया जाना था और इसलिए इन संदिग्ध चिकित्सा विधिक मामलों के लिए यह विशेष पंजी तैयार की गई थी. उन्होंने इस संकेत से भी इनकार किया है कि यह पंजी बाद में तैयार की गई थी. स्पष्ट रुप से यह सुझाव बाद का विचार है क्योंकि किसान मजदूर संघ द्वारा परीक्षित कुछ साक्षियों द्वारा भी यह स्वीकार किया गया है कि उसी दिन उन्हें जीप में चिकित्सालय ले जाया गया था और उसी दिन उनका उपचार किय गया था (रामरतन आ. ग. 104, दुर्जनबाई आ.ग. 105, बैठकुराम आ. ग. 106, विश्राम आ. ग. 107, सोनकुंवर आ. ग. 108, सुशीला आ. ग. 110)

206. कलेक्टर नन्हें सिंह (आ.ग. 88) द्वारा यह भी बताया गया कि श्रमिक कालोनी में झोंपड़ियों में लगी आग को बुझाने के लिये फायर ब्रिगेड से काम लिया गया था. थानेदार बी. डी. शर्मा (आ. ग. 87) ने भी यह बताया है कि उन्हें श्रमिक शिविरों में लगी आग को बुझाने के लिये किये गये प्रयासों तथा व्यवस्था का पर्यवेक्षण करने के लिये कहा गया था. कार्रवाई के दौरान श्री ओ. पी. गर्ग ने लाठी चार्ज, करने आंसू गैस के गोले फोड़ने, हवा में गोली चालन करने तथा कारगर गोली चालन के आदेश अभिलिखित किये, जैसा कि पैरा 7 में बताया गया है और उन पर श्री दिलीप मेहरा ने हस्ताक्षर किये जैसा कि उनके द्वारा उनके अभिसाक्ष्य के पैरा 11 के अंत में बताया गया है. इस दस्तावेज को मेरे द्वारा क्रमांक 84 दिया गया है. बहस के दौरान मेरे समक्ष इस दस्तावेज के असली होने को चुनौती दी गई थी और श्री दिलीप मेहरा से उनके अभिसाक्ष्य के पैरा 22 में प्रश्न पूछे गये थे.

207. सं. ख. म. सं. के विद्वान परामर्शदाता काउन्सेल श्री पी. एल. दुबे द्वारा यह तर्क दिया गया कि श्री मेहरा के प्रथम हस्ताक्षर के ऊपर की पंक्ति तथा दूसरे हस्ताक्षर के ऊपर की पंक्ति बाद में जोड़ी गई है. दूसरी तरफ स्थानीय प्रशासन के विद्वान काउन्सेल श्री एल. एस. बघेल तथा साथ ही विद्वान महाधिवक्ता श्री ए. एम. माथुर ने यह तर्क दिया कि अनगढ़ दस्तावेज यह दर्शाता कि वह असली है और यदि नकली दस्तावेज बनाने का कोई इरादा होता, तो वह अच्छे कागज पर बेहतर लिखावट में लिखा गया या टाइप कराया गया होता.

208. मैं विद्वान महाधिवक्ता तथा स्थानीय प्रशासन के विद्वान काउन्सेल श्री एल. एस. बघेल के तर्कों से सहमत यह स्मरण रखने तथा उल्लेख करने योग्य बात है कि यद्यपि पुलिस बल के साथ राइफल टुकड़ी थी, तथापि, उसकी

संख्या मुश्किल से साठ या सत्तर थी और उन्हें लगभग 2000 आन्दोलनकारी मजदूरों की आक्रामक तथा उग्र भीड़ ने घेर लिया था तथा वह उन पर लोह अयस्क के टुकड़ों, लाठियों तथा ठछड़ों से प्रहार कर रही थी. श्री मेहरा, श्री गर्ग की सहायता से भीड़ को शांत करने तथा तितर-बितर करने का प्रयास कर रहे थे और इस कार्रवाई के दौरान चन्द मिनटों के भीतर उन्हें बेंत चार्ज करने, लाठी चार्ज करने, अश्रुगैस के गोले फोड़ने तथा उसके बाद पहले हवा में गोली चलाने और फिर कारगर गोली चालन के आदेश देने पड़े थे और इस दौरान वह पूरे समय आक्रामक जमाव के हमले का सामना करते रहे थे. इन परिस्थितियों में न तो मेहरा और न ही श्री गर्ग से यह अपेक्षा की जा सकती थी कि वे प्रत्येक आदेश को उस तरह साफ सुथरे तरीके से लिखते, जैसे कि वे शांत भाव से कार्यालय में बैठकर लिख सकते थे. संक्षेप में मुझे आदेश (मेरे द्वारा क्रमांकित 84) की असलियत पर सन्देह करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता.

209. इस निर्विवाद स्थिति को देखते हुए कि 5-4-78 को रेलवे लाईन के बगल के स्टाक-पाइल के पास श्रमिक कालोनी में पुलिस ने गोली चलायी थी और दंतेवाड़ा के उप संभागीय मजिस्ट्रेट श्री मेहरा, अपर पुलिस अधीक्षक श्री ओ. पी. गर्ग के साथ उस पुलिस दल का नेतृत्व कर रहे थे जिसे गोली चलाने के आदेश दिये गये थे, क्रमांक 84 के रूप में अंकित गोली चालन के आदेशों के अभिलेख के संबंध में एस. के. एम. एस. के विद्वान काउन्सेल श्री पी. एल. दुबे द्वारा उठाया गया विवाद विशेष महत्व नहीं रखता.

उक्त संक्षेप यह दर्शाता है कि गोली चालन के तुरन्त बाद की स्थिति से निपटने के लिये पर्याप्त तथा कारगर व्यवस्था की गई थी.

210. किरन्दुल पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल मोहर्रिर महादेव प्रसाद (आ. ग. 97) ने 27-3-78 से लेकर 6-4-78 तक की विभिन्न रोजनामचा रिपोर्ट प्रमाणित की है. पैरा 2 में उन्होंने 5-4-78 को किरन्दुल पुलिस थाने में उपलब्ध शस्त्रास्त्रों का लेखा जोखा दिया. उनके अनुसार किरन्दुल पुलिस थाने में 5-4-78 की सुबह कुल मिलाकर 27 राइफलें तथा 1594 राउन्ड कारतूस उपलब्ध थे. थानेदार आर. पी. शर्मा (आ. ग. 80) ने भी पैरा 19 में यही लेखा जोखा दिया है. महादेव प्रसाद ने आगे यह भी बताया कि दोपहर लगभग 10.55 बजे उन्होंने अपर पुलिस अधीक्षक श्री गर्ग के आदेशों के अनुसार प्लाटून कमांडर बलीसिंह (आ. ग. 84) के जरिये गेस्ट हाउस में पांच रायफलें तथा 250 कारतूस भिजवायीं थीं. बलीसिंह ने इसकी संपुष्टि की है. बलीसिंह के अनुसार उनकी यूनिट में एक हेड कांस्टेबिल तथा चार कांस्टेबिल थे और प्रत्येक के पास एक-एक राइफल तथा 50 कारतूस थीं. उन्होंने अभिसाक्ष्य के पैरा छः में उन पुलिस कर्मियों के नाम गिनाये हैं. उसी तरह प्लटून कमांडर केशरसिंह (आ. ग. 85) के यूनिट में चार कांस्टेबल थे और प्रत्येक के पास एक-एक राइफल तथा पचास कारतूस थीं. महादेव प्रसाद ने आगे यह भी बताया कि 5-4-78 को 5.30 बजे शाम को प्लाटून कमान्डर बलीसिंह और केशर सिंह ने सभी बारह रायफलें तथा दी गई छै सौ कारतूसों में से 592 कारतूसें लौटा दी थीं. उन्होंने किरन्दुल पुलिस थाने के इस विषय के सभी साम्हा क्रमांक 125, 126, 38 प्रमाणित किये, जिन पर 5-4-78 का दिनांक अंकित है. उन्होंने आगे यह भी कहा कि कुल मिलाकर 21 कारतूसों का उपयोग किया गया था जिनमें से आठ कारतूसें पुलिस थाने से जारी की गई थीं. पैरा 5 में उन्होंने उपयोग में लाये गये 21 कारतूसों के ब्योरे दिये हैं. बलीसिंह (आ. ग. 84) तथा केशरसिंह (आ. ग. 85) ने उसी शाम उपयोग में लाये गये कारतूसों का हिसाब किरन्दल पलिस थाने पर प्रस्तुत किया.

211. यह स्पष्ट हो चुका है कि 5-4-78 को सुबह संबंधित प्राधिकारियों ने श्रमिक शिविर के श्रमिकों पर गोली चलाने की न तो कल्पना ही की होगी और न सोचा ही होगा अन्यथा उस दिन सुबह जब वे इन्द्रजीत सिंह को गिरफ्तार करने गये, तभी अपने साथ राइफल पार्टी लेकर गये होते. जब पुलिस पार्टी लापता पुलिस अधिकारियों तथा जवानों को खोजने और उनका बचाव करने के लिये दुबारा श्रमिक शिविर में पहुंची, तब उन आन्दोलनकारी कामगारों के आक्रामक रवैये के फलस्वरूप गोली चलाना आवश्यक हो गया, जो उन पर पत्थर, जो दरअसल लोह अयस्क के टुकड़े थे, बरसाने लगे. श्री ओ. पी. गर्ग अपर पुलिस अधीक्षक (आ. ग. 75) ने पैरा 20 में इस बात का उल्लेख किया है कि 5-4-78 को पुलिस द्वारा गोली चालन का 5-4-78 के पहले हुई वारदातों से कोई सीधा संबंध नहीं था. यह भी देखा जा चुका है कि डाक्टर एम.एम. राय 5-4-78 को सुबह लगभग 10.45 बजे से सक्रिय हो गये थे. किरन्दुल स्थित राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का चिकित्सालय बस स्टैन्ड के ठीक ऊपर की पहाड़ी पर स्टील ब्रिज को जाने वाली सड़क के परे है, जबकि बैचलर्स होस्टल बस स्टैन्ड तथा श्रमिक शिविरों, जिन्हें मल्लन्ना शिविर तथा श्यामलाल शिविर कहा जाता है, के ठीक नीचे स्थित है और यह रेल्वे साईडिंग की तरफ फैला हुआ है. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि गोली चालन के तत्काल पूर्व तथा पश्चात् उपयुक्त तथा पर्याप्त उपाय किये गये थे.

212. एस. के. एम. एस. के विद्वान काउन्सेल श्री आर. एल. दुबे ने पैरा 23 में उल्लिखित श्री दिलीप मेहरा के इस आशय के बयान का हवाला दिया कि पुलिस विनियम 444 के अधीन एक लिखित प्रतिवेदन अभिलेख में विद्यमान प्रतिलिपि के अनुसार उनके द्वारा तथा अपर पुलिस अधीक्षक ओ. पी. गर्ग द्वारा संयुक्त रूप से 12-4-78 को भेजा गया तथा

यह तर्क प्रस्तुत किया कि प्रतिवेदन भेजने में अनुचित रूप से बिलम्ब किया गया, वास्तविक तथ्यों को दबाकर प्रतिरक्षात्मक प्रतिवेदन तैयार किया गया. श्री मेहरा ने पैरा 23 में दिये गये सुझाव से इंकार किया है और कहा है कि वे गोली चालन से उत्पन्न समस्याओं से निपटने और श्रमिकों को राहत देने में व्यस्त रहे थे, इस कारण बिलम्ब हुआ था. यहां पुलिस विनियम 444 का हवाला दिया जा सकता है जो निम्नानुसार है:—

"जब किसी विधि विरुद्ध जमाव को तितर-बितर कर दिया गया हो, तब पुलिस द्वारा प्राथमिक उपचार किया जाना चाहिये तथा मृतकों को हटाने और घायल व्यक्तियों को चिकित्सालय ले जाने की व्यवस्था की जानी चाहिये. मुख्यालयों में फील्ड ड्रेसिंग की सामग्रियां तथा कुछ स्ट्रेचर रखे जाने चाहिये जो आवश्यकतानुसार भेजे जा सकें. यदि किसी विधि विरुद्ध जमाव पर बल प्रयोग किया गया हो, तो उपस्थित मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो, तथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एक प्रतिवेदन तैयार करेंगे जिसमें विस्तार से बताया जायगा कि किन परिस्थितियों में गोली चलाना आवश्यक हो गया, कितने राउन्ड चलाये गये, कितने लोग मारे गये तथा कितने लोग घायल हुए तथा अन्य सभी तथ्य भी विस्तार से दर्शाये जायेंगे. इस प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि पुलिस अधिकारी द्वारा उप पुलिस महानिरीक्षक के जरिये पुलिस महानिरीक्षक को तथा मजिस्ट्रेट द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत की जायेगी."

यहां इस बात का उल्लेख किया जा सकता है कि यद्यपि प्रतिवेदन भेजने के लिये कोई समय सीमा विहित नहीं की गई है, फिर भी यह निर्विवाद है कि प्रतिवेदन यथा संभव शीघ्र भेजा जाना चाहिये. तथापि श्री मेहरा द्वारा 12-4-78 से पहले प्रतिवेदन न भेजने के संबंध में दिए गए स्पष्टीकरण की उपेक्षा करने का कोई कारण नहीं है. यह स्पष्ट है कि जिला मुख्यालय से बहुत दूर स्थित किरन्दुल जैसे स्थान में, जहां कोई शासकीय औषधालय तक नहीं है, गोली चालन के कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई होंगी, जिनमें घायल व्यक्तियों के उपचार की व्यवस्था करने, बाद में मरने वाले व्यक्तियों का शव परीक्षण कराने और जिनकी झोपड़ियां जल गई हों उन व्यक्तियों को बसाने की व्यवस्था करने की समस्याएं शामिल हैं. इन सब के बावजूद संबंधित प्राधिकरण अर्थात राज्य शासन को 5-4-78 को हुई दोनों वारदातों की सूचना वायरलेस संदेशों से दे दी गई थी. जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक को प्रतिवेदन भेजने का कोई प्रश्न ही नहीं था क्योंकि वे दोनों ही स्थल पर उपस्थित थे. कलेक्टर तथा जिला मजिस्ट्रेट श्री नन्हेसिंह (आ.ग.88) ने पैरा 16 में यह कहा है कि उन्होंने 5-4-78 को सुबह 11.30 बजे, सुबह की वारदात के संबंध में एक वायरलेस संदेश और 5-4-78 को हुई दूसरी वारदात के संबंध में शाम को 7.30 बजे एक वायरलेस संदेश भेजा था.

213. श्री दिलीप मेहरा उपसंभागीय अधिकारी (आ.ग.76) ने भी यह बताया कि उन्होंने भी 5-4-78 को सुबह हुई वारदात के संबंध में अपर कलेक्टर, जगदलपुर को एक वायरलेस संदेश भेजा था. श्री ओ. पी. गर्ग, अपर पुलिस अधीक्षक (आ. ग. 75) ने भी पैरा 11 में यह बताया कि उन्होंने भी 5-4-78 को हुई वारदात के संबंध में 6-4-78 को वायरलेस संदेश भेजा था.

यह बात भी उल्लेखनीय है और निर्विवाद भी है कि 5-4-78 को हुई वारदात के बारे में राज्य विधान सभा में 6-4-78 को एक वक्तव्य दिया गया था जिसमें मोटे तौर पर 5-4-78 को हुई वारदात के संबंध में तत्वत: वही जानकारी दी गई थी कि 12-4-78 को सूचित की गई थी और जो इस आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई. यह वक्तव्य तत्कालीन गृह मंत्री श्री प्रभुनारायण त्रिपाठी द्वारा दिया गया था. तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा ने यह घोषणा भी की थी कि इस वारदात को न्यायिक जांच कराई जाएगी. इन परिस्थितियों में जिला प्राधिकारियों पर यह आरोप नहीं लगाया जा सकता कि उन्होंने पुलिस विनियम 444 के अधीन यह प्रतिवेदन 12-4-78 को भेजकर लगभग एक सप्ताह का जो विलम्ब किया उसमें उनका कोई कुटिल उद्देश्य था.

214. इस बात का पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने के पश्चात अठारह से लेकर बीस व्यक्ति घटना स्थल से हटाए गए थे जिनमें से डा. आर.एल. जोशी (आ.ग.81) द्वारा पैरा 3 में दिए गए बयान के साथ पठित डा. एम. ए म. राय (आ ग.79) द्वारा पैरा 19 में दिए गए बयान के अनुसार ग्यारह व्यक्ति गोली लगने से घायल हुए थे श्री ओ. पी. गर्ग (आ. ग. 75) ने भी पैरा 8 में दिए अपने अभिसाक्ष्य में इन्ही आंकड़ों का उल्लेख किया है. उप निरीक्षक शिवलाल (आ. ग. 71) ने यह बताया है कि 6-4-78 की शाम को लगभग 4 बजे उनसे कहा गया कि वे ग्यारह शवों को ले जाए जिन्हें वे दंतेवाड़ा ले गये जहां उनका परीक्षण दूसरे दिन अर्थात 7-4-78 को किया गया. तत्पश्चात् उन्होंने ग्यारह जब्तशुदा पैकेटों के साथ ग्यारह शव परीक्षण प्रतिवेदन लिये और उन्हें किरन्दुल में वृत्त निरीक्षक को सौंप दिया. 12-4-78 के प्रतिवेदन (क्र. 102) में भी 11 लोगों के हताहत होने का उल्लेख है. डा. एस. डी. अवस्थी (आ. ग 66) ने 7-4-78 को शिनाख्त न किए गए तीन व्यक्तियों के शवों का परीक्षण किया (प्र. 52 ए. बी. सी.) डा. जी. एस. राठौर (आ. ग. 67) ने दंतेवाडा में 7-4-78 को माया, राम तथा रायलाल (प्र. 54 ए. तथा बी.) के शवों का परीक्षण किया डा. एस. एच. खान (आ. ग. 70) ने 7-4-78 को

फगई बाई (प्र. 58-बी) तथा पतीराम (प्र. 58 ए.) के शवों का परीक्षण किया. डा. योगेश जोशी (ग्रा. ग.71) ने दंतेवाडा में 7-4-78 को हेड कान्स्टेबल कोमलसिंह (प्रदर्श 60-ए-1), रामदयाल (प्र.60 सी.), ढालसिंह (प्र.60बी) तथा एक शिनाख्त किए गए व्यक्ति (प्र. 60 ए) के शवों का परीक्षण किया. संयुक्त खदान मजदूर संघ की ओर से परीक्षण किए गए तुलसीराम ने दंतेवाडा में अपने भाई खेमलाल के शव की शिनाख्त की, जो शिनाख्त किए गए व्यक्तियों में से एक हो सकता है. तथापि, इस बात का उल्लेख किया जा सकता है कि इस गवाह तुलसीराम द्वारा किसी भी शव की शिनाख्त के संबंध में चार डाक्टरों में से किसी भी एक डाक्टर से नहीं पूछा गया, जिन्होंने उन व्यक्तियों के शवों का परीक्षण किया था, जो 5-4-78 को लगी चोटों के कारण मरे थे. इस बात का भी पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि डा. एम. एम. राय (ग्रा. ग. 79) तथा डा. ग्रार. एल.जोशी (ग्रा. ग.81) के बयानों से यह पता चलेगा कि खेमलाल उन व्यक्तियों में से नहीं था जो 5-4-78 को चिकित्सालय में लाए गए थे और जिनका उपचार किया गया था. इन सभी बातों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि गोलीचालन के बाद जो कदम विधितः उठाये जाने चाहिये थे वे कदम संबंधित प्राधिकारियों द्वारा अविलम्ब उठाये गये थे.

215. सपूर्ण सिंह खुराना (ग्रा. ग.74) वोरा कम्पनी के प्रबन्धक हैं. पैरा 7 में उन्होंने यह बयान दिया है कि 5-4-78 को हुई वारदात में एक बालक तथा उनकी कम्पनी के सात कामगार मारे गये थे और चालीस घायल हुए थे, उन सभी का उपचार एन. एम. डी. सी. के चिकित्सालय में किया गया था. उपचार का खर्च उनकी कम्पनी ने उठाया था. पैरा 17 तथा 21 में उन्होंने बताया कि मल्लप्पा तथा प्रभु कैम्प में ही उनकी कम्पनी के कर्मचारी रहा करते थे. रघुराजसिंह (ग्रा ग. 17) दंतेवाडा के तहसीलदार हैं. कलेक्टर के आदेशानुसार वे 8-4-78 को किरन्दुल गये और वहां उन्होंने मजदूर शिविर में झोपड़ियों के जल जाने के कारण हुई हानि का निर्धारण किया. उनके अनुसार 874 झोपड़ियां पूरी तरह से जल कर राख हो गई थीं. जिसके परिणामस्वरूप लगभग एक लाख रुपए की हानि हुई थी. उनके अनुमान के अनुसार झोपड़ियों में लगभग एक लाख रुपये के मालअसबाब की भी हानि हुई थी. झोपड़ियों के जलने से हुई किसी जनहानि की कोई जानकारी नहीं मिली थी.

216. पूर्वगामी पैराग्राफों में हुई चर्चा से यह स्पष्ट हो जाएगा कि गोलीचालन के तत्काल पूर्व तथा बाद में विधि द्वारा अपेक्षित सभी आवश्यक सावधानियों तथा उपायों को अपनाया गया था और उठाये गये सभी कदम पर्याप्त तथा संतोषजनक थे.

अध्याय : ग्यारह

क्या किया गया बलप्रयोग अत्यधिक था ?

217. उन परिस्थितियों के संबंध में जिनमें एस. डी. एम. श्री दिलीप मेहरा (ग्रा. ग. 76) को गोली चालन का आदेश देना पड़ा, पहले ही चर्चा की जा चुकी है. यह उल्लेख किया जा चुका है कि जिस समय बचाव पार्टी मजदूर कालोनी में गयी तो आन्दोलनकारी कामगारों की प्रतिपक्ष भीड़ से उसका सामना हुआ. श्री दिलीप मेहरा (ग्रा.ग.76) ने पैरा 11 में बताया है कि जब भीड़ जो पुलिस बल पर पत्थर बरसा रही थी और छड़ों से आक्रमण कर रही थी बेंत चार्ज, लाठी चार्ज तथा अश्रु गैस छोड़ी जाने के बावजूद भी तितर-बितर नहीं हुई तो उन्होंने लाउड हेलर पर भीड़ को सम्यक रूप से चेतावनी देने के बाद हवा में गोली चलाने का आदेश दिया. उसके बाद हवा में नौ राउण्ड फायर किए गए. यही बात पैरा 7 में श्री ओ पी. गर्ग (ग्रा ग. 75) ने भी कही है. इसके परिणामस्वरूप भीड़ थोड़ा सा पीछे हटी और स्टाक पाइल के निकट जमा आन्दोलनकारियों की भीड़ से जा मिली. उसी समय उन्होंने देखा कि मजदूर कालोनी की झोपड़ियों में आग लगा दी गई थी. एक तरफ वोरा कैम्प और दूसरी तरफ बाजार का रास्ता बन्द हो गया था. भीड़ के लोगों ने स्टाक पाइल से लौह अयस्क के टुकडे उठा लिये और उनको पुलिस बल पर फेंकने लगे. भीड़ में लगभग 2000 लोग थे. इन परिस्थितियों में श्री ओ. पी. गर्ग से परामर्श करके एस. डी. एम. श्री दिलीप मेहरा ने कारगर गोलीचालन का आदेश दिया. इसके पश्चात एक-एक कर, कुल बारह राउन्ड फायर किये गये इसमें मुश्किल से दो या तीन मिनट लगे. भीड़ तितर-बितर होने लगी और कुछ व्यक्ति गिरते हुये दिखाई पडे. पैरा 11 में श्री दिलीप मेहरा (ग्रा. ग.76) तथा पैरा 8 में श्री ओ. पी. गर्ग (ग्रा. ग. 75) दोनों के द्वारा बताये अनुसार तत्काल गोली चालन रोक दिया गया था. श्री गर्ग ने बताया कि पहले चार राउन्ड और उसके पश्चात आठ राउन्ड फायर किए गए. कुल मिलाकर 12 राउन्ड फायर किए गए. प्लाटून कमाण्डर बलीसिंह (ग्रा. ग. 84) ने पैरा 4

के अन्त में बताया है कि उनके दल ने पांच राउन्ड फायर किए. प्लाटून कमाण्डर श्री केशरसिंह (आ. ग. 85) ने बताया कि उनके दल ने सात राउन्ड फायर किए. इस प्रकार उन्होंने मिलकर बारह राउन्ड फायर किए, जैसा कि श्री ओ. पी. गर्ग द्वारा बयान दिया गया है. इसी प्रकार हवा में गोली चलाने के संबंध में श्री बलीसिंह (आ ग.84) ने बताया कि उनके दल ने तीन राउन्ड फायर किए जबकि केशर सिंह (आ. ग. 85) ने बताया कि उसके दल ने छह राउन्ड फायर किए. इस प्रकार, श्री ओ. पी. गर्ग के बताये अनुसार कुल मिलाकर नौ राउन्ड हवाई फायर किए गए.

218. इस बात का उल्लेख पहले भी किया जा चुका है कि महादेव प्रसाद (आ. ग. 77) ने पैरा 77 में कहा था कि 5-4-78 को सुबह 5.30 बजे 12 रायफलों तथा जारी किये गये 600 में से 592 कारतूसों को पुलिस थाने में जमा कर दिया गया था. कुल मिलाकर 21 कारतूस फायर किए गये थे जिनमें से आठ वे थे जो पुलिस थानेसे जारी किये गये थे. यह पुलिस थाना किरन्दुल में सान्हा क. 138 (112 अंकित) में अभिलिखित किया गया था.

219. पूर्व में उल्लेख किये अनुसार, कुल 12 राउंड के कारगर गोली चालन के परिणामस्वरूप मुश्किल से 19 या 21 व्यक्ति घायल हुये; और जैसा पहले देखा जा चुका है, उनमें से केवल 10 व्यक्तियों की मौत अस्पताल में हुई. इस बात का उल्लेख किया जा सकता है कि हेड कांस्टेबल कोमल सिंह सुबह की वारदात के दौरान घायल हुए थे, और उनकी मृत्यु डा. आर. एल. जोशी के शपथ पत्र के पैरा 11 में उल्लेख किये अनुसार दोपहर के लगभग 1.30 बजे अस्पताल में हुई. इस बात का उल्लेख किया जा चुका है कि डा. आर. एल. जोशी के शपथ पत्र के पैरा 4 में उल्लिखित पुलिस बल के चौदह व्यक्तियों को अस्पताल में भरती किया गया था और डा. आर. एल. जोशी (आ. ग.81) के 5-5-878 के शपथ पत्र के पैरा 7 के अनुसार पुलिस बल के बीस व्यक्तियों का उपचार किया गया था. इन परिस्थितियों में यह नहीं कहा जा सकता कि किया गया बल प्रयोग अत्यधिक था.

अध्याय बारह

निष्कर्ष

220. जिन मुद्दों की जांच करने के लिए आयोग नियुक्त किया गया था, वे. सा. प्र. वि. की अधिसूचना, दिनांक 20-4-78 में दिए गए हैं जिन्हें इस प्रतिवेदन के अध्याय एक के पृष्ठ एक पर उद्‍धृत किया गया है. 5-4-78 की दुर्भाग्यपूर्ण घटना को उस आन्दोलन का चरमबिन्दु कहा जा सकता है, जो संयुक्त खदान मजदूर संघ, बैलाडीला (सं. ख. म. सं.) द्वारा मेसर्स अशोक माइनिंग कम्पनी के कामगारों की उस कम्पनी द्वारा 22-12-70 को दिए गए नोटिस के अनुसरण में 31-3-78 से छंटनी किए जाने के विरुद्ध आरंभ किया गया था. इस बात का उल्लेख किया जा चुका है कि अशोक माइनिंग कम्पनी के अतिरिक्त राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा बैलाडीला में फ्लोट लौह अयस्क इकट्ठा करने के लिए तीन अन्य ठेकेदार भी नियुक्त किए गए थे, जबकि मेसर्स अशोक माइनिंग कम्पनी के ठेके की अवधि 31-3-78 को समाप्त होने वाली थी, क्योंकि वह उस तारीख तक ही लौह अयस्क की संविदागत मात्रा की पूर्ति कर सका था (पैरा-13, अध्याय चार). मेसर्स बी. डी. भानोत एंड सन्स और मेसर्स उमेदराय बोरा के ठेके 30-9-78 को समाप्त होने वाले थे. एम. पी. आयरन ओर का चौथा ठेका 31-3-79 को समाप्त होने वाला था. इस बात का उल्लेख किया जा चुका है कि कम से कम अक्टूबर 1977 से श्रमिक संघ और ठेकेदार इस बात को जानते थे कि फ्लोट लौह अयस्क के निकाले जाने का ठेका पुनर्वीक्षित नहीं किया जा रहा है या उसकी अवधि नहीं बढ़ाई जा रही है और मेसर्स अशोक माईनिंग कम्पनी का ठेका 31-3-78 को समाप्त हो जाएगा तथा उनके द्वारा काम पर लगाए गए श्रमिकों की छंटनी की जाएगी (पैरा 89-अ).

221. इसके बाद सं. ख. मं. सं. ने केन्द्रीय शासन से सम्पर्क करना प्रारम्भ किया और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने भी उस स्थिति का सामना करने के लिए श्रमिक नेताओं से विचार विमर्श करना प्रारंभ किया, जो छंटनी के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली थी. जैसा कि पहले देखा गया है कि ये सभी प्रयास विफल हो गए थे, अतः अन्ततः सं. ख. म. सं., ने सहायक श्रम युक्त (केन्द्रीय) से अनुरोध करने के साथ ही जनवरी 1978 से ही आन्दोलन प्रारंभ कर दिया था. सहायक श्रमायुक्त ने भी असफलता सूचित की. इसी बीच अशोक माइनिंग कम्पनी द्वारा नियोजित श्रमिकों ने अपनी न्यायोचित देय राशि लेना प्रारंभ कर दिया और 2-4-78 तक किरन्दुल छोड़ दिया (पैरा 115).

222. यह भी देखा गया है कि इसके बाद सं. ख. म. सं. ने (श्री इन्द्रजीत सिंह के विवरण का पैरा 17) आन्दोलन को कारगर बनाने का निर्णय लिया. यह देखा गया है कि इसके बाद लौह अयस्क के लदान के विरुद्ध "धरना" दिया गया, कर्त्तव्य पर जाते हुए व्यक्तियों को रोका गया, महाप्रबंधक के कार्यालय और निवास पर प्रदर्शन किये गये, श्रमिक बस्ती में पाइप लाईन को क्षति पहुंचायी गई और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की संपत्ति को नष्ट किया गया. श्री इन्द्रजीत सिंह, अध्यक्ष सं. ख. मं. संघ बैलाडीला भूमिगत हो गए और वे लगभग एक सप्ताह के बाद पहली बार 5-4-78 की सुबह देखे गए (पैरा 124).

223. श्री इंद्रजीत सिंह की पत्नी श्रीमती वसंत रानी को 5-4-78 की सुबह गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्होंने महिलाओं का जुलूस निकाला था और महाप्रबंधक के निवास पर धरना दिया था. उसी दिन प्रातः श्री इन्द्रजीत सिंह ने श्रमिको की बस्ती में कामगारों को संबोधित किया और पुलिस पर इतना अधिक प्रहार करने के लिए उकसाया कि खून खराबी हो जाए (पैरा 125)

224. अतएव, कलेक्टर ने अपर पुलिस अधीक्षक से परामर्श कर श्री इन्द्रजीत सिंह को या ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जो विधि और व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने का प्रयत्न करे, गिरफ्तार करने का निर्णय लिया. इसके फलस्वरूप उप संभागीय मजिस्ट्रेट उप पुलिस अधीक्षक और 60 कांस्टेबलों के साथ श्री इन्द्रजीत सिंह को गिरफ्तार करने के लिए श्रमिकों की बस्ती में गए. यह देखा गया है कि बल में रायफल पार्टी शामिल नहीं थी. इस पुलिस बल के साथ श्रमिकों ने दुर्व्यवहार किया और उस पार्टी पर लाठियों और पत्थरों से प्रहार कर पुलिस पार्टी के बहुत से सदस्यों को घायल कर दिया, जिनमें उप संभागीय मजिस्ट्रेट श्री मेहरा, उपसंभागीय अधिकारी श्री दीक्षित भी शामिल थे, जो किसी तरह बड़ी कठिनाई से गेस्ट हाउस तक पहुंच सके. यह भी देखा गया है कि वृत्त निरीक्षक श्री एन. डी. सिंह और थानेदार श्री आर पी. शर्मा भी बुरी तरह घायल हो गए थे. हेड कांस्टेबल कोमल सिंह को प्राणघातक चोट और अन्य कांस्टेबलों ने किसी झोपड़ी में या आस-पास की बेशरम की झाड़ियों में शरण ली.

225. अतएव, कलेक्टर ने श्रमिकों की बस्ती में फंसी पुलिस पार्टी के सदस्यों को खोज निकालने, संरक्षण देने और बचाने के लिए एक अतिरिक्त बल गठित किया. जैसा कि पूर्ववर्ती पैराग्राफों में देखा गया है. इस बल पर भी लगभग दो से लेकर चार हजार कामगारों की उस भीड़ ने हिंसक प्रहार किये जो रेलवे लाईन के पास स्टॉक पाइल पर इकट्ठे हो गये थे. जब भीड़ को रोकने तथा तितर-बितर करने के लिए बेंत चार्ज, लाठी चार्ज अश्रु गैस के गोले फोड़ने और हवाई फायर करने के सभी प्रयास निष्फल हुए तब श्री मेहरा ने प्रभावी गोली चालन का आदेश दिया. यह भी देखा गया है कि कुल मिलाकर केवल बारह राउन्ड प्रभावी गोली चालन किया गया, जिससे केवल लगभग 19-20 लोग घायल हुए और उनमें से केवल 10 लोगों की चिकित्सालय में मृत्यु हुई. अतएव, प्रयोग में लाया गया बल अत्याधिक नहीं था. प्रभावी गोली चालन दो से तीन मिनट का था और जब कि भीड़ तितर-बितर होने लगी और कुछ व्यक्ति गिरते दिखाई पड़े तब तुरंत गोली चालन बंद कर दिया गया.

226. यहां यह भी कहा जा सकता है, जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है कि सं. ख. म. सं. या अन्य व्यक्तियों ने जिन्होंने यह कहा था कि गोली चालन के शिकार व्यक्ति अधिक हैं और वे ऐसे व्यक्तियों की सूची प्रस्तुत करेंगे, ऐसा नहीं किया (श्री. सी. आर. बक्षी के प्रविवरण का पैरा 29)

227. यह भी देखा गया है कि किरन्दुल में विद्यमान परिस्थितियों में गोली चालन के ठीक पहले और बाद की स्थिति का सामना करने के लिए पर्याप्त प्रभावी व्यवस्था की गई थी. यह भी कहा जा सकता है कि 5-4-78 की सुबह तक संबंधित प्राधिकारियों के पास यह सोचने का कोई कारण नहीं था कि उस तारीख को स्थिति इतनी हिंसक हो जाएगी कि पुलिस द्वारा गोली चालन आवश्यक हो जाएगा अन्यथा उस पार्टी में जो प्रातः श्री इन्द्रजीत सिंह को गिरफ्तार करने के लिए गई थी, गोलीचालन पार्टी भी सम्मिलित होती.

228. किरन्दुल एक छोटी सी बस्ती है, जिसका विकास मुख्यतः बैलाडीला परियोजना के कारण ही हुआ है. किन्तु सौभाग्य से राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा चलाया जाने वाला चिकित्सालय उस श्रमिक बस्ती के निकट ही है और जैसा कि पहले देखा गया है, चिकित्सालय के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डा. राय सक्रिय हो गए और उन्होंने सुबह की वारदात के तुरंत बाद और यहां तक कि पुलिस द्वारा गोली चालन के पहले भी आहत व्यक्तियों को चिकित्सालय में लाना प्रारंभ कर दिया. यह भी देखा गया है कि फायर ब्रिगेड भी तैयार रखा गया था और श्रमिक बस्ती में लगी आग बुझाने के लिए उसे काम में लाया गया.

229. समापन के पूर्व मैं श्री ए. एम. माथुर, महाधिवक्ता को धन्यवाद देना चाहूंगा, जो आयोग की सहायता के लिए उपस्थित हुए. मैं श्री एल. एस. बघेल तथा श्री आर. बी. कानूनगो को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जो जिला

प्रशासन की ओर से उपस्थित हुए. मैं श्री वाई. एस. धर्माधिकारी, श्री पी. एस. नायर तथा श्री एन. डी. झा को, जो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की ओर से उपस्थित हुए, श्री पी. एल. दुबे, श्री के. सी. बंसल और श्री रूसी दाजी को भी जो सं. ख. म. सं. की ओर से उपस्थित हुए. धन्यवाद देना चाहूंगा.

230. इस घटना के संबंध में जो कि सात वर्षों से भी पहले घटित हुई थी, यह प्रतिवेदन विलम्ब से प्रस्तुत किए जाने के लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूं. मैं इस बात का पहले ही उल्लेख कर चुका हूं कि मुझे आयोग के अभिलेख 25-8-83 को प्राप्त हुए और यद्यपि मैंने 22-9-84 तक सुनवाई का काम पूरा कर लिया था, तथापि यह प्रतिवेदन, जो सामान्यतः 31-12-84 तक प्रस्तुत किया जा सकता था, आशुलिपिक की अनुपलब्धता के कारण और भी छह माह विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है.

के. एस. वर्मा,
एक मात्र सदस्य,
किरन्दुल जांच आयोग.

इन्दौर (म.प्र.)
दिनांक : 30-6-85

[C-117 — 900]

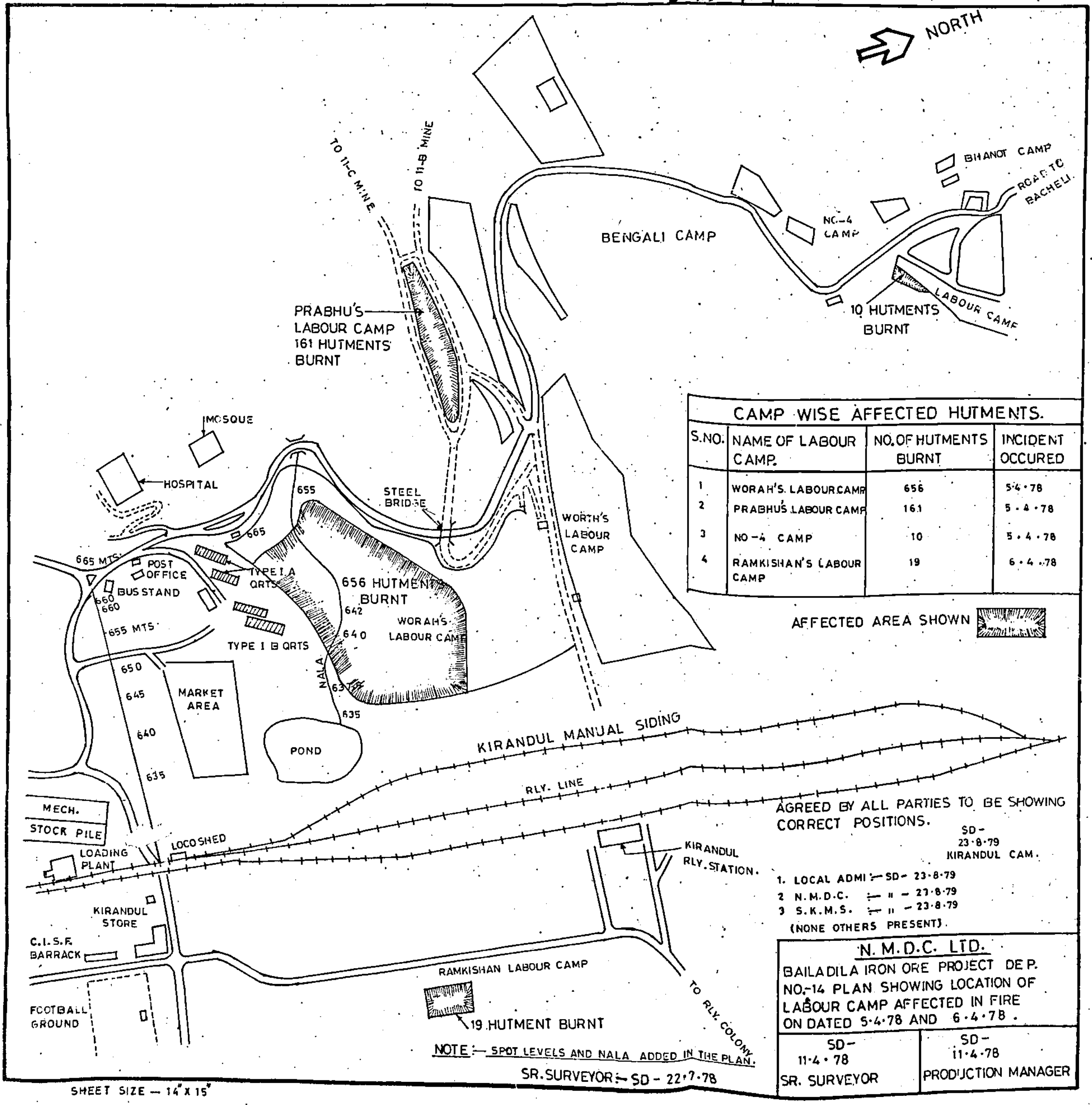

CAMP WISE AFFECTED HUTMENTS.

S.NO.	NAME OF LABOUR CAMP.	NO. OF HUTMENTS BURNT	INCIDENT OCCURED
1	WORAH'S LABOUR CAMP	656	5·4·78
2	PRABHU'S LABOUR CAMP	161	5·4·78
3	NO-4 CAMP	10	5·4·78
4	RAMKISHAN'S LABOUR CAMP	19	6·4·78

AGREED BY ALL PARTIES TO BE SHOWING CORRECT POSITIONS.

SD- 23·8·79 KIRANDUL CAM.

1. LOCAL ADMI :— SD- 23·8·79
2. N.M.D.C. :— " — 23·8·79
3. S.K.M.S. :— " — 23·8·79

(NONE OTHERS PRESENT).

NOTE :— SPOT LEVELS AND NALA ADDED IN THE PLAN.

SR. SURVEYOR :— SD - 22·7·78

N. M. D. C. LTD.

BAILADILA IRON ORE PROJECT DEP. NO.-14 PLAN SHOWING LOCATION OF LABOUR CAMP AFFECTED IN FIRE ON DATED 5·4·78 AND 6·4·78.

SD- 11·4·78 SR. SURVEYOR	SD- 11·4·78 PRODUCTION MANAGER

SHEET SIZE — 14" X 15"

परिशिष्ट—आ

उन गवाहों की सूची, जिनका परीक्षण किया गया, वे गवाह, जिनका स्थानीय प्रशासन की ओर से परीक्षण किया गया

क्रमांक	नाम	गवाह क्रमांक
1	श्री नरसिंह देव सिंह, वृत्त निरीक्षक, बेमेतरा, जिला दुर्ग	1
2	श्री रामदीन पुत्र बरसन, किरन्दुल	2
3	श्री ए. पुरषोत्तम नायर, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के कर्मचारी	3
4	श्री हर्षवर्धन वर्मा, छात्र, निवासी किरंदुल	4
5	श्री पापाचंद पुत्र एन्थोनी, निवासी किरंदुल	5
6	श्री ओम प्रकाश, फोटोग्राफर, किरन्दुल	6
7	पुलिस मुख्यालय भोपाल के श्री केगिटन	7
8	श्री ईश्वर लाल, रा. ख. वि. नि. के कर्मचारी	8
9	श्री सगुनदास, श्रमिक, निवासी किरन्दुल	9
10	श्री विजय कुमार सिंह, रा. ख. वि. नि. के कर्मचारी	10
11	श्री सर्वेश्वर, पुलिस सेवा, बचेली	11
12	श्री चितेश्वर नाथ चौबे, पुलिस कर्मचारी	12
13	श्री सत्यनारायन, भिलाई बटालियन	13
14	श्री के. प्रभाकर, रा. ख. वि. नि. के कर्मचारी	14
15	श्री उर्मिल, श्रमिक, किरन्दुल	15
16	श्री रघुनाथ पात्रो, रा. ख. वि. नि. के कर्मचारी	16
17	श्री रघुराज सिंह, तहसीलदार	17
18	श्री भरतलाल, रा. ख. वि. नि.	18
19	श्री हरी सिंह, भोपाल बटालियन	19
20	श्री प्रमोद कुमार, पुलिस उप निरीक्षक, नगरनार	20
21	श्री शिवलाल, पुलिस उप निरीक्षक, बीजापुर	21
22	श्री आर. कुरियन, रा. ख. वि. नि. के कर्मचारी	22
23	श्री चंद्रिका सिंह, पुलिस कान्स्टेबल, राजनांदगांव	23
24	श्री चूड़ामणि प्रसाद सिंह, भिलाई बटालियन	24
25	श्री लक्ष्मीनारायण, पुलिस कान्स्टेबल	25
26	श्री कंचन सिंह, पुलिस कान्स्टेबल	26
27	श्री प्रकाशनाथ तिवारी, पुलिस कांस्टेबल	27
28	श्री रंजीतसिंह पुलिस कांस्टेबल	28
29	श्री कालूराम पुलिस कांस्टेबल	29
30	श्री धनपत राम, पुलिस कांस्टेबल	30
31	श्री पूरन सिंह पुलिस कांस्टेबल	31
32	श्री सुखदयाल, पुलिस कांस्टेबल	32
33	श्री लखनलाल, पुलिस कांस्टेबल	33
34	श्री धुरोलाल, पुलिस कांस्टेबल	34
35	श्री देवेन्द्र कुमार, पुलिस उप निरीक्षक	35
36	श्री जगदीश मोहन सेठी, सहायक कमांडेंट	36
37	श्री दीवान चंद, रा. ख. वि. नि. के कर्मचारी	37
38	श्री योगेश चन्द्र दीक्षित, एस. डी. ओ. पुलिस	38
39	श्री हम्मेसिंह, पुलिस कांस्टेबल, शपथपत्र पर प्रति परीक्षित	39
40	श्री यदुनाथ प्रसाद पाण्डे, शपथपत्र पर प्रति परीक्षित	40
41	श्री बलवंतसिंह कांस्टेबल, भिलाई बटालियन, शपथपत्र पर प्रति परीक्षित	41
42	श्री विद्यानंद, पुलिस कांस्टेबल, शपथपत्र पर प्रति परीक्षित	42
43	श्री लालता प्रसाद, पुलिस कांस्टेबल, शपथपत्र पर प्रति परीक्षित	43

क्रमांक	नाम	गवाह क्रमांक
44	श्री बोधापुरी, पुलिस कांस्टेबल, शपथपत्र पर प्रति परीक्षित	44
45	श्री अकील खान, कांस्टेबल विशेष सशस्त्र बल, शपथपत्र पर प्रति परीक्षित	45
46	श्री घोसी राम, पुलिस कांस्टेबल, शपथ पत्र पर प्रति परीक्षित	46
47	श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, पुलिस कांस्टेबल, शपथपत्र पर प्रति परीक्षित	47
48	श्री राम आसरे, कांस्टेबल, विशेष सशस्त्र बल, शपथपत्र पर प्रति परीक्षित	48
49	श्री साधूराम, कांस्टेबल, विशेष सशस्त्र बल, शपथपत्र पर प्रति परीक्षित	49
50	श्री नरसिंहपुरी, कांस्टेबल, बटालियन, शपथपत्र पर प्रति परीक्षित	50
51	श्री जवाहरलाल, कांस्टेबल, विशेष सशस्त्र बल, शपथपत्र पर प्रति परीक्षित	51
52	श्री जूलियस टिरकी, कांस्टेबल, बटालियन, शपथ पत्र पर प्रति परीक्षित	52
53	श्री काशीराम, कांस्टेबल, शपथपत्र पर प्रति परीक्षित	53
54	श्री अमर कृष्ण, कांस्टेबल, बी. एस. ए. एफ., शपथ पत्र पर प्रति परीक्षित	54
55	श्री दयाराम, कांस्टेबल, बटालियन, शपथपत्र पर प्रति परीक्षित	55
56	श्री लीलाराम मुखर्जी, रा. ख. वि. नि., के कर्मचारी	56
57	श्री मनोहरलाल, रा. ख. वि. नि. के कर्मचारी	57
58	श्री ए. एस. थामस, रा. ख. वि. नि. के कर्मचारी	58
59	श्री त्रिलोकीराम, गार्ड, म. प्र. रा. प. निगम	59
60	श्री दिलीप कुमार, रा. ख. वि. नि. के कर्मचारी	60
61	श्री बलदेव प्रसाद, कर्मचारी (शासकीय सेवा)	61
62	श्री महेशराम, रा. ख. वि. नि. के कर्मचारी	62
63	रा. ख. वि. नि. के कर्मचारी बहादुरसिंग का शपथपत्र	63
64	रा. ख. वि. नि. के. कर्मचारी राजेन्द्र कुमार का शपथपत्र	64
65	पुलिस उप निरीक्षक अनुज प्रसाद तिवारी का शपथपत्र	65
66	डा. एस. डी. अवस्थी, शासकीय सेवक शपथपत्र पर प्रति परीक्षित	66
67	डा. जी. एस. राठौर, शपथपत्र पर प्रति परीक्षित	67
68	श्री जगदीश प्रसाद, रा. ख. वि. नि. के कर्मचारी	68
69	श्री बैजनाथ, रा. ख. वि. नि. के कर्मचारी	69
70	श्री एस. एच. खान, शपथपत्र पर प्रति परीक्षित	70
71	श्री योगेश जौहरी, शपथपत्र पर प्रति परीक्षित	71
72	श्री किशनलाल राठौर (शासकीय कर्मचारी)	72
73	श्री ओमप्रकाश, पुलिस उप निरीक्षक	73
74	श्री सम्पूरण सिंह, प्रबंधक, म. प्र. लौह तथा खनन निगम	74
75	श्री ओंकार प्रसाद गर्ग, अपर पुलिस अधीक्षक	75
76	श्री दिलीप मेहरा, सहायक कलेक्टर	76
77	श्री महादेव प्रसाद, हेड कांस्टेबल	77
78	श्री जगत नारायण, हेड कांस्टेबल	78
79	श्री डा. एम. एम. राय, रा. ख. वि. नि. के कर्मचारी	79
80	श्री रघुनाथ प्रसाद, पुलिस उप निरीक्षक	80
81	डा. आर. एस. जोशी, चिकित्सा अधिकारी	81
82	श्री अमरेश चन्द्र भट्टाचार्य, वरिष्ठ सर्वेक्षक, शपथपत्र	82
83	श्री छोटेलाल कुशवाहा, उप निरीक्षक पुलिस	83
84	श्री बली सिंह, प्लाटून कमांडर	84
85	श्री केशर सिंह, प्लाटून कमांडर	85
86	श्री चन्द्रशेखर सिंह, प्लाटून कमांडर	86
87	श्री विष्णुदत्त शर्मा, पुलिस उप निरीक्षक	87
88	श्री नन्हे सिंह, कलेक्टर, बस्तर	88

परिशिष्ट—आ

वे गवाह, जिनका संयुक्त खदान मजदूर संघ की ओर से परीक्षण किया गया

क्रमांक (1)	नाम (2)	गवाह क्रमांक (3)
1	श्री सुजीत मुंशी	89
2	श्री भगत राम, श्रमिक, किरन्दुल	90
3	श्रीमती पंछी बाई, श्रमिक, किरन्दुल	91
4	श्री राम सिंह, श्रमिक, किरन्दुल	92
5	श्री इतवारी, श्रमिक, किरन्दुल	93
6	श्रीमती आसो बाई, श्रमिक, किरन्दुल	94
7	श्री निर्भयराम, श्रमिक, किरन्दुल	95
8	श्री ब्रम्हानन्द, श्रमिक, किरन्दुल	96
9	श्रीमती बसंती रानी, किरन्दुल	97
10	श्री मोतीराम, श्रमिक, किरन्दुल	98
11	श्री घनश्याम	99
12	श्री सूर्य नारायण, रा. ख. नि. नि. के कर्मचारी	100
13	श्री भगवानसिंह, श्रमिक, किरन्दुल	102
14	श्री गंगा चौबे, (सामाजिक तथा सार्वजनिक कार्यकर्ता)	103
15	श्री रामरतन (श्रमिक)	104
16	दुर्जिन बाई (श्रमिक)	105
17	श्री बठकू राम	106
18	श्री विश्राम (कृषक)	107
19	श्रीमती सोनकुंवर (कृषक)	108
20	श्री घांसू राम (श्रमिक)	109
21	श्रीमती सुशीला (श्रमिक)	110
22	श्रीमती गेंदी बाई (श्रमिक)	111
23	श्रीमती चंदा बाई (श्रमिक)	112
24	श्रीमती विरमा बाई, श्रमिक, शपथपत्र पर प्रति परीक्षित	113
25	श्री तुलसी राम, श्रमिक	114

परिशिष्ट—आ

वे गवाह, जिनका रा. ख. वि. नि. की ओर से परीक्षण किया गया

क्रमांक (1)	नाम (2)	सा. क्र. (3)
1	श्री पी. पी. पिल्ले, रा. ख. वि. नि. के कर्मचारी, शपथ पत्र पर प्रति परीक्षित	102
2	श्री सुरेन्द्र प्रसाद, रा. ख. वि. नि. के कर्मचारी, शपथपत्र पर प्रति परीक्षित	117
3	श्री ओमदत्त शर्मा, रा. ख. वि नि. के कर्मचारी	118
4	श्री पी. के. बनर्जी, रा. ख. वि. नि. के कर्मचारी	119
5	श्री जी. के. सरीन, परामर्शदाता, बोकारो इस्पात संयंत्र	120

परिशिष्ट—आ

आयोग की ओर से परीक्षित गवाह

क्रमांक (1)	नाम (2)	ग. क्र. (3)
1.	श्री कंक जे शाह	115
2.	श्री उपेन्द्र कुमार चन्वानी	116

परिशिष्ट—ई

दस्तावेजों की सूची

क्रमांक (1)	प्रदर्शों का विवरण (2)	किसके द्वारा (3)	तारीख (4)
1.	अपराधिक मामला 161/78 में अपराध क्र. 119/79 की प्रथम सूचना रिपोर्ट.	एन. डी. सिंह आ.ग.	5-4-78
2.	आयोग के समक्ष दिये गये अभिसाक्ष्य का 'र' से 'र' तक चिन्हित भाग.	तदैव	14-10-78
3.	पुलिस के समक्ष दिये गये बयान का 'ए' से 'ए' तक तथा बी से बी तक चिन्हित भाग	तदैव	18-10-78
4.	आठ निगेटिव सहित पांच फोटो ए.बी.सी.डी. तथा ई.	ओम प्रकाश आ.ग. 6	15-10-78
5.	बासठ निगेटिव (38x 21x 3) एक कोरा तथा फोटो—एफ 1 से एफ. 100 तक.	केजीतिन आ. ग. 6	15-10-78
6.	निगेटिव सहित तीन फोटो जी-1 से जी-3 तक	ईश्वरलाल आ. ग. 8	15-10-78
7.	पुलिस के समक्ष गवाहों के बयान में ए के ए तक चिन्हित भाग.	सत्यनाराय आ ग 13	16-10-78
8.	थाना किरन्दुल से सन्हा क्र. 121 ता. 5-4-78 ..	भरत लाल आ. ग. 13	16-11-78
9.	पुलिस के समक्ष गवाह के बयान में ए से ए तक चिन्हित भाग.	हरीसिंह आ. ग. 19	16-11-78
10.	पुलिस के समक्ष गवाह के बयान में ए से ए तक चिन्हित भाग	चूड़ामनि प्रसाद आग.ग. 24	17-11-78
11.	पुलिस के समक्ष गवाह के बयान में ए से ए तक चिन्हित भाग.	लक्ष्मीनारायण आ. ग. 25	17-11-78
12.	पुलिस के समक्ष गवाह के बयान में ए से ए तक तथा बी से बी तक चिन्हित भाग	प्रकाश नाथ आ. ग. 27	18-11-78
13.	पुलिस के समक्ष गवाह का सम्पूर्ण बयान	तदैव	18-11-78
14.	पुलिस के समक्ष गवाह के बयान में ए से ए तक चिन्हित भाग	कालूराम आ. ग. 29	20-11-78
15.	पुलिस के समक्ष गवाह के बयान में ए से ए तक चिन्हित भाग.	धनपतराम आ. ग. 30	20-11-78
16.	पुलिस के समक्ष गवाह के बयान में ए से ए तक चिन्हित भाग.	सुखदयाल आ. ग. 32	20-11-78
17.	पुलिस के समक्ष गवाह का सम्पूर्ण बयान .	लखनपाल आ. ग. 33	20-11-72
18.	सान्हा क्र. 64 दिनांक 1-4-78 पुलिस थाना किरन्दुल	जे. एम. सेठी आ. ग. 33	21-11-78

(1)	(2)	(3)	(4)
19.	महा. प्र. का बस्तर के जि. मजि. को भेजा गया पत्र दिनांक 5-4-78.	वाई. सी. दीक्षित आ. ग. 38	22-11-78
20.	पुलिस के समक्ष गवाह के बयान में ए से ए तक तथा बी बी तक चिन्हित भाग.	तदैव	23-11-78
21.	पी. बी. के भाग दो जिल्द एक में पृ. क्र. 166 पर हम्मेसिंह द्वारा शपथ-पत्र दिनांक 22-11-78.	हम्मेसिंह आ. ग. 39	23-11-78
22.	बी. के भाग दो जिल्द एक में प्र. क्र. 168 तथा 169 पर शपथ-पत्र दिनांक 22-11-78.	यदुनाथ प्रसाद आ.ग. 40	23-11-78
23.	पी. बी. के भाग दो, जिल्द एक में पृ. क्र. 172 तथा 173 पर शपथ पत्र दि. 22-11-78.	बलवन्त सिंह आ. ग. 41	23-11-78
24.	पी. बी. के भाग दो, जिल्द एक में पृ. क्र. 175 तथा 176 पर शपथ-पत्र दिनांक 22-11-78.	विद्यानन्द आ. ग. 42	23-11-78
25.	पी. बी. के भाग दो, जिल्द एक में पी. बी. के. पृ. क्र. 178 तथा 179 पर शपथ पत्र दि. 22-11-78.	लालता प्रसाद आ. ग. 43	23-11-78
26.	पी. बी. के भाग दो जिल्द एक में पृ. क्र. 181 तथा 182 पर शपथ-पत्र दि. 22-11-78	बोधापुरी आ. ग. 44	23-11-78
27	पी. बी. के भाग 2, जिल्द एक में पृ. क्र. 184 पर शपथ पत्र दिनांक 22-11-78.	वकील खान आ. ग. 45	23-11-78
28.	पी. बी. के भाग दो जिल्द एक में पृ. क्र. 186 तथा 187 पर शपथ पत्र दि. 22-11-78.	घोसीराम आ. ग. 46	23-11-78
29.	पेपर बुक एफ. क्र. 189 तथा 190 भाग दो जिल्द एक पर शपथ पत्र दिनांक 22-11-78.	राजेन्द्र प्रसाद आ. ग. 47	23-11-78
30.	पी. बी. के भाग दो जिल्द एक में पृष्ठ क्र. 192 तथा 193 से शपथ पत्र दिनांक 22-11-78.	रामासरे सिंह, आ.ग. 48	23-11-78
31.	पी. बी. के भाग दो जिल्द एक में पृष्ठ क्र. 195 तथा 196 पर शपथ-पत्र दिनांक 22-11-78.	साधूराम आ. ग. 49	23-11-78
32.	पी. बी. के भाग दो जिल्द-एक पृ. क्र. 199 तथा 200 पर शपथ-पत्र दिनांक 22-11-78.	नरसिंहपुरी आ. ग. 50	24-11-78
33.	पी. बी. के भाग दो जिल्द-एक के पृष्ठ क्र. 203 तथा 204 पर दिया गया शपथ-पत्र दिनांक 22-11-78.	जवाहरलाल आ. ग. 51	24-11-78
34.	पी. बी. के भाग-दो, जिल्द-एक में पृ. क्र. 206 तथा 207 पर दिया गया शपथ-पत्र, दिनांक 22-11-78.	जूलियास आ. ग. 51	24-11-78
35.	पी. बी. के भाग दो, जिल्द-एक में पृ. क्र. 210 पर दिया गया शपथ-पत्र, दिनांक 22-11-78.	काशीराम आ. ग. 53	24-11-78
36.	पी. बी. के. भाग-दो, जिल्द-एक के पृष्ठ क्र. 212 पर दिया गया शपथ-पत्र, दिनांक 22-11-78.	अमर कृष्ण आ. ग. 54	24-11-78
37.	पी. बी. के भाग-दो, जिल्द एक में पृष्ठ क्र. 214 तथा 215 पर दिया गया शपथ-पत्र, दिनांक 22-11-78.	दयाराम आ. ग. 55	24-11-78
38.	सान्हा क्र. 75 दिनांक 1-4-78 पुलिस थाना किरन्दुल	लीलामोय मुखर्जी आ. ग. 56	24-11-78
39.	पुलिस के समक्ष गवाह का ए से ए, बी से बी, सी से सी तथा डी से डी तक चिन्हित भाग.	दिलीप कुमार आ. ग. 60	25-11-78
40.	पी. बी. के. भाग-दो, जिल्द-एक में पृष्ठ क्र. 234 तथा 235 पर दिया गया शपथ-पत्र, दि. 23-11-78.	बहादुर सिंह आ. ग. 63	23-11-78
41.	ज्ञापन क्र. एस. एम. ई.।पी. एफ।223।78 दि. 1-4-78	तदेव	23-11-78
42.	परिशिष्ट-एक-तीन आरोपों के अनुच्छेदों का अभिकथन	तदेव	23-11-78
43.	परिशिष्ट-दो-कदाचरण के आरोपों का अभिकथन ..	तदेव	23-11-78
44.	पी. बी. के. भाग-दो, जिल्द-एक में पृष्ठ क्र. 240 तथा 241 पर दिया गया शपथ-पत्र दि. 23-11-78.	राजेन्द्र कुमार आ. ग. 64	23-11-78

(1)	(2)	(3)	(4)
45.	ज्ञापन क्र. ई. ई. (सी.)-पी. एफ. 224/78 दि. 1-4-78.	आर. के. गुप्ता आ. ग. 64	23-11-78
46.	परिशिष्ट-दो-चार आरोपों के अनुच्छेद का अभिकथन	तदेव	23-11-78
47.	परिशिष्ट-दो-कदाचरण के आरोप का अभिकथन	तदेव	23-11-78
48.	पी. बी. के भाग-दो, जिल्द एक में पृष्ठ क्र. 247 तथा 248 पर दिया गया शपथ-पत्र, दिनांक 24-11-78.	अनुजप्रसाद आ. ग. 65	23-11-78
49.	प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 3-4-78 सहित पुलिस थाना बचेली चौकी भन्सी के अपराध क्र. 117/78, दिनांक 4-4-78 का सान्हा क्रमांक 101.	अनुजप्रसाद आ. ग. 65	23-11-78
50.	प्रथम सूचना रिपोर्ट, दिनांक 3-4-78 सहित पुलिस थाना बचेली चौकी भन्सी के अपराध क्रमांक 116/78, दिनांक 4-4-78 का सान्हा क्र. 100.	तदेव	23-11-78
51.	पी. बी. के भाग-दो, जिल्द एक में पृष्ठ क्र. 255 तथा 256 पर दिया गया शपथ-पत्र दिनांक 22-11-78.	एस. डी. अवस्थी आ. ग. 66	28-11-78
52.	शव क्र. 1, 2 तथा 4 की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट अर्थात् मार्ग रिपोर्ट क्र. 18/78, 20/78 तथा 22/78.	एस. डी. अवस्थी आ. ग. 66	28-11-78
53.	पी. बी. के भाग-दो, जिल्द में पृष्ठ क्र. 259 तथा 260 पर दिया गया शपथ-पत्र दिनांक 22-11-78.	डा. जी. एस. राठौर आ. ग. 67	28-11-78
54.	मायाराम तथा रायपाल के शव की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट अर्थात् मार्ग रिपोर्ट क्र. 14/78 तथा 15/78.	तदेव	28-11-78
55.	पुलिस के समक्ष गवाह के ब्यान का ए से ए तक चिन्हित भाग.	जगदीशप्रसाद आ. ग. 68	28-11-78
56.	न्या. मजि. प्रथम श्रेणी, जगदलपुर के न्यायालय का आपराधिक मामला क्रमांक 243/78 में रिपोर्ट दिनांक 31-3-78.	बैजनाथ सरोज आ. ग. 69	28-11-78
57.	पी. बी. के भाग-दो, जिल्द-एक में पृष्ठ क्र. 268 तथा 267 पर दिया गया शपथ-पत्र, दि. 24-11-78.	डा. एस. एच. खान, आ. ग. 70	28-11-78
58.	शव क्र. 9 तथा 10 की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट अर्थात् मर्ग, रिपोर्ट क्र. 17/78 तथा 21/78.	तदेव	28-11-78
59.	पी. बी. के भाग-दो, जिल्द एक में पृष्ठ क्र. 271 तथा 272 पर दिया गया शपथ-पत्र, दिनांक 28-11-78.	डा. वाय. जोहरी आ. ग. 71	28-11-78
60.	रामदयाल हल्वा, ढालसिंह तथा अज्ञात शव क्र. 3 के शव की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट, मर्ग रिपोर्ट क्र.	तदेव	तदेव
60-अ.	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर में आपराधिक मामला 161/78 में कोमलसिंह की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट.	तदेव	तदेव
61.	जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक बस्तर को वायरलैस संदेश दिनांक 30-3-78 (शाम को).	ओ. पी. कपूर आ. ग. 73	29-11-78
62.	दिनांक 31-3-78 को शाम 5.30 बजे जि. म. तथा पुलिस अधीक्षक, बस्तर को वायरलैस संदेश.	तदेव	29-11-78
63.	दिनांक 31-3-78 को शाम 8.30 बजे जिला मजिस्ट्रेट तथा पु. अधीक्षक बस्तर को वायरलस संदेश.	तदेव	29-11-78
64.	ता. 2-4-78 को, शाम को जि. म. तथा पुलिस अधीक्षक बस्तर को वायरलैस संदेश.	तदेव	29-11-78

(1)	(2)	(3)	(4)
65.	ता. 3-4-78 की प्रात: 9 बजे तथा 9 बजे रात्रि के जिला म. तथा पु. अधी. बस्तर को दो वायरलैस संदेश.	भो. प्रो. कपूर, आ. ग. 13	29-11-78
66.	दिनांक 4-4-78 को प्रात: 9 बजे जिला. मजि. तथा पुलिस अधीक्षक, बस्तर को वायरलैस संदेश.	तदेव	29-11-78
67.	दिनांक 3-4-78 को 11.30 बजे अपरान्ह सहायक कमांडेन्ट वि. श. बल को जि. म. बस्तर का वायरलैस संदेश.	तदेव	29-11-78
68.	दिनांक 3-4-78 को 11.30 बजे अपरान्ह सहायक कमांडेन्ट वि. श. बल द्वारा उपर्युक्त के संबंध में जिला मजि. बस्तर को उत्तर.	तदेव	29-11-78
69	उ.सं. मजिस्ट्रेट कैम्प किरन्दुल द्वारा दिनांक 5-4-78 को 3-30 बजे अपरान्ह सहायक कमांडेंट कपूर को वायरलैस संदेश.	तदेव	29-11-78
70.	बोरा कम्पनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा दि. 3-4-78 को रिपोर्ट.	सम्पूरन सिंह आ. ग. 74	29-11-78
71.	तदेव तारीख 4-4-78	तदेव	29-11-78
72.	बोरा कम्पनी के प्रबन्धक द्वारा ता. 2-4-78 को सूचना	तदेव	29-11-78
73.	दिनांक 3 4-78 से 5-4-78 तक की बोरा कम्पनी की भुगतान पत्रक पंजी.	सम्पूरण सिंह आ. ग. 74	29-11-78
74.	झोपड़ियों के लिये श्रमिकों को किये गये भुगतान की पंजी	तदेव	29-11-78
75.	श्रमिकों को भुगतान न किये मनीआर्डर	तदेव	29-11-78
76.	दिनांक 30-3-78 को 11.10 बजे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगदलपुर (बस्तर) का पु. उप. महा. नि. को वायर लैस संदेश.	ओ. पी. गर्ग आ. ग. 75	6-1-79
77.	दिनांक 31-3-78 को उप पु. अधी. का अतिरिक्त पु. अधी. को वायर लैस संदेश (तीन).	तदेव	6-1-79
78.	दिनांक 31-3-78 को उप पु. अधी. का अतिरिक्त पु. अधी. को अतिरिक्त तीन वायर लैस संदेश.	तदेव	7-1-79
79.	31-3-78 —1-4-78 को अतिरिक्त पु. अधी. बस्तर का गृह सचिव को एक वायर लैस संदेश.	तदेव	7-1-79
80.	दिनांक 1-4-78 को अतिरिक्त पु. अधी. का उप. पु. महा. नि. रायपुर को वायर लैस संदेश.	तदेव	7-1-79
81.	दिनांक 2-4-78 को जि. म. तथा अतिरिक्त पु. अधी. बस्तर का मुख्य सचिव तथा गृह सचिव को वायरलैस संदेश.	तदेव	7-1-79
82.	दिनांक 2-4-78 को उप पु. अधी. का अतिरिक्त पु. अधी. बस्तर को वायर लैस संदेश. ज	तदेव	7-1-79
83.	दिनांक 4-4-78 को अति. पुलिस अधी. बस्तर का मुख्य सचिव तथा गृह सचिव को वायर लैस संदेश.	तदेव	7-1-79
84.	उप. सं. मजि. मेहरा का दिनांक 5-4-78 को गोली चालन आदेश का ए से ए तक बी से बी तथा सी से सी तक चिन्हित भाग,	तदेव	7-1-79
85.	श्री वी. डी. शर्मा उप पु. नि. किरन्दुल द्वारा दिनांक 5-4-78 को कर्फ्यू की सूचना.	तदेव	7-1-79
86.	दिनाक 5-4-78 को जि. म. तथा अति पु. अधी. बस्तर का प्राधिकारी को वायर लस संदेश.	तदेव	7-1-79

(1)	(2)	(3)	(4)
87.	दिनांक 5-4-78 के कर्फ्यू आदेश की साइक्लोस्टाइल प्रति.	श्री. पी. गर्ग आ. ग. 75	7-1-79
88.	दिनांक 6-4-78 को तीन रेडियो संदेश.	तदेव	7-1-79
89.	पुलिस थाना किरन्दुल का सान्हा क्र. 121 दि. 5-3-78.	तदेव	7-1-79
90.	पुलिस थाना किरन्दुल का सान्हा क्र. 118 दि. 5-4-78.	तदेव	7-1-79
91.	जख्मी व्यक्तियों की सूची.	तदेव	7-1-79
92.	दिनांक 5-4-78 को 12.55 बजे वायरलैस संदेश क्र. 43.	तदेव	7-1-79
93.	दिनांक 5-4-78 को मुख्य सचिव को भेजा गया वायर लैस संदेश क्र. बी. एस. बी. जे. डी. आर. क्यु. 78.	तदेव	7-1-79
94.	दिनांक 3-4-78 (शाम) को उप सं. मजि. तथा उ. सं. अधि. पु. द्वारा जि. म. तथा पुलिस अधी. बस्तर को भेजा गया वायर लैस संदेश.	दिलीप मेहरा आ. ग. 76	7-1-79
95.	दिनांक 1-4-78 से 4-4-78 तक पांच वायर लैस संदेश.	तदेव	17-1-79
96	दिनांक 27-2-78 को उप सं. मजि. की जि. मजि. बस्तर की रिपोर्ट.	तदेव	10-1-79
97.	दिनांक 17-3-78 को उप सं. मजि. की जिला मजि. बस्तर को रिपोर्ट.	तदेव	10-1-79
98.	श्री दिलीप मेहरा द्वारा पुलिस के समक्ष ए से ए तक का चिन्हित भाग.	तदेव	10-1-79
99.	वायर लैस संदेश दिनांक 5-3-78 क्र. जी आर180.	तदेव	10-1-79
100.	उप सं. मजि. द्वारा धारा 144 के लिये दि. 5-4-78 का आदेश.	तदेव	10-1-79
101.	अश्रु गैस आदेश दिनांक 31-3-78.	तदेव	10-1-79
102.	पुलिस विनियम अधिनियम की धारा 444 के अधीन दि. 12-4-78 की रिपोर्ट.	तदेव	10-1-79
103.	पुलिस थाना किरन्दुल का सान्हा क्र. 1182, दिनांक 27-3-78.	महादेव प्रसाद आ. ग. 77	14-2-79
104.	पुलिस थाना किरन्दुल का सान्हा क्र. 1182 दि. 27-3-78	तदेव	14-2-79
105.	किरन्दुल का सान्हा क्र. 1182 दि. 27-3-78	तदेव	14-2-79
106.	पुलिस थाना, किरन्दुल का सान्हा क्र. 1291 दि. 29-3-78	तदेव	14-2-79
107.	पुलिस थाना, किरन्दुल का सान्हा क्रमांक 1346, 1357, 1358 ता. 31-3-78.	तदेव	14-2-79
108.	पुलिस थाना किरन्दुल का सान्हा क्र. 13, 20, 23 तथा 24 ता. 1-4-78.	तदेव	14-2-79
109.	पुलिस थाना, किरन्दुल का सान्हा क्र. 76, 77, 79, 80 ता. 3-4-78.	तदेव	14-2-79
110.	पुलिस थाना, किरन्दुल का सान्हा क्र. 111, 113, 116, 118 तथा 121 ता. 5-4-78.	तदेव	14-2-79
111.	पुलिस थाना किरन्दुल का सान्हा क्र. 122 से 129 तक, 132, 141, 142, 144 से 154 तक ता. 5-4-78 तथा 178, 179 ता. 6-4-78.	तदेव	14-2-79

(1)	(2)	(3)	(4)
112.	पुलिस थाना, किरन्दुल का 22-3-78 से 8-4-78 तक का रोजनामचा.	महादेव प्रसाद ग्रा. ग. 77	14-2-79
113.	13 घायल व्यक्तियों के चिकित्सीय परीक्षण के लिये मांग, दिनांक 1-4-78.	डा. एम. एम. राय ग्रा. ग. 79	16-2-79
114.	थानेदार किरन्दुल को संबोधित ज्ञाप क्र. 1-(2-5-78)	तदैव	16-2-79
115.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी जगदलपुर के अपराध मामला क्र. 161178 से श्री एन. डी. सिंह, वृत्त नि. की दिनांक 1-5-78 की एक्स-रे-प्लेट क्र. 2188.	तदेव	16-2-79
116.	एन. डी. सिंह से संबंधित दिनांक 1-4-78 की रिपोर्ट.	तदेव	16-2-79
117.	डा. एम. एम. राय का पुलिस के समक्ष बयान, ए से ए तक, बी से बी तक, सी से सी तक तथा डी से डी तक चिन्हित भाग.	तदेव	16-2-79
118.	एस. के. एन. एस. के नेताओं के दिनांक 27-3-78 के भाषणों की टप रिपोर्ट.	आर. पी. शर्मा ग्रा. ग. 80	17-2-79
119.	पुलिस थाना, किरन्दुल का सान्हा क्र. 1357 दिनांक 30-3-78.	तदेव	17-2-79
120.	पुलिस थाना, किरन्दुल का सान्हा क्रमांक 57 दिनांक 31-3-78.	तदेव	17-2-79
121.	पुलिस थाना किरन्दुल का सान्हा क्र. 86 दि. 31-3-78	तदैव	17-2-79
122.	पुलिस थाना किरन्दुल का सान्हा क्र. 24 तथा 25 दिनाक 31-3-78	तदैव	17-2-79
123.	अपराध क्र. 110/78. 111/78, तथा 112/78 दिनांक 31-3-78–1-4-78 (धारा 341, 448, 147, तथा 148 के अधीन, धारा 332, 336, 147 तथा 149 के अधीन).	तदैव	17-2-79
124.	पुलिस थाना, किरन्दुल का सान्हा क्र. 112 तथा 113 दिनांक 1-4-78.	आर. पी. शर्मा ग्रा. ग. 80	17-2-79
125.	धारा 432 तथा 34 के अधीन अपराध क. 114-78 दिनांक 3-4-78.	तदैव	17-2-79
126.	पुलिस थाना, किरन्दुल का सान्हा क्रमांक 80 दि. 3-5-78.	तदैव	17-2-79
127.	पुलिस थाना, बचेली का विस्फोटक अधिनियम की धारा के अधीन अपराध क्र. 116 तथा 117 ता. 4-4-78.	तदैव	17-2-79
128.	पुलिस थाना, किरन्दुल का सान्हा क्र. 100 तथा 101 तारीख 4-4-78.	तदैव	17-2-79
129.	पुलिस थाना, किरन्दुल का सान्हा क्र. 111 तथा 112 ता. 5-4-78.	तदैव	17-2-79
130.	धारा 447 के अधीन अपराध क्र. 118-78, दिनांक 5-4-78	तदैव	17-2-79
131.	पुलिस थाना किरन्दुल का सान्हा क्र. 116, 118, दि. 5-4-78	तदैव	17-2-79
132.	थाना प्रभारी किरन्दुल को बी. एल. शुक्ला का पत्र दिनांक 5-4-78.	तदैव	17-2-79

(1)	(2)	(3)	(4)
133.	पुलिस थाना किरन्दुल का सान्हा क्र. 121, 256 तथा 122 दिनांक 5-4-78.	आर. पी. शर्मा आ. ग. 80	17-2-79
134.	पुलिस थाना किरन्दुल का सान्हा क्र. 103 दिनांक 4-4-78	तदैव	17-2-79
135.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी जगदलपुर के यहां आपराधिक मामले में क्र. 146-78 में सीताराम तथा रामदीन की चिकित्सा रिपोर्ट.	डा. आर. जे. जोशी आ. ग. 81	17-2-79
136.	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर के यहां आपराधिक मामले क्र. 112-78 में जगतनारायण तथा सूर्यनारायण की चिकित्सा रिपोर्ट.	तदैव	17-2-79
137.	पैरा 4, 5 तथा 6 में उल्लिखित व्यक्तियों का पूर्वापराध पत्रक	तदैव	17-2-79
138	निम्नलिखित की चिकित्सा रिपोर्ट:-- (1) जवाहर लाल (2) श्री निवास पाण्डेय (3) लता प्रसाद (4) चूड़ामनि तथा अन्य जैसा कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जगदलपुर के यहां आपराधिक मामला क्र. 61-78 में दिए गए शपथ-पत्र के पैरा 9] में दिया गया है.	तदैव	17-2-79
139.	भिषग वैधिक (मेडिको लीगल) अभिलेख की पंजी, दिनांक 5-4-78.	डा. आर. एल. जोशी आ. ग. 81.	17-2-79
140.	बैलाडीला लोह अयस्क परियोजना 14 की झोपड़ियों के नक्शे दिनांक 5-4-78.	ए. सी. भट्टाचार्य आ. ग. 82	17-2-79
141.	बैलाडिला रेलवे का सामान्य अभिन्यास]	तदैव	17-2-79
142.	प्रशासनिक कार्यालय का पार्श्व विन्यास	तदैव.	17-2-79
143.	बेचलर होस्टल की पार्श्व विन्यास	तदैव.	17-2-79
144.	बस स्टेण्ड का पार्श्व विन्यास	तदैव.	17-2-79
145.	लोडिंग संयंत्र पार्श्व विन्यास	तदैव.	17-2-79
146.	किरन्दुल बस्ती का मार्गदर्शक नक्शा	तदैव.	17-2-79
147.	आग से प्रभावित क्षेत्र की झोंपड़ियों का नक्शा	तदैव.	17-2-79
148.	श्रमिक शिविरों का पार्श्व विन्यास	तदैव.	17-2-79
149.	पुलिस थाना किरन्दुल का रोजनामचा क्र. 243 दिनांक 5-4-78	वी. डी. शर्मा आ. ग. 87	24-4-79
150.	श्री कपूर तथा मेहरा का वायरलेस संदेश दिनांक 31-3-78	नन्हेसिंह आ. ग. 88	20-8-79
151.	जिला मजिस्ट्रेट बस्तर को दिनांक 5-4-78 का महाप्रबन्धक का पत्र	तदैव.	20-8-79
152	जिला मजिस्ट्रेट का दिनांक 5-4-78 का करफ्यु आदेश	तदैव.	

(1)	(2)	(3)	(4)
154	जिला मजिस्ट्रेट का दिनांक 31–3–78 तथा 2 से 7 अप्रैल, 78 तक का वायरलैस संदेश.	नन्हसिंग ग्रा. ग. 85	20–8–79
155	म. प्र. शासन के प्रशासनिक विभाग को जि. म. का दिनांक 5–4–78 का वायरलैस संदेश.	तदैव	20–8–79
156	प्रात: समाचार के संबंध में प्रशासन को वायरलेस, दिनांक 5–4–78.	तदैव.	20–8–79
157	पुलिस विनियम की धारा 444 के अधीन सूचना, दिनांक 12–4–78	तदैव.	20–8–79
158	चिकित्सा रिपोर्ट	गन्सूराम ग्रा. ग. 109	30–8–79
159	भिलाई इस्पात संयंत्र, दल्ली राजहरा म उपचार किया गया. अस्पताल की चिट प्रस्तुत की गई.	गेन्दी बाई एस. के. एम. एस. ग. 111	3–11–79
160	दल्ली राजहरा पुलिस थाने में रिपोर्ट की गई.	गेन्दी बाई एस. के. एम. एस. ग. 111.	3–11–79
161	सनपारा अस्पताल में परीक्षण किया गया अस्पताल की चिट प्रस्तुत की गई.	चन्द्रा बाई एस. के. एम. एस. ग. 112.	3–11–79
162	दन्तेवाडा में अपने भाई खेमलाल के शव की पहचान की गई तथा पुलिस थाना किरन्दुल में रिपोर्ट की गई.	तुलसीराम एस. के. एम. एस. ग. 114.	3–11–79
163	वोरा कम्पनी के पास तीन ठेके थे, दो लौह अयस्क निकालने तथा : लादने के लिए : उम्मेदराय वोरा एम. पी. आयरन एण्ड माइनिंग कंपनी : वेगन लदान लक्ष्मी नारायण भगवान ट्रस्ट के नाम से प्रतिलिपियां प्रस्तुत.	उपेन्द्र कुमार चंचानी ग्रा. की ओर से गवाह क्र. 116.	5–11–79
164	स्थल निरीक्षण नक्शा स्वीकृत किया जिसमें उसने वोरा कैम्प को पहचाना	सम्पूरन सिंह ग्रा. ग. 74 का परीक्षण किया गया.	5–11–79
165	औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबंधों के अधीन दिनांक 22–12–77 को अशोक माइनिंग कंपनी ने विभिन्न प्राधिकारियों को श्रमिकों को छटनी करने के लिए सूचना दी.	एस. प्रसाद कार्मिक प्रबंधक बैलाडिला शपथ-पत्र में ग्रा. ग. 117.	5–11–79
166	एम. पी. पांडे, कार्या. सचिव एस. के. एम. एस. ने महा-प्रबंधक निक्षेप (14) (परिशिष्ट 1) को छटनी के नोटिस को वापस लेने के लिए दिनांक 16–1–78 को पत्र भेजा.	एस. प्रसाद का शपथ पत्र ग्रा. ग. 116.	5–11–79
167	पत्र का उत्तर	एस. प्रसाद का शपथ पत्र ग्रा. ग. 117.	16–2–78
168	कार्या. सचिव ने दिनांक 10–2–78 को औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अधीन छटनी के संबंध में शिकायत को उठाया, प्रबंधक वर्ग को प्रतिलिपि पृष्ठांकित की गई.	एस. प्रसाद ग्रा. ग. 117	19–2–78
169	सहायक श्रमायुक्त (मध्य) रायपुर ने स्थानीय प्रशासन को प्रतिलिपियां पृष्ठांकित कीं.	एस. प्रसाद ग्रा. ग. 117	29–2–78

(1)	(2)	(3)	(4)
170.	छटनी की स्थिति पर चर्चा. अभिलेख टीप (परिशिष्ट तीन)।	एस. प्रसाद ग्रा. ग. 117	14-2-78
171.	दिनांक 15-3-78 को एस. प्रसाद ने एस. के. एम. एस. के अध्यक्ष को आन्दोलनात्मक गतिविधियों की उलझनों और विवक्षाओं को समझने की सलाह देते हुए एक टीप (परिशिष्ट चार) भेजी.	एस. प्रसाद	15-3-78
172.	छटनी के संबंध में 22 मार्च 1978 को हुई चर्चा के संबंध में अभिलिखित की गई टीप.	एस. प्रसाद	मार्च
173.	27 मार्च की बैठक	एस. प्रसाद परिशिष्ट चार	26 मार्च 78
174.	श्रमायुक्त (सेंट्रल) के समक्ष समझौता कार्यवाही तथा एन. एम. डी. सी. को नोटिस.	एस. प्रसाद ..	18-2-78